लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

[तीसरा सत्र]

सत्यमेव जयते

(खंड 6 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 21, सोमवार, 7 जुलाई 1980/16 आषाढ़, 1902 (शक)

विषय			पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :			
*तारांकित प्रश्न संख्या 407 से 413	...		1—25
प्रश्नों के लिखित उत्तर :			
तारांकित प्रश्न संख्या 414 से 427	...	...	26—41
अतारांकित प्रश्न संख्या 3115 से 3306	...	...	41—227
स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में		...	227—229
सभा पटल पर रखे गये पत्र		...	229—235
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		...	239—261
गुजरात में बाढ़			
श्री रामविलास पासवान	...	...	239—249
श्री वीरेन्द्र सिंह राव	...	..	239—261
श्री रामावतार शास्त्री			240—252
श्री छीतूभाई गामित	...	...	253—256
श्री चित्त बसु			256—258
श्री जी० एम० बनातवाला	...	...	259—261
गोदावरी जल विवाद अधिकरण के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य	...	...	262—264
श्री केदार पांडे	...	...	262—264
दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में रेजिडेंट डाक्टरों की सांकेतिक हड़ताल के बारे में वक्तव्य	...	...	265—271
श्री रामविलास पासवान	...	...	270
श्री बी० शंकरानन्द	...	...	270—271
नियम 377 के अधीन मामले	...	...	271—275
(एक) बिहार में करमचट बांध परियोजना को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता			
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	...	...	271—272
(दो) उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 14 आदिवासी महिलाओं के साथ कथित बलात्कार			
श्रीमती प्रमिला दण्डवते	...	...	—272

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय			पृष्ठ
(तीन) गृह मंत्रालय की एक महिला कर्मचारी द्वारा आत्महत्या करने के मामले में जांच की आवश्यकता श्री हरिकेश बहादुर	...		272
(चार) त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में ले जायी जाने वाली सहायता सामग्री के लिए विमान भाड़े में छूट की आवश्यकता श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	...	...	—273
(पांच) मध्यप्रदेश के दुर्ग जिले के एक थाने पर एक महिला के साथ कथित दुर्व्यवहार श्री बापूसाहिब पारुलेकर	...	...	273—274
(छः) केन्द द्वारा अनाज की सप्लाई न किए जाने पर पश्चिम बंगाल में काम के बदले अनाज कार्यक्रम को स्थगित करने का समाचार श्री ज्योतिर्मय बसु	...		—275
अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1980-81—वाणिज्य मन्त्रालय	...		275—320
श्री जार्ज जोसेफ मुंडाकल	...	...	275—277
श्री सन्तोष मोहन देव	...	...	277—280
श्री एन० ई० होरो	...	...	280—281
श्री के० टी० कोसलराम	...	...	281—283
श्री रशीद मसुद	...	...	283—286
श्री जियाउर्रहमान अन्सारी	...	...	286—292
श्री निरेन घोष	...	...	292—294
श्री के० ओबुल रेड्डी	....	...	294—296
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	...	...	297—299
श्री ओस्कर फर्नान्डीज	...	...	299—300
श्री के० कुन्हम्बु	...	...	300—302
श्री रामावतार शास्त्री	...	...	302—303
श्री ज्योतिर्मय बसु	...	...	303—320
श्री प्रणव मुखर्जी	...	...	309—320
अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1980-81 विदेश मन्त्रालय	...	...	321—339
श्री पी० वी० नरसिंह राव	...	...	321—332
श्री चन्द्रजीत यादव	...	...	322—332

लोक सभा

सोमवार, 7 जुलाई, 1980/16 आषाढ़, 1902 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

पटना में टेलीफोन प्राप्त करने के लिए विचाराधीन आवेदन पत्र

407. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना में टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करते के लिए आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) उनको टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और आगे उठाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां ।

(ख) 1-8-80 को 924 ।

(ग) पटना के मौजूदा एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाई जा रही है । आशा की जाती है कि 1981 तक विस्तार कार्य पूरा हो जाएगा तथा अधिकतर आवेदकों को कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जायेंगे ।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्षजी, लम्बित टेलीफोन के जो आवेदन सरकार के पास हैं वह मन्त्री महोदय ने बतलाए, उन्होंने यह भी बतलाया कि 1981 तक नए एक्सचेंज में कुछ और बढ़ोतरी हो गई । उसकी केपेसिटी में, तो 924 या जो भी फीगर उन्होंने बतलाई उसकी वे पूर्ति करेंगे लेकिन बीच में जो आवेदन-पत्र बढ़ते जायेंगे, टेलीफोन के कनेक्शन्स के लिए, उसका हल मंत्री जी कैसे निकालेंगे ?

साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि टेलीफोन देने की जो पहले शर्त थी क्या उनमें सरकार ने कोई परिवर्तन किया है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री कार्तिक उरांव : जहातक टेलफोन लगाने की बात है, आपको बताया गया कि 924 वेटिंग लिस्ट पर हैं लेकिन आगे और कितने बढ़ते जायेंगे उसके विषय में अभी कुछ कहना मुश्किल है । हां, अगर जरूरत पड़ी तो रेव्यू किया जा सकता है ।

श्री रामावतार शास्त्री : आपका टेलीफोन देने का जो क्राइटीरिया है उसमें कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं—यह तो मेरा मेन सवाल है जिसका आपने जबाव ही नहीं दिया ।

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : मैं सही ढंग से यह नहीं समझ पाया हूं कि माननीय सदस्य क्या चाहते हैं। राष्ट्रीय स्थिति की तुलना में प्रतीक्षा सूची में पटना में लोगों की संख्या बहुत कम है। राष्ट्रीय रजिस्टर की प्रतीक्षा सूची में करीब 3.5 लाख लोग हैं पटना में प्रतीक्षा सूची में लोगों की संख्या 924 है जबकि प्रसार कार्यक्रम में 1900 लोगों को टेलीफोन देने का प्रावधान है। अतः अगर कुछ आदमी और भी मांग करते हैं तो उनके लिए हम व्यवस्था कर सकेंगे। पाटलीपुत्र की प्रतीक्षा सूची में संख्या 82 है। इसके लिए प्रसार कार्यक्रम 300 का है। अगर अधिक लोग भी मांग करते हैं तो हम उनके लिए व्यवस्था कर सकेंगे। राजेन्द्रनगर की प्रतीक्षा सूची में मांग करने वालों की संख्या 457 है जबकि प्रसार कार्यक्रम में 1000 लोगों के लिए प्रावधान है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने क्राइटीरिया पूछा था।

श्री सी० एम० स्टीफन : आधार किसके लिए ?

अध्यक्ष महोदय : टेलीफोन कनेक्शंस देने का आधार क्या है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : मैंने पहले से ही प्रतीक्षा सूची में मांग करने वाले लोगों की संख्या के आंकड़े दिये हैं। पटना की प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या 924 है और प्रसार कार्यक्रम में 1900 लोगों के लिए प्रावधान है। इसलिए इस पर ध्यान दिया गया है। निश्चित मानदण्ड के आधार पर ही 924 लोग टेलीफोन कनेक्शंस प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। 1980-81 में 1900 नए कनेक्शन्स देने के लिए प्रावधान किया गया है। अतः इससे बेहतर करना संभव नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या यह बात सच है कि पटना नगर की आबादी छः लाख से अधिक की हो चुकी है और नगर का विकास तेजी से पटना दक्षिणी क्षेत्र में हो रहा है। अगर यह बात सच है तो क्या सरकार शहर के विस्तार को देखते हुए पटना के दक्षिणी क्षेत्र में यानी कंकर बाग के इलाके में कोई नया एक्सचेंज स्थापित करने का विचार रखती है ? अगर नहीं रखती है, तो क्यों ? क्योंकि, शहर का उसी इलाके में एक्सपैंशन हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, किसी दूसरे इलाके में एक्सचेंज बना दें, तो आपको कोई ऐतराज तो नहीं।

श्री रामावतार शास्त्री : मै उसी इलाके की बात कर रहा हूं, वह बहुत बड़ा इलाका है, पटना में इनके दो एक्सचैंज हैं - पाटलीपुत्र और राजेन्द्र नगर में।

श्री कार्तिक उरांव : जहां तक आबादी बढ़ने का सवाल है, आबादी बढ़ने के साथ-साथ टेलीफोन एक्सचेंज बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता है। माननीय सदस्य को पता होना चाहिए कि

अगर कहीं आबादी ज्यादा है, तो वहां टेलीफोन एक्सचेंज बढ़ाने का सवाल नहीं उठता है। .. (व्यवधान) — ।

अध्यक्ष महोदय : ये सप्लाई और डिमाण्ड की बात करते हैं ...(व्यवधान) ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मै माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बिहार के ऐसे कितने एम० पीज० हैं, जिनके दिल्ली आवास पर टेलीफोन लगा है, लेकिन उनके स्थाई आवास पर टेलीफोन अभी तक नहीं लगा है। बिहार के जी० एम० टी० इतने लापरवाह हैं कि अभी तक कई लोगों के आवास पर टेलीफोन नहीं लगा है। मै 1977 में भी लोकसभा का सदस्य चुनकर आया था, लेकिन अभी तक मेरे आवास पर टेलीफोन नहीं लगा है। मै यह जानना चाहता हूं कि कितने संसद सदस्य ऐसे हैं, जिनके घरों पर अभी तक टेलीफोन नहीं लगे हैं और कितने दिनों में संसद सदस्यों के स्थानीय आवास पर टेलीफोन लगाने की व्यवस्था हो जाएगी ?

श्री कार्तिक उरांव : श्री ज्योतिमय बसु ने मेरी अटेंशन डाइवर्ट कर दी थी, इसलिए माननीय सदस्य इस प्रश्न को दोबारा दोहराने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न दोबारा पूछ रहे हैं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मैं 1977 में लोकसभा का सदस्य चुनकर आया था और अब भी आते ही मैंने एप्लाई कर दिया था, लेकिन फिर भी टेलीफोन नहीं लगा और उड़ीसा के कुछ लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि संसद सदस्यों के स्थानीय आवास पर टेलीफोन में कितनी अवधि लगती है और इसका प्रोवीजन क्या है ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पांच वर्ष समाप्त होने के बाद टेलीफोन लगायेंगे।

श्री सी० एम० स्टीफन : संसद सदस्य को तो टेलीफोन सामान्य रूप से दिया ही जाता है। हमें व्यक्तिगत मामलों के बारे में सदन में चर्चा नहीं करनी चाहिए। मै अपने माननीय मित्र को बताना चाहता हूं कि जो प्रक्रिया है उसके अनुसार आप लोकसभा सचिवालय के माध्यम से अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं जो हमारे पास अवश्य पहुंचना चाहिए। इसमें बिलकुल कोई कठिनाई नहीं होगी। टेलीफोन अविलंब लगा दिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने शास्त्री जी के प्रथम पूरक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया कि ये टेलीफोन एक्सचेंज लगाते हैं, लेकिन जहां पर जरूरत होती, है वहां पर टेलीफोन लाइन नहीं देते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं (क) क्या आप जो टेलीफोन एक्सचेंज बनाते हैं, उसके पहले आप कोई सर्वे करते हैं या नही कि वास्तव में कहां कितनी जरूरत है... ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई सवाल नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव: (ख) दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इनकी पहले सरकार थी, 1971-77 तक, उस वक्त इस तरह का नियम था कि ओ० वाई० टी० के अन्तर्गत टेलीफोन दिया जा सकता था .. ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो उन्होंने पहले ही कह दिया है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ओनयूअर टेलीफोन स्कीम को चालू करने का विचार है ? और तीसरे ।

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक ही सदन का समय ले रहे हैं । यह कोई तरीका नहीं है । जो पहले कहा जा चुका है आप उसी बात को दुहरा रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : उनके उत्तर से ही यह प्रश्न पैदा हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : यह पहले ही कहा जा चुका है । अब प्रश्न सं० 408 ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय मंत्री जी ने कहा कि माननीय सदस्य के घर पर टेलीफोन नहीं लगा है । क्या वह आश्वासन देंगे कि वह कब तक लग जाएगा ?
मैंने प्रश्न पूछा है उन्हें उत्तर देने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : उन्हें उत्तर देने दीजिये । वे उत्तर देने के लिए तैयार हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 408 ।

वर्ष 1980 के दौरान उड़ीसा को आबंटित लेवी चीनी और उसके द्वारा उसे उठाया जाना

*408. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून 1980 के दौरान, महीनेवार, उड़ीसा को कुल कितनी लेवी चीनी आबंटित की गई ;

(ख) इन महीनों में कारखानों से चीनी की कितनी वास्तविक मात्रा उठाई गई और कितनी उड़ीसा पहुंची ; और

(ग) क्या इन महीनों में उड़ीसा को भेजी गई चीनी की मात्रा में अत्यधिक कमी थी ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) 68,296.7 मीटरी टन (ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं) ।

(ख) चीनी की उठाई गई कुल मात्रा 60763.6 मीटरी टन थी और राज्य में प्राप्त कुल मात्रा 56891 मीटरी टन थी (ब्यौरे संग्लन विवरण में दिए गये हैं)।

(ग) जैसाकि संग्लन विवरण में उल्लेख किया गया है, वास्तव में दी गई मात्रा 44,606.6 मीटरी टन थी। यद्यपि चीनी उठाने का कार्य करने वाली एजेंसी भारतीय खाद्य निगम है, फिर भी राज्य के अन्दर उसके संचलन का कार्य राज्य सरकार के नामितों द्वारा किया जाता है। प्रारम्भिक बाधाओं के कारण शुरू में चीनी उठाने/संचलन करने की गति धीमी थी जिसे अब दूर कर दिया गया है और चीनी उठाने के कार्य में काफी तेजी आ गई है

विवरण

जनवरी से जून, 1980 तक की अवधि के दौरान उड़ीसा को माहवार आबंटित लेवी चीनी की मात्रा और फैक्ट्रियों से वास्तव में उठाई गई तथा राज्य में प्राप्त मात्रा को बताने वाला विवरण।

(आंकड़े मीटरी टन में)

मास	आबंटित लेवी चीनी की मात्रा	फैक्ट्रियों से उठाई गई लेवी चीनी की मात्रा	राज्य में प्राप्त मात्रा	दी गई मात्रा
1980				
जनवरी	*14,676	*13,855.8	*1100.0	403
फरवरी	10,724.3	9,342.9	6913.0	4757
मार्च	10,724.1	10,708.3	15443.0	12818
अप्रैल	10,724.1	10,341.8	8618.0	7734
मई	10,724.1	8,083.8	9028.9	10718
जून	10,724.1	8,431.1 (29/6 तक)	15788.1 (29/6 तक)	8176.6
	68,296.7	60,763.6	56891.0	44606.6

* इसमें दिसम्बर का कोटा शामिल है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : विवरण से पता चलता है कि जनवरी में आबंटित लेवी चीनी की मात्रा 14,676 टन थी और कारखानों से उठाई गई लेवी चीनी की मात्रा 13,855

टन थी। चीनी की मात्रा जो वास्तव में राज्य में प्राप्त हुई थी वह 1100 टन थी और जो मात्रा दी गई थी वह केवल 403 टन थी। क्या मंत्री महोदय हमें, आंकड़ों को देखकर यह बताएंगे कि जनवरी और जून के दौरान, लेवी चीनी की कितनी मात्रा आबंटित की गई थी और कितनी मात्रा कारखानों से उठाई गई थी ? क्या बात है कि जो चीनी कारखानों से उठाई गई उसे राज्य को नही दिया गया है ? कारखानों से जो चीनी उठाई जाती है वह कहां जाती है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : जब कभी भी आबंटित चीनी की मात्रा और उठाई गई चीनी की मात्रा में अन्तर होता है उसका कारण कुछ मात्रा में चीनी का मार्ग में रहना है और राज्य द्वारा प्राप्त चीनी की मात्रा राज्य सरकार द्वारा वहां पहुंचने वाली चीनी के लिये किए जाने वाले भगतान एवं भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाए जाने वाले माल पर निर्भर है।

माननीय सदस्य महोदय ने जनवरी माह के बारे में पूछा था। जो जनवरी के लिए दिखाई गई वह अधिकांश मात्रा दिसम्बर और जनवरी के लिए आवंटित थी और उसका कुछ भाग रास्ते में परिवहन में था और कुछ भाग कारखाने से ही नहीं उठाया गया था।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या हमें माननीय मंत्री के कथन से यह समझना चाहिये कि जितनी मात्रा में चीनी कारखानों से उठाई जाती है वह राज्य तक नहीं पहुंचती हैं। यह सभी राज्य के लिये लागू होता है। क्या जो मंत्री महोदय कहते हैं वह सच है। क्या उन्होंने राज्य सरकार से यह मालूम कर लिया है कि भारतीय खाद्य निगम को मूल्य भुगतान न करने के कारण उस राज्य को चीनी नहीं दी गई है। ? क्या इसकी जांच उन्होंने राज्य सरकार से की है ? मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें भारतीय खाद्य निगम के गोडाऊन से लेवी चीनी लेने में देरी नहीं करेंगी। हमें सच्चाई जाननी चाहिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : माननीय सदस्य मार्च के आंकड़ों को देख सकते हैं। आबंटित चीनी की मात्रा 10,724 टन थी और इसमें कारखानों से उठाई गई लेवी चीनी की मात्रा केवल 10708 टन थी, परन्तु राज्य में प्राप्त हुई चीनी की वास्तविक मात्रा 15443 टन थी। यह अतिरिक्त 5,000 टन चीनी पिछले कोटा से मिली जो मार्ग में परिवहन में थी और राज्य में बाद में पहुंची थी। मैंने प्रत्येक माह के लिए राज्यों में प्राप्त चीनी एवं राज्य को दी गई चीनी की मात्रा का उल्लेख किया है। अतः इन दोनों में अन्तर केवल राज्य सरकार द्वारा अपने कोटे को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से न उठाने के कारण है। जैसा कि विवरण से देखा जा सकता है, कि राज्य में प्राप्त कुल चीनी की मात्रा 56,891 टन है। चीनी की यही मात्रा है जो राज्य में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पहुंची है। इसमें से राज्य द्वारा केवल 44,606 टन चीनी ली गई है। मोटे हिसाब से अब 12,000 टन चीनी भारतीय खाद्य निगम के पास बच जाती है जिसकी डिलीवरी राज्य सरकार को भी लेनी है।

श्री अनादि चरण दास : अध्यक्ष महोदय, हमें यह मालूम है कि मार्च महीने की हम लोगों को शूगर नहीं दी गई। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह जो शूगर नहीं दी

गई है, तो क्या अब आप उसको हमें देंगे और देंगे तो कब देने का आप प्रबन्ध कर रहे हैं ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मार्च महीने का जो शूगर का एलोकेशन था, वह सारा पहुंचा है और इस वक्त स्टेट गवर्नमेंट के पास 12 हजार टन के करीब शूगर एफ० सी० आई० के गोडाउन्स में पड़ा हुआ है। इस तरह से एक महीने से भी ज्यादा शूगर का कोटा स्टेट में है। स्टेट गवर्नमेंट एफ० सी० आई० के गोडाउन्स से पैसा देकर उसको उठा ले। इतनी शूगर उनके हिस्से की बाकी है और मैं ऐसा समझता हूं कि वहां पर शूगर की कमी नहीं आ सकती।

श्री मूलचन्द डागा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या एस० टी० सी० ने राज्य सरकार को लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न।

श्रीमूलचन्द डागा : एस० टी० सी० ने राज्य सरकार को लिखा है कि 12 हजार टन शूगर एफ० सी० आई० के गोडाउन्स में पड़ी हुई है और तुम उसको उठा लो ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने दूसरे प्रश्न के लिए कहा है।

मिदनापुर में नए विश्वविद्यालय की स्वीकृति

*409 **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति देने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो यह पहले कब प्राप्त हुआ था ; और

(ग) इस प्रस्ताव को स्वीकृति देने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : **(क) से (ग)** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी नए विश्वविद्यालय की मंजूरी नहीं देता है। जहां तक मिदनापुर का सम्बन्ध है, विश्वविद्यालय स्थापित करना राज्य सरकार का काम है। तथापि, पश्चिम बंगाल सरकार ने आयोग को मिदनापुर में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव अगस्त, 1976 में भेजा था। आयोग नवम्बर, 1977 में प्रस्ताव से सिद्धांत रूप से सहमत हो गया था।

श्रीमती गीता मुखर्जी : किसी विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति सम्बन्धी कार्यविधि से अवगत कराए जाने के लिए मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देती हूं। क्या यह सही है हैकि पश्चिम बंगाल सरकार ने न केवल इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने का प्रस्ताव किया

अपितु इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि कलकत्ता विश्वविद्यालय बहुत बड़ा और सम्भाल से बाहर हो गया है। वह इस विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमति दिए जाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर दबाव डालते रहे हैं, इस तथ्य के बावजूद कि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से बार-बार अनुस्मारक भेजे जाते रहे हैं और गत मास भी यह पुनः मंत्री महोदय को भेजा गया था। विश्वविद्यालय की स्थापना के मार्ग में क्या अड़चन है ? इसके लिए स्वीकृति देना और धनराशि मंजूर करना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का काम है।

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य यह बात जानती हैं कि राज्य सरकार संविधान के अन्तर्गत अपने विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए सक्षम हैं। संविधान के अन्तर्गत, किसी भी विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए हमें अनुमति नहीं देनी होती है। सदन को यह बात ज्ञात होनी चाहिए कि एक विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद ही उसको सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रश्न आता है। अन्यथा नहीं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : चूंकि पश्चिम बंगाल सरकार अत्यन्त उत्कंठा से विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहती है और उसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से धनराशि की माग की है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उनको क्या उत्तर भेजा है ?

श्री बी० शंकरानंद : मैंने कहा है कि सरकार अथवा बिश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता दिए जाने का प्रश्न केलल तभी आता है जबकि विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसे सहायता दिए जाने के लिए उपयुक्त समझता है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : संभवतः भ्रमवश यह सवाल उठा है। संवैधानिक स्थिति यह है। राज्य सरकार विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकती है, परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व-स्वीकृति आवश्यक है। अन्यथा हमको धनराशि नहीं मिलती, अब यदि हमको धनराशि नहीं मिल पाती तो विश्वविद्यालय को चला पाना संभव नहीं होगा और भवन निर्माण का प्रश्न भी वहाँ आता है। यही कारण है कि पूर्व-स्वीकृति आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : यह स्पष्टीकरण है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : पूर्व-स्वीकृति देने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या कर रहा है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम मंत्री महोदय को प्रश्न को समझ पाने में सहयोग दे रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री चक्रवर्ती द्वारा दिए गए तथाकथित-स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में, हम जानना चाहते हैं कि मंत्री जी के दृष्टिकोण से वह सही है या नहीं ? क्या वह इसको पुष्ट कर सकते हैं ? उन्होंने जो प्रक्रिया है उसकी व्याख्या की है। क्या आप उनकी बात से सहमत हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य महोदय की बात सही नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता दिए जाने का प्रश्न तभी उठता है जबकि विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए नहीं।

श्री मुकुन्द मण्डल : क्या सरकार पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के लिए प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना की कोई वित्तीय जिम्मेदारी लेगी ? यदि हाँ, तो किस सीमा तक इसको वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैंने जो उत्तर दिया है उसको मैं दोहराना नहीं चाहता।

श्री चित्त बसु : क्या यह सच है कि अभी हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक परिपत्र जारी किया कि आयोग नए विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रस्तावित अथवा प्रोत्साहित नहीं करता। क्या ऐसा इसलिए है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मिदनापुर में विद्यासागर विश्वविद्यालय की स्थापना के मामले में पश्चिम बंगाल की सरकार को अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है ?

श्री बी० शंकरानन्द : यद्यपि इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न से बिल्कुल सम्बन्ध नहीं है, मेरे मित्र को यह बात ज्ञात होनी चाहिए, जैसा कि मैंने अभी-अभी कई बार कहा है, किसी विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से किसी तरह का वायदा अथवा आश्वासन दिए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। विश्वविद्यालय क स्थापना हो जाने के बाद ही हमारा काम शुरू होता है। तभी आयोग विश्वविद्यालय के विकास की बात सोचता है।

गन्ना मूल्य की बकाया राशि का भुगतान

*410 **श्री भोगेन्द्र झा** :

श्री निहाल सिंह : क्या **कृषि मंत्री** निम्नलिखित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और बिहार में किसानों को, फैक्ट्री-वार, गन्ने का कुल कितना बकाया मूल्य अदा किया जाना है ;

(ख) गन्ना-उत्पादकों को एक निर्धारित समयावधि में जल्दी से जल्दी भुगतान दिलाये जाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ग) क्या गन्ना उत्पादकों को बिहार के दरभंगा मण्डल के अन्तर्गत रामजम, लोहाट, साकरी, समस्तीपुर और हसनपुर के चीनी मिलों द्वारा बकाया राशि का भुगतान किए जाने का काम मानसून से पहले पूरा हो जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

(ख) कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश और बिहार में फैक्ट्रियों के बारे में मौजूदा बकाया राशि बहुत ही कम है जोकि उत्तर प्रदेश के मामले में कुल देय राशि का केवल 1.96 प्रतिशत और बिहार के मामले में 5.56 प्रतिशत है। गन्ने के मूल्य की बकाया राशि की स्थिति की अभी भी सरकार बराबर समीक्षा कर रही है। क्योंकि फैक्ट्रियों के मामले में गन्ने के बकायों को कम करने की प्रमुख जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की है, इसलिए हम समय-समय पर सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठाते रहे हैं। इसके अलावा, जहां आवश्यक पाया जाता है वहां चीनी प्रतिष्ठान (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 के उपबन्धों के अधीन कार्रवाई भी की गई है।

(ग) इन 5 फैक्ट्रियों में से रायजम, लोहाट, साकरी और समस्तीपुर में स्थित फैक्ट्रियां, राज्य सरकार की अपनी है जबकि हसनपुर की फैक्ट्री निजी क्षेत्र में है। राज्य सरकार से यह पता लगाया गया है कि रायजम, समस्तीपुर और हसनपुर की चीनी फैक्ट्रियों के बारे में बकाया राशि का मानसून मौसम के दौरान भुगतान कर दिया जाएगा। जहां तक लोहाट और साकरी की फैक्ट्रियों का सम्बन्ध है, बकाया राशि मुख्यत: प्रबन्ध ग्रहण करने से पूर्व की अवधि की है और राज्य सरकार से प्राप्त संकेतों के अनुसार बकाया राशि का इस अवधि के अन्दर भुगतान नहीं हो सकेगा।

विवरण

फैक्ट्रियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर 31-5-80 को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि की फैक्ट्री-वार स्थिति बताने वाला विवरण

निम्नलिखित मौसम संबंधी 31-5-80 को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि (लाख—/रु०)

फैक्ट्री का नाम	1979-80	1978-79 तथा पहले का	जोड़	कफियत
1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश				
1. मोहिउद्दीनपुर	18.33	10.61	28.94	
2. मेरठ	17.20	18.92	35.12	
3. दोराला	19.71	—	19.71	15-3-80 को

4. स० टांडा	—	32.41	32.41	
5. बागपत	23.12	—	23.12	
6. खतौली	4.49	0.14	4.63	
7. मन्सुरपुर	27.67	—	27.67	
8. रौहनेकलां	21.50	—	21.50	
9. बुलन्दशहर	22.21	8.79	31.00	
10. अनूपशहर	0.10	0.25	0.35	
11. देबबन्द	20.00	—	20.00	
12. सहारनपुर	0.59	0.54	1.13	
13. इकवालपुर	18.00	—	18.00	
14. लक्सर	2.56	36.42	38.98	
15. डोईवाला	10.83	—	10.83	
16. हरदुआगंज	9.38	3.83	13.21	
17. रामाला	2.78	0.03	2.81	
18. ननौटा	2 17	—	2.17	
19. बिजनौर	—	8.57	8.57	
20. धामपुर	—	3.61	3.61	
21. शिवहरा	0.25	—	0.25	
22. अजुध्या	0.03	13.69	13.72	7-6-80 को
23. अमरोहा	—	26.15	26.15	
24. रजा बुलन्द	—	66.91	66.91	
25. बरेली	—	14.18	14.18	
26. बाजपुर	17.44	—	17.44	
27. पीलीभीत	17.53	5.51	23.04	

28. बिलासपुर	4.88	—	4.88	
29. न्योली	9.96	0.96	10.92	
30. महोली	—	104.99	104.99	
31. हरदोई	—	99.76	99.76	
32. मझौला	10.05	—	10.05	
33. पलियाकलां	1.12	—	1.12	
34. किच्छा	0.20	—	0.20	
35. कायमगंज	0.98	5.27	6.25	
36. नदेहीं	1.30	0.45	1.75	
37. बदायूं	0.04	3.60	3.64	
38. रत्ना	1.46	—	1.46	
39. जारवाल रोड़	—	13.50	13.50	
40. बलरामपुर	0.01	0.05	0.06	
41. नवाबगंज	3.74	22.03	25.77	
42. बबराना	—	51.98	51.98	
43. बस्ती	0.01	—	0.01	
44. डायमंड	—	4.60	4.60	
45. घुघली	7.60	2.43	10.03	
46. खड्डा	—	0.29	0.29	
47. छितौनी	5.26	—	5.26	*अस्थायी-फैक्ट्री की
48. लक्ष्मीगंज	0.11	3.00	3.11	इसकी पुष्टि करने
49. रामकोला (एम-के)	—	4.57	4.57	के लिए कहा गया
				है
50. पडरौना	—	0.12	0.12	
51. कठकुईयां	0.08	0.10	0.18	15-5-80 को

1	2	3	4	5
52. सिवराही	0.32	0.06	0.38	
53. काशी	4.62	6.57	11.19	
54. रसरा	0.10	—	0.10	
55. आजमगढ़	0.26	10.27	10 53	
56. नन्दगंज .	2.56	0.03	2.59	
57. दरियापुर	0.25	0.07	0.32	
समस्त उत्तर प्रदेश	310.80	584.26	895.06	
बिहार				
1. बाघा	4.40	0.01	4.41	
2. हरिनगर	14.83	—	14.83	
3. नरकरियागंज	3.59	—	3.59	
4. बाराचकिया	2.07	0.52	2.99	
5. लोरिया	13.36	—	13.36	
6. मझौलिया	2.15	—	2.15	
7. सोगौली	11.01	0.05	11.06	
8. मोतीहारी	1.63	—	1.63	
9, चनपतिया	3.61	0.05	3.66	
10. बीघा	2.19	0.92	3.11	
11. मोतीपुर	12.21	60.42	72.63	
12. सितलपुर	0.58	14.00	14.58	
13. श्याम	5.02	0.22	5.24	
14. लोहाट	6.34	47.24	53.58	
15. साकरी	0.05	19.34	19.39	
16. समस्तीपुर	0.38	0.60	0.98	
17. हसनपुर	2.15	—	2.15	

1	2	3	4	5
18. सासामुसा	2.89	0.15	3.04	7-6-80 को
19. गोपालगंज	8.43	0.04	8.47	
20. हथुआ	19.33	0.44	19.77	
21. सिघवालिया	4.28	—	4.28	
22. मढौरा	0.86	0.74	1.60	
23. न्यू सवांन	0.17	13.25	13.42	
24. पचरुखी	—	11.83	11.83	
25. एस.के.जी सिवान	7.81	11.56	19.37	
26. बनमुखी	5.43	0.73	6.20	
27. बिहटा	0.05	28.44	28.49	
28. वरसालीगंज	0.09	0.33	0.42	
29. गोरारु	0.01	0.22	0.23	
समस्त बिहार	135.36	211.10	346.46	

नोट :- उपर्युक्त विवरण में उन फैक्ट्रियों के नाम शामिल नहीं हैं जिन्होंने विवरणियां प्रस्तुत करते समय कोई बकाया राशि नहीं दिखाई है ।

श्री भोगेन्द्र झा : मंत्री महोदय द्वारा पेश किए गए विवरण में प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के बारे में जानकारी नहीं दी गई है । मंत्री महोदय उनका भी उत्तर दें ।

मंत्री महोदय ने स्वयं इस बात को बताया है कि बकाया राशि का मुख्य भाग उस अवधि से सम्बन्धित है जब ये फैक्ट्रियां निजी मिल मालिकों के स्वामित्व में थीं । मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार की मिलों के सम्बन्ध में क्या स्थिति है और उन मिलों के पास कितनी धनराशि बकाया है जो निजी क्षेत्र के स्वामित्व में थीं अथवा जो अब भी उनके स्वामित्व में हैं और कितनी धनराशि सरकार द्वारा अर्जित की गई फैक्ट्रियों से और किस अवधि से सम्बन्धित है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं निजी क्षेत्र की फैक्ट्रियों की सारी बकाया धनराशि और अधिग्रहीत की गई फैक्ट्रियों के अंशपात को बताने में असमर्थ हूं । यदि माननीय महोदय चाहें तो मैं उन्हें पूरी जानकारी और अन्य दूसरे तथ्य इकट्ठे करके दे दूंगा । लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की सभी फैक्ट्रियों से संबद्ध बकाया राशि विवरण में दे दी गई है ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, क्या उस अवधि से, जब मिलों का स्वामित्व निजी मिल मालिकों के पास था, सम्बन्धित बकाया धनराशि की वसूली

उनको भुगतान किए जाने वाले मुआवजे से की जाती है अथवा अन्य किसी दूसरे तरीके से। उदाहरण के लिए लोहाट और साकरी के मामले में, इन मिलों पर दरभंगा के राजा का स्वामित्व था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राजा स्वयं को मुआवजा दिए जाने से रोकने और बकाया धनराशि का किसानों को भुगतान करने की बात सोच रही है। दूसरे मंत्री महोदय इस रूप में उत्तर दे रहे हैं मानो कि बकाया धनराशि के मुख्य भाग का भुगतान कर दिया गया है और केवल थोड़ा सा भाग भुगतान किए जाने के लिए रह जाता है जैसे कि बकाया धनराशि का कुछ भाग बाकी रखना फैक्ट्रियों का मौलिक अधिकार हो। प्रश्न यह है, जब प्रबन्धकों द्वारा, चाहे उनका स्वामित्व निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता हो या सरकार द्वारा, बकाया धनराशि के अल्प भाग का भुगतान भी गरीब किसानों को न किया जाता हो तो इसे एक अपराध माना जाना चाहिए। गरीब किसान सूखे के या बाढ़ के शिकार हैं। समस्त बिहार में बाढ़ फिर आ रही है। गन्ना उत्पादन इस सीमा तक कम हो गया है कि अगले वर्ष से हमें चीनी का आयात करना पड़ सकता है। मैं जानना चाहूंगा कि बाढ़ अथवा मानसून की इस अवधि के दौरान क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार जहां कि बाढ़ और सूखे का ताण्डव नृत्य होता है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के साकरी, लोहाट जैसे स्थानों तथा अन्य दूसरे क्षेत्रों में, गरीब किसानों को बकाया धनराशि का भुगतान कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका पहले ही उत्तर दे दिया है।

श्री भोगेन्द्र झा : उन्होंने बताया कि बकाया धनराशि का एक अल्प भाग बाकी रह जाता है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैंने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार द्वारा उन फैक्ट्रियों को अपने नियन्त्रण में लिया जाता है जिनके पास गन्ना उत्पादकों की भारी रकम के बकाया के रूप में भुगतान के लिए रहती है और सरकार का पहला कर्तव्य इस बात को देखने का है कि उनके द्वारा अधिग्रहीत किए जाने के बाद बकाया धनराशि को चुकता कर दिया जाए। मिलों की प्रबन्ध व्यवस्था केवल अस्थायी है। हमने बिहार में किसी भी मिल का अधिग्रहण नहीं किया है। बिहार सरकार ने लगभग नौ मिलों का अधिग्रहण किया है। कुछ मिलों का बिहार सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना था, परन्तु मिल-मालिकों द्वारा न्यायालय में याचिका दायर कर दिए जाने के कारण ऐसा कर पाना संभव नहीं हो सका है। परन्तु प्रत्येक मामले में, सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने के बाद, बकाया की राशि का काफी हद तक भुगतान कर दिया गया है।

श्री जगदीश टाईटलर : प्रश्न में गन्ना उत्पादकों की बकाया धनराशि की अदायगी का उल्लेख किया गया है। इस संदर्भ में क्या मैं यह जान सकता हूं कि (क) क्या गन्ना उत्पादकों को समय पर बकाया राशि की अदायगी के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की कुछ सहकारी चीनी मिलें भी दोषी हैं और यदि हां, तो इन सहकारी मिलों को कैसे दण्डित करने का सरकार का विचार है ? (ख) क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर प्रदेश की सहकारी मिलें किसी अन्य

विकास कार्य को पूरा करने के लिए गन्ना उत्पादकों की बकाया धनराशि में से मनमानी कटौती करती हैं ....।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कुछ पढ़ रहे हैं ?

श्री जगदीश टाईटलर : मैं एक पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में पूछिए ।

श्री जगदीश टाईटलर : यह कटौती कुछ विकास कार्यों के लिए गन्ना उत्पादकों से की जाती है । यदि यह वास्तविकता है तो क्या मैं जान सकता हूं कि समुचित कानूनी स्वीकृति के बिना इस तरह की कटौतियों किए जाने को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : उत्तर प्रदेश के सहकारी मिलों द्वारा की जा रही किसी भी तरह की गैर कानूनी कटौतियों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है । यदि माननीय सदस्य महोदय चाहते हों तो मैं इसका पता लगाऊंगा । उत्तर प्रदेश में निजी मिलों की तुलना में सहकारी क्षेत्र के मामले में बकाया राशि कम है । निजी मिलों के मामले में बकाया की राशि 53.6 प्रतिशत है जबकि सहकारी क्षेत्र में यह केवल 12 प्रतिशत है । इससे यही सिद्ध होता है कि अदायगी के मामले में सहकारी मिलें निजी क्षेत्र की तुलना में अच्छा कार्य कर रही हैं ।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : मैंने इसी सदन में इससे पहले भी मन्त्री से न्योली शुगर फैक्ट्री, एटा, के सिलसिले में मालूम किया था और उनको पत्र भी लिखा था । मंत्री महोदय ने जबाव दिया था कि हम पेमेंट कराएंगे और अगर पेमेंट नहीं होगा तो फैक्ट्री के खिलाफ एक्शन लेंगे ।

न्यौली शुगर फैक्ट्री, एटा के सिलसिले में जिसमें आज तक काश्तकारों को पेमेंट नहीं किया गया, जब मंत्री महोदय ने इस सदन में वायदा किया कि पेमेंट करायेंगे, तो वह क्या एक्शन लेने की कोशिश करेंगे ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : न्यौली शुगर मिल का 10 लाख रुपया बकाया है, उसको कम कराने के लिए हम कोशिश कर रहे है ।

श्री मलिक एम० ए० ए० खान : काश्तकारों को पेमेंट कराने का सवाल है ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : पेमेंट की रकम कम कराने की बात कर रहा हूं **(व्यवधान)** यह बिल्कुल वही है, जो आप चाह रहे हैं । जितना बकाया है, उसको घटाने की बात है ।

श्री मलिक एम० ए० ए० खान ; मैं 4 महीने पहले लिख चुका हूं, लेकिन मंत्री महोदय ने अभी तक कुछ नहीं किया है ।

श्री धनिक लाल मंडल : इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि साकरी, लोहाट और रैयाम मिलों के जिम्मे किसानों का 1972 से लेकर आज तक बकाया चला आ रहा है और वह लगभग 2 करोड़ से ऊपर है। 1977 में जब यह चीनी मिल ली गई सरकार की तरफ से तो पार्ट पेमेंट हुआ। किसानों को आंशिक रूप से राशि का भुगतान किया गया। अब जो वर्तमान मुख्य मन्त्री हैं, उन्होंने राष्ट्रपति शासन काल में यह आश्वासन दिया था कि अगर उनकी सरकार आयेगी तो किसानों की जो बकाया राशि है उसका भुगतान किया जायेगा। अब माननीय मंत्री जी जो यह कहते हैं कि इस मानसून में यह संभव नहीं होगा, तो यह कब तक होगा।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैंने इसका उत्तर पार्ट "सी" में दे दिया है। मैं तो यही अर्ज कर सकता हूं कि स्टेट गवर्नमेंटस ने जो वायदा हमसे किया है, उसको पूरा कराने का दबाव हम कायम रखेंगे।

श्री धनिक लाल मंडल : अभी संभव नहीं है, तो कब तक यह हो सकेगा ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : यह स्टेट गवर्नमेंट का काम है, जिम्मेदारी उनकी है। जैसा मैंने अर्ज किया, उनसे पूछ कर बता दूंगा कि कब तक करा सकते हैं।

श्री ज्योतिमय बसु : क्या माननीय मंत्री महोदय हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि पडरौना स्थित उस चीनी मिल के अलावा, जिसके साथ, मेरी जानकारी से आपके मंत्रीमंडल का एक मन्त्री सम्बन्धित है, ऐसा दूसरा कौनसा सहयोगी संस्थान है जिसके पास पडरौना की तरह बकाया राशि है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : सारा 2 पेज का स्टेटमेंट मैंने मेम्बर साहब को दे दिया है।

श्री ज्योतिमय बसु : आप देख लीजिये, सिस्टर कन्सर्न है, दूसरा शुगर मिल है।

उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का गेहूं, चावल और चीनी के स्टाक से खाली रहना

411 **श्री जैनुल बशर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में खाद्य निगम के गोदामों में प्राय: गेहूं, चावल और चीनी का कोई स्टाक जमा नहीं रहता है ?

(ख) क्या इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) । जी हां। कई अवसरों पर बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर

और राय बरेली के राजस्व जिलों में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गेहूं, चावल और चीनी के कम स्टाक थे । इन क्षेत्रों में अन्तर-राज्यीय/अन्तः राज्यीय संचलन द्वारा स्टाक की भरपाई करने के लिए तुरन्त कार्यवाई की गई थी ।

श्री जैनुल बशर : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की दिसम्बर से जून तक की गेहूँ, चावल और चीनी की क्या मांग थी और मांग की तुलना में कितनी सप्लाई की गई थी ? क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने, एक बार नहीं अपितु बार-बार केन्द्रीय सरकार को इन वस्तुओं की अनुपलब्धता के बारे में याद दिलाया था और सरकार द्वारा उन जिलों की समस्त मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ? क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के नागरिक आपूर्ति प्राधिकारियों सहित भारतीय खाद्य निगम के असहयोग की शिकायत भी प्राप्त हुई है ? इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मई के महीने में स्टाक कम था । परन्तु हमने कुछ कदम उठाए और जून के महीने में स्थिति सुधर गई थी । मैं माननीय सदस्य महोदय को उत्तर प्रदेश की कुल खरीद के महीने बार आंकड़े दे सकता हूं । मई के महीने में 1,06,000 टन गेहूं और 45,000 टन चावल उठाया गया था । इसी तरह अप्रैल के महीने में 1,04,000 टन गेहूं और 52,000 टन चावल उठाया गया था । हमने उत्तर प्रदेश सरकार की इन महीनों की आवश्यकता के बारे में विचार किया था । यदि माननीय सदस्य महोदय चाहते हों तो मैं सभी महीनों के आंकड़े दे सकता हूं, परन्तु उठाई गई मात्रा उनके राज्यों की सरकार की मांग के अनुसार है ।

श्री जैनुल बशर : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । मैंने पूछा है, दिसम्बर से जून तक की गेहूं, चावल और चीनी की मांग क्या थी और मांग की तुलना में सप्लाई क्या थी ? यह है मेरा प्रश्न ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मांग सम्पूर्ण तौर पर पूरी कर दी गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सप्लाई में कोई कमी नहीं आई है । यह एक अलग मामला है कि कुछ जिलों में पर्याप्त मात्रा में स्टाक नहीं था, परन्तु मांग को दूसरे भंडारगृहों से पूरा कर दिया गया था ।

श्री जैनुल बशर : मैंने एक विशेष प्रश्न किया है, दिसम्बर से जून तक की वास्तविक मांगें क्या थीं और इन मांगों की तुलना में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सप्लाई की गई थी ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : जैसा मैंने कहा है, मेरे पास उत्तर प्रदेश द्वारा की गई वास्तविक मांगों के आँकड़े नहीं हैं । यदि माननीय सदस्य महोदय चाहें तो मैं ये आंकड़े दे सकता हूं, परन्तु राज्य सरकार द्वारा की गई मांग उसके अपने निर्धारण पर आधारित होती है । फिर अनाज का आवंटन अथवा सप्लाई करते समय भारतीय खाद्य निगम और सरकार राज्य में उपलब्ध अनाज के भंडार की स्थिति पर भी ध्यान देती है तथा तदानुसार यदि आवश्यक हो तो

हम सप्लाई की व्यवस्था करते हैं, परन्तु उत्तर प्रदेश की अनाज के मामले में प्रति मास की आवश्यकता को आज तक पूरा किया गया है।

श्री जैनुल बशर : मैं कैसे मान सकता हूं कि मांग पूरी की गई है। उन्होंने न तो मांग के आंकड़े बताए हैं और न ही यह बताया है कि वह मांग किस सीमा तक पूरी कर दी गई। हम इस बारे में उत्तर की उम्मीद करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप नया नोटिस दे सकते हैं।

श्री जैनुल बशर : नये नोटिस का प्रश्न ही नहीं उठता। मन्त्री महोदय को इस बारे में पूरी तरह तैयार होकर आना चाहिए था।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं विस्तार से बता चुका हू कि राज्य सरकार की उसकी वितरण-व्यवस्था की अनाज की मांग पूरी की गई है।

श्री जैनुल बशर : कैसे ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : राज्य सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को अपनी मांग भेजी, मूल्य चुकाया तथा आवश्यकता के अनुसार अनाज लिया। इस प्रकार मांग पूरी हो गई।

श्री जैनुल बशर : मुझे एक अनुपूरक प्रश्न और पूछना है।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही अनुपूरक प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री जैनुल बशर : नहीं, श्रीमान। मुझे दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना है। मैं जानना चाहता हूं कि (क) क्या इस बात की शिकायत है कि भारतीय खाद्य निगम के पास पर्याप्त माल न होने के कारण उत्तर प्रदेश में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम को धक्का लगा और (ख) जून से सितम्बर तक 'काम के बदले अनाज' के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की अनुमानतः कितनी मांग है तथा सरकार किस सीमा तक उस मांग को प्रतिमास पूरा करेगी।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : श्रीमान मुझे 'काम के बदले अनाज' तथा इस कार्यक्रम के लिए मांग के बारे में पृथक नोटिस की आवश्यकता है। परन्तु जहां तक मुझे पता है उत्तर प्रदेश में अनाज की कमी के कारण 'काम के बदले अनाज' योजना को कोई धक्का नहीं लगा।

श्री जैनुल बशर : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अनाज की उपलब्धता के बारे में है। ये गोदाम इस योजना के लिए भी अनाज सप्लाई करते हैं। इसलिए मुझे पृथक सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नोटिस की आवश्यकता है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मंत्री महोदय ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की मांग

पूरी की गई हैं परन्तु हम उनसे सरल जानकारी चाहते थे कि गेहूं, चावल तथा चीनी की कितनी माँग थी तथा वास्तव में उसमें से कितनी सप्लाई की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि सारी माँग को पूरा कर दिया गया है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : जब तक हमें मांग का पता न चले तब तक कैसे पता चलेगा कि कितनी मांग पूरी की गई ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं उत्तर प्रदेश की पूरी मांग के बारे में पहले ही बता चुका हूं इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

प्रो० के० के० तिवारी : यह कोई उत्तर नहीं है । मंत्री महोदय का कथन है कि उनके पास मासिक आंकड़े नहीं हैं । तब भी वह यह मानते हैं कि मांग पूरी कर दी गई है । इसका क्या अर्थ है ? वह सामान्य वक्तव्य दे रहे हैं । उन्हें तैयार होकर आना चाहिए क्योंकि एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया है । अतएव उन्हें मासिक आंकड़े देने चाहिएं तभी वह कह सकते हैं कि उसे मासिक आधार पर पूरा कर दिया गया है । इसलिए कृपया उन्हें कहें कि तैयार होकर आया करें तथा इस प्रश्न को स्थगित रखा जाये ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : प्रश्न में उत्तर प्रदेश सरकार की मासिक मांग नहीं पूछी गयी थी । वे कुछ आवंटन के बारे में जानकारी चाहते हैं, जोकि मेरी राय में संगत नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब भी लगभग दो मास के लिए पर्याप्त स्टाक है तथा उत्तर प्रदेश में अनाज की कमी कभी नहीं हुई, इसलिए 'काम के बदले अनाज' योजना को धक्का लगने का कोई प्रश्न नहीं है । **(व्यवधान)** ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा का अधिक समय न लें । आप नया नोटिस दें । आंकड़े दे दिये जायेंगे ।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में हाथियों द्वारा नुकसान किया जाना

412 **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन विभाग के हाथी पिछले दो वर्षों से अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में सम्पत्तियों को बार-बार नुकसान पहुंचाते हैं और लोगों को मार देते हैं ।

(ख) यदि हां, तो वन विभाग के हाथियों ने कितने लोगों को मार दिया है और हाथियों ने तहसील बार कितना नुकसान किया है ;

(ग) क्या सरकार ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा दिया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या फसलों, संपत्तियों को जो नकसान पहुंचा है उसका मुआवजा किसानों को दिया गया था और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) संघ राज्य क्षेत्र अन्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के वन विभाग के हाथी कभी कभार फसलों तथा सम्पत्ति को क्षति पहुंचाते हैं, परन्तु लोगों को मारने की बात आम नहीं है।

(ख) 1978-79 के दौरान कोई व्यक्ति नहीं मारा गया। 1979-80 के दौरान दो व्यक्ति मारे गए थे तथा चालू वष के दोरान अभी तक एक व्यक्ति मारा गया है। मारे गए व्यक्तियों में से दो विभागीय कर्मचारी तथा एक बाहरी व्यक्ति था। पिछले दो वर्षों के दौरान फसलों तथा सम्पत्ति को हुई क्षति के बारे में तहसीलवार हुई घटनाओ की संख्या निम्नलिखित है : —

तहसील का नाम	1878-79	1979-80
फैरागुंज	1	19
रंगत	47	21
मायाबन्दर	2	1
डिगलीपुर	32	6
पोर्ट ब्लेयर	—	2

(ग) मारे गए विभागीय कर्मचारियों के परिवारों को, अभी तक, वर्कमैन कम्पन्सेशन एक्ट 1923 के अनुसार कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, क्योंकि उनके मामलों को अभी तक निपटाया नहीं गया है।

मारे गए बाहरी व्यक्ति के परिवार को अन्तरिम राहत के रूप में 1000 रुपये की रकम दी गई है।

(घ) जी हाँ। 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान किसातों को उनकी फसलों को हुई क्षति के लिए क्रमश: 8747 रुपए तथा 5339 रुपए की रकम दी गई थी।

श्री मनोरंजन भक्त : मैंने मंत्री महोदय के उत्तर को ध्यान से देखा है। उन्होंने स्वीकार किया है कि वन विभाग के हाथियों को राजस्व देने वाले गांवों में खुले छोड़ दिया गया इसीलिए इतनी भारी क्षति हुई। यद्यपि उन्होंने मारे गये व्यक्तियों की संख्या एवं सम्पत्ति तथा फसल की क्षति के आंकड़े कम आंकलित किये हैं। मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं कि क्या यह

सच है कि देश में आसाम जैसे भागों में जहां पर वन विभाग अपने कार्य के लिये हाथी रखते हैं उन्हें राजस्व देने वाले गांवों में खुले नहीं छोड़ दिया जाता, क्या वही बात अण्डमान और निकोबार पर लागू नहीं होती, यदि यह उक्त संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होती है तब बन विभाग द्वारा ऐसी लापरवाही क्यों बरती गई जिसके कारण तीन व्यक्ति मारे गये ?

इतना ही नहीं । क्या मंत्री महोदय को पता है कि वन विभाग के हाथी द्वारा एक गर्भवती महिला को मार दिया गया परन्तु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह वन विभाग द्वारा हाथियों को गांवों में खुला छोड़े जाने की प्रथा को रोके जाने के लिए कार्यवाही कर रहे है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : अण्डमान और निकोबार में वनों की स्थिति मुख्य भूमि से भिन्न हैं । अण्डमान और निकोबार में जंगल बहुत घने हैं तथा इस क्षेत्र में लठ्ठों की ढुलाई के कार्य में हाथियों का उपयोग किया जाता हैं । इस कार्य के लिए हाथियों का भारी समूह रखना पड़ता है । जहां तक मुझे जानकारी है एक हाथी ने एक महिला को मार डाला था या जिन अन्य व्यक्तियों को हाथियों ने मारा वे महावत आदि थे । हाथियों को चरने के लिए छोड़े जाने से कोई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि हाथी कैम्प में भी महावतों पर हमला कर देते हैं । माननीय सदस्य ने बताया कि वन-विभाग की असावधानी से ये मौतें हुईं । यह सही नहीं है ।

श्री मनोरंजन भक्त : मेरे प्रश्न का उचित उत्तर नहीं दिया गया है क्योंकि आसाम आदि क्षेत्रों में हाथियों का खुला छोड़ा जाना वर्जित है । ऐसी कार्यवाही अण्डमान और निकोबार में क्यों नहीं की जाती ?

उन्होंने बताया कि केवल एक गैर सरकारी व्यक्ति मारा गया, परन्तु महावत भी इंसान हैं । मेरा प्रश्न यह है कि क्या वह वन विभाग द्वारा हाथियों को गांवों में खुला छोड़े जाने को रोकेंगे । इसका उत्तर नहीं दिया गया ।

श्री बीरेन्द्र राव सिंह : इस बारे में स्थायी अनुदेश हैं । विभाग ने इतनी दूर से थोड़ी सी अवधि में जानकारी प्राप्त की है । मैं इन घटनाओं का पूरा विवरण नही दे पाऊंगा, परन्तु मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इन घटनाओं की संख्या को अधिक महत्व न दें क्योंकि इस वक्तव्य में किसी हाथी के किसी व्यक्ति के खेतों में घुस जाने की छोटी-छोटी घटनाएं भी सम्मिलित की गई हैं । जंगल के क्षेत्र को भी राजस्व गाँवों के समान माना जायेगा । इसलिए अण्डमान और निकोबार में वर्तमान हालात को देखते हुए मैं समझता हूं कि चिन्ता की कोई बात नहीं है ।

श्री मनोरंजन भक्त : मैंने अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा ।

अध्यक्ष महोदय : आप दो अनुपूरक प्रश्न पूछ चुके हैं ।

श्री मनोरंजन भक्त : मैंने केवल एक ही अनुपूरक प्रश्न पूछा है । अध्यक्षपीठ को

सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं दो अनुपूरक प्रश्नों का अवसर दे चुका हूं ।

श्री मनोरंजन भक्त : मेरा सम्बन्ध संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार से है...।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही इस प्रश्न पर 10 मिनट ले चुके हैं । दो अनुपूरक प्रश्नों को मैं स्वीकार कर चुका हूं । मैं और समय नहीं दे सकता ।

श्री मनोरंजन भक्त : मैंने एक स्पष्टीकरण माँगा है ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है । माननीय सदस्यों को मुझे सहयोग देना चाहिए ।

श्री **रत्नसिंह राजदा** : मंत्री महोदय ने अभी-अभी बताया कि किस प्रकार हाथी भयानक स्थिति पैदा कर देते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इनमें से कितने सफेद हाथी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

प्रो० एन० जी रंगा : मारी गई गर्भवती स्त्री के क्षति पूर्ति के रूप में केवल 1000 रुपए दिए गए । इसमें कुछ गलती लगती है । क्या सरकार इस बात पर ध्यान देगी कि अधिक धन दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं दूसरा प्रश्न शुरू कर चुका हूं । आप सारा समय एक ही प्रश्न पर नहीं लगा सकते ।

प्रो० एन० जी० रंगा : इतना सारा समय व्यर्थ कर दिया गया है जिसकी आपने अनुमति दी । मुझे एक अनुपूरक प्रश्न पूछना है ।

अध्यक्ष महोदय ; मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति का पद

*413. श्री **एन० ई० होरो** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले 9 महीने से जवाहरलाल नहरू विश्वविद्यालय बिना कुलाधिपति के कार्य कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(ख) श्री मोरारजी देसाई ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के पद से 27 जुलाई, 1979 को त्यागपत्र दे दिया था। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय के विजिटर होने की हैसियत से, 6 अक्तूबर, 1979 को उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया था और कार्यकारी परिषद को उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में नामों की सूची (पैनल) की सिफारिश करने के लिए कहा था। कार्यकारी परिषद ने 22 अप्रैल, 1980 को हुई अपनी बैठक में इस मामले पर विचार करने के बाद नामों की एक सूची (पैनल) की सिफारिश की थी। सूची (पनल) मंत्रालय में प्राप्त हो गई है और इस मामले पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

श्री एन० ई० होरो : वक्तव्य में कहा गया है जे० एन० यू० के कुलाधिपति श्री मोरारजी देसाई ने पद से 27 जुलाई 1979 को त्याग-पत्र दिया, राष्ट्रपति ने उनका त्यागपत्र 6 अक्तूबर 1979 को स्वीकार किया। वक्तव्य में आगे कहा गया है कि कार्यकारिणी समिति ने 22 अप्रैल 1980 को नामों की एक तालिका तैयार की। इसका अर्थ है 9 महीने का समय लग गया। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उनके पास कार्यकारिणी परिषद की सिफारिशें कब प्राप्त हुईं, किन व्यक्तियों के नाम प्रस्तावित किये गये हैं तथा सरकार जे० एन० यू० के कुलाधिपति की नियुक्ति कब करेगी।

श्री बी० शंकरानंद : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद ने अपनी 22-11-79, 20-2-80 तथा 22-4-80 की बैठकों में नामों की तालिका तैयार करने पर विचार किया। कार्यकारिणी ने तीन नाम भेजे, डा० डी० एस० 'कोठारी' प्रो० डी० टी० लकड़ावाला और श्री सत्यजित रे।

श्री ई० एन० होरो : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कुलाधिपति की नियुक्ति करने पर वह कितना समय लेंगे, क्योंकि 11 महीने व्यतीत हो गये हैं कि एक विश्वविद्यालय कुलाधिपति के बिना चल रहा है। वह कब उसकी नियुक्ति करेंगे ?

श्री बी० शंकरानंद : इसमें नौ महीने का विलम्ब नहीं हुआ। जैसा कि मैंने बताया कि कार्यकारिणी ने 22 अप्रैल, 1980 को नाम भेजे। इसे लगभग दो महीने हो गये हम यथाशीघ्र कार्यवाही करेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को पता है कि कुलाधिपति के पर्याप्त समय न दे सकने के कारण ज० ने० वि० को हानि उठानी पड़ी तथा भारतीय साम्यवादी पार्टी के सदस्य जो सुशिक्षित नहीं है, वहां बैठा दिये गये हैं। इन हालात को देखते हुए क्या वह इस बात पर ध्यान देंगे कि ऐसे व्यक्ति को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया जाये ताकि विश्वविद्यालय की स्वतन्त्रता बनी रहे तथा भारतीय साम्यवादी पार्टी के विश्वविद्यालय पर अधिकार जमाने के प्रयत्न विफल हों।

श्री बी० शंकरानंद : इसे कार्यवाही किए जाने के लिए सुझाव माना जा सकता है।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं नहीं जानता कि क्या मंत्री महोदय को विदित है कि भारत का यह प्रमुख विश्वविद्यालय कुछ समय से रूग्न है। जैसा कि डा० स्वामी ने बताया, न केवल भारतीय साम्यवादी पार्टी के अपितु भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) पार्टी के सदस्य भी परिसर में घुसते जा रहे हैं तथा शिक्षकों की नियुक्ति, दाखलों के मामलों तथा छात्रवृत्तियां देने के मामलों में—केवल भारतीय साम्यवादी पार्टी तथा भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) पार्टी में निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों को ही दाखले दिये जाते हैं तथा छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। क्या मंत्री महोदय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कार्यकरण की जाँच करायेंगे ?

श्री बी शंकरानंद : इस जानकारी के लिए मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं और जो सुझाव उन्होंने दिये वे कार्यवाही की अपेक्षा रखते हैं।

श्री निरेन घोष : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं...(**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। आप आग्रह क्यों कर रहे हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जाती।

श्री निरेन घोष : कहा गया है कि कार्य-कारिणी में मत-बेयित्य के कारण उन्हें सिफारिश करने में समय लगा तथा एक प्रमुख विश्वविद्यालय को एक वर्ष से अधिक कुलाधिपति के बिना निर्वाह करना पड़ा। इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि भारत के कितने विश्वविद्यालयों में कुलपतियों, कुलाधिपतियों के पद रिक्त पड़े हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया कि त्यागपत्र वास्तव में 6 अक्तूबर, 1979 को स्वीकार हुआ तथा कार्यकारिणी को तालिका की सिफारिश करने में कुछ समय लग गया। मैं जानना चाहता हूं कि विलम्ब किस कारण हुआ ? मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहता परन्तु सच यह है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुछ शैक्षणिक तथा संबद्ध मामलों को लेकर आन्दोलन हुए। इसके बावजूद जबकि कुलाधिपति नहीं हैं कार्यकारिणी ने नामों की सिफारिश करने में इतना समय लिया तथा उसके बाद सरकार ने तीन व्यक्तियों में से एक को चुनने अथवा तीनों को ही अस्वीकार करने में इतना समय क्यों लिया ?

श्री बी० शंकरानंद : मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं कि हमने अधिक समय लिया। इस कार्यकारिणी परिषद ने जोकि एक स्वायत्त विश्वविद्यालय के अधिकारी हैं, नामों की तालिका बनाने में कुछ समय लिया। नाम प्राप्त हो चुके हैं। हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नीरागढ़, उड़ीसा में मत्स्य पतन

*414. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में अस्त्रांग के निकट नीरागढ़ में मत्स्य पतन बनाने का निर्णय किस तारीख को किया था ;

(ख) प्रस्तावित मत्स्य पतन का निर्माण कार्य अभी तक शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) निर्माण-कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है और यह कब तक पूरा हो जाएगा ; और

(घ) इस परियोजना पर कुल कितनी राशि व्यय किये जाने की संभावना है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) उड़ीसा में अस्त्रांग के निकट नौगार में एक मत्स्यन पतन की स्थापना करने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है तथा उसका मूल्याँकन किया गया है ।

(ख) अगस्त, 1978 में भारत सरकार ने निर्णय किया कि पहले पूरे किए गए पतनों का जायजा लेने के बाद ही किसी नई मत्स्यन पतन परियोजना को स्वीकृति देने के बारे में विचार किया जाएगा । योजना आयोग ने जून, 1980 में मूल्यांकन संबंधी अध्ययन पूरा कर लिया है और आशा है कि उनकी रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी ।

(ग) परियोजना की स्वीकृति की तारीख से 3 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य के पूरा होने की आशा है ।

(घ) उपर्युक्त रिपोर्ट के बारे में की जाने वाली सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, निवेष सम्बन्धी निर्णय लिया जाएगा ।

हिन्दी टेलीप्रिंटर का विकास

*415. **श्री कृष्ण चंद्र पांडे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी टेलीप्रिंटर के विकास का कार्य राजभाषा विभाग से ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) सम्पूर्ण और दोष रहित हिन्दी टेलीप्रिंटर का विकास करने के लिए गठित समिति में नियुक्त किये गये विशेषज्ञों के नाम क्या हैं ;

(घ) समिति के सदस्य के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है ; और

(ङ) क्या सरकार को स्थायी और सम्पूर्ण की-बोर्ड वाले टेलीप्रिंटर का विकास करने के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी नहीं । हिन्दी टेलीप्रिंटरों के विकास का काम, हमेशा से संचार मंत्रालय के नियन्त्रण में काम कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड द्वारा ही होता रहा है ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) हिन्दी टेलीप्रिंटर के लिए कुंजी पटल (की-बोर्ड) को अन्तिम रूप देने के बाद, ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया गया है जिसे सम्पूर्ण और दोष-रहित हिन्दी टेलीप्रिंटर का विकास कार्य सौंपा गया हो ।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता ।

(ङ) देवनागरी (हिन्दी) टेलीप्रिंटर के मौजूदा कुंजी पटल में सुधार के सुझाव विशेषकर समाचार एजेन्सियों से—समय समय पर मिलते रहे हैं । तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से संतोष-जनक हल निकालने के लिए हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड इन सुझावों का गहराई के साथ अध्ययन कर रहा है ।

टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई

*416. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में, राज्य-वार और जिलावार, अकाल और पानी की कमी से प्रभावित ऐसे कितने गांव हैं जहां टैंकरों द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि अन्य गांवों की तुलना में उपरोक्त गांवों में पानी की कमी की समस्या अधिक गम्भीर है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उपरोक्त गांवों में पेय जल की सप्लाई के काम को प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश जारी करने का विचार है और क्या उन गांवों में पेय जल की व्यवस्था करने के लिए अलग से धन-राशि आवंटित करके राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दी जायेगी ताकि तीन वर्षों की अवधि के भीतर उन गांवों में पेय जल की व्यवस्था हेतु स्थायी समाधान निकाला जा सके ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) 1980-81 के दौरान, आंध्र प्रदेश,

बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य सूखे से प्रभावित थे। उन ग्रामों के बारे में उपलब्ध सूचना संलग्न **विवरण** में दी गई हैं जहां इन राज्यों में पानी टैंकरों के जरिए सप्लाई किया जाता है।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय सरकार इस बात को जानती है कि उन समस्याग्रस्त ग्रामों को सहायता देने में अग्रता दी जानी चाहिए जहां स्थिति बहुत शोचनीय है (जहां समीपस्थ जल स्रोत्रों या तो 1.6 कि० मी० से अधिक दूरी पर हैं या 15 मीटर की गहराई से नीचे हैं या जहां जल स्रोत्र स्थानीयमारी हैजा या नहरुआ कृषि से ग्रस्त हैं या **जहाँ** स्रोत्रों में अत्यधिक फ्लोराईड है या अन्य ऐसे जहरीले पदार्थ हैं जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं) राज्य सरकारों को पहले ही निर्देश दिये जा चुके हैं कि वे इन ग्रामों में जल की सप्लाई को प्राथमिकता दें। केन्द्रीय सरकार भी केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम में से इन ग्रामों को पेय जल देने में राज्य सरकारों की सहायता कर रही है। फिलहाल लक्ष्य यह है कि 1980-85 की अवधि के भीतर सभी समस्या ग्रस्त ग्रामों में शुद्ध पेय जल दे दिया जाए और राज्य क्षेत्र में संशोधित न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अन्तर्गत संसाधन जुटाये जाएं और केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम में किये गये प्रावधानों द्वारा इसकी संपूर्ति की जाए।

विवरण

आंध्र प्रदेश

श्री कर्नूलए, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, महबूब नगर, मेडक, नालगौंडा और करनूल जिलों के कुछ गांवों में सूखा की स्थिति में अड़ोस-पड़ोस में कोई पेय जल नहीं है। अतः इन ग्रामों को टैंकरों द्वारा पानी पहुंचाना आवश्यक हो जाता है :—

बिहार

क्रम सं०	जिला का नाम	उन गांवों की संख्या जहां कैरियर प्रणाली आरम्भ करनी पड़ी है
1.	रांची	210
2.	पालामाऔ	नगर क्षेत्रों में कैरियर
3.	धनवाद	100 स्थानों में कैरियर
4.	संथाल परगना	6 कैरियर प्रणाली
5.	मुगेर	नगर में 4 टैंकर यूनिट
6.	नवाहा	8 कैरियर प्रणाली
7.	गया	121
8.	औरंगाबाद	98

9.	रोहतास	52

गुजरात

क्रम सं०	जिला का नाम	पेय जलपूर्ति का प्रबन्ध टैंकरों द्वारा किया जाना है
1.	पंचमहल	3
2.	साबरकण्ठा	1
3.	बनसकण्ठा	27
4.	हलकू	23
5.	अहमदाबाद	14
6.	राजकोट	4
7.	सुरेन्द्र नगर	17
8.	भावनगर	30
9.	जूनागढ़	4
10.	डांगा	10
	कुल	133

हिमाचल प्रदेश

क्रम सं०	जिला का नाम	ट्रकों द्वारा जल पहुंचाना
1.	शिमला	)
2.	किन्नौर	)
3.	सिरमौर	)
4.	सोलन	)
5.	बिलासपुर	)
6.	हमीरपुर	) एक मुश्त 5 लाख रुपये की राशि
7.	ऊना	)
8.	कांगड़ा	)
9.	मण्डी	)
10.	चम्बा	)
11.	कुल्लू	)

मध्य प्रदेश

क्रम सं०	जिला का नाम	वे ग्राम जहां जल पहुंचाने की योजना बनाई गई है
1.	इन्दौर	5
2.	धार	4
3.	झबुआ	5
4.	खड़गोने	8
5.	खण्डवा	7
6.	उज्जैन	39
7.	रतलाम	21
8.	मन्दसौर	550
9.	देवास	44
10.	शाजापुर	307
11.	भोपाल	—
12.	विदिशा	23
13.	होशंगाबाद	25
14.	बेतुल	—
15.	रायसेन	—
16.	सिहोर	212
17.	राजगढ़	337
18.	ग्वालियर	80
19.	दतिया	95
20.	मुरैना	287
21.	भिण्ड	शून्य
22.	गूना	218
23.	शिवपुरी	96
24.	सागर	270
25.	छत्तरपुर	135
26.	पन्ना	156
27.	दमोह	214

28. टीकमगढ़	241
29. रीवां	60
30. सतना	40
31. शाहंदोल	55
32. सिद्धी	50
33. जबलपुर	40
34. नरसिंहपुर	—
35. बालाघाट	116
36. मण्डला	103
37. सिग्रोनी	29
38. छिन्दवाड़ा	188
39. रायपुर	116
40. राजनन्दगांव	121
41. दुर्ग	96
42. (क) जगदलपुर	15
(ख) कोरबा	16
43. (क) बिलासपुर	234
(ख) कोरबा	
44. सुरगुजा	308
45. रायगढ़	4
कुल	4970

उड़ीसा

खरीफ सीजन 1980 में सूखे से प्रभावित जिलों के नाम

1. बालासौर	)
2. कटक	) लगभग 4,000 ग्रामों में जल की ढुलाई की
3. बोलांगीर	) जानी है ।
4. घेंकानल	)

5. गंजम	)
6. केओंझर	)
7. कोरापुट	)
8. कालाहांडी	)
9. मयूरभंज	)
10. पुरी	)
11. फुलबनी	)
12. सुन्दरगढ़	)
13. सांम्बलपुर	)

राजस्थान

क्रम सं०	जिले का नाम	ग्रामों में टैंकरों द्वारा जल सप्लाई किया जाना है
1.	बाड़मेर	57
2.	बीकानेर	152
3.	चूरू	161
4.	गंगानगर	45
5.	जैसलमेर	172
6.	जालोर	26
7.	झुनझुनू	4
8.	जोधपुर	126
9.	नागौर	65
10.	पाली	34
	कुल	842

उत्तर प्रदेश

क्रम सं०	जिलों का नाम	टैंकरों और ड्रमों द्वारा ग्रामों में पानी ले जाया जाना
1.	आगरा	46
2.	मथुरा	21
3.	झांसी	182

4. ललितपुर	71
5. हमीरपुर	89
6. बांदा	323
7. जलौन	65
8. इटावा	—
9. बिजनौर	—
10. वाराणसी	21
11. मिर्जापुर	216
12. इलाहाबाद	437
13. फतेहपुर	35
14. जौनपुर	—
15. आजमगढ़	—
16. फैजाबाद	—
17. बल्लिया	—
18. गाजीपुर	—

नगरीय भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम

*417. **श्री पी०एम० सईद :**

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार का विचार नगरीय भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम में भारी परिवर्तन करने का है जिनमें नगरीय सम्पत्ति पर काले धन की पकड़ को कम करने में व्यापक रूप से सहायता मिलेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या मन्त्रालय ने नगरीय भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का कोई मशौदा तैयार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त विधान पुर:स्थापित करने से पूर्व सरकार का विचार राज्य सरकारों से परामर्श करने का है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों में उक्त प्रस्तावित संशोधनों पर टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्योरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : **(क) से (ग)** कुछ समय पूर्व से राज्य सरकारें इस अधिनियम को प्रशासित करने में अनुभव की गई कठिनाइयों तथा इसके उपबन्धों में कमियों को भी बताती आ रही है । इस अधिनियम में संशोधन करने के भी सुझाव थे । जहाँ संशोधन आवश्यक हो उनका पता लगाने के लिए भारत सरकार ने नवम्बर, 1979 में एक कार्यकारी दल की स्थापना की । इस दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जोकि राज्य सरकारों के परामर्श से विचाराधीन है ।

(घ) जी, अभी नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय मत्स्य निगम के कर्मचारियों से प्राप्त ज्ञापन

*418. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय मत्स्य निगम के कर्मचारियों की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय मात्स्यकी निगम के कर्मचारियों के एसोशिएशन ने अपने ज्ञापन में मुख्यत: से विभिन्न आधारों पर निगम को पुन: चालू करने की मांग की है तथा निगम को कारगर बनाने के सम्बन्ध में उपाय सुझाए हैं ।

(ग) सरकार, सार्वजनिक प्रतिष्ठान समिति की 49वीं रिपोर्ट तथा उसमें निहित सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए निगम को समाप्त करने के निर्णय पर विचार कर रही है ।

डाकघरों में गबन

*419. **श्री रामलाल राही** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न डाकघरों से मनीआर्डर के झूठे भुगतान और लघु बचत खातों में से धोखे से धन निकलवाने के कितने मामले प्रकाश में आए हैं और उनकी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं;

(ख) क्या वाराणसी जिले में डाकघरों से लाखों रुपये के गबन के बारे में कोई शिकायत मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी किस्म के मनीआर्डर और बचत बैंक के हानि और गबन के मामलों की संख्या प्रदर्शित करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विभाग द्वारा गबन को रोकने के लिए निम्न प्रयास किए गए :—

जांच और निरीक्षण नियमित रूप से किए जाते हैं और पर्यवेक्षकीय नियंत्रणों को सुदृढ़ कर दिया गया है दौरों और निरीक्षणों के दौरान निरीक्षण अधिकारियों द्वारा कुछ प्रतिशत मनीआर्डर भुगतानों और बचत बैंक निकासियों का सत्यापन किया जाता है ।

जाली भुगतानों एवं निकासियों के मामलों की विभागीय तौर पर पूरी तरह जांच की जाती है और उनकी रिपोर्ट पुलिस में की जाती है । दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध तुरंत और कठोर कार्रवाई की जाती है ।

(ख) जी हां । तारीख 21.5.80 का एक पैम्फलेट जून, 80 में प्राप्त हुआ था जिसमें यह आरोप लगाए गए थे कि वाराणसी जिले में लाखों रुपये के जाली मनीआर्डर अदा किए गए ।

(ग) विभागीय जांच करने पर वाराणसी जिले में 14 जाली मनीआर्डरों के भुगतान का पता चला है । मामले की रिपोर्ट पुलिस में कर दी गई और दो संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ।

विवरण

तालिका

मनीआर्डर

वर्ष	बुक किए गए मनीआर्डर		मनीआर्डर गबन के मामले	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1976-77	106633,000	9686526,000	612	571298
1977-78	107870,000	10473224,000	608	266774
1978-79	108287,000	1100025,000	509	349734
1979-80	अभी उपलब्ध नहीं हैं		553	286846

बचत बैंक

वर्ष	लेन देनों की संख्या	राशि	बचत बैंक गबन के मामले	
			संख्या	राशि
1976-77	146839620	1622120000	541	1247384

1977-78	154176665	19737862000	512	1757329
1978-79	164622449	20326663000	693	2319148
1979-80	अभी उपलब्ध नहीं हैं		632	2169323

टिप्पणी : मनीआर्डर व बचत बैंक के गबन के मामलों की संख्या और राशि के आंकड़ों में जाली भुगतान/निकासी और साथ ही साथ मनीआर्डर/बचत बैंक लेन देनों में हानि और गबन के अन्य प्रकार के मामले भी शामिल हैं।

हरिजनों और आदिवासियों के लिए मकान

*420. **श्री रामविलास पासवान** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरिजनों और आदिवासियों को नि:शुल्क या कम लागत पर मकान देने का कोई कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) आवास राज्य का विषय है और लोगों की इस मूलभूत आवश्यकता को पूरा करना मुख्यतया राज्यों का उत्तरदायित्व है। बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना को छोड़कर अन्य सभी सामाजिक आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं। केन्द्रीय सरकार की भूमिका राज्यों को "समेकित ऋणों और समेकित अनुदानों" के रूप में वित्तीय सहायता देने और सामान्य नीति संम्बन्धी मार्ग निर्देश जारी करने तक सीमित है।

उड़ीसा के जिला मुख्यालय को राष्ट्रीय डायलिंग ग्रिड से जोड़ना

*421. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के वे कौन से जिला मुख्यालय हैं जहां डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं और इन्हें राष्ट्रीय डायलिंग ग्रिड से जोड़ा गया है ;

(ख) वर्ष 1980 और 1981 के दौरान कौन-कौन से जिला मुख्यालयों को इस प्रकार जोड़े जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या यह सच है कि पुरी में जो जिला मुख्यालय और पर्यटन केन्द्र हैं, डायलिंग पद्धति की व्यवस्था नहीं है, हालांकि ऐसी व्यवस्था करने का काम वर्षों पहले आरम्भ हो चुका है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जिला मुख्यालय शहर कटक में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग (एस० टी० डी०) सुविधा उपलब्ध कराई गई है और कुछ हद तक इसे राष्ट्रीय डायलिंग ग्रिड से जोड़ा गया है।

(ख) वर्ष 1980 और 1981 के दौरान कोई अन्य जिला मुख्यालय नहीं।

(ग) यह सच है कि पुरी में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग उपस्कर की व्यवस्था नहीं की गई है जिसका कारण यह है कि इसको सीधी डायलिंग से अन्य स्थानों से जोड़े जाने से पहले पुरी के हस्तचल टेलीफोन केन्द्र को प्रथम चरण में एक स्वचल टेलीफोन केन्द्र में बदला जाना है। उपयुक्त उपस्कर की सीमित उपलब्धता के कारण इस दिशा में कार्य आरम्भ करना अभी सम्भव नहीं हो सका है।

केन्द्रीय मत्स्य निगम के कर्मचारियों की छंटनी

*422. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के उपक्रम, केन्द्रीय मत्स्य निगम लिमिटेड के बहुत से कर्मचारियों की उक्त निगम के कुछ एककों के बन्द हो जाने के कारण छटनी किए जाने का खतरा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितने कर्मचारियों की छटनी की जा चुकी है और भविष्य में निगम के कुछ और एककों के बन्द हो जाने के बाद कितने कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे ;

(घ) क्या सरकार उन कर्मचारियों के लिये कोई योजना बना रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) से (ग) जी नहीं। मद्रास स्थित केन्द्रीय मत्स्य निगम एकक के बन्द होने पर 23 कर्मचारियों की छटनी की गई है। तथापि, अगर निगम को बन्द करने का निर्णय किया जाता है तो 209 नियमित कर्मचारियों की छटनी किए जाने की सम्भावना है।

(घ) तथा (ङ) जी हां। सरकार केन्द्रीय मत्स्य निगम के कर्मचारियों को सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठानों में नौकरी दिलाने की कोशिश कर रही है। अब तक 73 कर्मचारियों को दूसरे प्रतिष्ठानों में नौकरी दे दी गई है। यदि निगम के बन्द करने का निर्णय लिया जाता है तो अन्य निगमों में उन्हें समायोजित करने के भरसक प्रयास किए जाएंगे, अन्यथा वे छटनी के सामान्य लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

त्रिपुरा के कालेजों के लिए विश्वविद्यालय केन्द्र

*423. **श्री अजय विश्वास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा के एम० बी० बी० कालेज, बेलोनिया कालेज, केलाशेर कालेज, राम ठाकुर कालेज आदि के लिए विश्वविद्यालय-केन्द्र भवन के निर्माण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रयोजन के लिए कोई राशि मंजूर की है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकार के अनुरोध पर, आयोग, इन कालेजों द्वारा उन कुछ निर्माण कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए सहमत हो गया है जिन्हें पहले स्थगित करने की उन्हें सलाह दी गयी थी। तथापि, आयोग ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि छठी योजना के दौरान अगरतला में कलकत्ता विश्वविद्यालय केन्द्र के निर्माण पर विचार किया जाए।

(ग) और (घ) जी, हां। विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	कालेज का नाम	भवन का नाम	अनुमोदित लागत	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का योगदान	दिया गया अनुदान
1.	एम० बी० बी० कालेज, अगरतला।	गैर-आवासीय छात्र केन्द्र	88,210	70,000	—
2.	बिलोनिया कालेज, बिलोनिया।	(I) गैर-आवासीय छात्र केन्द्र	83,322	35,000	—
		(I) कक्षाओं के कमरों का निर्माण	1,78,793	1,19,192	
3.	रामाकृष्ण महाविद्यालय, कैलाशर	(I) महिलाओं के लिए छात्रावास	74,324	55,743	
		(II) स्टाफ क्वार्टर	2,26,480	1,13,240	
4.	राम ठाकुर कालेज, अगरतला।	पुस्तकालय भवन का निर्माण	4,60,620	2,22,000	35,000

उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला

*424 **डा० कर्ण सिंह** : **क्या शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के भावी विकास के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) **और (ख)** सरकार ने निर्णय किया है कि संस्थान को पुनर्गठित रूप में जारी रखा जाए। संस्थान के पुनर्गठन के सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जा रही है।

समुद्री संसाधनों का सर्वेक्षण

*425. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी** :

श्री डी. पी. जदेजा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में समुद्री संसाधनों का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री वीरेन्द्रसिंह राव) : (क) तथा (ख) समुद्रीय मात्स्यकी संसाधनों का अनुमान लगाने के लिए समन्वेषी मात्स्यकी परियोजना, बम्बई और समेकित मात्स्यकी परियोजना, कोचीन द्वारा सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। सागरीय मात्स्यकी परियोजना के अन्तर्गत सागरीय (सतही और मध्यम जल) मात्स्यकी के सर्वेक्षण भी किए गए थे, जो कि 1971 और 1979 के बीच चालू थीं। समन्वेषी मात्स्यकी परियोजना के 12 अड्डे और 28 जलयान हैं तथा समेकित मात्स्यकी परियोजना के 12 जलयान और सागरीय मात्स्यकी परियोजना के पास दो जलयान हैं। सर्वेक्षण के अन्तर्गत के कुल क्षेत्र का अनुमान लगभग 2.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। पानी के तलवाली (तल) मात्स्यकी के सर्वेक्षण के आधार पर यह देखा गया है कि भारत का उत्तर-पश्चिमी तट सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 4.4 मीटरीटन की क्षमता का अनुमान है। उत्तर-पूर्वी तट, दक्षिण-पश्चिमी तट, निचले पूर्वी तट की प्रति वर्ग किलोमीटर क्षमता क्रमशः 4.3 मीटरी टन, 3.8 मीटरीटन और 3.4 मीटरी टन है। सर्वेक्षण से तमाम महाद्वीपीय तट के किनारे गहन समुद्र लोब्स्टर और गहन समुद्र झींगा मछलियों के संसाधनों का भी पता चला है।

फसलों से ऊर्जा उत्पादन

*426. **श्री भीखूराम जैन** : **क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसलों से ऊर्जा उत्पादन के सबंध में हाल ही में खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञों के एक दल की बैठक रोम में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन ने रोम में स्थित अपने मुख्यालय में 2 से 6 जून, 1980 तक "फसलों के लिए ऊर्जा बनाम खाद्य उत्पादन" पर एक विशेषज्ञ विचार-विमर्श का आयोजन किया था।

(ख) मालूम हुआ है कि विशेषज्ञों ने निम्नलिखित सिफारिशें की थीं :—

(1) खाद्य तथा कृषि सगठन फसलों के लिए ऊर्जा से संबंधित औद्योगिकीय विकास पर निगरानी रखे और सदस्य देशों तथा अन्य देशों को संरक्षण प्रक्रियाओं और अन्ततः प्रयोग योग्य ओद्योगिकी जोकि विकासशील देशों के लिए खासकर उपयोगी होगी, पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उपयुक्त जानकारी का प्रसार करें।

(2) खाद्य तथा कृषि संगठन को तौर तरीकों या ढांचे का विकास करना चाहिए जिसका विभिन्न देशों द्वारा अपने ही देशों में खाद्य तथा ऊर्जा की आवश्यकता का विश्लेषण करने में उपयोग किया जा सके और यदि आवश्यकता पड़ती है तो अत्यधिक उपयुक्त ढंग से खाद्य फसलों से ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित कार्रवाई करने की योजना बना सके।

(3) खाद्य तथा कृषि संगठन जोकि खाद्य तथा कृषि कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संगठन है, अल्प काल और मध्यम काल में विश्व खाद्य स्थिति पर पहले ही निगरानी रख रहा है और इसलिए खाद्य तथा कृषि संगठन के लिए यह वांछनीय होगा कि वह दीर्घकालीन अंध्ययन भी करे जोकि खाद्य ऊपलब्धता और खाद्य जिन्सों के मूल्यों तथा अन्य जटिलताओं पर फसलों के लिए ऊर्जा के प्रभाव के बारे में विश्व के राष्ट्रों के लिए पूर्व चेतावनी सुलभ कर सकता है।

(ग) : खाद्य तथा कृषि संगठन से भारत सरकार को अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

कीटनाशी दवाओं पर शोध के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला

*** 427. श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उपयोगी कीटनाशी दवाओं पर शोध कार्य तथा विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर की कोई प्रयोगशाला है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोगशाला द्वारा किन-किन कीटनाशी दवाओं पर शोध तथा विकास कार्य किया गया है अथवा किया जा रहा है ; और

(ग) इस समय शोध तथा विकास कार्यों पर प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की जा रही है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी नहीं, श्रीमान। इस प्रकार की कोई राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला नहीं है जो सिर्फ कृषि कीटनाशियों पर अनुसंधान और विकास के कार्य को समर्पित हो। तथापि, फिलहाल ये गतिविधियां वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय (हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइडस लिमिटेड) के अधीन कुछ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में चल रही है।

(ख) जिन प्रमुख कीटनाशियों की उत्पादन प्रक्रियाएं राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित की गई है तथा जिन्हें उद्योगों तक पहुंचाया गया, वह है : डलाफोन, टेटराडीफोन, फेनथीयोएट, डिकोफोल तथा एण्डोसल्फेन। अन्य कीटनाशी जिनकी उत्पादन प्रक्रिया या तो पूरी हो गई या होने वाली है, वे हैं : फास्फेमिडन, क्वीनलफोस, मोनोक्राटोफोस, डिकोलोर, डिमेथाइल विनील फास्फेट (डी. डी. बी. पी.), डिमेथीएट, फेनीट्रीथीओन, डियाजिनोन तथा इथीओन।

(ग) कृषि कीटनाशियों की अनुसन्धान तथा विकास से संबंधित गतिविधियां संबंधित प्रयोगशालाओं के कई अन्य अनुसंधान कार्यक्रमों का अभिन्न अंग है। इसलिए, केवल कृषि कीटनाशियों पर किए गये व्यय को अलग करना संभव नहीं है।

चीनी उद्योग में श्रमिक

3115. **श्री के० ए० राजन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 से 1979-80 के दौरान चीनी उद्योग में कितने श्रमिक कार्यरत रहे ; और

(ख) प्रत्येक वर्ष इस उद्योग में श्रमिक को कुल कितनी मजूरी अदा की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) : सरकार के पास संगत सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। यह संबंधित राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है।

महाराष्ट्र में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तंगत कामगारों को मजूरी में कटौती

3116. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार को "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के लिए गेहूं की निशुल्क सप्लाई की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि रोजगार गारंटी योजना में काम कर रहे कर्मचारियों की मजूरी में से 30 पैसे प्रति किग्रा० की दर से कटौती की जाती है;

(ग) क्या यह मांग की गई है कि यह कटौती बन्द की जाए; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और ग्रामीण पुर्निर्माण मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां । काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र सरकार को गेहूं और चावल निःशुल्क उपलब्ध किए जा रहे हैं । रोजगार गारंटी योजना जिसे राज्य सरकार द्वारा काम के बदले अनाज कार्यक्रम से सम्बद्ध किया गया है, में लगे मजदूरों को ये वस्तु रूप में मजदूरी के तौर पर वितरित किए जाते हैं ।

(ख) नवम्बर, 1978 से महाराष्ट्र में कृषि मजदूरों को न्यूनतम मज़दूरी 4 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है । तथापि, रोजगार गारन्टी योजना के लिए लागू दरों की सूची इससे पूर्व की अवधि की है । उस सूची के अनुसार, मजदूर को अब भी केवल 3 रुपये प्रतिदिन मिलना चाहिए । किन्तु काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जिसे राज्य सरकार द्वारा रोजगार गारन्टी योज़ना के साथ जोड़ा गया है, के अन्तर्गत आंशिक रूप से गेहूं में मजदूरों के वितरण सहित 1 किलोग्राम गेहूं, जिसका मूल्य 1 रुपया 30 पैसे होता है, के अलावा, श्रमिकों को दी जाने वाली नकद मजदूरी 2 रुपये 70 पैसे निर्धारित की गयी है इस तरह से, यद्यपि नकद मजदूरी से 30 पैसे की कटौती की जाती है तथापि, इसके अलावा 1 रुपये 30 पैसे के मूल्य का गेहूं दिया जाता है जिससे श्रमिक की कुल मजदूरी 3 रुपये प्रति-दिन के स्थान पर 4 रुपये प्रतिदिन हो जाती है ।

(ग) जी हां ।

(घ) महाराष्ट्र सरकार इसके प्रतिमान में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझती है ।

टिहरी-गढ़वाल जिले के गांवों में पेय जल की सप्लाई

3117. **श्री दया राम शाक्य :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टिहरी-गढ़वाल जिले के प्रत्येक गांव में पेय जल उपलब्ध करने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने गांवों को पेय जल की सप्लाई की गई है और इस योजना के अन्तर्गत कितने गांवों को पेय जल की सप्लाई की जाएगी; और

(ग) सरकार का इस योजना पर अनुमानत: कितना व्यय करने का विचार है और उस पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) जिला टिहरी-गढ़वाल के ग्रामों के लिए पेय जल पूर्ति की योजनाएं बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । तथापि, केन्द्रीय सरकार त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्यों के समस्याग्रस्त ग्रामों के लिए जल की व्यवस्था करने के लिए उन्हें शत प्रतिशत अनुदान सहायता दे रही है ।

(ग) त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित राशि दी गई है :—

वर्ष	1977-78	1978-79	1979-80
राशि			
लाख रुपयों में	352.80	617.50	709.55

राजस्थान सरकार को अकाल राहत के लिए वित्तीय सहायता

3118. **श्री भीखा भाई** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान सरकार को अकाल राहत के लिए कितनी धनराशि दी गई है और किस शीर्ष से, तथा किन निर्माण-कार्यों के लिए धनराशि प्रदान की गई है ; और

(ख) राजस्थान द्वारा अकाल राहत के लिए मांगी गई 100 करोड़ रुपये की धनराशि के बदले में केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि प्रदान की ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार ने अपने ज्ञापन में राहत के लिए मांग की सीमा 5946 लाख रुपये की बांधी है केन्द्रीय दल की रिपोर्ट और राहत से सम्बन्धित उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने केन्द्रीय सहायता के उद्देश्य के लिए 2010.75 लाख रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा मंजूर की है । संलग्न बिवरण में उन कार्यों का ब्यौरा दिया गया है जिनके लि उपरोक्त राशि स्वीकृत की गई है ।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने खरीफ, 1980 के लिए कृषि आदानों की खरीद और वितरण हेतु 400 लाख रुपए का एक लघु अवधि ऋण भी स्वीकृत किया है। 1980-81 के लिए काम के बदले अनाज के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत एक लाख मीटरीटन खाद्यान्नों का आबंटन किया गया है। काम के बदले अनाज के सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 10,000 मीटरीटन और खाद्यान्न आबंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त, स्कूल न जाने वाले छोटे बच्चों, गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं, बूढ़ों और अशक्तों के आहार के लिए पोषण के लिए खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 1979-80 के दौरान आबटित 5900 मीटरीटन खाद्यान्नों में से बची हुई मात्रा के सितम्बर, 1980 तक उपयोग करने की राज्य सरकार को अनुमति दी गई है।

विवरण

1980-81 के दौरान राजस्थान में सूखे से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत व्यय की अधिकतम सीमा को दर्शाने वाला विवरण।

(लाख रुपए)

	व्यय की मद	गैर-योजना	योजना
1.	तत्काल राहत के लिए पंचायतों के पास रखे जाने वाले गेहूं की लागत सहित बूढ़ों, अशक्तों, बच्चों, दूध पिलाने वाली/गर्भवती माताओं इत्यादि के लिए निःशुल्क राहत-नगद अनुदान।	15.00	—
2.	सबसे अधिक बुरी तरह से प्रभावित 9 जिलों में 'पशु कैम्पों' और पशु आहार केन्द्रों के लिए राज-सहायता।	200.00	—
3.	बुरी तरह से सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में चारे की अधिप्राप्ति और परिवहन के लिए राज-सहायता।	50.00	—
4.	बच्चों और दूध पिलाने वाली/गर्भवती माताओं के लिए मैडीकल तथा स्वास्थ्य उपाय जैसे हैजा, मियादी बुखार और अन्य संक्रामक बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पीने के पानी के स्रोतों को जीवाणुरहित करने और दवाओं का प्रावधान तथा विटामिनों की व्यवस्था करना।	20.00	—

5 **पीने के जल की व्यवस्था**		
(क) 50 ट्रक टैंकरों की खरीद	100.00	—
(ख) ट्रक टैंकरों के लिए मरम्मत/ सर्विसिंग केन्द्रों की स्थापना ।	3.75	—
(ग) ट्रक टैंकरों और अन्य साधनों द्वारा जल का परिवहन ।	50.00	—
(घ) पिचाई व्यवस्था के लिए राज-सहायता ।	40.00	—
6. सूखे से बुरी तरह से प्रभावित इलाकों के योजना स्कीमों/योजना प्राथमिकताओं में फिट होने वाली और योजना में शामिल हो सकने वाली स्कीमों में अतिरिक्त लाभदायक रोजगार देने के कार्यों में तेजी लाना :—		
(क) सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में कुओं/पम्पों को बिजली प्रदान करना ।	—	200.00
(ख) जल आपूर्ति के लिए हैण्ड पम्प लगाना, विद्यमान कुओं को गहरा करना/गाद हटाना और विस्फोट करना तथा अन्य स्थायी व्यवस्था करना ।	—	500.00
(ग) सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में लघु सिंचाई कार्यों को तेज करना ।	—	300.00
(घ) सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक महत्त्व वाली सड़कों का निर्माण ।	—	300.00
(ङ) मृदा संरक्षण ।	—	75.00
(च) (छ) पुन: वनरोपण ।	—	75.00
7. सितम्बर, 1980 के अन्त तक सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को दूध पिलाने वाली/गर्भवती		

	माताओं और निराश्रितों, बूढ़ों और अशक्त लोगों के लिए अतिरिक्त तथा आनुषंगिक खर्च अर्थात् विशेष पोषण कार्यक्रम के लिए धान्यों के अलावा खर्चे ।	—	50.00
8.	अभिजात साण्डों के रख-रखाव के लिए राज-सहायता ।	—	15.00
9.	केवल चारा उगाने के लिए सीमान्त तथा छोटे किसानों को प्रोत्साहन देना ।	—	7.00
10.	सान्द्रित पशु आहार की बिक्री पर डेरी फेडरेशन को राज सहायता ।	—	10.00
	योग	478.75	1532.00

कुल योग गैर-योजना और योजना = 2010.75 लाख रुपए

बर्दवान में डाकघर खोलना

3119 : **श्री कृष्ण चन्द हाल्दर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान कितने डाकघर खोलने का विचार है और वे कहां कहां खोले जायेंगे ;

(ख) क्या सरकार वर्दवान जिले में रात्रि डाकघर खोलने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो ये डाकघर कब तथा कहां कहां खोले जाएंगे ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) योजना आयोग द्वारा पहले से अनुमोदित की गई 1980-81 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत देश भर में लगभग 5000 ग्रामीण डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। तथापि तैयार की जा रही 1980-85 की नई पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन किया जा सकता है। वर्दवान जिले में 1980-81 के दौरान वर्दवान जिले में 7 ग्रामीण डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है, जिनमें से भोटा में खोले जाने वाले डाकघर की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। शेष छः की मंजूरी विचारार्थ आए विभिन्न प्रस्तावों में से की जाएगी।

(ख) आसनसोल, वर्दवान और दुर्गापुर के प्रधान डाकघरों में रात्रि डाकघर सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं। जिले के किसी अन्य डाकघर में रात्रि डाकघर सुविधाएं उपलब्ध कराने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गन्ने का निर्धारित मूल्य और कारखानों द्वारा वास्तव में अदा किया जाने वाला मूल्य

3120. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा जोन-वार और राज्य-वार नियत किया गया गन्ने का न्यूनतम मूल्य क्या था, और 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान विभिन्न राज्यों में चीनी कारखानों द्वारा वास्तव में अदा किया गया प्रति टन गन्ने का औसत मूल्य क्या है ; और

(ख) हर कारखाने द्वारा प्रत्येक वर्ष कुल कितने गन्ने की पेराई की गई ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) विभिन्न राज्यों की फैक्ट्रियों के लिए 1978-79 और 1979-80 मौसमों के लिए अधिसूचित किए गए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्यों और चीनी फैक्ट्रियों द्वारा दी गई सूचनानुसार वास्तव में दिए गए मूल्यों की रेंज को बताने वाले दो विवरण (विवरण I और II) संलग्न हैं।

(ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी०—1038/80)

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण III संलग्न है।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०—1038/80

जनकपुरी, नई दिल्ली में अविकसित प्लाट

3121. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनकपुरी, नई दिल्ली के ए 2-डी ब्लाक में ग्रुप हाउसिंग के लिए छोड़ा हुआ लगभग 5 एकड़ भूमि का प्लाट अब तक अविकसित पड़ा हुआ है और इसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, जबकि कालोनी को बने हुए दस वर्ष हो चुके हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कथित प्लाट पर निम्न आय-वर्ग के लगभग 600 मकानों का निर्माण करवाने के लिए एक योजना को अन्तिम रूप दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में हो रहे असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं और कथित प्लाट पर ग्रुप-हाउसिंग के मकानों के कब तक बन जाने की आशा है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) ए-2 डी ब्लाक नहीं है लेकिन एक ग्रुप आवास पाकेट है जिसका आकार लगभग 5.2 एकड़ है और इसे डाक व तार विभाग को ग्रुप आवास के लिए आवंटित किया गया है। तथापि, इस पाकेट के भीतर आने वाले एक

छोटे से भाग को अभी अधिग्रहण नहीं किया गया है और इसका औपचारिक दखल डाक ब तार विभाग को नहीं दिया गया है। क्योंकि जनकपुरी में परिधीय सेवाएं दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, और यह विकसित कालोनी है ।

लेकिन यह पाकेट अविकसित तथा अप्रयोग्य रहा क्योंकि इसके एक भाग को अभी अर्जित किया जाना है है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जैसा कि भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, इस पाकेट के दखल को अभी तक औपचारिक तौर पर डाक व तार विभाग को नहीं दिया गया है। इस पाकेट की समस्त भूमि का अर्जन करने के बाद इस पाकेट को प्रयोग में लाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

बम्बई के डाक तथा रेलवे डाक सेवा के पेंनशनभोगियों का अभ्यावेदन

3122. **श्री आर० के० महालगी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई जी० पी० ओ० और बम्बई में ऐसे अन्य कार्यालयों के डाक तथा रेलवे डाक सेवा के पेंशन भोगियों ने उनको 28 जनवरी, 1980 को कोई अभ्यावेदन भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें उल्लिखित मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां।

(ख) मांगें निम्नलिखित हैं :—

(1) नियमित स्टाफ को उनके वेतनमान में मिलने वाले मंहगाई भत्ते के समान मंहगाई भत्ता पेंशनभोगियों को मिलते रहना चाहिए ।

(2) उन्हें पूरी चिकित्सा सहायता मिलती रहनी चाहिए ।

(3) चूंकि पेंशन भोगी अल्प पेंशन के कारण तीर्थ-यात्रादि पर नहीं जा सकते अतः उन्हें एल० टी० सी० (छुट्टी यात्रा रियायत) मिलती रहनी चाहिए।

(4) अल्प सेवा लगाए गए स्टाफ को दी जाने वाली दरें कम हैं, यह नए भर्ती किए गए स्टाफ को दिए जाने वाले प्रति घंटा समयोपरि के समान होनी चाहिए ।

(5) अन्य लोगों की तरह शहरों में रहने वाले पेंशन भोगियों को भी नगर प्रतिपूर्ति भत्ता दिया जाना चाहिए ।

(6) सारी स्थिति का अध्ययन करने हेतु एक विशेष पेंशन आयोग स्थापित किया जाना चाहिए तथा उससे अनुरोध किया जाए कि वह अपनी रिपोर्ट एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करें।

(ग) (1)(2)(3)(5) एवं (6) पर उठाए गए मामले केन्द्रीय सरकार के सभी पेंशन भोगियों से संबंधित हैं।

दिसंबर 1979 से अल्प सेवा स्टाफ की दरें रु० 1.50 से बढ़ा रु० 2/-प्रति घंटा कर दी गई हैं तथा इसे बढ़ाकर नए भर्ती किए स्टाफ को दिए जा रहे प्रति घंटा समयोपरि भत्ते के समान करने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती।

राष्ट्रीय बीज निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

3123. **श्री त्रिलोक चन्द्र** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम में इस समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी हैं और कुल कर्मचारियों की संख्या में उनका प्रतिशत कितना है ; और

(ख) उनका गत तीन वर्षों का श्रेणी-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम में कुल 1109 कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति के 115 तथा अनुसूचित जनजाति के 7 कर्मचारी हैं। राष्ट्रीय बीज निगम के कर्मचारियों की कुल संख्या से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का अनुपात 1:9 (122:1109) है।

(ख) दिनांक 1-1-1978, 1-1-1979 तथा 1-1-1980 को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की कुल संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

श्रेणी	वर्ष								
	1-1-1978 को			1-1-1979 को			1-1-1980 को		
	कुल	अनुसूचित जाति की संख्या	अनुसूचित जनजाति की संख्या	कुल	अनुसूचित जाति की संख्या	अनुसूचित जनजाति की संख्या	कुल	अनुसूचित जाति की संख्या	अनुसूचित जनजाति की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क	90	5	1	85	5	1	88	9	1
ख	319	20	1	314	20	—	292	17	—
ग	250	51	—	519	52	—	514	41	1
घ	217	60	6	218	59	6	215	52	5

टिप्पणी : विभिन्न श्रेणियों में पदों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया गया है।

पदों का ब्यौरा		वर्गीकरण
— वह पद, जिसका अधिकतम वेतनमान 1300 रुपये से कम नहीं है	=	क
— वह पद जिसका अधिकतम वेतनमान 900 रुपए से कम नहीं है, परन्तु 1300 रुपये से कम है	=	ख
— वह पद जिसका अधिकतम वेतनमान 260 रुपये से अधिक है, परन्तु 900 रुपये से कम है	=	ग
— वह पद जिसका अधिकतम वेतनमान 260 रुपये अथवा उससे कम है।	=	घ

दिल्ली में नए मिडिल और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोला जाना

3124. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में नए मिडिल और उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोलने का है : और

(ख) यदि हां, तो चालू शिक्षा सत्र में कितने मिडिल और उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोले जायेंगे ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पहले ही खोले जा चुके । द्विशाखित किए/स्तरोन्नत किए गए स्कूलों की संख्या निम्नलिखित है :—

	नये	द्विशाखित	स्तरोन्नत
मिडिल	6	—	—
माध्यमिक	1	3	2
सीनियर माध्यमिक	—	2	4
कुल	7	5	6

दिल्ली प्रशासन का कुछ और मिडिल तथा माध्यमिक स्कूलों को खोलने/स्तरोन्नत करने का प्रस्ताव है ।

नांलदा में ह्वेन सांग स्मारक की स्थापना

3125. **श्री नारायण चंद पराशर** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में नालंदा स्थित ह्वेनसांग स्मारक की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो इस स्मारक की स्थापना पर कुल कितनी लागत आई है ; और

(ग) प्रबन्ध का क्या ढांचा है और इस स्मारक में हो रही गतिविधियों का सारांश क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा सममाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) ह्वेन सांग स्मारक नालंदा का निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया है। अधिकांश कार्यपूरा कर लिया गया है। छत के बाहरी आवरण जेसे कुछ मामूली काम वाकी है।

(ख) अब तक 16.54 लाख रुपयों की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है।

(ग) स्मारक का काम पूरा होने पर बिहार सरकार को सौंप दिया जायेगा। इस समय इस स्मारक में कोई कार्य-कलाप नहीं किये जा रहे हैं क्योंकि भवन का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

कर्नाटक को खाद्यान्न

3126. **श्री ओस्कर फर्नान्डीस** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राज्यों को खाद्यान्न सप्लाई करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया हुआ है ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कर्नाटक को कितना खाद्यान्न सप्लाई किया गया था और चालू वर्ष के दौरान कितना सप्लाई करने का विचार है ; और

(ग) यदि कोई अन्तर है तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) राज्य सरकारों द्वारा सूचित की गई अपनी आवश्यकताओं, केन्द्रीय भण्डार में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष मांगों, खुले बाजार में उपलब्धता और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखने के बाद विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों के आवंटन प्रत्येक मास किए जाते हैं।

(ख) **तथा** (ग) 1978-1979 और 1980 के दौरान कर्नाटक सरकार को निम्नलिखित खाद्यान्न आवंटित और सप्लाई किए गए थे :-

(हजार मीटरी टन में)

	आवंटन					सप्लाई		
वर्ष	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	जोड़	वर्ष	चावल	गेहूं	जोड़
1978	30.0	407.6	—	437.6	1978	—	256.2	256.2
1979	—	486.0	—	486.0	1979	0.4	260.8	261.2
1980	15.0	322.0	0.5	337.5	1980	—	151.2	151.2
			(जुलाई, 1980 तक)				(मई, 1980 तक)	

आवंटनों के प्रति खाद्यान्नों की सप्लाई स्टाक आदि उठाने के लिए राज्य सरकारों के नामितों द्वारा किए गए वित्तीय प्रबन्धों जैसी विभिन्न बातों पर निर्भर करती है।

सरकारी कर्मचारी सहकारी भवन निर्माण समिति लिमिटेड, बसंत बिहार नई दिल्ली

3127. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** सरकारी कर्मचारी सहकारी

भवन निर्माण समिति लिमिटेड, वसन्त बिहार, नई दिल्ली के बारे में 9 जून, 1980 के अतरांकित प्रश्न संख्या 21 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारी सहकारी भवन निर्माण समिति लिमिटेड, बसन्त बिहार, नई दिल्ली द्वारा 82 अतिरिक्त काटे गए प्लाटों के 'एलाटीज' किस तारीख को सोसाइटी, के सदस्य बने, प्रत्येक मामले में कितने-कितने बड़े प्लाट 'अलाट' किए गए और प्रति वर्ग मीटर कितना मूल्य वसूल किया गया ;

(ख) क्या प्रतीक्षा-सूची में कुछ और सदस्य भी शेष रह गए हैं और यदि हां, तो कितने और इन सदस्यों के पंजीकरण की तारीख क्या है ;

(ग) यह प्रतीक्षा-सूची कब तक रखी जाएगी और क्या निकट भविष्य में कोई और प्लाट काटे जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और कहां तथा लम्बे समय से चली आ रही प्रतीक्षा सूची को खत्म न किये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) वस्तुत: 86 प्लाट काटे गये थे न कि 82. 86 सदस्यों की सूची और प्रत्येक को आवंटित प्लाट का आकार विवरण "क" में दिया गया है। समिति ने सहकारी समितियों के पंजीकार को सूचित किया है कि नामांकनों का अनुमोदन 14-11-70 को किया गया था। समिति ने यह भी सूचित किया है कि सदस्य से 42/-रुपये (लगभग) प्रति वर्ग गज लिया गया।

(ख) उन 30 व्यक्तियों की सूची विवरण "ख" में दी गई है जिन्हें अभी प्लाटों का आवंटन किया जाना है। तथापि, समिति के अनुसार, इन व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में अभी नामांकित किया जाना है।

(ग) तथा (घ) लौटाने। रद्द करने के कारण 8 प्लाट उपलब्ध हुए थे और मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। तथापि, निकट भविष्य में और प्लाटों को काटने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-क

उन व्यक्तियों की सूची जिन्हें वसंत-बिहार में काटे गये अतिरिक्त प्लाट आबंटित किये गये।

1. श्री जे० सी० अग्रवाल	ई०-7/10-बी०	400 वर्ग गज
2. श्री आर० पी० अग्रवाल	एफ० 3/16	398 ,,
3. श्री सी० एल० आनन्द	86, पूर्वी मार्ग	400 ,,
4. श्री वी० के० भटनागर	एफ० 1/13	398 ,,

5.	श्री सी० एम० एच० बने	एफ० 3/17	398 ,,
6.	श्री दलीप खोसला	ई० 10/8	400 ,,
7.	श्री दलजीत सिंह	बी०-7/1-बी०	279 ,,
8.	श्री वी० आर० दमले	ई०-12/7	400 ,,
9.	श्री के० एल० डावर	डी०-61/3-ए०	400 ,,
10.	श्री आर० के० धवन	ए०-16/4	400 ,,
11.	कैप्टन आर० के० एस० गांधी	डी०-8/8	400 ,,
12.	मेजर पी० सी० गोयल	बी०-6/3	400 ,,
13.	मेजर एस० पी० गुलाटी	ए०-9/ए०-6	400 ,,
14.	डा० जी० पी० गुप्ता	बी०-7/1-ए०	279 ,,
15.	श्री आई० पी० गुप्ता	88,पूर्वी मार्ग	400 ,,
16.	श्री आर० डी० गुप्ता	ए०-8/4	250 ,,
17.	श्री हरबंस सिंह	ई०-6/13	360 ,,
18.	श्री हरीश चन्द्र	डी०-6/3	420 ,,
19.	श्री ए० एन० जोशी	डी०-6/5	400 ,,
20.	श्री करतार सिंह	एफ०-1/3	398-5 ,,
21.	श्री बी० एन० जोशी	ए०-16/9	400 ,,
22.	श्री कौशल कुमार	डी०-6/15	400 ,,
23.	श्री आर० के० खण्डेलवाल	डी०-6/9	400 ,,
24.	श्री ललित मोहन	डी०-2ए०/6	400 ,,
25.	श्री एन० एस० मैनी	ए०-16/5	400 ,,
26.	श्री एस० मल्होत्रा	89, पूर्वी मार्ग	400 ,,
27.	श्री आई० पी० माथुर	ए०-8/12	250 ,,
28.	श्री एन० पी० माथुर	डी०-2ए०/3	400 ,,
29.	श्री मनोहर केशव	डी०-2ए०/8	400 ,,
30.	श्री वाई० आर० मेहता	डी०-11/8	402 ,,
31.	श्री जी० एस० सिन्हा	ए०-14/5	285 ,,
32.	कैप्टन एस० पी० मुरगे	डी०-8/1	400 ,,
33.	मेजर के० वी० पाटी	डी०-6/10	400 ,,
34.	लैफ्टीनेन्ट परमेन्द्र सिंह	ए०-8/29	337 ,,

35. श्री ए० पी० पुरी	ई०-14/4-सी०	400 ,,
36. श्री आर० के० पुरी	बी०-7/2	250 ,,
37. डा० एस० एस० सचदेव	ई०-6/12	360 ,,
38. श्री टी० एन०सराफ	डी०-8/2	400 ,,
39. श्री सरन सिंह	डी०-6/7	400 ,,
40. श्री बी० सैन	डी०-8/10	400 ,,
41. श्री आर० पी० एन० सिन्हा	ए०-8/डी०2-ए	267 ,,
41. श्री वी शंकर	डी०-6/31	400 ,,
43. डा० ए० एन० शर्मा	ई०-14/4-बी	398 ,,
44. श्री एस० स्वरूप	ए०9/13-बी	400 ,,
45. लेफ्टी० कर्नल बी० डी० त्यागी	ई०-7/10-ए०	400 ,,
46. मेजर कर्नल आई० डी० वर्मा	डी०-2/ए०-2	400 ,,
47. श्री एस० सी० वर्मा	एफ० 3/21	400 ,,
48. श्री आर० सी० शर्मा	ए०-8/22बी०	265.5 वर्ग गज
49. श्री एस० पी० मुखर्जी	डी०-6/13बी	376.5 ,,
50. श्री सुभाष दुआ	ए०-16/2	400 ,,
51. श्री ईश्वर सिंह	ई०-12/6	400 ,,
52. श्री एस० टण्डन	डी०-2/ए5	400 ,,
53. श्री ओ० पी० भाटिया	ए०-7/1डी०	280 ,,
54. श्री आर० एस० गंगल	ए०-6/10	267 वर्ग गज
55. श्री जी० सी० एन० वहल	सी०-1/21	355 ,,
56. श्री प्रताप सिह ज्ञानी	ए०-16/10	400 ,,
57. श्री एच० के० एल० कपूर	एफ०-3/20	400 ,,
58. श्री बी० एन० स्वरूप	सी०-1/25	355 ,,
59. श्री बी० आर० पटेल	सी०-3113	355 ,,
60. श्री जी० एल० सेठी	डी०-2/ए.4	400 ,,
61. श्री ए० एल० दयास	डी०-6/34	400 ,,
62. श्री एम० एल० विधानी	ई०-4/6	410 ,,
63. श्री वाई० पी० खन्ना	ए०-9/13-सी०	400 ,,

64. श्री जिले सिंह	ए०-81/2-सी०	262.5 वर्ग गज
65. श्री प्यारेलाल	डी०-5/17	400 ,,
66. श्री एम० आर० शर्मा	ए०-9/ए.1	400 ,,
67. श्री वी० एन० गुल्लू	ई०-6/14	355 ,,
68. लेफ्टीनेन्ट जनरल एस० एन० चटर्जी	डी०-8/5	400 ,,
69. श्री एस० एस० अहलुवालिया	ए०-16/7	400 ,,
70. श्री एच० एस० कपूर	डी०-6/8	400 ,,
71. श्री एस० सी० कपूर	डी०-6/17	410 ,,
72. श्री डी० पी० बहुगुणा	ई०-12/7	400 ,,
73. श्री टी० बक्शी	डी०-16/18	395 ,,
74. श्री जसटिस वी० भार्गव	ए०-16/3	400 ,,
75. श्री० आर० पी० कपूर	एफ०-3/8	390 ,,
76. श्री चन्द्रगुप्त	डी०-8/7	400 ,,
77. श्री बी० एस० चौहान	डी०-6/27	422 ,,
78. श्री ए० एस० चीमा	डी०-6/13-सी०	376.5 ,,
79. लेफटी० कर्नल टी० आर० चौपड़ा	एफ०-3/14	398 ,,
80. श्री एम० एस० गौड़	ए०-16/8	400 ,,
81. श्री के० पी० जैन	एफ०-3/18	400 ,,
82. श्री एन० सी० जैन	डी०8/6	400 ,,
83. श्री आर० सी० जयसवाल	ए०-8/3	250 ,,
84. श्री एच० सी० जराव	ई०-7/2	410 ,,
85. श्री आर० के० कौंचड़	एफ०-3/11	400 ,,
86. श्री राजेन्द्रनाथ	ई०-6/11	400 ,,

विवरण—ख

1. अरोड़ा, के. एल.
अनुभान अधिकारी
रोकड़-II अनुभाग
गृह मंत्रालय

2. बलदेव राम
यू.डी.सी. ए. जी ब्रांच. ए. एस.ओ.
समन्वय-1, वेस्ट ब्लाक-III
आर. के. पुरम, नई दिल्ली

3. बंसल, आर. एन.
सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, शिमला

4. भाटिया, आर. के.
अवर सचिव
दिल्ली प्रशासन,
दिल्ली

5. बेदी, शेरसिंह
सहायक, एम्बेसी आफ इंडिया
हेग (हालैण्ड)

6. भूपेन्द्र सिंह
सहायक
137, किदवई नगर
नई दिल्ली

7. भटनागर, ए. एस.
संयुक्त सचिव
संचार विभाग
84, लोदी इस्टेट, नई दिल्ली

8. बिपिन चन्द्र, आई. ए. तथा ए. एस.
वरिष्ट उप महालेखाकर
पश्चिम बंगाल, कलकत्ता

9. चटर्जी, बी.
महा निरीक्षक
इंडो तिब्बत बोर्डर पुलिस
नई दिल्ली

10. गर्ग, चिरंजी लाल,
नैवल हैड क्वार्टर
डी.पी.एस. (आर. एण्ड डी.)
नई दिल्ली

11. गोविल, एम. एल.
सहायक निर्देशक सम्पदा
बी-7/98, लोदी रोड
नई दिल्ली

12. गुप्ता, जी. डी.
उप सचिव
गृह मंत्रालय

13. गुप्ता, आर. एस.
संयुक्त निर्देशक (रिसीट आडिट)
भारत के महानियंत्रक तथा लेखा परीक्षक का कार्यालय
बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110001

14. गुप्ता, पी. एल.
आर्किटेक्ट, के. लो. नि. वि.
दिल्ली प्रशासन
5290, भारत नगर, पहाड़ गंज
नई दिल्ली

15. गुप्ता एन. पी.
अवर सचिव
पूर्ति विभाग

16. सिंह, के. एन.
निदेशक
वित्त मंत्रालय

17. लुल्ला, एल. एस.
सचिव
महाराष्ट्र सरकार, बम्बई

18. मदन, एम. एस.
निदेशक
के. लो. नि. वि., नई दिल्ली

19. मारकण्डे सिंह
पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)
दिल्ली

20. मल्होत्रा, बी. के.
कार्यपालक अधिकारी (जे. जे.)
दिल्ली विकास प्राधिकरण,
नई दिल्ली

21. नायर, एम. एन.
अनुभाग अधिकारी, वित्त मंत्रालय
434, डबल स्टोरी फलैट
न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-60

22. पैन्टल, डी. एस.
डिफैन्स नेशनल कालिज,
6 तीस जनवरी मार्ग,
नई दिल्ली-110011

23. पुनहानी, ए. आई.
टेक्नीकल एसिस्टेंट
खाद्य तथा कृषि मंत्रालय
(कृषि विभाग)

24. पुरी, आर. एन.
अनुभाग अधिकारी
लोहा तथा इस्पात विभाग

25. राजेन्द्र लाल
सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

26. सत्यप्रकाश
पंजीकार (एन. ए.)
तिबिया कालेज बोर्डस दिल्ली

27. शर्मा, सुदर्शन
अनुभाग अधिकारी
गृह मंत्रालय

28. श्रीनिवासन सी. आर.
अवर सचिव
खाद्य विभाग

29. बोहरा बी. बी.
संयुक्त सचिव
कृषि विभाग

30. स्कवायर्डन लीडर एम. एस. भल्ला
एअर फोर्स सेन्ट्रल एकाउटेन्टस आफिसर
धौला कुआं
नई दिल्ली ।

पश्चिम बंगाल में डाक तथा तारघर

3128. **श्रीमती लाल हसदा :**

श्री आनन्द पाठक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के कितने गांवों में, जिलावार, अब तक डाक तथा तार कार्यालय नहीं हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार और जिला-वार पश्चिम बंगाल में कितने डाक तथा तारघर खोले गए ; और

(ग) आगामी तीन वर्षों में वर्षवार और जिला-वार कितने डाक तथा तारघर खोले जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) पश्चिम बंगाल में जिन गांवों में अभी तक डाकघर नहीं हैं उनकी जिलेवार संख्या अनुबंध के विवरण पत्र में दी गई है। तारघरों से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में खोले गए डाकघरों और तारघरों की संख्या नीचे दी जाती है :—

वर्ष	डाकघरों की संख्या	तारघरों की संख्या
1977-78	120	95
1978-79	400	53
1979-80	352	47

ऊपर दी गई डाकघरों की संख्या पश्चिम बंगाल सर्किल के लिए है जिसमें सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भी शामिल हैं। जिलेवार आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं और उन्हें सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) योजना आयोग द्वारा पहले अनुमोदित की गई वार्षिक योजना 1980-81 के अन्तर्गत लगभग 250 नए ग्रामीण डाकघर और 72 तारघर पश्चिम बंगाल में खोले जाने का

प्रस्ताव है। जिलेवार विवरण एकत्रित किया जा रहा है तथा सभा पटल पर रख दिया जाएगा। परन्तु तैयार की जा रही नई पंचवर्षीय योजना 1980-85 के आधार पर इन आँकड़ों में संशोधित किया जा सकता है। नई पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद ही 1981-82 और 1982-83 के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जा सकेंगे।

विवरण

पश्चिम बंगाल के उन गांवों की संख्या जहां डाकघर नहीं हैं, को दर्शाने वाला विवरण पत्र।

क्रम संख्या	जिले का नाम	गांवों की संख्या जहां डाकघर नहीं हैं
1.	बर्दवान	2008
2.	बांकुरा	3123
3.	बीरभूम	1842
4.	कूच विहार	886
5.	दार्जिलिंग	385
6.	हुगली	1486
7.	हावड़ा	508
8.	जलपाइगुड़ी	507
9.	मिदनापुर	9164
10.	माल्दा	1355
11.	मुर्शिदाबाद	1464
12.	नाडिया	924
13.	पुरूलिया	2081
14.	पश्चिम दिनाजपुर	2889
15.	24 परगना	2742
	योग :	31364

1982 के एशियाई खेलों के संगठनात्मक कार्य पर सरकारी नियन्त्रण

3129. **श्री ए० नीलालोहिशादसन नाडार :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में 1982 में होने वाले एशियाई खेलों की तैयारी में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इन खेलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इनके संगठनात्मक कार्यों पर यदि भारत सरकार का कोई नियंत्रण है, तो वह क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) एशियाई खेल, 1982 में आयोजित किये जाने वाले खेलों की तिथियों खेलों तथा उनके स्थानों को तय कर लिया गया है । खेल मैदानों के निर्माण तथा उनके नवीकरण के लिए नक्शों, डिजाइनों तथा उनसे संबंधित अनुमानित खर्च को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । खेलों के लिए अपेक्षित उपस्करों की सूची तैयार कर ली गई है तथा उनकी प्राप्ति से संबंधित प्रस्ताव विचाराधीन है । खेलों से संबंधित पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की तैयारियां की जा रही हैं । भारत सरकार ने इन खेलों में उपयुक्त समय पर तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं को सुनिश्चित करने तथा समन्वित करने के लिए एक संचालन समिति गठित की है ।

पब्लिक स्कूलों में गरीब व प्रतिभावान छात्रों के लिए आरक्षण

3130. **श्री के० प्रधानी** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह सिफारिश की है कि देश के पब्लिक स्कूलों में कुछ सीटें ऐसे गरीब बच्चों के लिए आरक्षित की जाएं, जो प्रतिभावान हों; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा के आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में डाक और दूरसंचार सुविधाएं

3131. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने उड़ीसा के आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में, राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में इनके विकास के अन्तर को कम करने हेतु डाक और दूरसंचार सुविधाओं की योजनाएं तैयार करने के लिए उड़ीसा मंडल (सर्कल) को निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उस मंडल ने अब तक क्या उपाय किए हैं;

(ग) कोरापुट जिले में डाक और दूरसंचार संबंधी कौन कौन से प्रस्ताव, यदि कोई हैं, निष्पादन के लिए मंडल के पास विचाराधीन है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां ।

(ख) जनजाति क्षेत्रों में डाक तथा दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रस्तावों की जांच एक उदारीकृत नीति के अन्तर्गत की जाती है तथा वार्षिक योजनाओं में निर्धारित किए गए

कुल लक्ष्यों के आधार पर तथा दूरसंचार के संबंध में भंडार/उपस्कर की उपलब्धता के अनुसार उनके लिए उत्तरोत्तर सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है।

(ग) योजना आयोग द्वारा पहले अनुमोदित की गई वार्षिक योजना 1980-81 के अन्तर्गत समस्त राज्य में 300 ग्रामीण डाकघरों के खोले जाने का प्रस्ताव है जिसमें से 50 प्रतिशत से अधिक डाकघर राज्य के जनजाति क्षेत्रों में खोलने का प्रस्ताव है। कोरापुट जिले के पल्लूर, पटखालिया, इन्द्रामती और रूराबेदा में डाकघरों के खोले जाने के प्रस्तावों पर निर्णय नहीं लिया गया है। इस वर्ष के दौरान और अधिक प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। कोरापुट जिले में टेलीफोन/तार सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के लिए 13 प्रस्ताव मंजूर कर लिए गए हैं और 28 प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

कपास का उत्पादन

3132. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के प्रमुख हिस्सों में सूखा पड़ने के बावजूद देश में कपास का रिकार्ड उत्पादन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके, राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) वर्ष 1979-80 के लिए कपास के उत्पादन के अन्तिम सरकारी अनुमान, राज्यों से अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। फिर भी, प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 1979-80 में कपास के कुल उत्पादन में वर्ष 1978-79 के 79·3 लाख गांठों के स्तर की तुलना में मामूली ही कमी होने की संभावना है। 1979-80 के मानसून मौसम (जून से सितम्बर तक) के दौरान वर्षा आमतौर पर देर से, अपर्याप्त तथा अनिश्चित रूप से हुई थी। फिए भी, अपर्याप्त वर्षा का कपास की फसल की पैदावार पर कोई गम्भीर प्रभाव नहीं पड़ा।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम और उनकी क्षमता

3133. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में भारतीय खाद्य निगम के कितने गोदाम हैं और उनकी क्षमता कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम के पास 31 मार्च, 1980 को उपलब्ध भण्डारण क्षमता के राज्यवार ब्यौरे ।

1	2	3	4	5
		निजी गोदाम		
क्रम संख्या	राज्य का नाम	भण्डारण क्षमता लाख मी० टन में	गोदामों की संख्या	किराये की भण्डारण क्षमता लाख मी० टन में
	पूर्वी जोन			
1.	असम	1.82	25	1.76
2.	बिहार	3.29	16	3.59
3.	उत्तर-पूर्वी सीमान्त क्षेत्र	0.21	5	0.68
4.	उड़ीसा	1.67	18	0.58
5.	पश्चिमी बंगाल	6.94	26	7.01
		13.93	90	13.62
	दक्षिणी जोन			
6.	दिल्ली	1.68	3	0.20
7.	हरियाणा	3.60	28	6.67
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	0.15
9.	जम्मू और कश्मीर	0.24	2	0.14
10.	पंजाब	13.55	98	17.30
11.	राजस्थान	3.77	34	5.14
12.	उत्तर प्रदेश	9.32	39	14.34
		32.14	204	43.94
	दक्षिणी जोन			
13.	आन्ध्र प्रदेश	4.86	24	7.98
14.	कर्नाटक	0.97	8	1.72
15.	केरल	3.33	17	0.60
16.	तमिलनाडु	3.93	10	4.08
		13.09	59	14.38

17. गुजरात	1.96	6	3.75
18. मध्य प्रदेश	5.75	39	6.59
19. महाराष्ट्र	9.00	8	3.65
	16.71	53	13.99
सकल जोड़	75.87	406	85.93

*भारतीय खाद्य निगम ने एक वर्ष तक गोदामों को किराए पर लेने/किराए के गोदामों को खाली करवाने की शक्तियों का अपने क्षेत्रीय/जोनल प्रबन्धकों को प्रत्यायोजन कर दिया है ताकि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार क्षमता में वृद्धि की जा सके । अत: किराए पर लिए गये गोदामों की ठीक-ठीक संख्या के संबंध में अध्यतन आंकड़े निगम के मुख्यालय में उपलब्ध नहीं है । निगम के नियंत्रण में 1-1-1979 को किराए के 1729 गोदाम थे ।

नोट : कैप (कवर एण्ड प्लिंथ) क्षमता, इस विवरण में दी गई क्षमता के अलावा है ।

केरल में लेवी द्वारा धान की वसूली के लिये छूट की सीमा में वृद्धि

3134. **श्री बी० के० नायर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने हाल ही में लैवी द्वारा धान की वसूली के प्रयोजनार्थ 2 एकड़ से 10 एकड़ तक छूट की सीमा में वृद्धि की है ;

(ख) इसके परिणाम स्वरूप वसूली अनुमानत: कितनी कम हुई है ;

(ग) क्या यह कमी पूरी करने के लिए सहायता हेतु राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : **(क) और (ख)** केरल में राज्य सरकार अपनी आन्तरिक खपत के लिए वसूली करती है । राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उन्होंने चावल के आसानी से उपलब्ध होने की दृष्टि में धान की वसूली के प्रयोजन के लिए छूट की सीमा जुलाई, 1978 में 2 से बढ़ाकर 10 एकड़ कर दी गई थी । यह छूट प्रतिवर्ष दी जाती रही है और यह छूट 3 जुलाई, 1981 को समाप्त होनी है ।

राज्य सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि धान की वसूली में 22,380 मीटरी टन की कमी होगी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विश्वविद्यालय पर मकान किराया भत्ता सम्बन्धी नियमों का लागू किया जाना

3135. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय द्वारा मकान किराये भत्ते के बारे में बनाये गये नियम दिल्ली विश्वविद्यालय पर भी लागू होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वित्त मंत्रालय द्वारा की गई व्याख्या/स्पष्टीकरण भी दिल्ली विश्वविद्यालय पर लागू होते हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : **(क) और (ख)** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार के मकान-किराया भत्ता सम्बन्धी नियमों को अपनाता है। सरकार द्वारा जारी की गई व्याख्याएं/स्पष्टीकरणों को भी लागू किया जाता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रिहायशी मकानों का निर्माण

3136. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 'हुडको' पैटर्न के अन्तर्गत रिहायशी मकानों का निर्माण करने के लिए लोगों से आवेदन आमन्त्रित किये थे ;

(ख) मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और जनता श्रेणियों के अन्तर्गत अलग-अलग कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए ;

(ग) क्या यह सच है कि मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण इन मकानों का निर्माण करने का इच्छुक नहीं है ;

(घ) क्या संघ क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण ही ऐसी एजेन्सी है जिसे निर्माण-कार्य करने का अधिकार है ; और

(ङ) क्या सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण से आग्रह करेगी कि वह लोगों को मकान बना कर देने का अपना वचन पूरा करे ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : **(क)** जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वर्गवार प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या इस प्रकार है :—

मध्यम आय वर्ग		47,489
निम्न आय वर्ग		67.347
जनता आय वर्ग		56,295
	जोड़	1,71,131

(ग) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। दिल्ली नगर निगम, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली-नगर पालिका, दिल्ली प्रशासन लोक निर्माण विभाग जैसे अन्य अभिकरण भी हैं।

(ङ) (ग) में बताई गई स्थिति को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी आवास का आबंटन

3137. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी आवास का आबंटन प्रत्येक टाइप के आवास के मामले में किए नियुक्ति वर्ष तक पूरा हो चुका है ;

(ख) प्रत्येक टाइप में कितने प्रतिशत लोगों को आबंटन किया जा चुका है ;

(ग) क्या सरकार टाइप-III आवास पाने के हकदार कर्मचारियों को एक दर्जा नीचे का आवास आबंटित करने के बारे में विचार करेगी ताकि पात्रता नियमों में 1 दिसम्बर, 1978 से किए गए परिवर्तन के कारण इस श्रेणी के कर्मचारियों को हुई कठिनाई का निवारण किया जा सके; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : **(क) तथा (ख)** सामान्य पूल से आवास का आबंटन विभिन्न टाइपों के लिए पात्र अधिकारियों की अग्रता तिथि को देखते हुए किया जाता है। टाइप 'ए' से लेकर 'डी' तक के आबंटन के लिए अग्रता तिथि वह तिथि मानी जाती है, जिस तिथि से कोई अधिकारी सरकार के अधीन नियमित रूप से सेवारत है। टाइप 'ई' तथा उच्च टाइप के पात्र कर्मचारियों के मामले में अग्रता तिथि वह तिथि मानी जाती है जिस तिथि से इन टाइपों के लिए निर्धारित पात्रता के अनुसार वे नियमित वेतन ले रहे हों। उनके मामलों में नियुक्ति की तिथि से कोई सम्बन्ध नहीं है और इसलिए इस बारे में सूचना नहीं रखी जाती। दिल्ली/नई दिल्ली के सामान्य पूल में विभिन्न टाइपों की 30-6-1980 तक जिस अग्रता तिथि तक आबंटन किया जा चुका है तथा इनकी परितुष्टता की प्रतिशतता इस प्रकार है :—

टाईप	अग्रता तिथि		परितुष्टि की प्रतिशतता
'ए'	4-3-64		64.3
'बी'	5 7-57		3.8
'सी'	24-8-55		3.1
'डी'	10-4-58		54.1
'ई०'	1-1-73		47.7
'ई०I'	1-1-73		39.7
'ई०II'	24-4-78	(उनके लिए जिनका वेतन 3500 रु० है)	41.3
	1-1-74	(उनके लिए जिनका वेतन 3000 रुपये और उससे अधिक है)	
	12-11-72	(उनके लिए जिनका वेतन 2750 रुपये और उससे अधिक हो ।)	
'ई०III'	16-12-76		32.5

(ग) जी, नहीं ।

(घ) इससे टाईप 'बी' आवास के पात्र, कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की परितुष्टता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

चौबेपुर डाकघर से जाली मनीआर्डरों का भेजा जाना तथा राशि प्राप्त किया जाना

3138. **श्री झारखंडे राय** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ व्यक्ति चौबेपुर डाकघर (वाराणसी, उत्तर प्रदेश) से जाली/नकली मनीआर्डरों को भेजने और फिर मनीआर्डर की राशि प्राप्त करने में लगे हुए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और जाली मनीआर्डरों में कितनी राशि लगी हुई है ;

(ग) क्या यह सच है कि वाराणसी जिला सामाजिक कार्यकर्त्ता संघ ने इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराये जाने की मांग की है ;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को मामले की सूचना दे दी गई है ?

संचार मंत्री (श्री सो० एम० स्टीफन) : (क), (ख) जी हां ।

श्री बल्देव सिंह सिद्धू को भुगतान किया जाने वाला नांदेड़ टाउन से जारी किया गया 400 रु० का मनीआर्डर संख्या 2976 दिनांक 18-1-79 कुछ हेरा-फेरी किये गये इन्दराजों सहित चौबेपुर में प्राप्त हुआ था । इन्दराजों में हेरा-फेरी किये गये मनीआर्डरों में 400 रुपये की राशि के स्थान पर 900 रु० कर दिये गये थे और हेरा-फेरी करके मनीआर्डरों को श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल को भुगतान किये जाने योग्य बनाया गया । मनीआर्डर का भुगतान 30-1-1979 को चौबेपुर में श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल को कर दिया गया । मामले की छान बीन की जा रही है ।

(ग) से (ङ) जी हां । इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जाँच कराये जाने की मांग को लेकर वाराणसी जिला सामाजिक कार्यकर्त्ता संघ द्वारा भेजा गया तारीख 21-5-1980 का छपा हुआ पत्र जून, 1980 में प्राप्त हुआ था । इस पत्र में लिखे गये आरोपों की जांच कराने के लिए उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जरनल को कहा गया है । इससे पहले सार्वजनिक शिकायत प्राप्त होते ही इस मामले की विभागीय जांच कराई गई थी और उत्तर प्रदेश के पोस्टमास्टर जरनल से मामले की रिपोर्ट केन्द्रीय जांच ब्यूरो को करने के लिए अनुरोध किया गया था । केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस मामले की रिपोर्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश सर्कल के पोस्टमास्टर जनरल इससे संबंधित साक्ष्य और आवश्यक प्रलेख एकत्र कर रहे हैं ।

सरोजनी नगर, नई दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों में दूसरी मंजिल पर कमरे का निर्माण

3139. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सरोजनी नगर, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों के पहली मंजिल के बहुत सारे आबंटियों ने दूसरी मंजिल पर लकड़ी के अथवा पक्के कमरे बना लिये हैं जिनके कारण सरकारी क्वार्टरों के अन्य आबंटियों को भारी असुविधा हो रही है ;

(ख) क्या उक्त निर्माण करने के लिए कोई अनुमति दी गई है और यदि हां, तो किस आधार पर/किन शर्तों पर ; और

(ग) अनधिकृत रूप से किये गये उक्त निर्माणों को जिससे सरकारी आवास का दुरुपयोग होता है, गिराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) सरोजनी नगर में पहली मंजिल क्वार्टरों के 14 अलाटियों ने अनधिकृत अस्थायी संरचनाओं का निर्माण किया है।

(ख) इन संरचनाओं को खड़ा करने की कोई अनुमति नहीं दी गई है।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने उन सभी 14 अलाटियों को जिन्होंने अनधिकृत रूप से अस्थायी संरचनाओं का निर्माण किया है, संरचनाओं का निर्माण किया है, अनधिकृत संरचनाओं को तत्काल हटाने के लिए नोटिस जारी किए हैं। यदि ये अलाटी वाजिब समय के भीतर अनधिकृत संरचनाओं को नहीं हटायेंगे, तो उनके आबंटन रद्द हो सकते हैं और तत्पश्चात् यदि आवश्यक हुआ तो लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम के अन्तर्गत उनको वास्तविक रूप से क्वार्टरों से बेदखल करने की कार्रवाई की जाएगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में पेंशन के बिना सेवा-निवृत हुए कर्मचारियों की संख्या

3140. **श्री ए० के० राय** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेवा-निवृत हुए ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके पेंशन और अन्य देयराशियों के मामले देश में एक वर्ष से अधिक अवधि से अनिर्णित पड़े हुए हैं और तत्संबंधी, राज्यवार विस्तृत ब्यौरा क्या है ;

(ख) बिहार में धनवाद से ऐसे कितने मामले हैं ;

(ग) क्या इस बिलम्ब से सेवा-निवृत कर्मचारियों की परेशानी बढ़ती है ; और

(घ) यदि हां, तो उस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के देश भर के फैले विभिन्न कार्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है और यह सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली के यमुना-पार क्षेत्र में विकास कार्य

3141. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के यमुना-पार क्षेत्र विशेषकर पटपड़गंज में (मंडावली विनोद नगर, कृष्ण कुंज, शकरपुर, आदि, पुरानी बस्तियां) मल निकासी, जल निकासी, ईटों की पटड़ी आदि की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वर्षा काल आरम्भ होने से पहले कार्य आरम्भ होने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

उर्वरकों का आयात

3142. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों का बड़े पैमाने पर आयात किया गया है; **और**

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान इसका कितनी मात्रा और कितने मूल्य का आयात किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। उर्वरकों के आयात देश की आवश्यकताओं से अधिक नहीं है ।

(ख) 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान आयात किए गए पोषक तत्वों के रूप में उर्वरकों की मात्रा तथा उनकी लागत नीचे दी गई है :—

वर्ष	पोषक तत्व (लाख मीटरी टन) (एन + पी + के)	लागत (करोड़ रुपयों में)
1977-78	15.21	304.95
1978-79	19.88	458.66
1979-80	20.05	555.34

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा जनपथ के व्यापारियों को दिये गये नोटिस

3143. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा जनपथ के पांच व्यापारियों को नोटिस दिये गये हैं और उनसे दस दिनों में ये दुकानें खाली करने के लिये कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ।

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) नई दिल्ली नगरपालिका ने सूचित किया है कि जनपथ के 8 स्टाल होल्डरों को निम्नलिखित एक या एक से अधिक कारणों पर मंसूखी के नोटिस जारी किए गए हैं :—

(i) पूर्व स्वीकृति के लिए बिना साझेदारी करना।

(ii) अनधिकृत तरीके से अन्य अतिरिक्त व्यापार करना।

(iii) अनुमेय ऊंचाई से अधिक ऊंची लकड़ियों की अटारियों का निर्माण।

(iv) परिवर्द्धन/परिवर्तन करना।

(v) स्थाई शो-केसों इत्यादि के बनाने से पालिका भूमि पर अतिक्रमण करना।

मूर्तियों की चोरी

3144. **श्री बी० एस० विजय राघवन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी प्राचीन मूर्तियों की चोरी हो रही है और उन्हें अवैध रूप से विदेशों को निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां, चोरी की ऐसी घटनाओं की सूचना मिली है।

(ख) निम्नलिखित कदम उठाए गए :—

(1) पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 का प्रवर्तन जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्दिष्ट है :—

(i) कुछ निश्चित प्रकार के पुरावशेषों का पंजीयन अधिकारी के यहां पंजीकरण कराना;

(ii) पंजीकृत पुरावशेषों के व्यापार अथवा संचलन के विषय में पंजीयन अधिकारियों को अवगत कराना;

(iii) केवल लाइसेंस-प्राप्त व्यापारियों द्वारा पुरावशेषों का व्यापार करने की सीमा निबन्धित करना;

(iv) पुरावशेष-निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना।

(2) 1977 में भारत ने सांस्कृतिक सम्पति के अवैध आयात, निर्यात और स्थानान्तरण का निषेध करने के उपायों पर हुए यूनेस्को समझौते का अनुसमर्थन किया। समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था भी है कि संविदाकारी पक्षकार

अपने प्रदेश में चुराई गई सांस्कृतिक सम्पत्ति के अवैध आयात पर रोक लगाने तथा ऐसी चुराई गई वस्तुएं ढूंढने और सम्बन्धित देशों को लौटाने के लिए कदम उठाएंगे, परन्तु इस समझौते के अन्तर्गत संविदाकारी पक्षकारों के अधिकार समझौते पर हस्ताक्षर करने के पूर्व प्रभावी न होकर भविष्य-प्रभावी होंगे।

(3) पुरावशेषों की चोरी तथा हानि से सम्बन्धित मामलों की जांच कराने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में एक ऐन्टीक सेल खोला गया है।

(4) अबद्ध मूर्तियों, चित्रों, सचित्र पांडुलिपियों आदि के प्रलेखन हेतु पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं।

(5) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, पुरावस्तुओं की पहचान कर उनके अवैध निर्यात को रोकने में सीमाशुल्क प्राधिकारियों की सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण सीमा शुल्क केन्द्रों पर अपने आधिकारी नियुक्त किए हैं। इसके अतिरिक्त निर्यात के लिए वस्तुओं की जांच करके यह देखने के लिए कि उनमें से कोई वस्तु पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 की शर्तों के अनुसार पुरावशेष तो नहीं है, भारत के महत्वपूर्ण नगरों में विशेषज्ञ सलाहकार समितियां स्थापित की गई हैं।

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा दुकानों का आवंटन

3145. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने ऐसी कई सौ दुकानों का आबंटन रद्द कर दिया था जिन्हें फरवरी, 1977 से पूर्व निरर्थक आधार पर आबंटित किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका ने 4 अक्तूबर, 1977 से 3 अक्तूबर, 1979 की अवधि के लिए ऐसी सभी दुकानों को पुनः नियमित कर दिया था;

(ग) यदि हां, तो इन दुकानों का आबंटन रद्द किए जाने के कारण क्या हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि 1 अप्रैल, 1980 के बाद नई दिल्ली नगरपालिका ने दुकानों का आबंटन रद्द करने के लिए विभिन्न दुकानदारों को नोटिस दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और आबंटन रद्द किए जाने का नोटिस कुल कितने दुकानों को दिया गया ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका ने सूचित किया है कि फरवरी, 1977 में स्टालों आदि सहित केवल 281 दुकानों का आबंटन रद्द

किया गया गया था और यह कहना ठीक नहीं है कि ये दुकानें निरर्थक आधार पर आबंटित की गई थीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका के अनुसार आबंटन रद्द करने के निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अनेक कारण थे :—

(i) भुगतान न करना;

(ii) उप-किरायेदारी;

(iii) औपचारिकताएं पूरी न करना;

(iv) अनधिकृत परिवर्द्धन तथा परिवर्तन; और

(v) व्यवसाय आदि में अनधिकृत रूप से परिवर्तन;

(घ) जी, हां।

(ङ) नई दिल्ली नगरपालिका ने 1-4-1980 के पश्चात् रद्द करने के 18 नोटिस जारी किए हैं जो सामान्यतया इस प्रश्न के (ग) भाग के उत्तर में उल्लिखित कारणों में से एक या अनेक के आधार पर थे।

विदेशों से आने वाले और विदेशों को जाने वाले पत्रों का वितरण

3146. **श्री तारिक अनवर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि डाक-तार कर्मचारी, विशेषकर डाकिए कुछ व्यापारियों के साथ साठ गांठ करके विदेशों से आने वाले और विदेशों को जाने वाले पत्र संबधित व्यक्तियों को नहीं देते हैं, बल्कि वापस कर देते हैं या गलत व्यक्तियों को दे देते हैं;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में मुरादाबाद जिले से कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) और (ख) जी हां। मुरादाबाद के व्यापारियों से विदेशों से आने वाले पत्रों का गलत व्यक्तियों को वितरण करने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांच के दौरान आरोप सिद्ध नहीं हो सके।

(ग) (i) मुरादाबाद मुख्य डाकघर को भेजी जाने वाली आवक विदेशी डाक हेतु मार्ग

और वितरण व्यवस्थाओं का पूर्णतया पुनरीक्षण किया गया और बहुविध संचालन से बचने के लिए दिल्ली प्वाईंट से मुरादाबाद मख्य डाकघर के लिए डायरेक्ट बैग प्रारम्भ किये गये हैं।

(ii) मुरादाबाद मुख्य डाकघर पर कड़ी निगरानी रखी गई है जहां वितरण हेतु प्राप्त सभी सामान्य आवक विदेशी डाक विशेष रजिस्टर में दर्ज होती है और रसीद लेकर वितरण करने हेतु पोस्टमैनों को सौंपी जाती है। पोस्टबाक्स के जरिए वितरण योग्य डाक भी संबंधित पोस्टबाक्स में डालने से पूर्व पहले विशेष रजिस्टर में दर्ज की जाती है।

(iii) इस प्रकार की डाक पर मुरादाबाद रेल डाक सेवा में भी निगरानी रखी जाती है।

जल प्रदूषण निरोध बोर्ड

3147. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ऐसे औद्योगिक एककों को काली सूची में शामिल किया गया है जिन्होंने पेय जल के स्रोतों को प्रदूषित किया है और जल प्रदूषण निरोधक बोर्ड के आदेशों का पालन नहीं किया;

(ख) क्या ऐसे मामलों की संख्या में वृद्धि हुई; और

(ग) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 और औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 और उनके अधीन जारी किए गए नियमों में पेय जल स्रोतों के प्रदूषण तथा जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण बोर्ड के आदेशों का पालन न करने के लिए औद्योगिक एककों को काली सूची में शामिल करने की व्यवस्था नहीं है।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

पोन्नानी, केरल में मत्स्य पतन

3148. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विशेष रूप से विश्व बैंक कार्मिकों की सहायता से एक विशेषज्ञ-दल द्वारा किए गए अध्ययन के इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि पोन्नानी के पश्चिम में 400 किलोमीटर की दूरी पर "वाडगे बैंक नामक स्थान पर प्रचुर मत्स्य साधन विद्यमान हैं सरकार को पोन्नानी में मत्स्य पत्तन की महत्वपूर्ण सम्भावना और आवश्यकता का पता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : जी हां। पोन्नानी में मत्स्यन पत्तन का निर्माण करने की तकनीकी संभाव्यता का पता लगाने के लिए केरल के सार्वजनिक निर्माण विभाग पीची अनुसंधान संस्थान में माडल अध्ययन किए जा रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश को कृषि उत्पादन के लिए आबंटित धनराशि

3149. श्री कृष्ण दत्त : क्या कृषि मंत्री गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश को कृषि उत्पादन के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : वर्ष 1978-79 से 1980-81 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत हिमाचल प्रदेश को आबंटित की गई धनराशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

परियोजना/योजना	आबंटित की गई धनराशि (लाख रुपए)		
	1978-79	1979-80	1980-81
1	2	3	4
(क) योजन क्षेत्र			
(1) राज्य क्षेत्र			
(क) कृषि उत्हादन	282.00	335.87	258.50
(ख) मृदा संरक्षण	61.00	89.25	85.00
(2) केन्द्रीय क्षेत्र			
(क) कृषि उत्पादन	30.17	4.17	3.25
(ख) मृदा संरक्षण	26.59	22.25	17.00
(3) आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता			
(क) कृषि उत्पादन	13.00	15.00	15.00
(ख) मृदा संरक्षण	6.00	—	—
(ख) अत्यधिक वर्षा, तथा भूस्खलन के कारण अपेक्षित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम योजना सहायता	40.00	—	—

1	2	3	4
(ग) गंभीर बर्फानी तूफानों, हिम-स्खलनों आदि के कारण अपेक्षित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए गैर-योजना केन्द्रीय सहायता	—	10.00	—
(घ) सूखा राहत	—	83.00	57.00

पौधा सुरक्षा निदेशालय के लिए हैलीकोप्टरों की खरीद

3150. **श्री नवीन रवाणी :**

श्री पी० के० कोडियन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पौधा सुरक्षा निदेशालय के लिए 13 हैलीकाप्टर खरीदने की एक योजना तैयार की गई थी और विभिन्न निर्माताओं के साथ बातचीत करने के लिए एक दल विदेश भेजा गया था ;

(ख) उक्त विदेश-यात्रा पर तथा उक्त योजना पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या बाद में उक्त इरादा छोड़ दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अब क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) कृषि मंत्रालय द्वारा गठित एक तकनीकी दल ने फरवरी, 1978 में सिफारिश की थी कि 3 वर्ष की अवधि के दौरान कृषि के कार्यों के लिए 30 हैलीकोप्टरों की आवश्यकता होगी । हैलीकोप्टरों के तकनीकी मुल्यांकन और उनकी उपयुक्तता जाँचने के लिये जुलाई/अगस्त, 1978 में एक दल विदेश भेजा गया था ।

(ख) दल के विदेश दौरे पर हुआ व्यय 66,880.40 रुपए है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

दिल्ली में कालोनियों का गिराया जाना

3151. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली की दस वर्ष पुरानी कुछ कालोनियों को गिराने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और ऐसी अनधिकृत कालोनियों के नाम क्या हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) जी, नहीं । तथापि, अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार जो मकान सड़कों के बीच में पड़ते हैं सामुदायिक सुविधाओं के लिए स्थलों आदि के मध्य बने हैं, उन पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है चाहे वे कभी बने हों ।

भेडों की संकर नस्ल तैयार करना और उसका आयात

3152. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में संकर नस्ल के पशु तैयार करने के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान विदेशों से कितनी भेडों का आयात किया गया और उन्हें किन-किन राज्यों में रखा गया है ; और

(ग) विभिन्न भेड-नस्ल सुधार केन्द्रों में इन पशुओं की संख्या बढ़ाने में भारतीय वातावरण किस हद तक सहायक सिद्ध हुआ है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) विभिन्न राज्यों में भेड़ों के संकर प्रजनन की बर्तमान स्थिति निम्नलिखित है :—

(1) श्रेष्ठ ऊन के उत्पादन के लिए जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों और अरुणाचल प्रदेश राज्यों तथा राजस्थान में चोकला तथा नाती नस्ल वाले क्षेत्रों में संकर प्रजनन कार्य किया जा रहा है । इस प्रयोजन के लिए देशी भड़ों के साथ संकर प्रजनन के लिए रूसी मेरिनो व रैम बुल्लेट तथा आस्ट्रेलियाई मेरिनो मेढ़ों का प्रयोग किया जाता है ।

(2) गलीचे में इस्तेमाल किए जाने वाले ऊन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित राज्यों में संकर प्रजनन कार्य किया जा रहा है —(क) राजस्थान (ख) पंजाब (ग) हरियाणा (घ) मध्य प्रदेश (ङ) उत्तर प्रदेश (च) गुजरात (छ) महाराष्ट्र (ज) आन्ध्र प्रदेश (झ) कर्नाटक तथा (ट) बिहार । इस प्रयोजन के लिए स्थानीय देशी भेड़ों के साथ संकर प्रजनन के लिए रूसी मेरिनो तथा कोरीडेल मेढ़ो का प्रयोग किया जाता है ।

(ख) ब्यौरा विवरण के रूप में परिशिष्ट में दिया गया है ।

(ग) मैदानी इलाकों के शुष्क क्षेत्रों में तथा पर्वतीय क्षेत्रों में जहां अच्छे चरागाह होते हैं तथा जलवायु ठण्डी होती है, मेरिनो नस्लें (अर्थात रूसी मेरिनो, रैमबुल्लेट और आस्ट्रेलियाई मेरिनो) हमारी परिस्थितियों के लिए अत्यन्त उपयुक्त होती हैं, जबकि कोरिडेल नस्ल का कार्य-निष्पादन मैदानी इलाकों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर रहा है।

विवरण

गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक देश से आयातित भेडों की संख्या तथा उन राज्यों के नाम जहां इन्हें रखा गया है।

क्रम संख्या	आयात करने का वर्ष	देश	राज्य जहां भेड रखे गए हैं।	आयातित भेडों की संख्या	भेड की नस्ल
1.	1975	रूस	उत्तर प्रदेश,	300	रूसी मेरिनो
			राजस्थान,	100	—तदैव—
			जम्मू तथा काश्मीर	220	—तदैव—
			हरियाणा	20	—तदैव—
		अमरीका	उत्तर प्रदेश	160	रैमबुल्लेट
2.	1977	रूस	राजस्थान	310	रूसी मेरिनो
			गुजरात	10	—तदैव—
		आस्ट्रेलिया	हरियाणा (भारत सरकार के फार्म के लिए)	510 (उपहार)	कोरिडेल
		आस्ट्रेलिया	जम्मू तथा काश्मीर	180	साउथ डाऊन
3.	1978	रूस	राजस्थान	787	रूसी मेरिनो
			उत्तर प्रदेश	105	—तदैव—
			अरूणाचल प्रदेश	53	—तदैव—
			गुजरात	15	—तदैव—
4.	1980	आस्ट्रेलिया	हरियाणा (भारत सरकार के फार्म के लिए)	49 (उपहार)	आस्ट्रेलियाई मेरिनो
				481 (उपहार)	कोरिडेल
			राजस्थान	9 (उपहार)	आस्ट्रेलियाई मेरिनो
			जम्मू तथा काश्मीर	39	—तदैव—
		अमरीका	जम्मू तथा काश्मीर	160	रैमबुल्लेट
			हिमाचल प्रदेश	146	—तदैव—
			उत्तर प्रदेश	215	—तदैव—

होस्टल आवास का आबंटन

3153. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अधिकारियों को बिना बारी के होस्टल आवास आबंटित किये गये हैं ;

(ख) वर्ष 1978 से जून, 1980 तक कितने अधिकारियों को होस्टल आवास आबंटित किये गये ;

(ग) वर्ष 1978-80 पूल (सामान्य) में होस्टल आवास के लिए कितने अधिकारियों ने आवेदन किया था ; और

(घ) वर्ष 1978-80 के दौरान उन व्यक्तियों/अधिकारियों/अथवा उनके आश्रितों संबंधी ब्यौरा क्या है जिन्होंने बिना बारी के आधार पर होस्टल आवास के लिए अनुरोध किया था और उनके आवेदन-पत्र किस आधार पर अस्वीकार किए गए ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां । 1-12-78 से 30-6-80 की अवधि के दौरान 80 होस्टल वास बिना बारी के आधार पर आवंटित किए गए ।

(ख) 1-12-78 से 30-6-80 तक प्रारम्भ होने वाले आबंटन वर्ष के दौरान 2741 अधिकारियों को होस्टल आवास आबंटित किए गए ।

(ग) इस अवधि में जिन अधिकारियों ने होस्टल आवास के लिए आवेदन किया उसकी संख्या 3694 है ।

(घ) उन व्यक्तिगत मामलों का या उनके आंकड़ों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता जिनमें बिना बारी के होस्टल बास के अनुरोध को अस्वीकृत किया गया था ।

गुजरात कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान

3154. **श्री अहमद एम० पटेल :**

अमरसिंह वी० राव्वा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात कृषि विश्वविद्यालय को उसकी स्थापना से अब तक कितना अनुदान दिया गया है;

(ख) वर्ष 1979-80 और 1980-81 के लिए क्या बजट प्रावधान किया गया है;

(ग) इसके अन्तर्गत संचालित कैम्पसों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन कैम्पसों का विकास करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) अनुसन्धान, शिक्षा तथा विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए, 1972 में इसकी स्थापना से गुजरात कृषि विश्व-विद्यालय को भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा 624.35 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

(ख) बजट प्रावधान :

1979-80	...	रु० 1,61,75,398
1980-81	...	रु० 1,53,02,752

(ग) विश्वविद्यालय के चार प्रमुख परिसर (i) दंतीवाड़ा (ii) आनन्द (iii) जूनागढ़ तथा (iv) नवसारी में हैं और दंतीवाड़ा में विश्वविद्यालय का मुख्यालय है।

(घ) निम्नलिखित योजनाओं के द्वारा इन परिसरों के विकास हेतु भारत सरकार भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के माध्यम से सहायता दे रही है :

1. **कृषि विश्वविद्यालय विकास योजना** : परिसरों के विकास के लिए इस योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय भवनों, प्रयोगशालाओं, कर्मचारियों के आवासों, फार्म तथा उपकरणों शेडों, विद्यार्थियों के छात्रावासों, प्रशिक्षण फार्मों आदि के विकास आदि लिए सहायता दी जाती है। परिषद समय-समय पर इसकी वित्तीय आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय में निरीक्षण दल भेजती है तथा इस दल की सिफारिशों के आधार पर निधि दी जाती है। उपरोक्त सहायता की उपयोगिता की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(2) **राष्ट्रीय कृषि अनुसन्धान प्रायोजना** : विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अनुसन्धान क्षमताओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न परिसरों तथा अनुसन्धान केन्द्रों पर अनुसन्धान संरचना-आधार के विकास के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

(3) **कृषि विज्ञान केन्द्र** : दंतीवाड़ा परिसर के निकट पहले ही एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किया जा चुका है। आनन्द में दूसरा कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(4) इसके अतिरिक्त, कई समन्वित प्रायोजनाएं, तदर्थ अनुसन्धान योजनाएं राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम, परिचालन अनुसन्धान प्रायोजनाएं तथा प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों में चालू हैं।

भारत में जल प्रदूषण

3155. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के 142 बड़े नगर 14 मुख्य नदियों के जल को प्रदूषित कर रहे हैं और यदि हां, तो ऐसी नदियों के नाम क्या है और इन नदियों के किनारों पर इन नगरों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि 700 करोड़ लीटर गन्दा जल इन नदियों में फेंका जाता है और यदि हां, तो इस को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण बोर्ड द्वारा 1974 में बनाए गए नियमों के आधार पर गंदे पानी के नदियों में गिरने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने हैं और अब तक क्या कदम कार्यान्वित किए गए हैं।

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हाँ। नदियां और उनके किनारों पर बसे शहरों का विवरण संलग्न हैं।

(ख) जी हां। जल प्रदूषण का निवारण तथा नियन्त्रण की दृष्टि से और जल की देख-रेख/शुद्धता को बनाये रखने के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 बनाया गया। उपर्युक्त उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने इस अधिनियम के सम्बन्धों के अन्तर्गत क्रमश: जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण का केन्द्रीय बोर्ड और जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण के राज्य बोर्डों की स्थापना की हैं।

(ग) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी भी व्यक्ति को प्रदूषित पदार्थ के निपटान के लिए नदी व कुएं का प्रयोग करना वर्जित है। राज्य बोर्डों के द्वारा स्थानीय निकायों को प्रदूषित जल को जलाशयों में विसर्जन करने से पूर्व शोध करने के लिए शोधन संयंत्रों को लगाने के लिए राजी किया जा रहा है।

विवरण

नदियों और उनकी सहायक नदियों के किनारों पर प्रथम श्रेणी के शहरों की सूची

1.	**ब्रह्मपुत्र** (1)			थंजावूर	(तमिलनाडु)
	गोहाटी	(असम)		तीरुपुर	,,
2.	**ब्रह्मणी** (1)			कुम्बाकोनम	,,
	राऊरकेला	(उड़ीसा)		सिगानाल्लुर	,,
3.	**कावेरी** (8)			इरोदे	,,
	मैसूर	(कर्नाटक)	4.	**गंगा** (25)	
	कोयम्बतूर	(तमिलनाडु)		आसनसोल	(पश्चिम बंगाल)
	त्रिचनापल्ली	(तमिलनाडु)		बर्दवान	,,

	कलकत्ता	(पश्चिम बंगाल)
	दुर्गापुर	
	खड़गपुर	,,
	आगरा	(उत्तर प्रदेश)
	इलाहाबाद	,,
	कानपुर	,,
	लखनऊ	,,
	वाराणसी	,,
	झांसी	,,
	मथुरा	,,
	फिरोजाबाद	,,
	मिर्जापुर	,,
	सहारनपुर	,,
	गाजियाबाद	,,
	दिल्ली	
	कोटा	(राजस्थान)
	छपरा	(बिहार)
	गया	,,
	भागलपुर	,,
	दरभंगा	,,
	मुंगेर	,,
	इन्दौर	(मध्य प्रदेश)
	उज्जैन	,,
5.	गोदावरी (3)	
	नासिक	(महाराष्ट्र)
	नन्देद	,,
	निजामाबाद	(आन्ध्र प्रदेश)
6.	इंडस (3)	
	श्रीनगर	(जम्मू व काश्मीर)
	जम्मू	
	लुधियाना	(पंजाब)
7.	कृष्णा (9)	
	पुणे	(महाराष्ट्र)
	कोलाहपुर	,,
	सांगली	,,
	बेल्लारी	(कर्नाटक)
	हैदराबाद	(आन्ध्र प्रदेश)
	विजयवाड़ा	,,
	कुरनूल	,,
	मचलीपटनम	,,
	तेनाली	,,
8.	महानदी (2)	
	भुबनेश्वर	(उड़ीसा)
	कटक	,,
9.	महि (1)	
	बड़ौदा	(गुजरात)
10.	नर्बदा (1)	
	जबलपुर	(मध्य प्रदेश)
11.	पन्नार (1)	
	नेल्लोर	(आन्ध्र प्रदेश)
12.	साबरमती (1)	
	अहमदाबाद	(गुजरात)
13.	सुबपरिखर (2)	
	जमशेदपुर	(गुजरात)
	रांची	,,
14.	तापती (3)	
	जलगांव	(महाराष्ट्र)
	सूरत	(गुजरात)
	बरहनपुर	(मध्य प्रदेश)

1979-80 के दौरान ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए आबंटन

3156. **श्री के० पी० सिंह देव :**

श्री गिरिधर गोमांगो : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979-80 के दौरान ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई और उसके राज्य-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) उड़ीसा सरकार द्वारा कौनसी योजनाएं प्रायोजित की गई हैं और प्रत्येक के लिए कितना आबंटन किया गया है; और

(ग) आबंटित धनराशि में से कितनी राशि का उपयोग किया जा सका और शेष राशि का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) से (ग) मंत्रालय की अधिक महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में सूचना विवरणों के रूप में संलग्न है ।

(ग्रन्थालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० —1039/80)

इसमें उड़ीसा से सम्बन्धित स्थिति भी दर्शायी गई है । उड़ीसा सरकार द्वारा कोई विशेष योजना प्रायोजित नहीं की है ।

तम्बाकू का उत्पादन और उसका मूल्य

3157. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मई, 1980 तक हुए **तम्बाकू** के उत्पादन का ब्यौरा **क्या है** ; और

(ख) इस वर्ष जनवरी, फरवरी, मार्च तथा अप्रैल में, गत वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में, तम्बाकू के मूल्य क्या थे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) अभी वर्ष 1979-80 के लिए तम्बाकू के उत्पादन के अनुमान राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) जनवरी, फरवरी, मार्च तथा अप्रैल, 1980 की अवधि के सम्बन्ध में तथा गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के सम्बन्ध में तम्बाकू के थोक मूल्यों के सूचकांक निम्नलिखित विवरण में दिए गए हैं :

कच्चे तम्बाकू के थोक मूल्यों के सूचकांक :

(आधार वर्ष 1970-71 = 100)

माह	1979	1980
जनवरी	166.3	164.7
फरवरी	173.3	174.4
मार्च	176.0	164.6
अप्रैल	175.8	156.2

केरल में समेकित ग्रामीण विकास के अन्तर्गत अस्थायी मकानों (हटमेन्ट) में रहने वालों को सुविधाएं

3158. **श्री स्कारिया थामस :** क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अस्थायी मकानों में रहने वालों को समेकित ग्रामीण विकास के अन्तर्गत सुविधाएं प्रदान करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) क्या केरल सरकार ने इस बारे में केन्द्र से और अधिक धनराशि के आबंटन की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है और केन्द्र द्वारा कितनी राशि मंजूर की गई है अथवा किए जाने की संभावना है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव): (क) जी नही । केरल सरकार के पास समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अस्थायी मकानों में रहने वालों को सुविधाए सुलभ करने के लिए अलग से कोई योजना नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठाता ।

दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों में जल निकास व्यवस्था

3159. **श्री चन्द्रपाल शैलानी :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की अधिकांश अनधिकृत बस्तियों में जलनिकास व्यवस्था न होने के कारण गन्दे पानी के बाहर निकलने की गहन समस्या है ;

(ख) क्या इस तरह पानी जमा रहने से अनेक बीमारियाँ फैलती हैं और इन बस्तियों के निवासियों में व्यक्तिगत वैर-भाव उत्पन्न होता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ऐसी बस्तियों, विशेषकर दुर्गापुरी, जगजीवन नगर, लोनी रोड और शाहदरा, दिल्ली में नालियों का निर्माण करके इस समस्या को कब हल करेगी ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) जी, हां । दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जलपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि ऐसी समस्याएं अनधिकृत कालोनियों में होनी अवश्यभावी है क्योंकि ये अनधिकृत तथा अनियोजित रूप से बनी है जिनमें भूमि, सेवाओं और नागरिक सुविधाओं का समुचित तथा उपयुक्त रूप से विकास नहीं किया गया है ।

(ग) लोनी रोड़ शाहदरा के साथ साथ दुर्गापुरी और जगजीवन नगर जैसे क्षेत्रों के बरसाती पानी की समस्या का समाधान करने के लिए ज्योति नगर नाला नामक सहायक नाले का निर्माण दिल्ली जलपूर्ति तथा मल व्ययन सस्थान द्वारा किया जा रहा है और इस कार्य के एक वर्ष में पूरा होने की सम्भावना है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पूर्ण विकास केवल तभी संम्भव है जबकि सम्बंधित कालोनी का विन्यास नक्शे का अनुमोदन हो जाए और विकास प्रभार एकत्र हो जायें।

लघु सिंचाई के लिए छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए राजसहायता

3160. **श्री के० मालन्ना** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु सिंचाई के विकास के लिए छोटे तथा सीमान्त किसान राज सहायता तथा अन्य सुविधायें पाने के पात्र हैं ;

(ख) क्या उक्त राज सहायता पाने के लिए किसानों तथा उसकी जोतों का कोई वर्गीकरण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) एक नोट संलग्न है।

नोट

निम्नलिखित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत व्यक्तिगत और सामुदायिक लघु सिंचाई निर्माण कार्यों के लिए छोटे किसानों तथा सीमान्त किसानों को लघु सिंचाई के लिए उपदान :—

क्र० सं०	योजना का नाम	उपदान की दर	निर्धारित भूमि जोतें
1.	लघु कृषक विकास एजेंसी	**(क) व्यक्तिगत निर्माण-कार्यों के लिए :** 25 प्रतिशत छोटे किसान, 33.1/3 प्रतिशत सीमान्त किसान ।	**छोटे किसान :** शुष्क भूमि के 2 हैक्टेयर अथवा उससे कम की भूमि जोतों वाले काश्तकार को छोटा किसान माना जाता है । राज्य भूमि अधिकतम सीमा कानून में परिभाषित श्रेणी-1 को सिंचित भूमि के मामले में अधिकतम सीमा 1 हैक्टेयर होगी । जहां भूमि सिंचित है, किन्तु वह श्रेणी-1 की किस्म नहीं है, वहां राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त परिवर्तन अनुपात अपनाया जा सकता है ।
2.	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम क्षेत्रों के अलावा खण्डों में समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम	**(ख) सामुदायिक निर्माण कार्यों के लिए :** छोटे तथा सीमान्त किसानों में विभाज्य लागत का 50 प्रतिशत ।	
3.	कमाण्ड क्षेत्र विकास		
4.	विशेष कार्यक्रम क्षेत्रों के बाहर लघु किसानों/ सामान्त किसानों को उपदान		**सीमान्त किसान :** एक हैक्टेयर अथवा उससे कम की भूमि (शुष्क भूमि) जोतों वाले काश्तकार को सीमान्त किसान कहा जाता है । श्रेणी-1 को सिंचित भूमि के मामले में अधिकतम सीमा 1/2 हैक्टेयर होगी ।
5.	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम खण्डों में समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम	—यथोपरि—	चूंकि परिस्थितिक कारणों से इन क्षेत्रों की भूमि कम सम्पन्न है, अतः क्षेत्रों के अनुसार थोड़ी अधिक उदार परिभाषा अपनायी गई है । शुष्क भूमि के मामले में छोटे किसान हेतु निर्धारित भूमि जोतें 2 से 10 हैक्टेयर के बीच होती है तथा सिंचित भूमि के मामले में 1 से 1 50 हैक्टेयर के बीच होती है । सीमान्त किसानों के लिए निर्धारित भूमि जोतें शुष्क भूमि के मामले में 1 से 5 हैक्टेयर के बीच तथा सिंचित भूमि के मामले में 0.50 हैक्टेयर से 0.75 हैक्टेयर होती हैं ।

उपर्युक्त के अलावा, विभिन्न लघु सिंचाई निर्माण-कार्यों के लिए राज्य सरकारें भी उपदान सुलभ कर रही हैं। उपदान का प्रतिमान और धनराशि हरेक राज्य में अलग-अलग है ।

गुजरात के आदिवासी क्षेत्र में निरक्षरता

3161. **श्री अमर सिंह बी० राठवा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य के आदिवासी क्षेत्र में निरक्षर लोगों की संख्या बहुत अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो देश से इस बुराई को दूर करने के लिये उस क्षेत्र में और प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हाँ ।

(ख) जनजातीय क्षेत्र की उप-योजना (1974-79) के अनुसार, राज्य सरकार की गुजरात राज्य के आदिवासी क्षेत्र में नए प्राथमिक स्कूल खोलने की एक योजना है ।

गंगा जल का प्रदूषण

3162. **श्री के० लकप्पा** :

श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा ; क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगा नदी में शवों और अधजले शवों के पानी में होने के कारण गंगा जल दूषित हो गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रदूषण की रोक-थाम के लिए सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) यद्यपि, शवों और अर्ध जले शवों से गंगा नदी में हो रहे प्रदूषण की मात्रा को अभी तक मापा नहीं गया है तथापि इन दो कारणों से प्रदूषण की मात्रा नगण्य है ।

(ख) देश में जल के प्रदूषण के निवारण तथा नियन्त्रण और जल की शुद्धता बनाये रखने और बहाल करने की दृष्टि से भारत सरकार ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 बनाया है । अधिनियम के प्रावधानों के अधीन केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने के लिए एक अपेक्षत निकाय के रूप में जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण का केन्द्रीय बोर्ड और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में राज्य बोर्डों की स्थापना की है । इसी प्रकार, जल प्रदूषण के निवारण तथा नियन्त्रण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने भी राज्य बोर्डों की स्थापना की है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावास

श्री कुंवर राम : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

यदि कोई सामाजिक संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण करता है तो ऐसे मामलों में सहायता का प्रतिमान क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानंद) : शिक्षा मंत्रालय की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु सहायता दी जाती है। तथापि, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की छात्राओं के छात्रावासों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा संचलित केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है। उनकी योजना के अर्न्गत जहां तक स्वैच्छिक भवनों का सम्बन्ध है, वित्तीय सहायता केवल मौजूदा छात्रावासों में वृद्धि/विस्तार करने के लिए ही दी जाती है। संगठनों को योजना की कुल अनुमोदित लागत की 10% राशि देनी होती है।

सम्बलपुर के मानव चालित एक्सचेंज को स्वचालित एक्सचेंज में बदलना

3164. **डा० कृपासिंधु भाई** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बलपुर के वर्तमान मानवचालित टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित एक्सचेंज में बदलने का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य-क्रम के पूरा होने का निर्धारित समय क्या है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : **(क) और (ख)** सम्बलपुर में एक स्वचल एक्सचेंज संस्थापित करने का अनुमोदन सिद्धांत रूप से कर दिया गया है। तथापि, इस प्रयोजन के लिए वांछित उपस्कर का आबंटन करना संभव नहीं हो सका है क्योंकि देश में इस प्रकार के उपस्कर सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। स्वचल एक्सचेंज उपस्कर की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के अनेकों तरीके अपनाये जा रहे हैं।

इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। आशा की जाती है कि लगभग 1984 तक सम्बलपुर एक्सचेंज को स्वचल एक्सचेंज में बदल दिया जाएगा।

डाक-तार कर्मचारियों को वर्दी सप्लाई करने के बारे में समिति

3165. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक-तार विभाग ने डाक-तार कर्मचारियों की वर्दियाँ सप्लाई करने सम्बन्धी पूरे मामले की जाँच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारी संघों उपरोक्त समिति में कर्मचारियों का प्रतिनिधि सम्मिलित करने की मांग की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) डाक-तार बोर्ड ने वर्दियों के लिये कपड़े की किस्म और गुणवत्ता में परिवर्तन करने, वर्दियों का रंग निर्धारित करने, आधा दर्जन या इससे अधिक मापों का मानकीकरण करने, ऐसी वर्दियों की सप्लाई की अवधि निर्धारित करने तथा अन्य सम्बन्धित ब्यौरों से सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार करने के लिए विभागीय अधिकारियों का एक कार्यकारी ग्रुप नियुक्त किया है।

(ख) और (ग) संयुक्त सलाहकार तंत्र (डाक-तार) की विभागीय परिषद् द्वारा गठित वर्दी समिति की हाल में हुई बैठक में कर्मचारी पक्ष ने यह इच्छा व्यक्त की कि उनके एक प्रतिनिधि को भी कार्यकारी ग्रुप के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए। उनको सूचित किया गया कि वे अपने विचार कार्यकारी ग्रुप के समक्ष रखें और ग्रुप द्वारा उस पर यथोचित विचार किया जाएगा।

जम्मू और काश्मीर राज्य में पीने का पानी

3166. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर राज्य के अनेक गांवों में अभी तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे कितने गांव अभी तक शेष हैं, जहां अब तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई ऋण और सहायता प्रदान नहीं की है ;

(घ) क्या राज्य सरकार ने इसके लिए कोई योजना तैयार की थी और केन्द्र सरकार से इस प्रायोजन के लिए धन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था ; और

(ङ) यदि हाँ, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार इसके लिए क्या प्रावधान कर रही है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) 1-4-1980 को 5175

(ग) जी, नहीं। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति योजना के अन्तर्गत, जो सहायता अनुदान राज्य सरकार को दी गई थी, वह इस प्रकार है :—

वर्ष	लाख रुपयों में
1977-78	152.80
1978-79	200.00
1979-80	182.05

(घ) तथा (ङ) राज्य सरकार ने एक योजना तैयार की है। पेयजल की पूर्ति की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और राज्य क्षेत्र में इस प्रयोजन के लिए निधियों की व्यवस्था की जाती है। समस्याग्रस्त गांवों में शीघ्रतापूर्वक पानी की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार के संसाधनों की प्रतिपूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है। त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 के लिए राज्यवार केन्द्रीय सहायता का नियतन अभी अन्तिम रूप से नहीं किया गया है। छटी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इसके प्रावधान को भी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

समाज सुरक्षा बानिकी योजना

3167. **श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में समाज सुरक्षा बानिकी योजना आरम्भ की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना किन राज्यों में आरम्भ की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता। तथापि गुजरात राज्य में "वृक्षारोपण के माध्यम से समाज सुरक्षा" नामक एक योजना प्रयोगात्मक आधार पर छोटे पैमाने पर क्रियान्वित हो रही है।

बेहतर किस्म के चूजों का पालन करने के लिए उनका आयात

3168. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसा क्यों है कि प्रतिवर्ष बेहतर नस्ल के कहे जाने वाले 20 लाख रुपये के मूल्य के चूजों का आयात किया जा रहा है और इनके वास्ते टीके खरीदने के लिए 10 लाख रुपये की धनराशि विदेशों को भेजी जा रही है;

(ख) क्या विदेशों से बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा इस देश को सप्लाई किए जाने वाले नर और मादा चूजे निरपवाद रूप से ऐसी भिन्न नस्लों के होते हैं जिनसे हमारे लिए यह सम्भव नहीं होता कि बेहतर किस्म के चूजों की नस्ल प्राप्त की जा सके; और

(ग) अन्य तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। प्रतिवर्ष 20 लाख रुपये के मूल्य के कुक्कुट आयात नहीं किये जाते हैं। 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान क्रमश: 4 लाख रुपये तथा 0·24 लाख रुपये के मूल्य के कुक्कुट आयात किये गये थे। 1979-80 के दौरान (जून, 1979 तक) 11·09 लाख रुपये के मूल्य के कुक्कुट आयात किये गये थे। देश में कुक्कुट उद्योग के विकास के लिए बढ़िया किस्म के चूजों के आयात की अनुमति देना आवश्यक था, क्योंकि बढ़िया किस्म के विदेशी चूजे प्रतिवर्ष लगभग 220 से लेकर 260 तक अण्डे देते हैं, जबकि देशी नस्ल के चूजे प्रतिवर्ष 60 से 100 अण्डे देते हैं। कुक्कुटों के लिए केवल उन्हीं टीकों के आयात करने की अनुमति है जो भारत में विनिर्मित नहीं किये जाते हैं। इन टीकों का न केवल आयातित नस्ल के कुक्कुटों की रक्षा के लिये ही प्रयोग किया जाता है, बल्कि देश में पैदा किये गये वाणिज्यिक नस्ल के कुक्कुटों की रक्षा के लिये भी उपयोग किया जाता है।

(ख) तथा (ग) जी हां। आरम्भ में, देश में वाणिज्यिक कुक्कुट फार्मिंग के विकास के लिये विदेश से आयातित कुक्कुटों की नस्ल (मूल कुक्कुट/प्रजनक नस्ल) में नर निरपवाद रूप से एक विशेष नस्ल के तथा मादा दूसरी विशेष नस्ल की होती थीं। इस प्रकार उस नस्ल का पुनर्संवर्धन करना कठिन हो जाता था। अत: भारतीय फार्मों को, प्रजनक नस्ल के कुक्कुटों की सप्लाई करने के लिए नियमित अन्तरालों पर बदलने पर निर्भर रहना पड़ा। विदेशी प्रजनक फार्मों पर निर्भरता के खतरे को ध्यान में रखते हुए देश में ही उपयुक्त प्रजनक नस्लों के विकास के लिये सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में अवसरचना एवं तकनीकी जानकारी के विकास के लिये आवश्यक कदम उठाये गये थे। इस उपाय के कारण अच्छी कोटि की स्वदेशी नस्ल विकसित करना सम्भव हो सका है। देश में ही अच्छी कोटि के चूजों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये सरकार ने 1980-81 से मूल नस्ल के कुक्कुटों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तथापि, जहां देश के अन्दर पुनरुत्पादन के लिए एक ही प्रकार के नर एवं मादा दोनों की सप्लाई की जाती है, सरकार द्वारा वास्तविक प्रजनकों की शुद्ध नस्ल के प्रजनक कुक्कुटों का आयात करने की अनुमति दी गई है ताकि विदेशों पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति को समाप्त किया जा सके।

असम के कृषि विकास के बारे में खाका (ब्लू प्रिन्ट)

3169 **श्री जगदीश टाइटलर** : **क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री बहादुरी की अध्यक्षता वाले एक अध्ययन दल ने असम के कृषि विकास के बारे में कोई खाका भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) सरकार को श्री बहादुरी की अध्यक्षता में किसी अध्ययन के दल द्वारा असम के कृषि विकास के बारे में किसी खाके के प्रस्तुत किये जाने की जानकारी नहीं है। तथापि, कृषि मन्त्रालय ने इस वर्ष मार्च में एक

केन्द्रीय कृतिक बल का गठन किया है, जो असम में कृषि विकास की समस्या पर विचार करेगा, कठिनाइयों का पता लगाएगा तथा उनसे निपटने के लिये उपाय सुझायेगा । कृषि और सहकारिता विभाग के अपर सचिव श्री पी० आर० दुभाषी की अध्यक्षता में इस कृतिक बल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।

(ख) कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट के एक भाग के रूप में एक कार्य योजना तैयार की है, जो राज्य में कृषि विकास के निम्नांकित पहलुओं से सम्बन्धित है :

(1) प्रशासन सम्बन्धी संगठन को तेज करना ;

(2) सस्य प्रतिमान परिवर्तन करने तथा विस्तार और आदानों के कार्य का समर्थन करने की नीति ;

(3) उर्वरक की खपत में वृद्धि ;

(4) वनस्पति रक्षण संयंत्र का सुदृढ़ीकरण ;

(5) सिंचाई का विकास, जिसमें भूमिगत जल संसाधनों का उपयोग तथा कमान क्षेत्र विकास का कार्य भी शामिल है ;

(6) जल के प्रभावी उपयोग के लिये ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर बहु-उद्देशीय भण्डारण परियोजनाओं का निर्माण;

(7) बाढ़ नियन्त्रण ;

(8) असम में ग्रामीण विद्युतीकरण ;

(9) कृषि उत्पाद के विपणन, परिसंस्करण और भण्डारण जैसी फसल की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी का विकास;

(10) कृषि ऋण की सप्लाई के लिये एजेन्सियों को सुदृढ़ करना;

(11) पशुधन ओर मात्स्यिकी का विकास;

(12) झूम खेती का नियन्त्रण;

(13) बागवानी विकास;

(14) वानिकी विकास;

(15) ग्राम विकास कार्यक्रम;

(16) परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार ।

केन्द्रीय कृतिक बल द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिये केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा पहले ही कार्यवाही शुरू की जा चुकी है ।

टी० ई० एस० ग्रुप 'बी' में पदोन्नति के लिए कंसीडरेशन जोन

3170. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी० ई० एस० ग्रुप 'बी' में पदोन्नति के लिए 1978-79 में हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में कंसीडरेशन जोन कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्धारित पैनल का पांच से छः गुना रखा गया था;

(ख) क्या इस विभागीय पदोन्नति समिति के लिए पात्र जूनियर इन्जीनियर वांछित संख्या में उपलब्ध थे ;

(ग) क्या जोन के आकार में कमी के कारण अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के पदोन्नति के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा; और

(घ) यदि हां, तो जोन घटाए जाने के क्या कारण हैं जिनके फलस्वरूप अनुसूचित जन-जातियों को बड़ा नुकसान हुआ और इस मामले में सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) कंसीडरेशन जोन सामान्यतः पैनल का पांच से छः गुणा रखा गया है। तथापि, अन्य प्रशासनिक बातों का भी इसमें ध्यान रखा जाता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) नियमों में यह प्रावधान है कि कंसीडरेशन जोन के सभी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को तथा यदि उन्हें अयोग्य नहीं समझा गया हो तो उनके लिए आरक्षित प्रतिशत तक उन्हें चुनी गई सूची के अन्तर्गत शामिल किया जाना चाहिए। चर्चाधीन विभागीय पदोन्नति समिति की चुनी गई सूची में सभी अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोका के अन्तर्गत क्षेत्र और इसका उत्पादन

3171. **श्री ए० ए० रहीम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान विभिन्न राज्यों में राज्यवार, कुल कितने क्षेत्र में कोका की खेती होती है और कोका का वार्षिक उत्पादन क्या है ;

(ख) क्या सभी क्षेत्रों में खेती में तेजी से विस्तार को देखते हुए कोका के उत्पादन में वृद्धि करने पर विचार किया जा रहा है ;

(ग) क्या प्राक्कलिक बढ़े हुए उत्पादन को ध्यान में रखते हुए उत्पादकों के लिए उसके मूल्य में कोई वृद्धि की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) विभिन्न राज्यों में कोका के क्षेत्र तथा उत्पादन के बारे में सरकारी अनुमानों का संकलन नहीं किया जा रहा है। फिर भी, मोटे अनुमान के अनुसार, वर्ष 1979 के दौरान कोका का कुल क्षेत्र तथा उत्पादन क्रमशः लगभग 13,000 हैक्टार तथा 1,000 मीटरीटन कोका की फलियां था।

(ख) भविष्य में कोका के तहत बढ़ाये जाने वाले क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई निश्चित अनुमान नहीं है, फिर भी, वर्तमान बागानों की क्षमता बढ़ने के साथ कोका का उत्पादन बढ़ने की संभावना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा गरीब किसानों के लिए फार्म-अनुसंधान

3172. **श्री आर० आर० भोले** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने गरीब और सीमान्त किसानों के लाभ के लिए कोई कार्य-अनुसधान सम्बन्धी कार्य किया है;

(ख) क्या किसी अनुसन्धान से गरीब किसान कम लागत पर अनाज की अधिक फसल ले सकता है; और

(ग) क्या वैज्ञानिक टीम-भावना से कार्य कर रहे हैं और क्या उन्हें गरीब किसानों के हित के लिए उचित कार्मिक नीतियों द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां, श्रीमान। भा० कृ० अ० प० द्वारा की गई अधिकांश अनुसंधान श्रेणी के हिसाब से मुक्त है और छोटे तथा सीमान्त किसानों को लाभ पहुंचाती है। विभिन्न फसलों की सुधरी तथा अधिक उपज देने वाली बहु संख्य प्रजातियों को विकसित किया गया है। नई उत्पादन प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों का विकास किया गया है जिनमें से कुछ स्वभावतः ऐसी हैं जिनपर खर्च नहीं होता या बहुत कम खर्च होता है जैसे कि सुधरे बीज, बोने का उपयुक्त समय, फासले की सही व्यवस्था, गहराई और नमी तथा फसल को सही खड़ी रखने के लिए बीज का उपयुक्त दर दालों की फसलों में राईजोबियल कल्चर से बीज उपचार; चावल की खेती में एजोला लगाना; मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का सही और समय पर उपयोग और बाजरे की दालों और तिलहनों के साथ मिश्रित खेती आदि।

शुष्क कृषि पर अनुसंधान का स्पष्ट लक्ष्य गरीब और सीमान्त किसान है। अत्यन्त प्रासंगिक शुष्क कृषि का विकास किया गया है जो शुष्क कृषि दशाओं में सार्थक रूप से उत्पादन वृद्धि में सहायक हो सकती हैं। परीक्षणों से यह पता चला है कि पर्याप्त जल भण्डारण और कठिनाई के समय में फसल को एक ही बार सिंचित करने से उपज महत्वपूर्ण रूप से बढ़ती है।

विश्व बैंक की सहायता से हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना का विशेष बल बारानी फसलों पर है—विशेषकर खाद्यान्नों, दालों और तिलहनों तथा पिछड़े/जनजातिय क्षेत्र/परिषद छोटे किसानों में मिश्रित खेती को शामिल करके रोजगार प्रदान करने तथा आय बढ़ाने के लिए इस प्रायोजना का कार्यक्षेत्र बढ़ाने की योजना बना रही है।

कृषि विश्वविद्यालयों/भा० कृ० अ० प० अनुसंधान संस्थानों/समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं आदि द्वारा किये गये अनुसंधानों के निष्कर्ष, अपनाये जाने के लिए जारी होने के पूर्व किसानों के खेतों में उनकी उपयुक्तता, आर्थिक सुदृढ़ता और स्वीकार्यता के लिए जांचे जाते हैं। परिषद द्वारा कार्यान्वित किये गए राष्ट्रीय प्रदर्शनों का भी उद्देश्य अनुसंधान निष्कर्षों/प्रौद्योगिकियों को किसानों तक ले जाना है। परिषद द्वारा शुरू की गई परिचालन अनुसंधान प्रोयोजनाएं एक अन्य ऐसा उदाहरण हैं जहां भा० कृ० अ० प० किसानों के खेतों में परिचालन की समस्याओं पर अनुसंधान चलाती है।

पशु उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से, अधिक दुग्ध उत्पादन युक्त पशुओं की सुधरी संकर नस्लें (प्रति ब्यांत 3000 लीटर), मुर्गियों की अधिक अण्डे देने वाली नस्लें (240 अण्डे प्रतिवर्ष) और संकर भेड़ें विकसित की गई हैं जिनसे छोटे किसान लाभ उठा सकते हैं। पशुओं को खिलाने वाले आहार पर लागत घटाने के लिए कृषि उपोत्पादनों में से पशुओं के लिए कम खर्चीला आहार विकसित किया गया है।

परिषद द्वारा वर्ष 1979 में "प्रयोगशाला से खेत तक" शीर्षक कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी को प्रयोगशाला से किसान के खेत तक ले जाने के लिए विशेषकर छोटे और सीमान्त किसानों, जनजातीय किसानों तथा समाज के कमजोर वर्गों से आने वाले किसानों के 50,000 परिवारों के लिए भारी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान। केवल वही अनुसंधान प्रौद्योगिकी किसानों को अपनाने के लिए दी जाती है जो निवेश-उत्पादन अनुपात के आधार पर उपयुक्त पायी जाए जिससे कि उत्पादन से प्राप्त आय निवेश की लागत से अधिक हो और लाभ की दर स्पष्ट हो।

विगत 15 वर्षों के दौरान भा०कृ०अ०प० के प्रमुख अनुसंधान प्रयास गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का और बाजरा जैसी खाद्य फसलों के सुधार की ओर रहे हैं। अधिक उपज देने वाली अनेक नस्लें विकसित की गयी हैं। इनमें से अनेकों को छोटे और सीमान्त किसानों ने अपनाया है। अधिक उपज देने की क्षमता के अलावा इन नस्लों में अन्दरूनी तौर पर रोगों और कीट-व्याधियों के प्रति रोधिता पायी जाती है। इस प्रकार से, ये छोटे और सीमान्त किसानों को अपेक्षतया कम लागत से अधिक उपज प्राप्त हो जाने का विशेष लाभ प्रदान करती हैं।

(ग) जी हाँ, श्रीमान । भा०कृ०अ०प० के संस्थानों और अखिल भारतीय समन्वित फसल सुधार प्रायोजनाओं में की गयी अनुसंधान समस्या मूलक हैं और इनमें बहु-शाखा टीम भावना निहित है जहां अनेक शाखाओं के विज्ञानी किसी स्वीकृत अनुसंधान कार्यक्रम की योजना बनाने और उसे चलाने के लिए टीम भावना से एक साथ मिल कर कार्य करते हैं। इससे बेहतरीन अनुसंधान निष्कर्ष के लिए उपलब्ध मेधा के अधिकतम उपयोग करने में सहायता मिलती है।

अपनी आजीविका के नियोजन, व्यवस्था और विकास की प्रभावी प्रणाली सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक कृषि अनुसंधान सेवा का गठन किया है। इसमें विज्ञानियों की बिना उनके विस्थापन के पदोन्नति के लिए पंच वर्षीय मूल्यांकन की सार्थक विशेषता है। वे अपनी रुचि की समस्या पर और अपनी विशेषता के क्षेत्र में, कार्य करना जारी रखते हैं। दूर-दराज के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में जहां अनेक कठिनाइयां हैं, उनमें किये जाने वाले कार्य की सम्पूर्ति के लिए उन्हें उपयुक्त प्रोत्साहन दिये जाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि विज्ञान और पशु विज्ञान के क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्रों में असाधारण अनुसंधान के लिए फखरूद्दीन अली अहमद के नाम पर रु० 10,000/—प्रत्येक के दो द्विवर्षीय पुरस्कार स्थापित किये हैं।

उर्वरकों के मूल्य में कमी

3173. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि के बारे में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का है;

(ख) किसानों को सरकार द्वारा किस प्रकार की राहत देने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस बारे में कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 8 जून, 1980 से उर्वरकों के बढ़ाए गए मूल्यों के बारे में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करने के सम्बन्ध में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तथा (ग) कृषि मूल्य आयोग से खरीफ, 1980 से आरम्भ होने वाली फसलों के समर्थन/अधिप्राप्ति मूल्यों में समुचित वृद्धि की सिफारिश करने का अनुरोध किया गया है ताकि कृषकों को उर्वरकों के वर्धित मूल्यों की प्रति पूर्ति की जा सके। सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के छोटे एवं सीमांत कृषकों को इस समय उर्वरकों, उपलब्ध राज सहायता चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भी जारी रखी जाएगी। उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि तथा कृषकों को ऋण की कमी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक से कृषकों के लिए पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

कर्नाटक को केन्द्रीय आवास सहायता

3174. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक राज्य में आवास निर्माण प्रयोजनों के लिए (एक) कर्नाटक राज्य आवास मण्डल, (दो) बंगलौर विकास प्राधिकरण, (तीन) सहकारी आवास-निर्माण निगम, (चार) अन्य एजेन्सियों को कितनी-कितनी धन-राशि दी थीं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन संस्थाओं द्वारा कितनी धनराशि निकलवाई गई और उपयोग में लाई गई ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) : राज्य सरकारों के पृथक-पृथक निष्पादन आवास अभिकरणों को सीधे ही केन्द्रीय वित्तीय सहायता नहीं दी जाती। तथापि आवास तथा नगर विकास निगम ने कर्नाटक में विभिन्न अभिकरणों को ऋण स्वीकृत किये थे जो इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

	1978-79	1979-80
(i) कर्नाटक राज्य आवास बोर्ड	58	559
(ii) बंगलौर विकास प्राधिकरण	38	—
(iii) सहकारी गृह निर्माण निगम	—	—
(iv) अन्य अभिकरण	389	86
	485	645

उपर्युक्त अभिकरणों द्वारा लिये गये हुड़को के ऋणों की राशि इस प्रकार है :—

वर्ष	(लाख रुपयों में)
1978-79	780
1979-80	420
	1200

दिल्ली टेलीफोन में तदर्थ पदोन्नति में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कोटा

3175. **श्री नाथूराम शक्यवार** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वित्तीय-वर्ष के दौरान टी० ई० एस० ग्रुप 'बी' से ग्रुप 'ए' में तदर्थ पदोन्नतियां की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य हैं ; और

(घ) क्या उपरोक्त पदोन्नतियों में 40 प्वांइट रोस्टर के अनुसार आरक्षित कोटा पूरा करने की ओर यथोचित ध्यान दिया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी नहीं । लेकिन कुछ पदों को स्थानीय व्यवस्था द्वारा तदर्थ आधार पर भरा गया है ।

(ख) : पांच (5) ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) जी नहीं । तदर्थ व्यवस्था के अन्तर्गत कोई औपचारिक आरक्षण नहीं है । फिर भी मामले पर आगे विचार किया जा रहा है ।

इनडोर स्टेडियम परियोजना

3176. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चरों के वरिष्ठ संकाय सदस्यों की इच्छा के विरुद्ध इनडोर स्टेडियम परियोजना को आर्किटेकचरों के एक दल को सौंपने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली बिकास प्राधिकरण आर्किटेक्ट की नियुक्ति के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की जूरी का निर्णय मानने के लिए बाध्य है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसने अभी तक इस मामले में अन्तिम निर्णय नहीं लिया है ।

ग्रामीण आवास

3177. **श्री गदाधर साहा :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रमीण क्षेत्रों में आवास की कितनी कमी है ;

(ख) क्या यह सच है कि ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम कई राज्यों में बन्द कर दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यह योजना किन-किन राज्यों में बंद की गई है और किन-किन राज्यों में यह चल रही है ;

(घ) इस योजना की प्रगति क्या है ;

(ङ) इसके अन्तर्गत अब तक मंजूर की गई ऋण की राशि कितनी है और इसके निदेश पद क्या हैं ; और

(च) राज्यवार अब तक कुल कितने मकान पूरे हो गये हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) 31-3-1980 तक 151 लाख एकक ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) आवास राज्य का विषय है । चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से यह योजना राज्य क्षेत्र में है । राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकतायें और आवश्यकताएं निर्धारित करने में स्वतन्त्र हैं । योजना को समाप्त करने का निर्णय राज्यों द्वारा स्वयं लिया गया है ।

यह योजना आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और त्रिपुरा के राज्यों में चल रही है ।

(घ) से (च) राज्य सरकारों द्वारा सूचित 31-3-1980 तक स्वीकृत/पूर्ण किये गये मकानों की संख्या और स्वीकृत/दी गई राशि का एक राज्यवार विवरण में दिया गया है । शर्तें सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती हैं ।

विवरण

योजना का नाम—ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम

योजना के आरम्भ से प्रगति

31-3-1980 की स्थिति

क्रम सं० राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मकानों की संख्या		राशि	
	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	दी गई/खर्च की गई
			(लाख रुपयों में)	
1. आन्ध्र प्रदेश	6657	4735	109.21	75.86
2. असम	8	1	0.21	0.21
3. बिहार	404	131	5.01	4.82
4. हरियाणा	757	629	14.34	14.34
5. हिमाचल प्रदेश	511	428	10.46	9.27
6. जम्मू व काश्मीर	—	—	—	—
7. गुजरात	1930	1786	37.29	35.82
8. कर्नाटक	11481	7827	175.05	151.99
9. केरल	9668	7863	270.95	252.99
10. मध्य प्रदेश	5104	2539	148.45	766.87
11 महाराष्ट्र	18435	10347	337.91	254.66
12. मणिपुर	180	74	—	1.50
13. उड़ीसा	10001	6736	423.51	271.70
14. पंजाब	3958	2556	104.34	103.27
15. राजस्थान	6585	3125	97.03	70.74
16. तमिलनाडु	10484	8161	396.08	351.58

17. त्रिपुरा	636	519	13.73	12.16
18. उत्तर प्रदेश	5603	3273	161.66	57.92
19. पश्चिम बंगाल	3652	3652	20.51	17.27
जोड़	96054	64396	2325.74	1762.77

1	2	3	4	5	6
संघ राज्य क्षेत्र					
1.	दिल्ली	4412	3016	176.62	142.41
2.	गोवा, दमण तथा दीव	611	489	20.61	18.61
3.	लक्षद्वीप	51	39	0.88	0.69
4.	पांडिचेरी	789	582	32.22	29.65
	जोड़	5863	4126	230.33	191.36
	कुल जोड़ राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र	101917	68522	2556.07	1954.13

आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय

3178. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में शहर/कस्बा-वार कुल कितने नये केन्द्रीय विद्यालय हैं ; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने नये विद्यालय खोले जायेंगे तथा किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) आन्ध्र प्रदेश में 12 केन्द्रीय विद्यालय (सेन्ट्रल स्कूल) हैं। नगर/कस्बे-वार/ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

हैदराबाद	—	5
सिकन्द्राबाद	—	2
विशाखापटनम	—	3
रामागुंडम	—	1
तिरुपति	—	1

(ख) आन्ध्र प्रदेश में चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर चार केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है :—

आन्ध्र प्रदेश

(1) रामागुडम

(2) वालटेयर

(3) गुन्टूर

(4) बोलाराम, सिकन्दराबाद।

दिल्ली स्थित लालकिले के नीचे ईंटों के बने एक तालाब का पता लगना

3179. **प्रो०मधु दण्डवते** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भू-विज्ञान शास्त्रियों ने दिल्ली स्थित लाल किले के नीचे एक बढ़िया किस्म की ईंटों के बने तालाब का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) तथा (ख) रंग महल के सामने स्थित तालाब का कुछ भाग पहले ब्रिटिश काल से एकत्र हुए मलबे के नीचे दबा हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वैज्ञानिक तरीके से यह मलबा हटाकर तालाब को अनावृत किया। खुदाई से मुगल काल के (निर्मित) मूल मार्ग प्रकाश में आए, जिनके उत्तर की ओर सीढ़ियों की शोभाकारी पंक्ति, पूर्व की ओर संभरक पथ तथा दक्षिण की ओर बलुए पत्थर की बनी जल-बाहिकाएं है। इसके अतिरिक्त मूल नक्शे का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त दीवान-ए-आम की पिछली तरफ जाने वाले विद्यमान मार्ग से वैज्ञानिक तरीके से मलबा हटाने का कार्य अगले चरण में किया जाएगा।

महानगरों में गन्दी बस्तियों की सफाई

3180. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास आदि जैसे महानगरों में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिए तथा गन्दी बस्तियों के वासियों हेतु वैकल्पिक सस्ते आवास की व्यवस्था के लिए और अधिक केन्द्रीय सहायता दी जाएगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिए कोई समयावधि नियत की गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) **और** (ख) गन्दी बस्ती सफाई/सुधार योजना राज्य क्षेत्र में है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा समेकित ऋण तथा समेकित अनुदान से राज्य योजना स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। ये समेकित ऋण तथा समेकित अनुदान किसी योजना या विकास शीर्ष विशेष से सम्बद्ध नहीं होती।

श्री रामपुर तालुक (महाराष्ट्र) को टेलेक्स सुविधाएं

3181. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : **क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें श्री रामपुर तालूक (महाराष्ट्र) को टेलेक्स सुविधाएं प्रदान करने की मांग प्राप्त हुई है क्योंकि उक्त तालूक एक बड़े व्यापारिक शहर के रूप में विकसित हो गया है और वहां अनेक उद्योग स्थापित हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने उक्त मांग स्वीकार कर ली है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां।

(ख) पर्याप्त मांग आने पर श्रीरामपुर में टेलेक्स एक्सचेंज की स्थापना का कार्य शुरू किया जाएगा।

अम्बरनाथ के कन्साई अनुभाग में डाकघर का खोला जाना

3182. **श्री आर० के० महलगी** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के थाना जिले के जिला डाक अधिकारियों द्वारा अम्बरनाथ के कन्साई अनुभाग में एक नये डाकघर को खोलने की जनता की मांग स्वीकार कर ली गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि इसके लिए एक उचित स्थान को अधिकारियों को दिखाया गया था परन्तु प्रशासन द्वारा निर्णय लेने में विलम्ब के कारण उस स्थान को प्राप्त करने के अवसर समाप्त हो गए हैं; और

(ग) उक्त डाकघर को खोलने के लिए क्या प्रगति की गई है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) अम्बरनाथ के कन्साई क्षेत्र में डाकघर खोलने का प्रस्ताव थाना सेंट्रल डिवीजन के वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर के विचाराधीन है।

(ख) जी नहीं। उक्त डाकघर के लिए श्रीमती सुन्दराबाई कल्याणजी हरिया द्वारा पेशकश किए गए आवास को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि विभागीय उचित किराया निर्धारण समिति द्वारा संस्वीकृत किराया उक्त आवास के मालिक को स्वीकार न था।

(ग) किसी अन्य उचित आवास की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

त्रिपुरा में डाक व तार कार्यालय

3183. **श्री अजय विश्वास** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान त्रिपुरा में, वर्ष-वार और जिलेवार, कितने डाक-तार कार्यालय खोले गए; और

(ख) 1980-81 के दौरान त्रिपुरा में जिलेवार और स्थान-वार कितने डाक/तार कार्यालय खोले जाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी जा रही है।

विवरण

भाग I

पिछले तीन वर्षों के दौरान त्रिपुरा में खोले गए डाकघरों/तारघरों की वर्षवार तथा जिलावार संख्या।

जिला	खोले गए डाकघरों की संख्या			खोले गए तारघरों की संख्या		
	1977-78	1978-79	1979-80	1977-78	1978-79	1979-80
पश्चिम त्रिपुरा	35	37	12	कुछ नहीं	कुछ नहीं	—
दक्षिण त्रिपुरा	15	31	16	—	5	1
उत्तरी त्रिपुरा	23	21	11	1	2	1

भाग II

त्रिपुरा में 1980-81 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित तारघर

जिला	खोले जाने वाले प्रस्तावित तारघरों की संख्या	स्थिति
पश्चिम त्रिपुरा	4	इंजीनियरिंग कालेज नूतन नगर बाजार शोरम बाजार बामूतिया ।
दक्षिण त्रिपुरा	2	तैंडू गांडेचेररा ।
उत्तरी त्रिपुरा	3	बुलार पाशा आखिराम बाजार इशारी बाजार ।

भाग III

त्रिपुरा में 1980-81 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित ग्रामीण डाकघर

जिला	खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की संख्या	स्थिति
पश्चिम त्रिपुरा	5	ग्रामों के बारे में पहले से निर्णय नहीं लिया गया ।
दक्षिण त्रिपुरा	8	प्रस्तावों पर निरन्तर विचार
उत्तरी त्रिपुरा	5	किया जाता है तथा ऐसे प्रस्ताव जो निर्धारित मानदंडों के आधार पर उचित पाए जाते हैं उन्हें निश्चित लक्ष्य तक मंजूरी दे दी जाती है ।

उत्तर पश्चिम सर्कल के डाक व तार कर्मचारियों को रिहाइशी आवास

3184. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1980 तक, उत्तर पश्चिम सर्कल के प्रत्येक डाक/तार मंडलों अथवा टेलीफोन जिलों के लिए डिवीजनल स्तर के रिहाइशी आवास कितने प्रतिशत डाक व तार कर्मचारियों को प्रदान किए गए हैं;

(ख) क्या उन डिवीजनों में काम कर रहे कर्मचारियों को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए जायेंगे, जहां बहुत कम प्रतिशत कर्मचारियों को यह सुविधा दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री सी०एम० स्टीफन) : (क) सूचना संग्लन विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी हां। जहां तक दूरसंचार पक्ष का संबंध है, अम्बाला पटियाला, यमुनानगर, भटिंडा और गुरदासपुर में अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टर-निर्माणाधीन हैं। होशियारपुर, हिसार, सिससा, फतेहाबाद, शिमला, जालंधर, रोहतक आदि स्थानों पर अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है। जहां तक डाक पक्ष का सम्बन्ध है रोहतक, पटियाला, भटिंडा, हमीरपुर और गुरदासपुर में अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टर निर्माणाधीन हैं। चूंकि किसी भी डिवीजन के डाक स्टाफ को उसकी क्षेत्रीय सीमा के अन्तर्गत बहुत से स्थानों पर नियुक्त किया जाता है अत: शहर के विस्तार और वहां आवासीय स्थानों की उपलब्धता के आधार पर विभागीय क्वार्टरों के निर्माण हेतु प्राथमिकता दी जाती है। पोस्टमास्टरों को जैसा भी मामला हो, प्राय: विभागीय अथवा किराये के क्वार्टर प्रदान किए जाते हैं।

विवरण

1. दूरसंचार पक्ष :

तार मंडल

मंडल का नाम	कितने प्रतिशत कर्मचारियों को सरकारी आवास उपलब्ध कराया गया।
अम्बाला	4.7
फिरोजपुर	4.8
पटियाला	1.8
भटिण्डा	9.2
रोहतक	3.7
अमृतसर	4.48
हिसार	25.8
जलंधर	2.9
धर्मशाला	4.3
करनाल	7
शिमला	17
टेलीफोन मंडल	
अम्बाला	8.2

तार यातायात मंडल

अम्बाला	14.2
जलंधर	6.4
धर्मशाला	27.7
लुधियाना	10

टेलीफोन जिले

चंडीगढ़	21.32
अमृतसर	4.5
लुधियाना	8.83
जालंधर	13.9

(2) डाक पक्ष (डाक मंडल)

अम्बाला	12.5
अमृत्सर	18.5
भटिण्डा	14.1
चंडीगढ़	19.7
चम्बा	13.2
धर्मशाला	20.0
फिरोजपुर	18.1
गुडगांव	15.7
गुरदासपुर	17.6
हमीरपुर	18.7
हिसार	13.8
होशियारपुर	18.6
जलंधर	13.7
कपूरथला	12.7
करनाल	14.2
लुधियाना	16.7
मंडी	11.3
पटियाला	10.5

रोहतक	15.8
शिमला	30.2
सोलन	10.6
मुख्य डाकघर, अम्बाला	5.0
रेल डाक सेवा	
आर. एम. एस. 'डी' मंडल	12·0
आर. एम. एस. हिसार मंडल	4.0
आर. एम. एस. 1 मंडल	5.0
आर. एम. एस. लुधियाना मंडल	10.0
डाक मोटर सेवा	6:0
डाक भंडार डिपो, अम्बाला	11.3
डाक भंडार डिपो, लुधियाना अम्बाला में	11·8
डाक टिकट डिपो, लुधियाना	12.0

मानविकी मेडिकल इंजिनियरिंग, वाणिज्य, और व्यावसायिक शिक्षा पर प्रति छात्र व्यय में असमानता

3185. **श्री नारायण चन्द्र पराशर : क्या शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को क्रमशः केन्द्रीय और राज्यों के विश्वविद्यालयों में मानविकी, मेडिकल इंजिनियरिंग, वाणिज्यिक और व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्र में प्रति छात्र व्यय में असमानता की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रत्येक वर्ग में भारत के प्रत्येक बिश्वविद्यालय में प्रति छात्र व्यय कितना है ; और

(ग) राज्यों के विश्वविद्यालयों को अधिक धनराशि का आवंटन करके यह असमानता दूर करने/कम करने के लिए कोई कार्यवाही की जायेगी ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) विश्वविद्यालयों में संचालन की लागत, पाठ्यक्रम से पाठ्यक्रम, विभाग से विभाग, विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय और वर्ष से वर्ष के सम्बन्ध में भी भिन्न-भिन्न होती हैं क्योंकि ये अध्ययन के पाठ्यक्रमों का स्तर, मानव एवं सामग्री में निवेश की आवश्यकता और विद्यार्थियों के दाखिले जैसे अनेक परिवर्तनशील घटकों पर निर्भर करती है। केन्द्रीय तथा राज्य के विश्वविद्यालयों में

विभिन्न विषयों में प्रति छात्र आने वाली लागत का पता लगाना और उनकी तुलना करना या उनमें एक रूपता सुनिश्चित करना व्यवहार्य नहीं है । इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राज्यों के विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण व्यय के लिए सामान्यतः केन्द्रीय अनुदान नहीं दिया जाता ।

दूर संचार पद्धति को इलेक्ट्रोनिक पद्धति में बदलना

3186. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर संचार के क्षत्र में वर्तमान इलेक्ट्रोमेकनिकल पद्धति को पूर्ण रूप से इलेक्ट्रोनिक पद्धति में बदलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों पद्धतियों के गुण तथा दोषों और भारतीय स्थितियों में उनकी उपयुक्तता तथा रोजगार क्षमता पर पड़ने वाले तुलनात्मक प्रभाव की ध्यान पूर्वक जांच कर ली गई है; और

(ग) यदि हां तो, इस सम्बन्ध में किस तारीख तक निर्णय ले लिया जाएगा ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नही उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुंडुराव समिति के प्रतिवेदन का क्रियान्वयन

3187. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में चीनी कारखानों के पुनर्वास और आधुनिकीकरण सम्बन्धी गुंडुराव समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों को अब भी विभिन्न राज्यों में पूरी तरह क्रियान्वित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कैसे और कब तक ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) यह रिपोर्ट 1965 से सम्बन्धित है । हालांकि अधिकांश सिफारिशों के गुणात्मक रूप से आज भी वैध होने की सम्भावना है, लेकिन समय बीत जाने और इस अवधि के दौरान चीनी उद्योग का विस्तार होने के कारण, इस अवस्था में इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सौर लिपि और भाषा के विकास के लिए अनुदान देना

3188. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को अपने स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत सौर लिपि और भाषा के विकास के लिए अनुदान देने के बारे में उड़ीसा सरकार से सिफारिशी पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) सौर लिपि और भाषा के संवर्द्धन के लिए उपरोक्त स्वैच्छिक संगठन को अनुदान देने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गांवों में, राज्यवार डाकघर

3189. **श्री समर मुखर्जी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार ऐसे कितने गांव हैं, जहां अब तक डाकघर नहीं हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में, वर्षवार और राज्यवार गांवों में कितने नए डाकघर खोले गए ; और

(ग) वर्ष 1980-81 के दौरान, राज्यवार कितने नए डाकघर खोले जाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन): (क) उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार देश में ऐसे ग्रामों, जहां डाकघर नही हैं, की संख्या 4,57,324 है। सर्किलवार विवरण 1 संलग्न है।

(ख) वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान खोले गये ग्रामीण डाकघरों की कुल संख्या 14,713 थी। सर्किलवार और वर्षवार ब्यौरा विवरण II के रूप में संलग्न है।

(ग) योजना आयोग द्वारा पूर्व अनुमोदित वर्ष 1980-81 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत देश में 5,000 ग्रामीण डाकघर खोलने का प्रस्ताव था। यह संख्या तैयार की जा रही हैं वर्ष 1980-85 की नयी पंचवर्षीय योजना के अनुरूप सशोधित की जा सकती हैं।

विवरण

भाग 1

डाकघर रहित ग्रामों का राज्यवार ब्यौरा

डाक सर्किल का नाम	सर्किल के अन्तर्गत राज्य/संघ शासित क्षेत्र	डाकघर रहित ग्रामों की संख्या
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	12,951
2. बिहार	बिहार	58-055
3. दिल्ली	दिल्ली	125
4. गुजरात	गुजरात, दिव, दमन, दादरा, नगर हवेली	10,826
5. जम्मू व कश्मीर	जम्मू व कश्मीर	5,403
6. केरल	केरल, लक्ष्यद्वीप, महे	—
7. कर्नाटक	कर्नाटक	18,786
8. मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	62,065
9. महाराष्ट्र	महाराष्ट्र, गोवा	26,187
10. उत्तर पूर्व	असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा	32,654
11. उत्तर-पश्चिम	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल मणिपुर, मेघालय मिजोरम प्रदेश, चण्डीगढ़	28,372
12. उड़ीसा	उड़ीसा	40,368
13. राजस्थान	राजस्थान	25,347
14. तमिलनाडु	तमिलनाडु, पाण्डिचेरी	7,389
15. उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	97,002
16. पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अण्डमान, निकोबार द्वीपसमूह	31,794
	योग :	4,57,324

विवरण—II

राज्यवार/वर्षवार खोले गए ग्रामीण डाकघरों का ब्यौरा

डाक सर्किल का नाम	सर्किल के अन्तर्गत राज्य/संघ शासित क्षेत्र	खोले गए ग्रामीण डाकघरों की संख्या		
		1977-78	1978-79	1979-80
1	2	3	4	5
1 आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	155	305	500
2 बिहार	बिहार	100	370	429
3 दिल्ली	दिल्ली	9	14	10
4 गुजरात	गुजरात, दिव, दमन, दादर नगर-हवेली	94	553	306
5 जम्मू व कश्मीर	जम्मू व कश्मीर	30	48	26
6 केरल	केरल, लक्ष्यद्वीप, महे	100	125	150
7 कर्नाटक	कर्नाटक	113	168	146
8 मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	861	863	862
9 महाराष्ट्र	महाराष्ट्र, गोवा	263	535	550
10 उत्तर-पूर्व	आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा	494	458	342
11 उत्तर-पश्चिम	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़	105	204	261
12 उड़ीसा	उड़ीसा	163	381	251
13 राजस्थान	राजस्थान	262	400	562
14 तमिलनाडु	तमिलनाडु, पाण्डिचेरी	124	156	150
15 उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	304	773	766
16 पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अण्डमान निकोबार द्वीप-समूह	120	400	352
	योग	3,297	5,753	5,663

दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया कार्य

3190. **श्री भीकूराम जैन** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया कार्य क्या है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान विभाग द्वारा स्थापित किये गए कार्य एवं उत्पादन केन्द्रों की संख्या कितनी है और इन केन्द्रों मे किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस विभाग में अपने कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति और पेंशन के कोई नियम नहीं है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) गत दो वर्षों में विभाग द्वारा कितनी राशि खर्च की गई थी और क्या सरकार का विचार इसके कार्य का मूल्यांकन करने और इसके कार्यकरण में सुधार लाने का है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) संलग्न विवरण में दिए अनुसार ।

(ख) 43 केन्द्र स्थापित किए गए हैं । इन केन्द्रों में दर्जीकार्य, कशीदाकारी, बुनाई, साबुनसाजी, हाथ से कपड़ा बुनाई, मसाला पिसाई, बेंत की बुनाई, बढ़ई कार्य, प्रिन्टिंग प्रेस और जिल्दसाजी से सम्बन्धित काम किया जाता है ।

(ग) समाज कल्याण निदेशालय, दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत आने वाली अधिकतर श्रेणियों के पदों के सम्बन्ध में भरती नियम हैं । नए सर्जित किए गए पदों के लिए भरती नियम विचाराधीन हैं/अन्तिम रूप दिया जा रहा है । पदोन्नतियां वरिष्ठता एवं गुण के आधार पर दी जाती हैं । पेंशन केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1965 द्वारा नियन्त्रित है ।

(घ) निदेशालय द्वारा निम्नलिखित धनराशियां खर्च की गई थीं :

1978-79	1979-80
32,41,0025.00 रुपए	37,13,1447.00 रुपए

समाज कल्याण निदेशालय के काम का मूल्यांकन तथा इसके कार्य-संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा एक समिति गठित की गई है ।

विवरण

दिल्ली प्रशासन के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया गया कार्य

1. आवासीय संस्थाएं

संस्थाओं का प्रकार	1978-79		1979-80	
	संस्थाओं की संख्या	लाभप्राप्त-कर्ताओं की संख्या	संस्थाओं की संख्या	लाभप्राप्त-कर्ताओं की संख्या
1. बाल संस्थाएं				
(क) सांविधिक	10	1325	10	1198
(ख) गैर-सांविधिक	8	716	8	717
2. भिखारी संस्थाएं	9	1641	9	1262
3. महिलाओं के लिए संस्थाएं	3	429	4	490
4. वृद्धों और निशक्तों के लिए संस्थाएं	1	39	1	39
5. विकलांगों के लिए संस्थाएं	4	655	4	780

रनिदेशालय के अधीन सेवाएं

सेवा का प्रकार	1978-79		1979-80	
	एककों/ केन्द्रों की संख्या	लाभप्राप्त-कर्ताओं की संख्या	एककों/ केन्द्रों की संख्या	लाभप्राप्त-कर्ताओं की संख्या
1. दिधस देखभाल केन्द्र	11	190	11	237
2. स्केरटओ फसेवाएं	1	188	1	147
3. परामर्शदात्री और निर्देशन ब्यूरो	2	302	2	280
4. यात्री सहायता ब्यूरो	1	74	1	103
5. समेकित बाल विकास योजना	2	25389	7	33178
6. परिवार और बाल कल्याण परियोजना	1	789	1	758

1	2	3	4	5
7. डिनोटिफाइड ट्राइबल्स के लिए कल्याण केन्द्र	6	310	6	491
8. विशेष पोषाहार कार्यक्रम	675	135000	727	145480
9. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र	19	1354	19	1263
10. महिलाओं के लिए कार्य केन्द्र	20	809	20	1499
11. विकलांग व्यक्तियों के लिए शेल्टर्ड वर्कशाप	1	100	1	54
12. विकलांग व्यक्तियों के लिए टी० सी० पी० सी०	3	142	3	127
13. परिवीक्षा सेवाएं	6	2762	6	3198
14. जेल कल्याण सेवाएं	1	678	1	523
15. दहेज निरोधक योजना	—	—	1	50

3. सहायक अनुदान और वित्तीय सहायता सदन

योजना का नाम	1978-79		1979-80	
	लाभप्राप्त कर्ताओं की संख्या	दी गई धनराशि	लाभप्राप्त कर्ताओं की संख्या	दी गई धनराशि
1. स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायक अनुदान	23	24,95,311 रु०	27	24,84,122 रु०
2. वृद्धावस्था सहायता	1085	3,70,950 रु०	1800	7,87,263 रु०
3. विकलांग व्यक्तियों को वजीफे और प्रोसथेटिक सहायता	350	1,38,900 रु०	288	1,10,526 रु०
4. सुपात्र विधवाओं, उनके बच्चों, वृद्ध और अशक्त तपेदिक के मरीजों इत्यादि को वित्तीय सहायता	1425	2,77,916 रु०	1791	4,96,438 रु०

1	2	3	4	5
4. हरिजन कल्याण योजना का नाम				
1. आवासीय सहायता	457	3.00	529	4.16
2. अनुसूचित जातियों को व्यवसायिक और तकनीकी छात्रवृत्तीयां	314	1.65	550	1.81
3. अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को गुणा-धारिता छात्रवृत्तियां	6730	18.89	7899	22.58
4. हरिजन बस्तियों का सुधार	90	35.19	13	9.00
5. मेहतरों की रहने सहने की दशाओं में सुधार	3200	8.00	शून्य	शून्य
6. गैर-सरकारी संगठनों को सहायक अनुदान	15	0.96	19	1.27
7. लघु और कुटीर उद्योगों के लिए उपदान	731	7.66	1874	7.22
8. डिनोटिफाइड ट्राइब्स का कल्याण	—	6.35	—	—
9. बसें खरीदने के लिए अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता	37	8·88	—	—
10. निर्माण कार्यक्रम	—	1.96	—	—
11. अनुसूचित जातियों के लड़कों/लड़कियों के लिए होस्टल	100	2.69	82	2.60
12. परीक्षा-पूर्व कोचिंग केन्द्र	—	1.20	—	1.16

सेंट्रल ट्यूबर रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिवेन्द्रम की प्रगति

3191. **श्री बी० के० नायर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेंट्रल ट्यूबर रिसर्च कोर्प्स इंस्टीट्यूट, त्रिवेन्द्रम में वरिष्ठ कर्मचारियों के बीच परस्पर झगड़ों एवम् दोषारोपण के फलस्वरूप हाल ही के वर्षों में इस संस्थान को प्रगति में बाधा पड़ी है ;

(ख) क्या इन मामलों की समुचित जांच कराने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस आशय से क्या कार्यवाही की जा रही है कि उक्त संस्थान अपनी अपेक्षित भूमिका अदा करता रहे ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) से (ग) केन्द्रीय कंदवर्गीय फसल अनुसंधान संस्थान त्रिवेन्द्रम के निदेशक और इस संस्थान के कर्मचारियों के बीच लगभग पिछले तीन वर्षों से सम्बंध सोहार्दपूर्ण और मधुर नहीं थे। कर्मचारियों की ओर से वर्तमान निदेशक के खिलाफ अनेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनकी जांच अक्तूबर, 1979 में भा०कृ०अ०प० के तीन उप महानिदेशकों द्वारा की गयी थी। जब कि यह छानबीन चल ही रही थीं, कुछ विज्ञानियों ने दो संस्थानांतरणों का मुद्दा बनाया और इस संस्थान के वर्तमान निदेशक के खिलाफ अपनी शिकायतों को दूर कराने के लिए संस्थान के अन्य कर्मचारियों के साथ इस संस्थान में 28 नवम्बर, 1979 से पहली जनवरी, 1980 तक एक आन्दोलन आयोजित किया। इसके फलस्वरूप संस्थान के कार्य में कुछ अव्यवस्था आ गयी ।

जब विज्ञानियों को आन्दोलन समाप्त करने और संस्थान के कार्य में फिर से सामान्यता स्थापित करने का परामर्श दिया गया तो इस संस्थान के लगभग 35 विज्ञानी भा०कृ० अ०प० के सचिव तथा महानिदेशक से नयी दिल्ली में 26-12-79 को मिले थे। यद्यपि आन्दोलन में भाग लेने वाले अधिकांश कर्मचारियों ने 2-1-80 को अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी तो भी उन्होने अपनी ड्यूटी सही रूप से नहीं निभायी और परोक्ष रूप से निदेशक के खिलाफ आन्दोलन जारी रखा। विज्ञानियों द्वारा की गयी मुख्य शिकायतों के आधार पर महा निदेशक द्वारा निदेशक को लिखित में परामर्श दिया गया।

पूरी स्थिति का मौके पर आकलन करने के लिए, भा०कृ०अ०प० के महानिदेशक ने, परिषद के सचिव के साथ 28 से 30 अप्रैल, 1980 तक इस संस्थान का दौरा किया। इस दौरे का आन्दोलनकारी विज्ञानियों पर अच्छा प्रभाव पड़ा और इनके मस्तिष्कों से कुछ गलतफहमियां और भ्रान्तियां दूर करने में पर्याप्त सहायता मिली। भा०कृ०अ०प० के सचिव और महानिदेशक के दौरे से इस संस्थान के विज्ञानियों के मस्तिष्कों में निर्मित विश्वास के फलस्वरूप इस संस्थान के काम में सब मिला कर सामान्यता पुनर्स्थापित हो गयी है। भा०कृ०अ०प० के उप महानिदेशकों, सचिव और महानिदेशक के निष्कर्षों को दृष्टिगत रखते हुए संस्थान के कार्य में सुधार लाने के लिए आगे की कार्यवाही, जो भी आवश्यक हो सकती है, की जा रही है।

सरकारी आवास को आगे किराए पर देना

3192. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनेक सरकारी कर्मचारियों ने अपने पूरे क्वार्टर या उसका एक भाग आगे किराए पर चढ़ाया हुआ है ;

(ख) अलाटी को किन-किन परिस्थियों में अपने पूरे क्वार्टर अथवा उसके एक भाग को आगे किराए पर चढ़ाने की अनुमति दी जाती है और बिना अनुमति के परिसर को आगे किराए पर चढ़ाने के विरुद्ध क्या कार्रवाही की जाती है; और

(ग) क्या सरकारी आवास के दुरुपयोग की जांच आदि करने के लिए कोई सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) विभिन्न सरकारी कालोनियों में सरकारी क्वार्टरों का आंशिक पूर्ण उप किरायेदारी के बारे में समय समय पर रिपोर्ट प्राप्त होती है ।

(ख) (i) आबंटन नियमों के अन्तर्गत सरकारी क्वार्टर में पूर्ण उप-किरायेदारी अनुमेय नहीं है । तथापि, एक सरकारी कर्मचारी को आबंटित किये गये आवास में दूसरा पात्र सरकारी कर्मचारी सम्पदा निदेशालय को सूचना देने पर रह सकता है ।

(ii) सरकारी आवास के अनधिकृत उप-किरायेदारी के प्रत्यक्ष मामले में निर्धारित पद्धति के अनुसार जांच की जाती है और अनधिकृत उपकिरायेदारी का दोषी पाये गये आबंटित के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है । नियमों के अनुसार जहां यह पाया जाय कि आबंटित ने अनधिकृत रूप से अपात्र व्यक्ति को उपकिरायेदार रखा हुआ है या उसके साथ रह रहा है, वहां आबंटन रद्द किया जा सकता है और आबंटित को तीन वर्ष से अनधिकृत की अवधि के लिए अपात्र घोषित किया जा सकता है या तीन वर्ष की अवधि के लिए किरायेदार रखने से रोका जा सकता है । आबंटित के एफ०आर० 45-क के अन्त मानक किराये का चार गुणा बढ़ा हुआ अभिज्ञप्त शुल्क (लाइसेन्स फीस) भी ली जा सकती है ।

(ग) जी, हां । सरकारी आवास का दुरोपयोग रोकने के लिए विभिन्न कालोनियों में सरकारी आवास का आवधिक आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है और आबंटन नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले आबंटिती के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है ।

रेजीडेण्ट एसोशिएशन्स, सरोजिनी नगर नई दिल्ली द्वारा भेजा गया मांगपत्र

3193. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरोजिनी नगर, नई दिल्ली की विभिन्न रेजीडेण्ट एसोसिएशनों का एक प्रतिनिधिमण्डल हाल ही में महानिदेशक, निर्माण से मिला था और उन्हें एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) कौन-कौन सी मांगें मान ली गई हैं और कब तक ये कार्यान्वित हो जाएंगी; और

(घ) कौन-कौन सी मांगें नहीं मानी गई हैं और उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) एसोशिएशन द्वारा दी गई सूची में 41 मदें हैं।

(ग) तथा (घ) निवासियों की एसोसिएशन की मांगों को मोटे तौर पर दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(i) विशेष मरम्मतें।

(ii) परिवर्द्धन तथा परिवर्तन।

प्रत्येक वर्ष आपेक्षिक महत्व तथा निधियों की उपलब्धता के अनुसार विशेष मरम्मत के निर्माण कार्यों का निष्पादन किया जाता है।

निवासियों की एसोशिएशन द्वारा मांग किये गये संवर्धनों और परिवर्तनों की मदों का भी विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है और उपलब्ध साधनों के अनुसार उनका कार्यान्वयन किया जायेगा।

सरोजिनी नगर मार्केट, नई दिल्ली में बरामदों को भरा जाना

3194. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में सरोजिनी नगर और आस पास की कालोनियों की मार्किटों के दुकानदारों ने ग्राहकों आदि के आने जाने के लिए बनाए गए आगे के बरामदों को पार्टीशन खड़ा करके अथवा दूसरी तरह का कोई निर्माण करवा करके या दुकानों की पीछे की गलियों में अपना सामान रखकर उन्हें भर दिया है ;

(ख) क्या सार्वजनिक स्थान के इस दुरुपयोग से लोगों को बहुत असुविधा हो रही है और उन्होंने स्थानीय प्राधिकारियों को इस संम्बन्ध में अनेक शिकायतें भेजी हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो उक्त बरामदों से अबैध कब्जों को हटाने और ऐसे अनधिकृत निर्माण करने के लिए दुकानदारों के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की जा रही है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) तथा (घ) : नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद, सरोजिनी नगर मार्किट के बरामदों को 19-1-79 को सार्वजनिक स्ट्रीट घोषित कर दिया गया था । 18-4-79 को उक्त बरामदों के मार्ग में आने वाली रुकावटों की या तो स्वयं दुकानदारों द्वारा या नगर पालिका के एनफोर्समेन्ट अभिकरण द्वारा हटा लिया गया था, लेकिन सरोजिनी नगर मार्किट शापकीपर्ज एसोसिएशन द्वारा दायर की गई अपील पर, जिलाधीश ने दिनांक 20-4-79 के अपने आदेश में अपील के निपटान तक मामले में कोई आगे कार्यवाही करने से नगर पालिका को रोक दिया । अपील अभी भी न्यायाधीन है ।

जहां तक, उप-गलियों या बरामदों के बाहर अनाधिकृत तौर पर माल जमा करने के रूप में अस्थायी उल्लघन करने का संबंध है, ऐसे उल्लंघन नई दिल्ली नगर पालिका के एनफोर्समेंट अभिकरण द्वारा समय-समय पर आवधिक निरीक्षणों के दौरान हटा दिए जाते है ।

टैपियोका का उत्पादन

3195. **श्री वी० के० नायर** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान टैपियोका का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) खाद्य, विनिर्माण और निर्यात आदि विभिन्न प्रयोजनों के लिए उसका कितनी मात्रा में इस्तेमाल किया गया;

(ग) क्या इससे शक्ति मद्यसार (अल्कोहल) बनाने की किसी प्रक्रिया का विकास किया गया है ;

(घ) क्या सरकार का विचार शक्ति मद्यसार का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करने की व्यवस्था करने का है और;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 1978-79 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों के दौरान देश में टैपियोका का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

वर्ष	उत्पादन (लाख मीटरी टन में)
1976-77	63.75
1977-78	56.88
1978-79	60.53

(ख) आहार तथा विनिर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मात्राओं के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, ये टैपियोका चिप्स, टैपियोका चूर्ण, टैपियोका स्टार्च, टैपियोका तथा साबूदाना और इसके बदले प्रयोग की जाने वाली अन्य वस्तुओं के रूप में निर्यात किए जाते हैं। टैपियोका का मुख्य रूप से टैपियोका चिप्स के रूप में निर्यात होता और केन्द्र उत्पादन के रूप में यह मोटे तौर पर अखिल भारतीय उत्पादन का 4 प्रतिशत है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम टैपियोका से पावर अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया का विकास कर रहा है और इसके वाणिज्यिक पहलुवों की अभी जांच नहीं की गई हैं।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में कृषि संस्थानकी स्थापना

3196. **श्री जेनुल बशर** : क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने एक कृषि संस्थान की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा शिक्षा मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्रवाही कर रही है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) **और (ख)** जी, हां।

(ग) सरकार ने प्रस्ताव की जांच कर ली हैं। क्योंकि इसमें बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संविधियों का संशोधन शामिल है। अतः अपेक्षित संशोधन के लिए, विश्वविद्यालय के विजीटर होने की हैसियत से राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

आंगनबाड़ियां

3197. **श्री वी० के० नायर** : क्या **समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आंगनबाड़ियों की संख्या कितनी है, उनमें कितने बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं कि देख-भाल की जाती है और राज्यवार कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) उन कर्मचारियों पर लागू होने वाला वेतनमान क्या है ;

(ग) क्या इनके वेतन मानों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो किस पद्धति पर ;

(ङ) क्या यह संस्थाएं अपने को हमारे समाज कल्याण कार्यक्रम के एक विषय के रूप में स्थायी आधार पर रखने को तैयार हैं ; और

(च) यदि हां, तो इन सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) इस देश में चल रही आंगनबाड़ियों की संख्या, देख भाल किये जाने वाले बच्चों और दूध पिलाने वाली माताओं की संख्या तथा उनमें कर्मचारियों की संख्या, राज्यवार दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक, जो आंगनबाड़ियों का प्रबन्ध करते हैं, अवैतनिक कार्यकर्ता हैं । मैट्रिकुलेट आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 175 रुपये प्रति मास तथा गैर-मैट्रिकुलेट आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 125 रुपये प्रतिमास मानदेय के रूप में दिया जाता है । सहायकों को 50 रुपए प्रतिमास का मान देयदिया जाता है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) और (च) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने समेकित बाल विकास सेवा योजना का, जिसके अन्तर्गत ये आंगनबाड़ियां चल रहीं हैं, मूल्याँकन शुरू किया है । कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कार्यक्रम के स्थायीकरण के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य केन्द्र शासित प्रदेश	आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या	सहायकों की संख्या	लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या	
					बच्चे (0-6 वर्ष)	दूध पिलाने वाली माताएं
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	521	521	521	59629	4695
2.	असम	457	457	457	31448	6826
3.	बिहार	610	610	610	63092	4099
4.	गुजरात	220	202	202	33803	3795
5.	हरियाणा	340	340	340	49735	7551
6.	हिमाचल प्रदेश	149	149	149	4066	1963
7.	जम्मू व कश्मीर	200	200	200	12942	3370
8.	कर्नाटक	468	468	468	50600	2801

1	2	3	4	5	6	7
9.	केरल	322	322	322	53533	7266
10.	मध्य प्रदेश	336	336	336	31232	4379
11.	महाराष्ट्र	498	498	498	60419	2486
12.	मनीपुर	50	50	50	सूचित नहीं की गई	
13.	मेघालय	97	97	97	7859	1075
14.	नागालैंड	105	105	105	11365	1091
15.	उड़ीसा	359	359	359	39743	5276
16.	पंजाब	267	267	267	12231	5424
17.	राजस्थान	261	261	261	23007	3063
18.	सिक्किम	144	144	144	15777	1724
19.	त्रिपुरा	146	146	146	15532	1109
20.	तमिलनाडु	298	298	298	29634	4031
21.	उत्तर प्रदेश	798	798	798	128549	15742
22.	पश्चिम बंगाल	775	775	775	81837	9018
23.	दादरा और नगर हवेली	88	88	88	4223	1055
24.	दिल्ली	200	200	200	30453	5039
25.	गोआ दमन और दीव	55	55	55	2633	256
26.	लक्षद्वीप	50	50	50	5176	1282
27.	मिजोरम	50	50	50	4818	397
28.	पांडिचेरी	100	100	100	10042	2131

सूत्र :—1975-76 में मंजूर की गई 33 परियोजनाओं तथा 1978-79 में मंजूर की गई 67 में से 54 परियोजनाओं से, जो अब चलने लगी है, प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्टें।

टिप्पणी:—1979-80 में मंजूर की गई 50 में से 33 परियोजनाओं में भी 1167 आंगनबाड़ियां चलने लगी हैं, परन्तु उन परियोजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत मासिक प्रगति रिपोर्टें अब तक आनी शुरू नहीं हुई हैं और इसलिए वास्तविक लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की संख्या नहीं दी गई है।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और रेगिस्तान विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पीने के पानी की व्यवस्था

3198. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और रेगिस्तान विकास कार्यक्रम में पीने के पानी की सप्लाई के कार्यक्रम को सम्मिलित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इससे सम्बन्धित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस रेगिस्तानी क्षेत्र को, जहां कथित कार्यक्रम चलाया जा रहा है, पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, और उन क्षेत्रों का मुख्य और मजबूत आर्थिक आधार पशुधन निर्धन पड़ता जा रहा है और पानी की सप्लाई के अभाव में पशु मृत्यु के सन्निकट पहुंच गये हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार रेगिस्तानी क्षेत्रों के व्यक्तियों और पशुओं के लिये पानी की सप्लाई को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपरोक्त कार्यक्रमों में पीने के पानी की सप्लाई का कार्यक्रम भी सम्मिलित करेगी ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पेय-जल कार्यक्रम को ग्रामीण जल आपूर्ति के विद्यमान कार्यक्रमों में संकटकालीन अन्तरालों को पूरा करने के लिए चयनात्मक आधार पर शामिल किया गया है। तथापि, इस कार्यक्रम को मरूभूमि विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उस कार्यक्रम का उद्देश्य मरूस्थल को नियन्त्रण में करना है। सामान्य राज्य योजनाओं के अलावा, पेय जल आपूर्ति के लिये प्रावधान अन्य विशिष्ट कार्यक्रमों जैसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जाते हैं।

(ग) रेगिस्तानी क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी है लेकिन राज्य सरकारें स्थिति का सामना करने के लिए उचित उपाय करती हैं। कभी-कभी पशु शिविरों का आयोजन भी किया जाता है।

(घ) सरकार की नीति यह है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों के लोगों तथा पशुओं के लिए पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाए। इसे विद्यमान कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा सकता है। यदि अन्य पेय जल आपूर्ति कार्यक्रम आवश्यकता से कम हो तो मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनात्मक आधार पर पेय जल आपूर्ति को वित्त देने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

गेहूं और चावल का उत्पादन

3199. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में 1973-75, 1975-77 और 1977-79 के दौरान गेहूं और चावल का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : वर्ष 1973-75, 1975-77 तथा 1977-79 के दौरान गेहूं और चावल के उत्पादन के अनुमान नीचे दिए गए हैं :—

(उत्पादन लाख मीटरी टन में)

वर्ष	गेहूं	चावल
1	2	3
1973-75	458.8	836.3
1975-77	578.6	906.6
1977-79	667 3	1065.0

पशु चारा और लकड़ी के लिए 'लुकेना' की खेती में अनुसंधान कार्य

3200. **श्री आर. के महालगी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'लुकेना' की खेती के बारे में, जो पांच वर्ष की अल्पावधि में 60 फुट ऊंचे उग जाते हैं, और जो पशु चारा तथा लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए आदर्श माने जाते हैं, दिनांक 12 जनवरी, 1980 के मराठी 'लोकसत्ता' में प्रकाशित होने वाले एक पत्र की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में आगे अनुसंधान-कार्य करने और प्रायोगिक आधार पर इस वृक्ष के बागान शुरू करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) लुकेना लुकोसेफाला साधारणतः कू-बाबुल वृक्ष के नाम से जाना जा ा है जिसके वृक्ष मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। छोटी झाड़ी जैसा 5 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ने वाला यह वृक्ष 'हवाई टाइप्स' के नाम से जाना जाता है जो कि कम पैदावार देता है। दूसरे किस्म का वृक्ष 'पेरू टाइप्स' के नाम से जाना जाता है जो लम्बा व्यापक शाखाओं वाला 15 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ने वाला है तथा अधिक गुणवत्ता और मात्रा में चारा देता है। तीसरी किस्म का वृक्ष 'सलवाडोर टाइप्स' के नाम से जाना जाता है जिसके वृक्ष लम्बे 20 मीटर की ऊंचाई वाले, लम्बी पत्तियां तथा मोटे तने वाले होते हैं जो अधिक उपज देते हैं। लुकेना पेड़ जानवरों के चारे, इन्धन के लिए टहनी तथा इमारती लकड़ी के रूप में पूर्ण विकसित तने देता है। लुकेना के बीज में गोंद (15 से 20%) होतो है तथा पत्तियों में 26 से 30% प्रोटीन होता है। बताया गया है कि यह वृक्ष फसल चक्र में आने वाली अगली फसल को लाभ पहुंचाने के लिए सहजीवी के रूप में नाइट्रोजन निर्धारित करता है तथापि इसमें विषाक्त द्रव्य **मिनोसाइन** नाम से जाना जाता है जो कि यदि

6 से 8 महीने की लम्बी अवधि तक अधिक मात्रा में जानवरों को खिलाया जाए तो विषाक्त हो जाता है। यदि लुकेना की पत्तियां पशुओं को पूरे आहार की मात्रा का 30 से 40 प्रतिशत तक खिलाया जाए तो मिनोसाइन से विषाक्त हो जाने की समस्या समाप्त का जा सकती है।

(ख) भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसन्धान संस्थान, झांसी, (उ० प्र०) में तथा कुछ कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों में जैसे कि कृषि विज्ञान केन्द्र, कोसलीबाद हिल्स, बम्बई, भारतीय कृषि-उद्योग उरली कंचन, पूना आदि में लुकेना लुकोसेफाला पर अनुसन्धान कार्यक्रम पहले से ही प्रगति पर है। सघन वनों, मृदा सुधार चारा उत्पादन तथा इन्धन के लिए इस वृक्ष के समस्त पहलुओं पर अनसंधान को गहन करने का प्रस्ताव है। चारे तथा ईन्धन प्रणाली के लिए सूखा प्रवृत्त और सिंचित क्षेत्रों में तथा बंजर भूमि, लवणीय तथा क्षारीय क्षेत्रों की तग घाटियों वाली भूमि आदि मे भी वृक्षों के रोपण के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर बीज उत्पादन तथा प्रबंध कार्यक्रमों की योजनाएं बन रही हैं।

सहकारी किसान चीनी मिल महसूदाबाद, सीतापुर के पुनर्गठन के लिए लाइसेंस

3201. **श्री रामलाल राही :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार ने सहकारी किसान चीनी मिल, महसूदाबाद, सीतापुर के पुनर्गठन के लिए लाइसेंस का नवीकरण करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस का नवीकरण कब तक किया जाएगा ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) इस लाइसेंस का 26-3-1981 तक नवीकरण कर दिया गया है।

गांव स्तर के कार्यकर्त्ता

3202. **श्री रामलाल राही :** क्या **ग्रामीण और पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण प्रशासनिक मशीनरी का पुनर्गठन करने सम्बन्धी मेहता आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर विभिन्न राज्यों में ग्राम विकास यूनिटों में ग्राम स्तर के कार्यकर्त्ता नियुक्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी सभा पटल पर रखने का है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) अशोक मेहता पंचायत राज्य संस्था समिति ने ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहं

की थी। तथापि, समिति ने यह सिफारिश की थी कि जिला स्तरीय विकास प्रशासन को पंचायती राज के उपयुक्त स्तर के साथ समन्वित किया जाना चाहिए और निम्न स्तर के कर्मचारी-वर्ग को पंचायती राज संस्थाओं को स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। समिति के विचार में, स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप तकनीकी पर्यवेक्षण हटना नहीं चाहिए।

(ख) चूंकि राज्य सरकारों का विकास कर्मचारी-वर्ग उनके नियन्त्रणाधीन है, इसलिए समन्वय की निश्चय मात्रा तथा उसकी सीमा पर राज्य सरकारों द्वारा विचार करना होगा।

भैंसों के अग्न्यासों से जीवन रक्षी दवाओं का उत्पादन

3203. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वर्ष 1974 में एक परियोजना प्रायोजित की थी जिसमें भैंसों के अग्न्यास-फेफड़ों से इन्सूलीन तथा हैपारिन जैसी जीवन रक्षी दवायें बनाने में सफलता मिली थी ;

(ख) यदि हां तो, गत छ-सात वर्षों के दौरान इस परियोजना पर कितनी लागत आई ;

(ग) क्या सरकार का विचार बम्बई में देवाना (अब्बाशेयर से, जहां प्रतिदिन बहुत सी भैंसें मारी जाती हैं) बड़ी मात्रा में जीवन रक्षी इन्सूलीन तथा हैपारिन का उत्पादन सुलभ करने का है ; और

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उक्त जीव-रसान अनुसंधान के फलस्वरूप एक मानक उत्पाद को कब तक बिक्री के लिए प्रस्तुत करने की योजना बना रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बम्बई पशुचिकित्सा महाविद्यालय, बम्बई में और बल्लभ भाई पटेल चेष्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली विश्व विद्यालय, दिल्ली में बूचड़खाने के उपोत्पादन के उपयोग पर एक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम प्रवर्तित किया है। प्रयोगशाला के परिणामों के आधार पर भैंसों के अग्न्यासों से इन्सुलिन और भैंसों के फेफड़ों से हैपारिन तैयार करने के लिए तकनीक का विकास किया गया है। प्रयोगशाला में तैयार की गई इन्सुलिन तथा हैपारिन के बारे में चिकित्सा के गुणों के प्रतिरक्षा विज्ञान सम्बन्धी पहलुओं एवं संगतता की दृष्टि से विचार किया जाना होता है।

(ख) इस परियोजना की कुल लागत 16.81 लाख रुपये हैं।

(ग) ऊपर (क) में लक्षित अध्ययनों के पूरे किये जाने तथा प्रायोगिक परीक्षणों के द्वारा उत्पादन की आर्थिकता के पश्चातत सी इन्सुलिन तथा हैपारिन का उत्पादन शुरू किया जा सकता है।

(घ) विकसित किये जाने के पश्चात् इन्सुलिन तथा हैपारिन का विपणन किसी उपयुक्त संगठन द्वारा किया जायेगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सामान्यत: अनुसंधान योजनाओं के अन्तर्गत विकसित किये गए किसी उत्पादन को बाजार में बिक्री के लिए प्रस्तुत नहीं करती है।

भारत और विदेशों में चीनी के मूल्य

3204. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में चीनी के मूल्य अन्य देशों में चीनी के मूल्यों की तुलना में कम हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) विभिन्न देशों में 1979 और 1980 के वर्षों में चीनी के आन्तरिक मूल्यों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की वार्षिक पुस्तक (जोकि अद्यतन उपलब्ध प्रकाशन है) में उल्लिखित 1978 के मूल्यों के आंकड़ों के अनुसार अन्य अधिकांश देशों की चीनी की दरों की तुलना में भारत में सफेद बढ़िया चीनी के थोक मूल्य सामान्यतया सस्ते है। अन्य देशों में चीनी के ऊंचे मूल्य होने के कारणों की हमें जानकारी नहीं है लेकिन भारत में चीनी के सस्ते मूल्य होने के कारण दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली के साथ-साथ आंशिक नियंत्रण की नीति हो सकते हैं, जिससे फैक्ट्रियों के उत्पादनका 65 प्रतिशत उत्पादन को लेवी के रूप में लेकर चीनी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से नियंत्रित मूल्यों पर वितरित करना सम्भव हुआ है और शेष 35 प्रतिशत मात्रा को बिना मूल्य नियंत्रण के खुले बाजार में बेचने के लिए छोड़ दिया गया है।

बिहार में पेय जल की कमी

3205. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में पटना, दानापुर, खगौल, जमशेदपुर, धनबाद, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और अनेक अन्य नगरों को पेयजल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या गर्मियों के महीनों में यह कमी और भी गम्भीर रूप ले लेती है ;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार ने राज्य में पेय जल की व्यवस्था करने के लिए केन्द्र से सहायता मांगी है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) बिहार सरकार ने बतलाया है कि 16 जिलों के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र पेयजल का भारी संकट का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने अब सूचित किया है कि व्यापक वर्षा से इस समस्या की गम्भीरता कम हो गई है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में पेय जल सप्लाई करने के लिए 925.66 लाख रुपये की लागत की एक आपात योजना बनाई है। केन्द्रीय सरकार ने पेयजल की पूर्ति के लिए एक अग्रिम योजना सहायता के रूप में राज्य सरकार को 7.04 करोड़ रुपये नियतन किए हैं। इस राशि में से 3.34 करोड़ रुपये राज्य सरकार तथा केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा बरमे द्वारा निर्मित कुओं और नगर जलपूर्ति (चालू योजनाओं पर) के लिए उद्दिष्ट हैं।

क्षेत्रीय भाषाओं में कृतियों के प्रकाशन के लिए सहायता

3206. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसिद्ध लेखकों की कृतियों के प्रकाशन के लिए सहायता देती है ;

(ख) यदि यां, तो वर्ष 1978-79 और 1979-80 में किन कृतियों के लिए और किन लेखकों को ऐसी सहायता दी गई थी ;

(ग) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से टैगोर की कृतियों के प्रकाशन के लिए कोई आवेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति के लिए स्वैच्छिक संगठनों को दी जाने वाली सहायता की योजना के अन्तर्गत, हिन्दी तथा संस्कृत को छोड़कर जैसा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट है, सभी भाषाओं तथा भारत में प्रयोग की जाने वाली, आदिवासी भाषाओं सहित, अन्य मान्यता प्राप्त भाषाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों/शैक्षिक संस्थाओं/पंजीकृत सोसाइटियों को अनुदान दिए जाते हैं। बहुत ही विशेष परिस्थितियों में अलग-अलग व्यक्तियों से प्राप्त वित्तीय सहायता सम्बन्धी आवेदनों पर भी विचार किया जाता है। तथापि, उत्कृष्ट लेखकों की कृतियों के प्रकाशन की इस मन्त्रालय में ऐसी कोई योजना नहीं है। तथापि, कोई स्वैच्छिक संगठन/शैक्षिक संस्था/पजीकृत सोसाइटी जो ऐसी कृतियों को प्रकाशित करना चाहे, सहायता पाने के लिए पात्र होगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी कालेज की स्थापना

3207. **श्री जैनुल बशर** : क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से वहां पर पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी कालेज की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां, प्रस्ताव वर्ष 1975 में प्राप्त हुआ था ।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्ताव की जांच की गई थी लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सका ।

गांवों में पानी की नालियां बनाने और गलियों को पक्का करने की योजना

3208. **श्री जैनुल बशर** : **क्या ग्रामीण तथा पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में पानी की नालियां बनाने और गली के पक्का करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में,. जहां 90 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, लागू की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) गांवों में पानी के निकास तथा गलियों को पक्का करने की सुविधा सुलभ करने हेतु इस प्रकार की कोई केन्द्रीय योजना नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रविनगर, दिल्ली का विकास

3209. **श्री जैनुल बशर** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** रविनगर को नियमित करने के बारे में 19 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न सं० 3617 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रविनगर, दिल्ली के नियमित किए गए हिस्से में सड़कों और नालियों का विकास दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई 'ले आऊट' के योजना के अनुसार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि कुछ आधारभूत सुविधाएं नियमित योजना के अनुसार सीमित वित्तीय संसाधनों के भीतर रविनगर के नियमित भाग में समग्र विकास के अंग के रूप में दी जा रही है। प्लाट-धारियों से विकास प्रभार वसूल करने के पश्चात ही पूर्ण विकास कार्य आरम्भ किया जाएगा।

1979-80 के दौरान, दिल्ली नगर निगम ने निम्नलिखित कार्य आरम्भ किए :

(i) रविनगर में दुबारा नालियों का निर्माण।

(ii) रविनगर में सड़कों पर पूर्वमिश्रित रोड़ी दुबारा बिछाना।

चावल, गेहूं और मोटे अनाज के लिए राज सहायता

3210. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण के लिए उपलब्ध किये जाने वाले प्रति क्विंटल चावल, गेहूं और मोटे अनाज के लिए आर्थिक सहायता के रूप में कितनी राशि दी जा रही है;

(ख) क्या चावल तथा अन्य खाद्यान्न के लिए दी जा रही आर्थिक सहायता राशि में कोई असमानता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या चावल के मामले में आर्थिक सहायता की राशि में वृद्धि करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) बजट अनुमानों में की गई व्यवस्था के अनुसार चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के लिए वितरण हेतु उपलब्ध की गई राज सहायता का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

	(रु० प्रति क्विंटल)
गेहूं	33.49
चावल	26.60
मोटे अनाज	32.84

(ख) और (ग) राज सहायता इकनामिक लागत और निर्गम मूल्य के बीच के अन्तर का प्रतिनिधित्व करती है। इकनामिक लागत में वसूली मूल्य, वसूली सम्बन्धी प्रासंगिक खर्चे और निगम के वितरण सम्बन्धी प्रभार शामिल होते हैं। सरकार कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों के परामर्श से वसूली मूल्य निर्धारित करती है। उपभोक्ताओं की खर्च करने की क्षमता, समूचे मूल्य स्तर पर प्रभाव तथा खुले बाजार में चल रहे मूल्यों को ध्यान में रखने के बाद सरकार द्वारा निर्गम मूल्य भी निर्धारित किए जाते हैं। अतः राजसहायता

की मात्रा में अन्तर की व्याख्या चावल तथा अन्य खाद्यान्नों के वसूली और निर्गम मूल्यों के बीच के अन्तर द्वारा की जाती है। अतः राज सहायता की राशि अनाज की कुल इक्नामिक लागत के स्तर तथा उसके निर्गम मूल्य पर निर्भर करती है।

टेलीफोन-तारों की चोरी

3211. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडेय** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों के गत तीन वर्षों के दौरान (राज्यवार) कुल कितनी मात्रा में टेलीफोन के तारों की चोरी के समाचार मिले;

(ख) टेलीफोन विभागों को इसके फलस्वरूप कितनी हानि हुई है ; और

(ग) टेलीफोन के तारों की चोरी को रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण के रूप में दिए गए हैं।

(ग) टेलीफोन तारों की चोरी पर नियंत्रण रखने के लिए निम्न कार्रवाई की गई हैं :—

(i) टेलीग्राफ तार (अवैध कब्जा) कानून 1950 में संशोधन किया गया है जिससे कि अपराधियों को कड़ी सजा दी जा सके।

(ii) लाइनों में लगे तांबे के तारों के स्थान पर क्रमिक रूप से अल्मूनियम अथवा तांबा वेष्टित स्टील तार लगाए जा रहे हैं।

(iii) ऐसे क्षेत्रों में जहां कि तार की चोरी अधिक होती है चोरी की घटनाओं में कमी लाने हेतु फील्ड यूनिटें पुलिस अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकें की जाती हैं।

(iv) कुछ क्षेत्रों में प्रयोग के तौर पर मार्ग पर रात्रि-गश्त लगाने तथा केबुल में संकेतक लगाने की व्यवस्था की गई है।

विवरण

गत तीन वर्षों (1977-78, 1978-79, 1979-80) के दौरान चोरी की रिपोर्ट किए गए टेलीफोन तारों की मात्रा और विभाग द्वारा उठाई गई हानि की मात्रा को प्रदर्शित करने वाला विवरण पत्र

क्रम संख्या	राज्य	यूनिट	चोरी किए गए तारों की मात्रा कि० मी० अथवा कि० ग्राम में	उठाई गई हानि की मात्रा रुपयों में
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र	(i) दूरसंचार सर्किल और हैदराबार जिला	1,69,845 कि०ग्रा०	27,65,576
		(ii) अनुरक्षण क्षेत्र	73.04 कि०मी०	67,031
2.	बिहार	दूरसंचार सर्किल	2,110 कि०ग्रा०	9,63,845
			1,246.46 कि०मी०	
3.	गुजरात	(i) दूरसंचार सर्किल	42,016 कि०ग्रा०	10 55,674
		(ii) अनुरक्षण क्षेत्र	42.32 कि०मी०	72,370
4.	जम्मू व कश्मीर	(i) दूरसंचार सर्किल	16,457 कि०ग्रा०	3,96,861
		(ii) अनुरक्षण क्षेत्र	28.21 कि०मी०	49,264
5.	कर्नाटक	(i) दूरसंचार सर्किल	38,224 कि०ग्रा०	6,94,413
		(ii) बंगलौर टेलीफोन जिला	3.9 कि०मी०	78,510
6.	केरल	(i) दूरसंचार सर्किल और त्रिवेन्द्रम जिला	15,507 कि०ग्रा०	4,48 750
			2.4 कि०मी०	8,426

1	2	3	4	5
7.	महाराष्ट्र	(i) दूरसंचार सर्किल, बम्बई और पुणे टेलीफोन जिले	1,935.24 कि०मी०	22,08,653
		(ii) नागपुर टेलीफोन जिला	104 कि०ग्रा०	2,248
8.	मध्य प्रदेश	(i) दूरसंचार सर्किल	1,03,237 कि०ग्रा०*	23,65,196*
		(ii) अनुरक्षण क्षेत्र	228 31 कि०मी०	4,10,503
9.	पंजाब	दूरसंचार सर्किल, अनुरक्षण क्षेत्र और जालन्धर, लुधियाना अमृतसर जिले	1,806.35 कि०मी०	14,01,382
10.	उड़ीसा	दूरसंचार सर्किल	581.32 कि०मी०	6,50,759
11.	राजस्थान	(i) दूरसंचार सर्किल और अनुरक्षण क्षेत्र	2,055.41 कि०मी०	38,84,607
		(ii) जयपुर टेलीफोन जिला	50 कि०ग्रा०	175
12.	तमिलनाडु	दूरसंचार सर्किल और मद्रास टेलीफोन जिला	30,838 कि०ग्रा० 6.07 कि०मी०	8,75,195
13.	उत्तर प्रदेश	(i) दूरसंचार सर्किल	1,86,000 कि०ग्रा०	16,00,000
		(ii) अनुरक्षण क्षेत्र	45.38 कि०मी०	33,618
14.	पश्चिम बंगाल	दूरसंचार सर्किल और कलकत्ता टेलीफोन जिला	1,307 कि०मी०	8,73,396
15.	हरियाणा	दूरसंचार सर्किल और अनुरक्षण क्षेत्र	213.23 कि०मी०	1,94,391
16.	हिमाचल प्रदेश	दूरसंचार सर्किल	22.64 कि०मी०	38,889

*1976-79 अवधि के लिए

1	2	3	4	5
17.	असम	(i) दूरसंचार सर्किल	72,800 कि०ग्रा०	14,84,421
		(ii) टेलीफोन जिला, गोहाटी	4.67 कि०मी०	31,480
18.	मेघालय	दूरसंचार सर्किल	4,120 कि०ग्रा०	98,512
19.	मणिपुर	दूर संचार सर्किल	34,970 कि०ग्रा०	5,95,553
20.	नागालैंड	दूरसंचार सर्किल	660 कि०ग्रा०	13,316
21.	त्रिपुरा	दूरसंचार सर्किल	4,240 कि०ग्रा०	85,279
22.	दक्षिणी अनुरक्षण क्षेत्र मद्रास के अधीन लाइनें जिनके अन्तर्गत तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश आते हैं।		3,45.65 कि०मी०	8,50,630

टिप्पणी :—

(i) चोरी हुए टेलीफोन तारों की मात्रा आंशिक रूप से किलोमीटरों और आंशिक रूप से किलोग्राम में दिखाई गई है।

(ii) उठाई गई हानि की मात्रा रुपयों में है।

गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के लिये विदेशी पोतों की खरीद

3212. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के काम के लिए किराये पर विदेशी पोतों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके पीछे सरकार की यह मन्शा है कि यदि उक्त कार्य आर्थिक दृष्टि से लाभ कर पाया जाये तो किराये की अवधि समाप्त करने पर उक्त पोतों को खरीद लिया जाएगा ;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाज खरीदने के लिए सरकार किन कदमों पर विचार कर रही है ; और

(घ) उक्त जहाज किन देशों से खरीदे जाते हैं और उपभोक्ताओं को इनका वितरण कैसे किया जा रहा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) सरकार ने 60 जलयानों के आयात के लिए जून, 1977 में सार्वजनिक सूचना जारी की । 50 प्रतिशत की कमी का अंदाजा लगाते हुए कुल 125 जलयानों के आयात की अनुमति दी गई है । जहाजरानी विकास निधि समिति ने 75 जलयानों के लिए ऋण की मंजूरी दी थी । किन्तु जहाजरानी विकास निधि समिति ने 31-12-78 के बाद मछली पकड़ने वाले जलयानों के लिए ऋण देना बन्द कर दिया है । सरकार शेष मामलों के सम्बन्ध में ऋण देने के लिए कृषि पुनर्वित्त विकास निगम के साथ बातचीत कर रही है ।

(घ) अमरीका, जापान, हालैण्ड, पोलेण्ड, कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, फ्राँस, आस्ट्रेलिया आदि के विभिन्न विदेशी विनिर्माताओं से हमारी मछली पकड़ने की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त प्रमाणित डिजाइन के जलयान चुने जाते हैं । ट्रालरों के आयात की अनुमति देने के सम्बन्ध में अपनाए जाने वाले प्रमुख सिद्धान्त नीचे दिए गए हैं :—

(1) परिसंस्करण और विपणन सहित मात्स्यिकी के क्षेत्र में अनुभव :

(2) आवेदक की प्रबंध सम्बन्धी क्षमता : और

(3) फर्म की ठोस वित्तीय स्थिति तथा ख्याति ।

आवेदन पत्रों पर विचार करते समय निम्नलिखित प्राथमिकतायें अपनाई गई थीं :—

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के निगम ।

(2) सहकारी समितियां ।

(3) छोटे तथा मध्यम आकार के मझुआ संगठन और अलग-अलग व्यक्ति, और

(4) बड़े आकार की औद्योगिक यूनिटें जिसमें बड़े घराने भी शामिल हैं ।

दूरसंचार उपकरणों का निर्माण

3213. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र दूरसंचार के उपकरणों की मांग पूरी करने में असमर्थ था और इस समय उनका आयात किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) और (ख) दूरसंचार उपस्कर बनाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इस तरह के उपस्कर की तमाम जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं । दूरसंचार उपस्कर के लिए आयात का सहारा लेने के कारण है :—

(1) इस उपस्कर की माँग स्वदेश में इसकी उत्पादन क्षमता से कहीं अधिक है ; और

(2) अद्यतन तकनालाजी वाले कुछ आधुनिक उपस्कर अभी देश में तैयार नहीं किए जा रहे हैं ।

इनको देश में तैयार करने की क्षमता बढ़ाने और अनुसंधान तथा विकास प्रयासों को बढ़ाकर बढ़ी हुई तकनालाजी के विकास के लिए कार्रवाई की जा चुकी है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के भिन्न-भिन्न कालेज केन्द्रों में परीक्षाएं

3214. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के भिन्न-भिन्न कालेज केन्द्रों में परीक्षा निगरानी हेतु विशेष निरीक्षण दल नियुक्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परीक्षा शाखा के प्रवासनिक कार्यकरण का भी विभाजन किया जायेगा ;

(ग) क्या दक्षिणी कैम्पस का उसके कालेजों के लिए पृथक परीक्षा अनुभाग होगा ;

(घ) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय की अकादमी परिषद् ने ये सिपारिशें की थीं ; और

(ङ) अन्य सिफारिशें क्या-क्या थीं और नकल आदि करते समय पकड़े जाने वाले छात्रों

को दण्ड देने के लिए परिषद् के स्वीकृति मार्गदर्शी सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं। तथापि, दिल्ली विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक परीक्षाओं के निर्बाध तथा सफल संचालन को सुनिश्चित करने में केन्द्र के अधीक्षकों की मदद करने के लिए विश्वविद्यालय के परीक्षा केन्द्रों का समय-समय पर दौरा करते हैं।

(ख) से (घ) शैक्षिक परिषद की सिफारिश पर, कुलपति ने विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर को दक्षिण दिल्ली के कालेजों में परीक्षाओं के संचालन का काम सौंपने के प्रस्ताव की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की है।

(ङ) शैक्षिक परिषद ने परीक्षा में गलत तरीके अपनाने वाले छात्रों को दण्ड देने के लिए कुछ मार्गदर्शी बातों को अपनाने की भी सिफारिश की थी। इन सिफारिशों पर विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा अभी विचार किया जाना है।

विभिन्न जोनो में चीनी की उत्पादन लागत और उसका बिक्री मूल्य

3215. **श्री बालासाहिब बिखे पाटिल :**

श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल : क्या **कृषि मन्त्री** निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान मुख्य पदों, अर्थात् गन्ने की लागत खरीद कर/गन्ने का उप कर, प्रति क्विंटल रूपान्तरण लागत और प्रतिलाभ के अन्तर्गत चीनी के 16 जोनों में से प्रत्येक में चीनी का उचित बिक्री मूल्य क्या है ; और

(ख) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान जोन-वार चीनी की प्रतिक्विंटल उत्पादन लागत क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) उत्पादन की आर्थिक लागत (लगाई गई पूंजी पर लाभ समेत) की गणना निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत की जाती है :—

गन्ने की लागत

क्रय कर/गन्ना उपकर और सूखना

मूल्य ह्रास समेत स्थानान्तरण लागत; और लम्बी अवधि के उधारों पर ब्याज समेत लाभ इस तरह निकाली गई लागत आर्थिक लागत होती है, इसे एक जोन में कुल उत्पादन के लिए उचित बिक्री मूल्य के रूप में माना जा सकता है।

1978-79 और 1979-80 के वर्षों के ज़ोनवार ऐसी उत्पादन लागत के ब्यौरे बताने वाले दो विवरण संलग्न है (विवरण 1 तथा 2)।

विवरण—I

वर्ष 1978-79 के लिए चीनी की उत्पादन लागत और निकासी बिक्री मूल्य बताने वाला विवरण :

क्रम संख्या	जोन	गन्ने की लागत	क्रय कर ड्रायेज उपकर	परिवर्तन लागत	दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज सहित लाभ	कुल उत्पादन की इकनामिक लागत/उत्पादन लागत
1.	पंजाब	117.37	3.10	62.12	25.13	207.72
2.	हरियाणा	117 63	18.54	62.23	25.13	223.53
3.	राजस्थान	119.94	0.20	90.23	25.13	235.50
4.	पश्चिमी उ० प्र०	118.61	15.80	57.15	25.13	216.69
5.	मध्य उ० प्र०	126.91	16.83	54.47	25.13	223.34
6.	पूर्वी उ० प्र०	125.05	16.80	71.60	25.13	238.58
7.	उ० बिहार	124.58	13.51	78.50	25.13	241.72
8.	द० बिहार	120.01	13.87	118 86	25.13	277.87
9.	गुजरात	123.98	10 60	54.19	25.13	213.90
10.	म० प्र०	120.97	5.90	80.42	25.13	232.42
11.	महाराष्ट्र	119.35	15.16	49.22	25.13	208.86
12.	कर्नाटक	121.61	17.71	59 74	25.13	224.19
13.	अ० प्र०	119.57	11.03	68.64	25.13	224.37
14.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	127.53	21.91	54.39	25.13	228.96
15.	असम, उड़ीसा पश्चिमी बंगाल और नागालैण्ड	121.65	1.95	87.29	25.13	239.02
16.	केरल और गोआ	122.67	5.60	76.39	25 13	229.79
	अखिल भारत औसत					219.63

*सरकार द्वारा गन्ने के निर्धारित किए गये न्यूनतम सांविधिक मूल्य के आधार पर गन्ने की लागत का हिसाब लगाया गया है।

विवरण 2

वर्ष 1979-80 के लिए चीनी की उत्पादन लागत और निकासी बिक्री मूल्य बताने वाला विवरण :

क्रम संख्या	जोन	गन्ने की लागत	क्रय कर/ ड्रायेज उपकर	परिवर्तन लागत	दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज सहित लाभ	कुल उत्पादन की इक्नामिक लागत/ उत्पादन लागत
1.	पंजाब	156 25	3.17	73.50	23 18	256.10
2.	हरियाणा	148.17	18.57	69.82	23.18	259.74
3.	राजस्थान	150.28	0.26	106.86	23.18	280.58
4.	पश्चिमी उ० प्र०	147.53	15.90	75.11	23.18	261.72
5.	मध्य उ० प्र०	146.23	16.38	76.26	23.18	262.05
6.	पूर्वी उ० प्र०	147.35	16.15	100.59	23.18	287.47
7.	उत्तरी बिहार	146.36	13.30	95.30	23.18	278.14
8.	दक्षिणी बिहार	144.84	13.50	124.67	23.18	306.19
9.	गुजरात	147.72	12.99	60.80	23.18	244.06
10.	मध्य प्रदेश	147.18	6.98	97.11	23.18	274.45
11.	महाराष्ट्र	148.33	14.96	37.95	23.18	244.42
12.	कर्नाटक	150.30	18.57	66.44	23.18	258.49
13.	आन्ध्र प्रदेश	147.45	10.91	70.69	23 18	252 23
14.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	152.27	24.94	64.31	23.18	264.70
15.	असम, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और नागालैण्ड	147 93	0 42	93 88	23.18	265.41
16.	केरल और गोआ	156.01	7.03	75.62	23 18	261.84
	अखिल भारत औसत					255.94

* सरकार द्वारा गन्ने के निर्धारित किए गए न्यूनतम सांविधिक मूल्य के आधार पर गन्ने के लागत का हिसाब लगाया गया है।

नगरीय भूमि की अधिकतम सीमा और विनिमय अधिनियम, 1976

3216. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :**

श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों के एक दल सहित सरकार द्वारा गठित किसी विशेषज्ञ समितियों और कार्यकारी दलों ने 1970 से लेकर बाद तक नगरीय या भूमि की अधिकतम सीमा कानून की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए गठित प्रत्येक विशेषज्ञ समिति तथा कार्यकारी/अध्ययन दल ने क्या क्या सिफारिशें की हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 में बनाया गया था। भारत सरकार के द्वारा नवम्बर, 1979 में नियुक्त, एक कार्यकारी दल ने इस अधिनियम के कार्यकलाप का प्रथम विधिवत पुनरीक्षण किया था।

(ख) कार्यकारी दल द्वारा दी गई सिफारिशों पर जब तक कि सरकार अपना कोई निर्णय नहीं लेती उन्हें बताना लोकहित में नहीं होगा।

पटसन उत्पादकों के लिए योजना

3217. **श्री मुकुन्द मण्डल :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पटसन उत्पादकों को बचाने के लिए कोई तरीके अपनाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने देश के पटसन के उत्पादकों को बचाने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाये हैं :—

(1) कच्चे पटसन के सांविधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करना;

(2) कच्चे पटसन की खरीद का कार्य भारतीय पटसन निगम को सौंप कर बाजार समर्थन उपलब्ध करना;

(3) गहन कृषि के माध्यम से कच्चे पटसन की उत्पादिता बढ़ाने के लिए पटसन/मेस्ता पैदा करने वाले छह प्रमुख राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित गहन पटसन जिला कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना। इस योजना के तहत भारत सरकार उत्पादकों को पटसन के प्रमाणीकृत बीज रियायती दर पर दे रही है।

टाइगर-प्रोजेक्ट पर किया गया खर्च

3218. **श्री मुकुन्द मन्डल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक-टाइगर प्रोजैक्ट पर अब तक खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी स्वामीनाथन) : सम्बन्धित राज्य सरकारों से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लेह में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

3219. **डा० कर्ण सिंह** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेह में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्कूल कब खोला जायेगा ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने लेह में केन्द्रीय विद्यालय (सेन्ट्रल स्कूल) खोलना सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया है भूमि और भवनों की उपलब्धता से सम्बन्धित मामलों पर राज्य सरकारों से बातचीत की जा रही है। ये मामले तय हो जाने के बाद विद्यालय शुरू किया जा सकेगा।

आरोविल परियोजना

3220. **डा० कर्णसिंह** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटु वाद-विवादों और वित्तीय अनियमितताओं के परिणामस्वरूप आरोविल परियोजना के समक्ष गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो श्री अरविंद और मां का राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इस महान परियोजना का उद्धार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार को इन समस्याओं की जानकारी है और कार्रवाई के विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है।

केरल में डाक व तारघरों का खोला जाना

3221. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1977, 1978 और 1979 में (वर्ष-वार) कितने नये डाक/तारघर खोले गये हैं ;

(ख) उपर्युक्त अवधि में केरल के प्रत्येक जिले में, वर्ष वार ऐसे कितने नये डाक/तार-घर खोले गये हैं;

(ग) 1980 और 1981 के दौरान देश में कितने नये डाक-तारघर खोले जाने का विचार है; और

(घ) 1980 और 1981 में, केरल के प्रत्येक जिले में कितने नये डाक/तारघर खोले जाएंगे ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान योजना के अन्तर्गत देश में खोले गए नए डाकघरों/तारघरों की संख्या इस प्रकार है:—

वर्ष	खोले गए डाकघरों की संख्या	खोले गए तारघरों की संख्या
1977-78	3,297	2,614
1978-79	5,753	3,851
1979-80	5,663	2,746

(ख) केरल के प्रत्येक जिले में योजना के अन्तर्गत खोले गए नए डाकघरों/तारघरों की वर्ष-वार संख्या संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ग) और (घ) योजना आयोग द्वारा पूर्व अनुमोदित वार्षिक योजना 1980-81 के अंतर्गत केरल में खोले जाने वाले 150 डाकघरों सहित 5,000 नये ग्रामीण डाकघर और केरल में खोले जाने वाले 59 तारघरों सहित 3,500 तारघर खोले जाने का प्रस्ताव है। 1980-85 की अवधि हेतु तैयार की जा रही पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखते हुए इन संख्याओं में संशोधन किया जा सकता है। 1981 82 हेतु लक्ष्य नयी पचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने के पश्चात निश्चित किया जा सकेगा।

विवरण

केरल में जिलेवार और वर्षवार खोले गए नए डाकघरों/तारघरों की संख्या दर्शाने वाला विवरण पत्र

I. डाकघर

जिले का नाम	वर्ष		
	1977-78	1978-79	1979-80
1. त्रिवेन्द्रम	16	11	18
2. क्विलोन	15	8	17
3. एलेप्पी	19	7	8

1	2	3	4	5
4.	कोट्टायम	5	7	7
5.	इडिक्की	12	24	10
6.	एनर्पकुलम	4	12	8
7.	मालापपुरम	10	6	13
8.	पालघाट	6	5	18
9.	त्रिचूर	6	6	8
10.	कालीकट	11	20	18
11.	कन्नानोर	9	28	33

II. तारघर

जिले का नाम	खोले गए तारघर		
	1977-78	1978-79	1979-80
1. त्रिवेन्द्रम	17	3	17
2. क्विलोन	7	5	2
3. एलेप्पी	9	31	3
4. कोट्टायम	2	7	1
5. इडिक्की	3	2	1
6. एनर्पकुलम	7	15	9
7. मालापपुरम	2	21	4
8. पालघाट	2	41	16
9. त्रिचूर	3	29	7
10. कालीकट	6	6	5
11. कन्नानोर	34	44	15

रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रणाली

3222. **श्री प्रतापभानु शर्मा :**

श्री मूलचन्द डागा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बुनियादी परिवर्तन करके इसे रोजगारोन्मुख बनाने से संबंधित प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस बारे में कितना काम हुआ है; और

(ग) ठोस और प्रभावी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कब तक उभर कर आने की आशा है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) : 1979 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप तैयार किया गया था और सभा पटल पर रखा गया था। इस नीति पर यथा, शीघ्र, गंभीरता से विचार-विमर्श करने तथा विस्तृत परामर्श के बाद, समीक्षा करने का प्रस्ताव है।

1968 में तैयार की गई नीति और नीति प्रारूप में शिक्षा को कार्यात्मक एवं संगत बनाने के उपाय दर्शाए गए है। विद्यार्थियों को यथार्थ जीवन के लिए तैयार करने हेतु कार्य अनुभव, को निवेश के रूप में सुझाया गया है। स्वतः रोजगार सहित रोजगार के लिए छात्रों को तैयार करना, सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण करने का प्रस्ताव किया गया है। छठी योजना प्रारूप में उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रमों को रोजगार उन्मुख बनाने के लिए भी एक सुझाव दिया हुआ है। विद्यार्थियों को सार्थक जीवन के लिए तैयार करने की दृष्टि से अधिकांश राज्यों ने स्कूली पद्धति में कार्य अनुभव को लागू करने के सुझाव स्वीकार कर लिए हैं। अनेक राज्यों ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के कार्यक्रमों को स्वीकार कर लिया है तथा आरम्भ भी कर दिया है। तथापि, नीति प्रारूप को अन्तिम रूप देने के पश्चात् इन प्रस्तावों पर अधिक उत्साह से कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी।

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना

3223. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को स्वीकृति कब तक दी जाएगी; और

(ग) इस विश्वविद्यालय के लिए राज्य के किस जिले का चयन किया गया है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आवास समस्या

3224. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान मध्यम तथा कम आय वर्ग के लोगों की

आवास समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं के लिए आगामी पांच वर्षों में कितनी राशि का नियतन किया गया है;

(ग) क्या सरकार राज्य स्तर के आवास निगमों अथवा प्राधिकरणों की स्थापना के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) पंचवर्षीय योजना (1978-83) का कार्य 1-4-1980 से बन्द हो गया है और नई पंचवर्षीय योजना (1980-85) इस समय बनाई जा रही है। इसके उद्देश्य, नीति, परिव्यय आदि पर अभी निर्णय लिया जाना है।

(ग) तथा (घ) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य-स्तरीय आवास निगमों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

मंडावली फजलपुर दिल्ली का ले आउट प्लान

3225. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मंडावली फजलपुर और इसके काम्पलेक्स का ले आउट प्लान रिलीज कर दिया है और इसने पंजीकृत कल्याण संघों से आपत्तियां/सुझाव भी मांगे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्धारित तारीख तक प्राप्त हुई आपत्तियों/सुझावों पर उचित रूप से विचार किया गया है और यदि कोई विवादास्पद बातें हैं तो इन पर पंजीकृत कल्याण संघों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया है;

(ग) क्या पंजीकृत संघों, सामुदायिक केन्द्रों आदि के लिए निर्धारित की गई भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सुरक्षित रखी गई है ;

(घ) क्या यह सच है कि भूमि के मालिकों को विकास शुल्क जमा करने के लिए नोटिस दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने विकास शुल्क जमा कराया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र का विकास कब तक कर दिया जाएगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जनता से आपत्तियां/सुझाव प्राप्त करने के लिए इन विन्यास नक्शों के प्रारूप को प्रकाशित किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) मंडावली फजलपुर में अनधिकृत निर्माण के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

(घ) मंडावली फजलपुर कम्पलैक्स सहित विभिन्न अनधिकृत कालोनियों के सम्पत्तियों के वासियों/मालिकों को आवश्यक दस्तावेजों सहित विकास प्रभारों की पहली किस्त जमा कराने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किए गए थे। ऐसे व्यक्तियों को पृथक्-पृथक् नोटिस जारी किए गए थे जिन्होंने वांछित विकास प्रभार जमा नहीं कराये थे जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वे उसे जमा करा दें।

(ङ) 99 व्यक्तियों ने विकास प्रभारों की प्रथम किस्त जमा करा दी है। कुल विकास प्रभारों का कम से कम 50 प्रतिशत एकत्र होने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण क्षेत्र का विकास कार्य आरम्भ करेगा।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियां

3226. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मानवीय आधार पर समस्त अनधिकृत कालोनियों और दस वर्ष से अधिक पुरानी अनधिकृत कालोनियों में पेयजल उपलब्ध कराने का है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसी कितनी कालोनियां हैं जहां पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : **(क)** नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उनके क्षेत्र में कोई अनधिकृत कालोनियां नहीं हैं। अधिकृत कालोनियों में पेयजल की व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दहेज की मांग करने संबंधी घटनाओं में वृद्धि के बारे में सर्वेक्षण

3227. **श्री अर्जुन सेठी : क्या समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दहेज की मांग करने संबंधी घटनाओं में वृद्धि के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त सामाजिक अभिशाप तथा उसमें वृद्धि के कारणों का अध्ययन किया है;

(ग) इस बुराई के विरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता से जनमत तैयार करने हेतु क्या सरकार कोई प्रयास कर रही है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए सरकार अन्य क्या उपाय करना चाहती है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी नहीं, परन्तु एक अनुसन्धान परियोजना "दहेज का व्यवहार तथा समस्याएं" प्रायोजित की गई हैं ।

(ग) सभी जगह जानकारी अभियान चलाने तथा इस बुराई के साथ शिक्षा द्वारा निपटने के लिए सरकार ने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा स्वयंसेवी संगठनों को लिखा है ।

(घ) दहेज निषेध अधिनियम, 1961 को अधिक कारगर बनाने के लिए सरकार इस अधिनियम की समीक्षा कर रही है ।

समुद्री तूफान से अधिकतर प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में संरक्षण क्षेत्र

3228. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के समुद्री तूफान से अधिकांशतः प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में एक संरक्षण क्षेत्र बनाने के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1977 में आन्ध्र प्रदेश में समुद्री तूफान से हुई तबाही पर विचार करते हुये यह महसूस किया गया कि इन तूफानों के प्रकोप को कम करने के लिए कुछ कार्यवाही करना आवश्यक है । आन्ध्र प्रदेश के अनुभव से यह पता लगा कि जहां पर केजुआरीन पौध रोपण की अधिक चौड़ी पट्टियां थीं, वहाँ इन वृक्षों ने समुद्री तूफान का सामना करके इसके प्रकोप को काफी हद तक कम किया और कुछ मूल्यवान भूमि तथा सम्पत्ति की रक्षा की । इस बात पर विचार करते हुए उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा पट्टियां बनाने का निर्णय किया गया था और वर्ष 1978 में एक और योजना तैयार की गई जिसे अवनत वनों में

पुनः वृक्ष रोपण और सुरक्षा पट्टियां बनाने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना में शामिल किया गया था, जो कि सामाजिक वानिकी का एक भाग थी।

इस योजना को 1000 रुपये प्रति हैक्टार तक वित्तीय सहायता केन्द्रीय अनुदान के रूप में दी जानी थी। इस योजना के अन्तर्गत, तट के साथ-साथ उपलब्ध सरकारी भूमि पर जहां भी सम्भव हो, नारियल और काजू के वृक्षों से रक्षित तटीय भूमि पर कैजुप्रारीना के वृक्ष लगाने को प्राथमिकता दी जानी थी। भूमि की उपलब्धि पर निर्भर करते हुए इसकी कुल चौड़ाई 100 मीटर से लगभग 1 किलोमीटर तक होनी थी। यह योजना वर्ष 1978-79 में आन्ध्र प्रदेश उड़ीसा और तमिलनाडु में क्रियान्विति के लिए तैयार की गई थी और इन राज्यों के लिए केन्द्रीय अनुदान के रूप में 73.50 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई थी।

राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार, 1-4-79 से यह योजना केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र से राज्य क्षेत्र को स्थानान्तरित कर दी गई।

दिल्ली में कार्यालयों के लिए किराए के भवन

3229. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजधानी में कुछ कार्यालयों के भवनों के लिए किराए का भुगतान कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो राजधानी में कार्यालयों की जगह के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को किराए के रूप में कुल कितनी धनराशि का प्रतिवर्ष भुगतान करना पड़ रहा है ;

(ग) क्या सरकार का दिल्ली में निकट भविष्य में कार्यालयों के लिए जगह देने हेतु भवनों के निर्माण का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) किराये/मुआवजे के रूप में कुल धनराशि लगभग 1.70 करोड़ रुपये है जिसका वार्षिक भुगतान सम्पदा निदेशालय द्वारा (न कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा) राजधानी में कार्यालय वास के लिए किराए पर लिए गए/अधिग्रहीत गैर सरकारी भवनों के लिए देना पड़ रहा है।

(ग) तथा (घ) दिल्ली में निम्नलिखित कार्यालय भवन, निर्माण की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में हैं :—

	फर्शी क्षेत्र (वर्गमीटर)
1. रामकृष्णपुरम के सैक्टर—*1 में बहुमंजिला कार्यालय भवन	28,606
2. महरौली—बदरपुर रोड क्षेत्र में कार्यालय भवन	18,660
3. प्लाट नं० 35 नई दिल्ली में सेना भवन के ब्लाक बी और सी	18,236
4. सिविल लाइन्स, दिल्ली में प्रकाशन विभाग के लिए अतिरिक्त कार्यालय भवन	1,761
5. लोदी रोड, नई दिल्ली, चरण—1 में बहुमंजिला कार्यालय भवन	61,000

लोदी रोड क्षेत्र में 33,860 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्र का एक अन्य कार्यालय भवन के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। परन्तु भवन का निर्माण कार्य वित्तीय कठिनाई के कारण अभी आरम्भ नहीं किया गया है।

मूर्तियों की चोरी

3230. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी प्राचीन मूर्तियां चोरी चली गई ;

(ख) कितने मामलों में पुलिस को चोरी की गई उक्त मूर्तियां बरामद करने में सफलता मिली ; और

(ग) ऐतिहासिक महत्व की राष्ट्रीय सम्पदा को चोरी होने से बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 1977, 1978 तथा 1979 में 102 पुरानी मूर्तियों की चोरी चले जाने की सूचना मिली है।

(ख) चार मामलों में 11 पुरानी मूर्तियाँ वसूल कर ली गई है।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाए गए :—

(1) पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 का प्रवर्तन जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी निर्दिष्ट है :—

(i) कुछ निश्चित प्रकार के पुरावशेषों का पंजीयन अधिकारी के यहाँ पंजीकरण कराना,

(ii) पंजीकृत पुरावशेषों के व्यापार अथवा संचलन के विषय में पंजीयन अधिकारियों को अवगत कराना,

(iii) केवल लाइसेंस-प्राप्त व्यापारियों द्वारा पुरावशेषों का व्यापार करने की सीमा निबन्धित करना,

(iv) पुरावशेष-निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना ।

(2) 1977 में भारत ने सांस्कृतिक सम्पत्ति के अवैध आयात, निर्यात और स्थानान्तरण का निषेध करने के उपायों पर हुए यूनेस्को समझौते का अनुसमर्थन किया । समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था भी है कि संविदाकारी पक्षकार अपने प्रदेश में चुराई गई सांस्कृतिक सम्पत्ति के अवैध आयात पर रोक लगाने तथा ऐसी चुराई गई वस्तुएं ढूंढने और सम्बन्धित देशों को लौटाने के लिए कदम उठाएंगे, परन्तु इस समझौते के अंतर्गत संविदाकारी पक्षकारों के अधिकार समझौते पर हस्ताक्षर करने के पूर्व-प्राभवी न होकर भविष्य-प्रभावी होंगे ।

(3) पुरावशेषों की चोरी तथा हानि से सम्बन्धित मामलों की जांच कराने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों में एक ऐन्टीक सेल खोला गया है ।

(4) अबद्ध मूर्तियों, चित्रों, सचित्र पांडुलिपियों आदि के प्रलेखन हेतु पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं ।

(5) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पुरावस्तुओं को पहचान कर उनके अवैध निर्यात को रोकने में सीमा-शुल्क प्राधिकारियों की सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण सीमा-शुल्क केन्द्रों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री-पतन पर अपने अधिकारी नियुक्त किए हैं । इसके अतिरिक्त निर्यात के लिए वस्तुओं की जांच करके यह देखने के लिए कि उनमें से कोई वस्तु पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 की शर्तों के अनुसार पुरावशेष तो नहीं है, भारत के महत्वपूर्ण नगरों में विशेषज्ञ सलाहकार समितियां स्थापित की गई हैं ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम का कार्यकरण

3231. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम का कार्यकरण के बारे में 17 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 754 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) इस निगम की स्थापना से लेकर कार्यवार विस्तृत सूचना एकत्रित करना, व्यवहार्य नहीं पाया गया है, जैसा कि लोकसभा के दिनांक 17-3-80 के अतारांकित प्रश्न संख्या 754 में पूछा गया है, क्योंकि इसमें बहुत ही पुराने रिकार्ड की जांच करने का एक बड़ा भारी कार्य होगा, जिसमें से कुछ रिकार्ड को लम्बी अवधि तक रखने की जरूरत नहीं थी। तथापि निगम, की स्थापना से लेकर किये गये कार्य का कुल मूल्य, लाभ, किये गये उपरिप्रभार और नियमित कर्मचारियों के वेतन के बिलों के बारे में वर्षवार स्थिति अनुलग्नक 1 में दी गई है।

(ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 1040/80)

पूर्ण किये गये कुछ बड़े निर्माण कार्यों (देश में) के बारे में लाभ की स्थिति का एक अन्य विवरण (अनुलग्नक II) संलग्न है।

(ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०—1040/80)

31 दिसम्बर, 1979 को ग्राहकों से वसूल की जाने वाली बकाया राशि की स्थिति इस प्रकार है :—

देश में निर्माण कार्य ;—

(i) चल रहे निर्माण कार्य	2.92 करोड़ रुपये।
(ii) बन्द निर्माण कार्य	1.68 करोड़ रुपये।
विदेश में निर्माण कार्य	14.70 करोड़ रुपये।
जोड़	19.30 करोड़ रुपये।

सरकारी आवास

3232. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनमें से कितने कर्मचारियों को आवास सुविधा प्रदान की जा चुकी है ;

(ख) केन्द्र सरकार के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो गत 5-15 वर्ष से सेवारत हैं लेकिन जिन्हें अभी सरकारी आवास नहीं मिला है ;

(ग) 1977-79 के दौरान सरकार ने कितने सरकारी क्वार्टरों का निर्माण करवाया ; और

(घ) आवास समस्या सुलझाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जो कर्मचारी दिल्ली में सामान्य पूल वास के पात्र हैं और जिन्होंने उसके लिए आवेदन किया है, उनकी संख्या 1,00,384 है, इनमें से 44,393 कर्मचारियों को दिल्ली में सामान्य पूल वास दे दिए गए हैं।

(ख) 30-6-80 को इनकी संख्या 22831 है।

(ग) बनाए गए और सम्पदा निदेशालय को सौंपे गये सामान्य पूल के क्वार्टरों की संख्या 3190 है।

(घ) सरकार ने दिल्ली में उन सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकांशत: निम्नतर टाइपों के 15,300 फ्लैट बनाने का एक त्वरित कार्यक्रम आरम्भ किया है जो 1000 1 रु० तक वेतन ले रहे हैं। इस कार्यक्रम के पूर्ण होने से, इन टाइपों का परितुष्टि का स्तर 43.1 प्रतिशत से बढ़कर 60.7 प्रतिशत तक हो जाने की आशा है।

शिक्षा को राष्ट्रीय दर्जा तथा समरूपता प्रदान करना

3233. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षा को राष्ट्रीय दर्जा तथा समरूपता प्रदान करके केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने का है ;

(ख) क्या शिक्षा का प्रशासन राज्यों के दायरे में होने के कारण क्षेत्रीयवाद तथा भेदभाव की समस्या बढ़ती जा रही है ; और

(ग) क्या सभी राज्यों के अध्यापकों ने एक 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' बनाये जाने हेतु दिल्ली में कई बार प्रदर्शन तथा धरने दिए हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) और (ख) स्थानान्तरणीय केन्द्रीय कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा की समस्याओं का केन्द्रीय विद्यालय पूल संगठन तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों द्वारा बहुत ध्यान रखा जाता है।

तथापि, राष्ट्रीय एकता और शैक्षिक अवसरों में समानता को प्रोत्साहित करने तथा क्षेत्रीयवाद और भेदभाव दूर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में यह सुझाव दिया गया था कि 10+2+3 पद्धति को अपनाने के मूल उद्देश्य को लेकर देश के सभी भागों में मोटे तौर पर एक समान शैक्षिक पद्धति को अपनाना लाभदायक होगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद समूचे देश में आदर्श पाठ्यचर्या और पाठ्य विवरण तथा पाठ्यपुस्तकें अपनाने के लिए सुझाव देती रही है। इन दृष्टिकोणों को उन राज्य सरकारों का समर्थन प्राप्त है जो इन मामलों में राष्ट्रीय मतक्य का अनुपालन करने के लिए प्रयास कर रही हैं।

(ग) विभिन्न संस्थाओं के शिक्षक देश में शैक्षिक प्रणाली की एक व्यापक एकरूपता लाने की आवश्यकता पर बल देते रहे हैं।

गुजरात में नया विश्वविद्यालय स्थापित करना

3234. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कौन-कौन सा स्थान चुना गया है ;

(ग) क्या भावनगर में एक रेजीडेन्शियल यूनिवर्सिटी खोलने का कोई प्रस्ताव था; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जुलाई 1979 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को गुजरात के शिक्षा मन्त्री से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उत्तर गुजरात के क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव था । आयोग ने राज्य सरकार से प्रस्तावित विश्वविद्यालय के स्थान सहित प्रस्ताव के पूरे ब्यौरे मांगे थे । ये अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ग) और (घ) जी, हां । विश्वविद्यालय ने मई, 1979 से कार्य करना शुरू कर दिया है ।

पाली, राजस्थान के गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन

3235. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) चानोद, लुणवा गांव (जिला पाली) राजस्थान में सार्वजनिक टेलीफोन कब तक स्थापित किये जाएंगे और वहां पर अब तक सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित न करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन गांवों में तत्काल सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित करने के लिए आश्वासन दिया था और यदि हां तो इस आश्वासन को अब तक पूरा न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) चानोद और लुणवा में सार्वजनिक टेलीफोन घरों के खोलने के प्रस्तावों से घाटा है । जिसको भाग की मौजूदा नीति के अनुसार नजर-अन्दाज नहीं किया जा सकता । फिर भी, यदि कोई इच्छुक पार्टी प्रत्येक मामले में पृथक रूप से

विभाग को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति करने को तैयार हो तो किराये और गारन्टी के आधार पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अन्वेसी मत्स्य ग्रहण परियोजना

3236 **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के समुद्री संसाधनों का समुचित मूल्यांकन करने हेतु अन्वेसी मत्स्य ग्रहण परियोजना का काम और बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां ।

(ख) समन्वेषी मात्स्यिकी परियोजना, बम्बई के लिये नये बड़े जलयान प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव विभिन्न चरणों में विचाराधीन हैं । अभी हाल में पांच नये जलयान निर्मित किये गये हैं और उन्हें द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत डेन्मार्क, नीदरलैंन्ड और नार्वे की सहायता से समन्वेषी मात्स्यिकी परियोजना के बेड़े में जोड़ दिया गया है । जापान में एक जलयान का निर्माण किया जा रहा है । परियोजना के लिये गोवा शिप यार्ड में नार्वे की सहायता से तीन और जलयानों का निर्माण किया जा रहा है । अतः इस संगठन को भारत के एक मात्र आर्थिक क्षेत्र के विस्तृत सर्वेक्षण शुरू करने के लिए सुदृढ़ किया जा रहा है ।

आवास समस्या

3237. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी विशेषतः मध्यम तथा कम आय वर्ग के कर्मचारी जो प्राइवेट मकानों के अत्यधिक ऊंचे किराये देने में असमर्थ हैं, आवास की भारी कमी का सामना कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सभी सरकारी कर्मचारियों को किस वर्ष तक मकान दिए जा सकेंगे ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) सामान्य पूल में आवास की अत्यधिक कमी होने के कारण बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को आवास आवंटित नहीं किये गये । इन कर्मचारियों के द्वारा किए गए निजी प्रबंध का तथा उनके द्वारा दिये जा रहे किराये का पता नहीं है ।

(ख) वित्तीय तथा निर्माण सामग्री के संसाधनों की कमी के कारण यह बताना सम्भव

नहीं है कि किस वर्ष तक सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास की व्यवस्था की जायेगी ।

उड़ीसा के अंगोल और ढेकानल में स्वचालित एक्सचेंज और एस० टी० डी० की सुविधा

3238. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के ढेकानल जिले में अंगोल और ढेकानल नगरों में स्वचालित एक्सचेंज और एस० टी० डी० की कोई सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन दो केन्द्रों में काम कब आरम्भ होगा ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी, हां ।

(ख) 30-9-1979 तक, देश में 3.26 लाख लाइनों की क्षमता वाले 1,266 हस्तचलित एक्सचेंज थे, स्वचल एक्सचेंज उपस्कर की सीमित उपलब्धता के कारण, इन एक्सचेंजों के स्वचलितकरण हेतु व्यवस्था करना सम्भव नहीं है ।

स्वचल एक्सचेंज उपस्कर का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है । 1990 तक चरणबद्ध ढंग से सभी हस्तचलित एक्सचेंजों को स्वचल बनाये जाने की सम्भावना है ।

(ग) उपरोक्त (ख) को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों स्थानों में स्वचल एक्सचेंजों की संस्थापना हेतु, कोई निश्चित लक्ष्य बता पाना इस समय सम्भव नहीं है ।

उड़ीसा में ई० डी० एस० ओ०

3239. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र सुविधाएं ई० डी० एस० ओ० सहित ग्रामीण डाकघर खोलने के लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(ख) जनवरी-जून, 1980 के दौरान उड़ीसा में ऐसे कितने कार्यालय खोले गये;

(ग) उड़ीसा के ढेकानल जिले में कितने गांव ई० डी० एस० ओ० के योग्य हैं; और

(घ) इन गांवों में ये सुविधाएं किस अवधि तक प्रदान की जायेंगी ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) ग्रामीण डाकघरों और ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों को खोलने के लिए निर्धारित मानदंड विवरण में दिए गए हैं । जिन विभागेतर शाखा डाकघरों का कार्यभार चार से पांच घंटे प्रतिदिन होता है और जिनमें सार्वजनिक टेलीफोन की व्यवस्था होती है उनका दर्जा बढ़ाकर विभागेतर उपडाकघर बना दिया जाता है ।

(ख) जनवरी से जून 1980 के दौरान सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की सुविधा वाले 8 विभागेतर शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया ।

(ग) ढेंकानाल जिले में जिन विभागेतर शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर विभागेतर उप-डाकघर बनाया जा सकता है उनकी संख्या 9 है ।

(घ) विभागेतर शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर विभागेतर उपडाकघर बनाना योजना कार्यक्रम नहीं है । अत: इसके लिए कोई लक्ष्य/समय सीमा नहीं रखी गई है। अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी होने पर दर्जा बढ़ाने की मंजूरी दी जाएगी ।

विवरण

भाग —I

देहाती इलाकों में डाकघर खोलने के लिए नए मानदंड

ग्रामीण इलाकों में खोले जाने वाले डाकघरों को अब दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :—

(क) सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर, और

(ख) पहाड़ी, आदिवासी या पिछड़े इलाकों में डाकघर ।

(1) **सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर :**

(i) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत की आय होने की संभावना हो ।

(ii) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर-ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) उस गाँव की आबादी 2000 या इससे अधिक होनी चाहिए,

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो ।

(2) **पहाड़ी, आदिवासी और पिछड़े इलाकों में डाकघर :**

(i) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

(ii) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर ग्राम पंचायत वाले गाँवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :

(क) उस गांव की आबादी 1000 या इससे अधिक होनी चाहिए,

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर नहीं होना चाहिए, और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

उपर्युक्त के बावजूद भी पोस्टमास्टर जनरलों को उक्त मानदंडों में से किसी में भी हर वर्ष डाकघर खोलने के 10 प्रतिशत मामलों में छूट देने का अधिकार एतद्द्वारा दिया जाता है।

भाग—II

हानि पर सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने की नीति

स्थानों की श्रेणियां	सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने हेतु शर्तें
1. जिला मुख्यालय	घाटे का ध्यान न करके भी न्यूनतम राजस्व की शर्तों के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।
2. उप मंडलीय मुख्यालय	
3. तहसील मुख्यालय	
4. उप तहसील मुख्यालय	
5. ब्लाक मुख्यालय	
6. ऐसे स्थान जिनकी जनसंख्या साधारण क्षेत्रों में 5000 या अधिक तथा पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 या अधिक हो।	

7. वे स्थान जहां ऐसे पुलिस स्टेशन स्थित हों जिनका इंचार्ज उप-निरीक्षक या उससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी हो।	साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत और पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।
8. आम रास्ते से दूर के स्थान	(क) मौजूदा एक्सचेंज से 40 कि०मी० से अधिक (अरीय दूरी) होनी चाहिए। (ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।
9. पर्यटन/तीर्थ केन्द्र/कृषि केन्द्र/सिंचाई/विद्युत परियोजना स्थल/नगर क्षेत्र	साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यव-का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत और पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।
10. सभी अन्य स्थान	वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या घाटे के मामले में किराये और गारंटी के आधार पर।

टिप्पणी :—आबादी के आंकड़ों पर विचार करने के लिए अकेले कस्बे या गांव की आबादी को ध्यान में रखा जाय न कि कस्बों या गाँवों के एक समूह की आबादी को लेकिन उन आदिवासी इलाकों को छोड़कर जहां एक केन्द्रीय गाँव से 10 किलोमीटर के घेरे में आने वाले गांवों के एक समूह पर विचार किया जा सकता है।

भुवन नगर काम सब डिवीजनल हैड क्वार्टर और जिला हैड क्वार्टर ढेंकानल के साथ सीधा टेलीफोन संबंध

3240. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के ढेंकानल जिले के भुवन नगर का सब डिवीजनल हैडक्वार्टर कामख्यानगर और जिला मुख्यालय ढेंकानल के साथ कोई सीधा टेलीफोन संबंध नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो यह संबंध कब स्थापित किया जाएगा ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां। फिर भी कामख्यानगर और ढेंकानल की ट्रंक कालें जायपुर रोड एक्सचेंज के माध्यम से भेजी जाती है।

(ख) भूटान टाउन से कामरूयानगर और ढेंकानल का ट्रंक यातायात फिलहाल बहुत कम है। यातायात में पर्याप्त वृद्धि हो जाने पर सीधे सर्किट की व्यवस्था कर दी जाएगी।

अपने निजी मकान वाले कर्मचारियों को सरकारी आवास का आवंटन

3241. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी आवास केवल उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को आवंटित किए जाते है जिनके पास अपने नाम पर अथवा अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर कोई प्लाट मकान नहीं होता है ;

(ख) टाइप "ए", "बी" और "सी" में ऐसे सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिनके पास अपने निजी मकान तथा साथ ही सरकारी आवास भी है ;

(ग) ऐसे कर्मचारियों को सरकारी आवास दिए जाने के क्या कारण हैं और उनसे किराया किस दर पर लिया जा रहा है ;

(घ) उक्त कर्मचारियों से इन क्वार्टरों को खाली कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ङ) क्या सरकार को पता है कि कुछ कर्मचारियों के पास अपने निजी मकान तो हैं परन्तु उन्होंने उनकी घोषणा नहीं की है और यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(च) क्या सरकार का विचार सभी कर्मचारियों को यह निदेश जारी करने का है कि वे निर्धारित तिथि तक अपने मकानों की घोषणा कर दें अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं। अपने मकान वाले अधिकारी सामान्य पूल से वास के आवंटन के पात्र हैं लेकिन उनकी अग्रता की तारीख 1-6-77 या उसके बाद की तारीख, जैसी भी स्थिति हो, मानी जाएगी।

(ख) दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूलवास के दखल वाले उन कर्मचारियों की संख्या नीचे दी जाती है, जिनके अपने मकान हैं ;—

टाइप "ए" =74

टाइप "बी" =315

टाइप "सी" =253

(ग) जैसा कि भाग (क) में बताया गया है, वे सरकारी वास के पात्र हैं तथापि, अपने मकान वाले अधिकारियों को निम्नलिखित दरों पर लाइसेंस फीस अदा करनी अपेक्षित है :—

(i) यदि मकान की आय 1000/- रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं है तो सामान्य लाइसेंस फीस ।

(ii) यदि मासिक किराये की आय 1000/- रुपये से बढ़ जाती है लेकिन 2000/- रुपये से कम है तो मार्किट दर पर लाइसेंस फीस का 50 प्रतिशत और ।

(iii) यदि मासिक किराये से आय 2000/- रुपये प्रतिमास से बढ़ जाती है तो पूर्ण मार्किट दर पर लाइसेंस फीस ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) ऐसा कोई मामला नोटिस में नहीं आया है ।

(च) इस बारे में पर्याप्त निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं ।

सरकारी आवास

3242. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाइप "बी" आवास के लिए हकदार उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिनकी प्राथमिकता की तारीख 1 जनवरी, 1957 से माहवार/वर्षवार दिसम्बर, 1960 तक है ;

(ख) इस श्रेणी के अन्तर्गत क्षेत्रवार कुल कितने क्वार्टर निर्माणाधीन हैं और दिसम्बर, 1981 तक उनके पूरे होने की नियत-कालिक तारीख क्या है ;

(ग) इस श्रेणी के अन्तर्गत दिसम्बर, 1980 तक कुल कितने क्वार्टर बनकर तैयार हो जाने और आबंटन के लिए सम्पदा निदेशालय को सौंप दिए जाने की संभावना है ;

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) में उल्लिखित क्वार्टरों के आवंटन के बाद किस प्राथमिकता तारीख तक के आवंटन पूरे हो जाएंगे ; और

(ङ) सरकार का विचार उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित कर्मचारियों को सरकारी आवास प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है और 31 दिसम्बर, 1960 की प्राथमिकता तारीख के आवंटन किस तारीख तक पूरे हो जाएंगे ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) दिल्ली में सामान्य पूल के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) तथा (ग) दिल्ली में सामान्य पूल के बारे में सूचना निम्न प्रकार से है :

मुहम्मदपुर	344
एम. बी. रोड	1553
आराम बाग	372
डी. आई. जैड. क्षेत्र	135
तिमारपुर	320
सादिक नगर	320
योग :	3119

इन उपर्युक्त क्वार्टरों में से 255 क्वार्टर अगस्त, 1980 में, 8 क्वार्टर अक्तूबर, 1980 में, 1663 क्वार्टर दिसम्बर, 1980 में, 750 क्वार्टर मार्च, 1981 में तथा 443 क्वार्टर दिसम्बर, 1981 में तैयार हो जाने की संभावना है। दिसम्बर, 1980 तक 1926 क्वार्टर सम्पदा निदेशालय को सौंप दिए जाने की संभावना है।

(घ) तथा (ङ) इस अवधि के दौरान हाल ही में बने 1926 क्वार्टर उपलब्ध हो जाने की आशा से और सामान्य रिक्तियों का हिसाब लगाते हुए संभव है कि 31 दिसम्बर, 1960 तक की अग्रता तिथि तक वाले कर्मचारियों को इस वर्ष के अन्त तक क्वार्टर दे दिए जाएंगे।

विवरण

दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल आवास में टाइप "बी" के पात्र उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या का माहवार/वर्षवार विवरण जिनकी अग्रता तिथि 1 जून, 1957 से दिसम्बर, 1960 तक है।

माह	1957	1958	1959	1960
1	2	3	4	5
जनवरी	—	66	55	33
फरवरी	—	51	40	52
मार्च	—	43	48	28
अप्रैल	—	65	45	42
मई	—	51	51	33
जून	2	48	48	30

1	2	3	4	5
जुलाई	59	70	52	67
अगस्त	39	49	46	65
सितम्बर	61	43	73	58
अक्तूबर	43	47	76	86
नवम्बर	64	30	49	89
दिसम्बर	67	61	35	63
	335	624	618	646

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकारी आवास रखे रखना

3243. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृति के बाद भी सरकारी आवास में बने रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो श्रेणी 'क', 'ख' तथा 'ग' में रह रहे ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित श्रेणियों में ऐसे क्वार्टरों की कुल संख्या कितनी है जिनमें सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृति से छः मास अथवा इससे अधिक अवधि से रह रहे हैं;

(घ) नियमों के अनुसार सेवानिवृत कर्मचारी कितनी अवधि तक सरकारी आवास में रह सकता है और उक्त अवधि गुजरने के बाद क्या कार्यवाही की जाती है ; और

(ङ) उपरोक्त भाग (ग) में उल्लिखित क्वार्टरों को खाली कराने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) जहां तक दिल्ली में सामान्य पूलवास की संख्या का सम्बन्ध है, वह इस प्रकार है :

टाईप ए	79
टाईप बी	82
टाईप सी	156

(ग) 210 ।

(घ) कोई सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्त हो जाने पर सामान्य लाइसेन्स फीस देने पर दो महीने की अवधि के लिए वास रख सकता है। तत्पश्चात् सम्पदा निदेशालय, विशेष परिस्थितियों में, आगे की अवधि के लिए जो छः महीनों से अधिक न हो, स्टैण्डर्ड लाइसेंस फीस का दुगना या, एफ० आर० 45-ए के अन्तर्गत दुगना पूल स्टैण्डर्ड लाइसेंस फीस अथवा उस लाइसेंस फीस का दुगना जिसे वह दे रहा था, इनमें जो भी अधिक हो, अदा करने पर उसे वास रखने की अनुमति दे सकता है। इस अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात्, यदि वास खाली नहीं किया जाता है, तो बाजार दर पर लाइसेंस फीस वसूल किया जाता है और लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत अनधिकृत दखलकारों से खाली कराने के लिए कार्यवाही की जाती है।

(ङ) लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत अनधिकृत दखलकारों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही की गई है। किन्तु, कई सेवा निवृत्त कर्मचारियों ने जिनके पुत्र/पुत्रियां जो सरकारी सेवा में हैं, मई 1978 से पूर्व ऐसे कर्मचारियों को दी गई रियायतों के अनुसार उनके क्वार्टर को पुत्र/पुत्रियों के नाम में नियमित करने के लिए अनुरोध किया है। जब तक इस मामले पर जिसका पुनरीक्षण किया जा रहा है, सरकार कोई अन्तिम निर्णय नहीं ले लेती, तब तक ऐसे मामले में वास्तविक बेदखली स्थगित करने का निर्णय लिया गया है, अन्य मामलों में, कानूनी तौर से क्वार्टर खाली करवा लिए जाएंगे।

सर्कस यूनिटों को सुविधाएं

3244. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सर्कस यूनिटों को कोई सुवधाएं देने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सुविधाओं का स्वरूप क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस उद्योग को पुरस्कार देकर भी प्रोत्साहन देने का है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सर्कस राज्य का विषय है। तथापि, केन्द्रीय सरकार वास्तविक सर्कस कम्पनियों को अपना प्रदर्शन करने के लिए, सर्कस दलों तथा उनके सामान आदि को लाने और ले जाने के लिए रेलवे में रियायत देकर सर्कस को प्रोत्साहन देती है। राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से भी यह अनुरोध किया गया है कि सर्कस को, जहां तक सम्भव हो सके, मनोरंजन कर के भुगतान में छूट देकर सर्कस प्रदर्शित करने के लिए नाममात्र के किराए पर, खुले मैदानों का आबंटन करके, कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता करके तथा खाद्यान्न और अनिवार्य पदार्थ आदि का अस्थाई कोटा आबंटित करके प्रोत्साहन दें।

(ग) भारतीय सर्कस संघ ने सर्कस कलाकारों को अन्य राष्ट्रीय पुरुस्कारों के समान पुरुस्कार देने का एक सुझाव सरकार को दिया है।

बेघरों के लिए घर

3245. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में बेघर लोगों को मकान प्रदान करने के आशय की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) केन्द्रीय सरकार के पास इस प्रकार से देश भर के बेघर लोगों को मकान देने की ऐसी कोई योजना नहीं है। 'आवास' राज्य का विषय है और राज्य सरकारों की यह प्रथम जिम्मेदारी है कि वे लोगों की इस आधारभूत आवश्यकता पर ध्यान दें।

यद्यपि, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों के लिए आवास स्थलों की व्यवस्था करने की एक योजना 1971 में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में आरम्भ की गई थी। इसका हस्तान्तरण 1974 में राज्य क्षेत्र में कर दिया गया था और इसका विस्तार क्षेत्र ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों, कारीगरों आदि तक बढ़ा दिया गया था। यह योजना जुलाई, 1975 में घोषित प्रधान मन्त्री के 20 सूत्री कार्यक्रम का अंग हो गई। वर्ष 1978 से, इस योजना के क्षेत्र का विस्तार मकान/झोपड़ी बनाने के लिए 'सहायता देना' शामिल करने के लिए किया गया। यह योजना राज्य क्षेत्र में जारी है और इसे परिशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

(ख) इस योजना में 500/- रुपये प्रति परिवार की दर पर उन परिवारों के लिए जिन्हें पहले ही आवास स्थल दे दिए गए हैं और 750/- रुपये उनके लिए जिन्हें आवास स्थल अभी दिए जाने हैं, की सहायता की व्यवस्था है। उपर्युक्त धन राशि विकसित प्लाट की लागत, 30-40 परिवारों के समूह के लिए एक कुएं की व्यवस्था करना, सम्पर्क मार्ग बनाने और भवन निर्माण सामग्रियों के लिए सहायता के बतौर है। इस कार्यक्रम से यह सभी श्रम निवेश की व्यवस्था लाभ भोगियों द्वारा की जाने की अपेक्षा है।

जिला मुख्यालय और बिहार राज्य की राजधानी के बीच सीधा टेलीफोन सम्पर्क

3246. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के ऐसे जिला मुख्यालय, जहां राज्य की राजधानी के साथ सीधा टेलीफोन सम्पर्क नहीं है, भारी असुविधा और कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे जिला मुख्यालयों और राज्य की राजधानी के बीच सीधा टेलीफोन सम्पर्क उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) बिहार के सभी जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से सीधी टेलीफोन लाइन सेवा प्राप्त है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में डाकघर

3247. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं और उनमें से कितने पंचायत मुख्यालयों में अब तक डाकघर खोले जा चुके हैं;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार का बिहार में कितने नये डाकघर खोलने का विचार है ; और

(ग) बिहार में ऐसे कुल कितने ब्रांच डाकघर हैं, जिन्हें उप-डाकघरों में परिवर्तित कर दिया जाएगा और ऐसे कितने उप-डाकघर हैं, जिन्हें पूर्ण डाकघरों में बदल दिया जाएगा ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या 10,916 है। 7628 ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों में डाकघर खोल दिए गए हैं।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार में खोले जाने वाले प्रस्तावित नए डाकघरों की सख्या लगभग 400 है। 1980-85 की अवधि के लिऐ तयार की जा रही नई पंचवर्षीय योजना के आधार पर इस संख्या में संशोधन किया जा सकता है।

(ग) शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उप-डाकघर बनाने और उप-डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर मुख्य-डाकघर बनाने का कार्यक्रम इस योजना के अन्तर्गत नहीं लिया गया है। ऐसे मामलों में समय-समय पर कार्यभार, वित्तीय कार्यकरण आदि जैसे घटकों के सन्दर्भ में विचार किया जाता है और जिन मामलों का औचित्य पाया जाता है उनका दर्जा बढ़ा दिया जाता है।

इंस्टीट्यूट फार द फिजीकली हैंडीकैप्ड, नई दिल्ली के नाम को बदलना

3248. **श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर** : क्या **समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंस्टीट्यूट फार द फिजीकली हैंडीकैप्ड 4, राऊज एवेन्यू लेन नई दिल्ली-1 को सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में ले लिए जाने के बाद इसके कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है;

(ख) इस संस्थान का नाम जवाहर लाल नेहरू इंस्टीट्यूट आफ फिजीकली मेडिसन एण्ड रिहेब्लीटेशन से बदलकर इंस्टीट्यूट फार द फिजीकली हैंडीकैप्ड रखने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या संस्थान के फिज़िओंथैरेपी एण्ड आकूपेशनल थैरेपी के छात्रों ने मांग की है कि इसके नाम को बदल दिया जाए और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या यह संस्थान अधीनस्थ कार्यालय अथवा स्वायत्तशासी निकाय के रूप में कार्य कर रहा है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) जी, नहीं।

हाल में इस इंस्टीट्यूट के छात्रों ने अपनी मांगों, जो मुख्यतया एक कर्मचारी को जिसे सेवामुक्त कर दिया गया था, फिर से नौकरी पर लगाए जाने के बारे में थी, के समर्थन में कुछ आन्दोलन किया था। उस कर्मचारी को फिर से नौकरी पर लगा दिया है और उनकी अन्य मांगों की जांच की जा रही है।

(ख) इस इंस्टीट्यूट के साथ श्री जवाहर लाल नेहरू के नाम को जोड़ा जाना उचित नहीं समझा गया था और इसलिए इस सस्था का नाम बदल दिया गया था।

(ग) जी, हां। वर्तमान नाम में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(घ) इस इंस्टीट्यूट का वित्तपोषण पूर्णतया सरकार द्वारा किया जाता है और यह सोसायटी अधिनियम, 1860 के अधीन एक पंजीकृत निकाय है।

दिल्ली में अनधिकृत मकानों का गिराया जाना

3249. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** दिल्ली में अनधिकृत मकानों को गिराए जाने के बारे में 17 अप्रैल, 1978 के अतारांकित प्रश्न सं० 6947 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। क्योंकि मामले की अवधि के लिए अस्थायी रोकादेश की पुष्टि की जा चुकी है और मामला न्यायाधीन है।

अतिरिक्त भूमि का क्षेत्रफल

3250. **श्री के० मालन्ना** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उपलब्ध अतिरिक्त भूमि के कुल क्षेत्रफल का अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) फालतू भूमि के कुल क्षेत्रफल के कोई सुनिश्चित अनुमान उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्तरिम अनुमान, जो भूमि अभिलेखों से लिए गए थे, संलग्न **विवरण** में दिए गए हैं।

तथापि, फालतू भूमि की वास्तविक सीमा उपयुक्त अधिकतम भूमिसीमा कानूनों के अन्तर्गत पारित किए गए आदेशों के परिणामस्वरूप होंगी । इन कानूनों के अधीन अधिकतम भूमिसीमा का निर्धारण भूमि की किस्म, परिवार के आकार आदि जैसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा । अधिकतम भूमि सीमा उस समय अधिक होगी जब भूमि घटिया किस्म की हो अथवा जहां परिवार का आकार बड़ा हो और इस प्रकार के मामलों में फालतू भूमि की सीमा भूमि अभिलेखों में दर्शायी गई सीमा से कम होगी ।

विवरण

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	फालतू होने वाला अनुमानित क्षेत्र (एकड़)
1 आन्ध्र प्रदेश	10,84,590
2 असम	5,74,022
3 बिहार	3,00,000
4 गुजरात	65,000
5 हरियाणा	30,380
6 हिमाचल प्रदेश-	2,02,454
7 जम्मू व कश्मीर -	अप्राप्य
8 कर्नाटक -	4,00,000
9 केरल -	1,50,000
10 मध्य प्रदेश	2,52,843
11 महाराष्ट्र	4,00,000
12 मणीपुर	2,316
13 उड़ीसा	2,00,000
14 पंजाब	30,336
15 राजस्थान	7,94,000
16 तमिलनाडु	1,85,213
17 त्रिपुरा -	4,637
18 उत्तर प्रदेश	2,80,193
19 पश्चिमी बंगाल	1,72,399
20 दादर एवं नगर हवेली	9,390
21 दिल्ली	1,500
22 पांडिचेरी	3,012
योग :	51,42,285

उड़ीसा में छोटे और सीमान्त किसानों के लिए सामुदायिक नल-कूप

3251. **श्री के प्रधानी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषकर उड़ीसा राज्य के पिछड़े इलाकों में छोटे और सीमान्त किसानों के लाभ के लिए छोटे आकार के सामुदायिक नल-कूप लगाने की हाल ही में कोई योजना बनाई है,

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ? और

(ग) उड़ीसा राज्य में इस योजना के अन्तर्गत कितने क्षेत्रों को लाभ होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा को सप्लाई किये गये खाद्यान्न

3252. **श्री के० प्रधानी** : : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को गत दो वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई किये गये और चालू वर्ष के दौरान उनकी कितनी मांग भेजी जाएगी ; और

(ख) गत वर्ष सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में सप्लाई किये गये खाद्यान्नों की मात्रा का जिलावार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) उड़ीसा को 1978-79 और 1979-80 वित्तीय वर्षों के दौरान क्रमशः 2.08 और 3.89 लाख मीटरी टन खाद्यान्न सप्लाई किये गए थे। चालू वर्ष के दौरान सप्लाई, राज्य सरकार द्वारा बताई गई जरूरतों, केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्धता और अन्य संगत बातों पर निर्भर करेगी।

(ख) 1979-80 के दौरान राज्य के सूखे से प्रभावित जिलों की खाद्यान्नों की, की गई सप्लाई के जिलावार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

उड़ीसा में आपरेशन फलड—II के अधीन कटक मिल्क शैड परियोजना

3253. **श्री वृजमोहन महन्ती** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि कटक मिल्क शैड परियोजना को आपरेशन फ्लड —II कार्यक्रम के अधीन रखा जाए जिसमें भारतीय डेरी निगम द्वारा समूची परियोजना की लागत दी जाएगी—ऋण के रूप में 70 प्रतिशत और अनुदान के रूप में 30 प्रतिशत; और

(ख) क्या सरकार ने भारतीय डेरी निगम को ऐसा करने के आदेश दिये हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) तथा (ख) कटक मिल्क शैड को आपरेशन फ्लड—II कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार से कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि, राज्य सरकार ने आपरेशनफ्लड—II के राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के परामर्श से उड़ीसा के लिए तैयार की गई सम्भावित योजना में कटक मिल्क शैड को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय डेरी निगम द्वारा मोटे तौर पर 70 प्रतिशत ऋण तथा 30 प्रतिशत अनुदान के आधार पर अपेक्षित धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। भारतीय डेरी निगम द्वारा सम्भावित योजना का मूल्यांकन भी किया गया है।

दूध के उत्पादन तथा वितरण के लिये राज्यों को राज सहायता

3214. **श्री नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की उन दूध उत्पादन तथा वितरण योजनाओं को राज सहायता दे रही है जिसमें दूध की खपत भारत भर में दूध की प्रति व्यक्ति खपत से कम है :

(ख) क्या सरकार ने केरल में ए० आई० एल० एम० ए० को कोई वित्तीय सहायता दी है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सहायता की राशि कितनी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारत सरकार राज्य सरकारों की दुग्ध उत्पादन और वितरण योजनाओं के लिए कोई राज सहायता नहीं दे रही है। तथापि, सरकार का मुख्य उद्देश्य देश भर में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था पर बल देना हैं। दुग्ध उत्पादकों को उनके पशुओं के उत्तम प्रजनन्, उत्तम स्वास्थ्य रक्षा और आहार व्यवस्था हेतु सेवा और आदान मुहैया किये जा रहे हैं। कुछ विशिष्ट योजनाओं में, खास मदों पर राज सहायता की व्यवस्था है उदाहरणार्थ, खुरपका, मुंहपका रोग को छोड़कर जिसके लिए टीके की लागत का 50 प्रतिशत भाग भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा राज सहायता के रूप में दिया जाता है। सामान्य पशु रोगों में रोग निरोधी टीके नि:शुल्क लगाये जाते हैं 'लघु और सीमान्त कृषकों और भूमिहीन कृषि श्रमिकों को विशिष्ट पशुधन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 माह की उम्र से 28 माह की उम्र तक के संकर प्रजनित बछड़ों को सकेन्द्रित आहार के लिए भी राजसहायता दी जाती है।

(ख) और (ग) केरल के लिए 474.68 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक केन्द्रीय प्रायोजित डेरी परियोजना स्वीकृत की गयी है। इस योजना की 50 प्रतिशत लागत भारत

सरकार द्वारा दी जायेगी । परियोजना की क्रियान्विति के लिए राज्य सरकार को 40 लाख रुपये (30 प्रतिशत अनुदान और 70 प्रतिशत ऋण के रूप में) की राशि निर्मुक्त की जा चुकी है । परियोजना की क्रियान्विति केरल पशुधन विकास और दुग्ध विपणन बोर्ड लिमिटेड द्वारा की जा रही है ।

मध्य प्रदेश के पिछड़े और आदिवासी जिलों में ग्रामीण डाकघर

3255. **श्री वसन्त कुमार पंडित : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की वर्ष 1980-81 के दौरान ग्रामीण डाक सेवा का विस्तार करने तथा सुविधाओं को बढ़ाने की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980-81 में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने नए डाकघरन/ई डाक सेव सुविधाएं शुरू की जाएंगी ;

(ग) मध्य प्रदेश के पिछड़े और आदिवासी जिलों में कितने नए ग्रामीण डाकघर खोले जाएंगे ;

(घ) मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को उक्त सुविधा देने से डाक और तार विभाग में रोजगार के कितने नये अवसर पैदा होंगे ; और

(ङ) मध्य प्रदेश में वर्ष 1979-80 में फाईबर-ग्लास के कितने डाक बक्से लगाये गये हैं और वर्ष 1980-81 के दौरान और कितने लगाये जाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) 1980-81 के दौरान ग्रामीण डाक सेवा सुविधाओं का विस्तार कार्य चालू रहेगा ।

(ख) योजना आयोग द्वारा पहले से अनुमोदित 1980-81 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत देश भर में लगभग 5000 ग्रामीण डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है । 1980-85 अवधि की नई पंचवर्षीय योजना के अनुसार इस संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है ।

(ग) सामान्य निदेश यह है कि प्रत्येक डाक सर्किल में लगभग 60 प्रतिशत नये ग्रामीण डाकघर पिछड़े/पहाड़ी/जनजातीय इलाकों में खोले जाने चाहिए । मध्य प्रदेश में 20 प्रतिशत नये ग्रामीण डाकघर राज्य के जनजातीय जिलों में खोलने का प्रस्ताव है ।

(घ) तथा (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

नए टेलीफोन 'रुवा फोन' का विकास

3256. **डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या संचार मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टेलीफोन उद्योग ने ग्रामीण संचार के लिए उपयोगी 'रूवा फोन' नाम के स्वचालित टेलोफोन केन्द्र का विकास किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार कहां, कब और कितने 'रूवा फोन' स्थापित करेगी ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज ने "रूवा फोन' का विकास किया है जो ग्रामीण संचार के लिए उपयुक्त है। इस उपस्कर के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के टेलीफोन को नजदीक के स्वचल टेलीफोन एक्सचेंज के साथ अति उच्च आवृत्ति के रेडियो सम्पर्क से जोड़ा जाता है।

(ख) इस उपस्कर का क्षेत्रीय परीक्षण किया जा रहा है। क्षेत्रीय परीक्षणों के पूर्ण होने पर इस उपस्कर को डाक-तार संचार तंत्र में शामिल करने के प्रश्न पर निर्णय लिया जाएगा।

महानगरों में सुरक्षित रखने योग्य दूध

3257. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने ऐसा दूध तैयार किया है जिसे एक पखवाड़े तक सुरक्षित रखा जा सकता है ;

(ख) क्या बोर्ड ने सुरक्षित रखे जा सकने वाले इस दूध का दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता जैसे महानगरों में उत्पादन करने की योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दूध की प्रति लीटर अनुमानित लागत कितनी है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) परिरक्षणीय दूध के उत्पादन की प्रक्रिया कुछ समय से डेरी विज्ञान का एक भाग रहा है। तथापि, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और भारतीय डेरी निगम का दुर्गन्धरहित पैकेट में निर्जीवीकृत दूध जो, दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में एक पखवाड़े तक सुरक्षित रह सकता है, की बिक्री शुरू करने की योजना है। तथापि, दूध का परिसंस्करण उपर्युक्त बड़े शहरों से बाहर स्थित फीडर बैलेन्सिग डेरियों में किया जायेगा।

(ग) यद्यपि विपणन किये जाने वाले दूध की लागत उसके संघठन पर निर्भर होगी, लेकिन 4.5 प्रतिशत चिकनाई और 8.5 प्रतिशत ठोस गैर-चिकनाई वाले प्रति लीटर दूध की लागत लगभग 3/—रुपये प्रति लिटर होने का अनुमान है।

दिल्ली में पानी के प्रदूषण को रोकना तथा नियंत्रित करना

3258. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय बोर्ड द्वारा पानी के प्रदूषण को रोकने तथा नियंत्रित करने के उद्देश्य से पीने के पानी की क्वालिटी के बारे में किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि राजधानी में पानी को साफ करने की क्षमता को तुरन्त ही बढ़ाने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सर्वेक्षण की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या उक्त बोर्ड ने कोई सिफारिशें की हैं ; और

(घ) उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाय गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड में दिल्ली में पेयजल की कोटि का कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सोवियत संघ के साथ दूरसंचार सम्पर्क

3259. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के साथ उच्च किस्म की दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराने के लिए संचार सम्पर्क का प्रस्ताव किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कब से कार्य शुरू कर देने की संभावना है ;

(ग) इस दूर-संचार सम्पर्क का मुख्य प्रयोजन क्या है ;

(घ) इस सम्पर्क से भारतीय टर्मिनल की कुल लागत क्या है ;

(ङ) इस परियोजना के लिए सोवियत संघ कितनी सहायता देगा; और

(च) भारत सोवियत संघ को क्या सहायता दे रहा है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हाँ । भारत और रूस के बीच ट्रोपोस्केटर संचार सम्पर्क स्थापित करने के लिए एक परियोजना पर अमल हो रहा है ।

(ख) वर्ष 1981 के आरम्भ में ।

(ग) दोनों देशों के बीच विश्वसनीय दूरसंचार सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए ।

(घ) 3.90 करोड़ रुपए (अनुमानित) ।

(ङ) और (च) दोनों पक्ष, अपने अपने देश में स्थापित अन्तस्थ सुविधाओं का खर्च उठाएंगे ।

सेंट स्टीफन कालेज में प्रवेश

3260. **श्री के० लकप्पा :**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेंट स्टीफन कालेज में प्रवेश के बारे में प्रकाशित समाचार पढ़ है ?

(ख) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति को अखिल भारतीय छात्र संघ तथा स्टूडेंटस फेडरेशन आफ इण्डिया से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार का विचार इस आशय से क्या कार्यवाही करने का है कि छात्रों को समाज में उनके दर्जे की चिन्ता किए बिना कालेज में प्रवेश मिल सके ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दाखिले के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख 30 जून, 1980 के विरुद्ध इसी प्रयोजन के लिए अन्तिम तिथि 20 जून, 1980 निर्धारित करने के सेंट स्टीफन कालेज दिल्ली के एक तरफा निर्णय के खिलाफ सचिव, अखिल भारतीय छात्र संघ, और सचिव, भारतीय छात्र सघ ने कुलपति को अभ्यावेदन दिया है । उन्होंने मांग की है कि विश्वविद्यालय को एक संयुक्त दाखिला नीति के लिए एक जैसी मार्गदर्शी रूपरेखाएं प्रकाशित करनी चाहिएं और इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इनका उल्लंघन न किया जाए ।

क्योंकि कालेज के प्राचार्य शहर से बाहर थे, कुलपति ने कालेज के शासी निकाय को लिखा है जिसमें यह सलाह दी गई है कि कालेज को दाखिले के संबंध में आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तारीख का पालन करना चाहिए । कालेज प्राधिकारियों ने तदनुसार, अपनी पहले से निर्धारित तिथि 20 जून, 1980 के बाद भी आवेदन पत्र प्राप्त करने का निर्णय किया ।

(ग) दाखिला नियमों के अनुसार, कालेजों में दाखिले योग्यता के आधार पर किए जाते हैं । दाखिले के लिए सोसायटी में स्तर का होना कोई मान दण्ड नहीं है ।

मालवीय नगर रोड, नई दिल्ली के बीच सीमा दीवार का निर्माण

3261. **श्री के० लकप्पा** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** मालवीय नगर रोड, नई दिल्ली के बीच सीमा दीवार के निर्माण के बारे में 26 फरवरी, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 844 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मालवीय नगर रोड पर सीमा-दीवार तोड़ने के लिए कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) यदि नही, तो इस विलम्ब के क्या कारण है ;

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) इसे हटाया जा चुका है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जम्मू और काश्मीर में डाकघर

3262. **श्री गुलाम सूल कोचक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर में ऐसे अनेक गांव हैं जहां डाक्टरों की व्यवस्था की जानी है ;

(ख) जम्मू और काश्मीर राज्य में, टिविजन-बार कितने ब्रांच डाकघरों की स्वीकृति दी जा चुकी ;

(ग) ऐसे कौन-कौन से गांव हैं जहां अभी तक डाकघर नहीं हैं और इस बात का ध्यान रखने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि चालू वर्ष के दौरान अथवा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक गांव में कम से कम एक डाकघर की व्यवस्था तो कर दी जाए ; और

(घ) जम्मू और काश्मीर राज्य में गांवों को और क्या अन्य संचार सुविधाएं दी जा रही हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां ।

(ख) जम्मू और काश्मीर में शाखा डाकघरों की कुल संख्या 1005 है। मंडलवार संख्या इस प्रकार है :

काश्मीर मंडल	244
जम्मू मंडल	206
उधमपुर मंडल	296
लेह मंडल	62
बारामूला मंडल	197
	1005

(ग) राज्य में ऐसे गांयों की कुल संख्या 5403 है जिनमें डाकघर नहीं हैं । ग्रामीण डाकघरों के खोलने की ऐसी कोई नीति नहीं है जिसके आधार पर हर गांव में एक डाकघर खोला जाए । 1980-81 के दौरान राज्य में 20 ग्रामीण डाकघर खोलने का प्रस्ताव है । 1980-85 की अवधि के लिए तैयार की जा रही नई पंचवर्षीय योजना के अनुरूप इस संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है ।

(घ) चलते-फिरते ग्रामीण डाकघरों के माध्यम से कुछ गांवों को काउन्टर की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं । ग्रामीण क्षेत्र में पत्र पेटियां संस्थापित की जा रही हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन/तार सुविधाएं भी मुहैया कराने का कार्यक्रम है ।

जम्मू और काश्मीर में टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता

3263. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार जम्मू और काश्मीर राज्य में विभिन्न टेलीफोन केन्द्रों की टेलीफोन एक्सचेन्ज क्षमता बढ़ाने पर विचार कर रही है जिससे प्रतीक्षा सूची को कम से कम किया जा सके ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जम्मू और काश्मीर राज्य में कितने नए टेलीफोन केन्द्र खोले जाएंगे ; और

(ग) क्या छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान इसकी क्रियान्विति के लिए कोई विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां। श्रीनगर, जम्मू और अनंतनाग टेलीफोन केन्द्रों में क्रमश: 600, 300 और 100 लाइनें और बढ़ाये जाने की संभावना है। अन्य एक्सचेंजों की पर्याप्त क्षमता है।

(ख) 12।

(ग) इस समय पूरे देश के लिए एक परिशोधित पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है।

केन्द्रीय दल का हिमाचल प्रदेश का दौरा

3264. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक केन्द्रीय दल ने सूखे के कारण हुई क्षति का अनुमान लगाने के लिए मई, 1980 में हिमाचल प्रदेश का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उस दल के सदस्यों के नाम तथा पदनाम क्या है;

(ग) यह दल किन-किन स्थानों पर गया और उन्होंने इस उद्देश्य के लिए किन व्यक्तियों संस्थाओं से सम्पर्क और परामर्श किया ;

(घ) दल ने हानि का जो अनुमान तैयार किया वह क्या है ; और

(ङ) उन्होंने कितनी राहत दिए जाने की सिफारिश की है और राहत प्रदान करने के विभिन्न उपायों के लिए कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां। एक केन्द्रीय दल ने 27 से 30 मई; 1980 तक हिमाचल प्रदेश का दौरा किया था।

(ख) इस केन्द्रीय दल में कृषि और सहकारिता विभाग के अपर सचिव श्री एस० पी० मुखर्जी, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के संयुक्त सचिव श्री आर० के० कौल, डा० बी० पी०

बोस. निदेशक (सिविल रक्षा), स्वास्थ्य मंत्रालय और निर्माण और आवास मंत्रालय (सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग संगठन) के सहायक सलाहकार डा० एस० आर० शुक्ल शामिल थे।

(ग) केन्द्रीय दल ने बिलासपुर, शिमला और सोलन जिलों के सूखे से बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। क्षेत्रों का दौरा करने के बाद दल ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव, वित्तीय आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। जिन स्थानों का दौरा किया और जिन लोगों से मुलाकात/विचार-विमर्श किया है उनके नाम आदि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) विभिन्न फसलों को उना, किन्नौर और कांगड़ा जिलों में 50 प्रतिशत तक, बिलासपुर, सिरमौर और सोलन जिलों में 70 प्रतिशत तक की क्षति हुई। हमीरपुर कुलू और शिमला में 60 प्रतिशत तक क्षति हुई।

(ङ) केन्द्रीय दल की सिफारिश निम्नलिखित है :

कृषि	**योजना व्यय (लाख रु०)**
(क) वर्ष 1980 की रबी के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को दालों, तिलहनों और गेहूं के बीजों की सप्लाई के लिए राज सहायता।	40.00
(ख) खरीफ के लिए मक्का और धान जैसे बीजों की सप्लाई के लिए राज सहायता।	0.60
(ग) जल संचयन सम्बन्धी डांवों/रोक बांधों का निर्माण	20.00
बागवानी	
(क) छोटे और सीमान्त फलोधानियों को उर्वरकों और वनस्पति सामग्री के लिए राज सहायता	13.00
(ख) फार्म जलाशयों का विकास, सामूहिक/सहकारी/ व्यक्तिगत आधार पर तालाबों का निर्माण	25.00
पशुपालन	
चारा, मिश्रित बीज. दवाओं तथा पशु कैम्पों के लिए रियायती आधार पर सप्लाई	100.00
पीने का पानी	
(क) चालू ग्रामीण जल सप्लाई योजनाओं को तेज करना।	200.00

(ख) नई ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं।	50.00
(ग) म्यूनिसपल क्षेत्रों में शहरी जल की सप्लाई	50.00
लघु सिंचाई	
निर्माणाधीन बाढ़ नियंत्रण कार्यों को पूरा करना	10.00
सड़कें	175.00
बानिकी	
तेजी से उगने वाली किस्मों का पौद-रोपण, फार्म वानिकी, सुरक्षात्मक वन रोपण और प्रदर्शन द्वारा मुद्रा संरक्षण का कार्य शुरू करना	100.00
कृषि ऋण	35.00
सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय	46.50
पोषण	
(क) बच्चों, दूध पिलाने वाली माताओं, आदि के लिए पोषण	6.00
(ख) विशेष पोषण कार्यक्रम	25.00
गैर-योजना व्यय	
जल सप्लाई	5.00
वितरण के लिए जल परिवहन	
योग	1001.10

राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति ने केन्द्रीय दल की सिफारिशों पर विचार कर लिया है और उसकी सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में अधिकतम 1001.01 लाख रुपये के पूरे अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति दी है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वर्ष 1980-81 के दौरान काम के बदले अनाज देने के सामान्य कार्यक्रम और काम के बदले अनाज देने के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत 8,000 मीटरी टन खाद्यान्नों का आबंटन भी किया है। खाद्यान्नों का सम्पूर्ण आबंटन निर्मुक्त भी किया जा चुका है।

भारत सरकार ने खरीफ 1980 के दौरान कृषि आदानों की खरीद और वितरण के लिए अल्पावधि ऋणों के रूप में 10 लाख रुपये की स्वीकृति भी दी है।

विवरण

27-30 मई, 1980 के दौरान हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय दल ने जिन स्थानों का दौरा किया तथा जिन व्यक्तियों आदि के साथ सम्पर्क स्थापित किया, उनके नाम

जिले का नाम	दौरा किए गए स्थान	वे व्यक्ति आदि, जिनसे सम्पर्क स्थापित किया गया तथा परामर्श किया गया।
1. बिलासपुर	बस्सी, गंगूवाल, तोबा, मंदियाली और जुनाली	(i) स्थानीय व्यक्ति, प्रधान और बस्सी गिल्लाब, भाखड़ा, लोल्लप, माल्वा, नकरावा, तरतूह, खड़ियान, स्वाहाह और पहल के सरपंच।
		(ii) उपायुक्त, उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट, उप निदेशक (कृषि), अधीक्षक अभियंता (भवन और सड़क), जिला वन अधिकारी (क्षेत्रीय) और जिला वन अधिकारी (मृदा संरक्षण) कार्यकारी अभियंता (भवन और सड़क), कार्यकारी अभियंता (सिंचाई) जिला कृषि अधिकारो, जिला पशुपालन अधिकारी, जिला बागवानी अधिकारी, सहायक मृदा संरक्षण अधिकारी (कृषि), उप-प्रभागीय अधिकारी (सिंचाई), तहसीलदार और सम्बद्ध खण्ड विकास अधिकारी, जिला निरीक्षक, खाद्य और सप्लाई और अन्य राजस्व कर्मचारी।
2 सोलन	बरोटीवाल मानपुरा और बस्सी, नालागढ़ तहसील की पंचायतें, नालागढ़	(i) पंचायतों के स्थानीय प्रधान और सरपंच और पंचायतो के अन्य सदस्य तथा बरोटीवाल के अन्य स्थानीय किसान।
		(ii) भटियाव, सम्भोली, नंगल और रेरू की पंचायतों के सरपंच और अन्य सदस्य।
		(iii) नगर आयुक्त नालागढ़,
3. शिमला	शिमला, मशोबरा, बसंतपुर बड़ागांव कुमारसेन, नरकण्डा, बाधी, कोंटखई, खट-	(i) स्थानीय लोग, प्रधान और सरपंच। (ii) खण्ड विकास अधिकारी, और अन्य विकास कर्मचारी और खण्ड समितियों के अध्यक्ष।

गला, समरकोट रोहड़ू,
जुब्बल और थियोग के नजदीक के क्षेत्र ।

(iii) सम्बन्धित विधायक ।

ग्रामीण आवास परियोजना के अधीन मकान

3265. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 दिसम्बर, 1978 तक ग्रामीण आवास परियोजना के अधीन मंजूर किए गए 1,00,271 मकानों का निर्माण इस बीच पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितने मकान बनाए गए उन पर कितनी राशि खर्च हुई और उन मकानों को कैसे उपयोग किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो परियोजना के पूरा न होने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) तथा (ख) राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि 100271 मकानों में से मार्च, 1980 के अन्त तक 68522 मकान बनाये जा चुके हैं । यह राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही सतत चलने वाली योजना है । निर्मित मकानों की संख्या और उस पर किया गया व्यय का एक राज्यवार विवरण में दिया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

योजना का नाम : ग्रामीण आवास परियोजना (स्कीम)
योजना के आरम्भ से हुई प्रगति

(31-3-80 को जैसी स्थिति थी)

क्रम सं०	राज्य का नाम	मकानों की सं० पूर्ण	राशि दी गई/खर्च की गई
1		2	3
			(लाख रुपयों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	4735	75.86
2.	असम	1	0.21
3.	बिहार	131	4.82
4.	हरियाणा	629	14.34

1	2	3
5. हिमाचल प्रदेश	428	9.27
6. जम्मू और कश्मीर	—	—
7. गुजरात	1786	35.82
8. कर्नाटक	7827	151.99
9. केरल	7863	252.99
10. मध्य प्रदेश	2539	76.67
11. महाराष्ट्र	10341	254.66
12. मणिपुर	74	1.50
13. उड़ीसा	6736	271.70
14. पंजाब	2556	103.27
15. राजस्थान	3125	70.74
16. तमिलनाडु	8161	351.58
17. त्रिपुरा	519	12.16
18. उत्तर प्रदेश	3273	57.92
19. पश्चिम बंगाल	3652	17.27
योग :	64396	1762.77

क्रम सं०	संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मकानों की संख्या	राशि
		पूर्ण	दी गई/खर्च की गई
			(लाख रुपयों में)
1.	दिल्ली	3016	142.41
2.	गोवा, दमन और द्वीप	489	18.61
3.	लक्ष्यद्वीप	39	0.69
4.	पाण्डिचेरी	582	29.65
	योग :	4126	191.36
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का कुल योग :		68522	1954.13

राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कल्याणपुर, कानपुर द्वारा खरीदी गई जमीन

3266. **श्री निहाल सिंह :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कल्याणपुर, कानपुर द्वारा कितनी और कितने मूल्य की जमीन खरीदी गई;

(ख) क्या सारी जमीन का उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो कितनी जमीन उपयोग में नहीं लाई जा रही तथा सारी जमीन को उपयोग में लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) 1957-59 में उत्तर-प्रदेश सरकार ने 2.94 लाख रुपये पर 524 एकड़ भूमि अभिग्रहण की थी और राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर को सौंप दी थी। सम्बन्धित पार्टियों ने अतिरिक्त मुआवजे की मांग की थी। न्यायालय के आदेश के अधीन अतिरिक्त मुआवजे के रूप में 13.48 लाख रुपये की राशि जमा करानी थी। अतिरिक्त मुआवजे के विरुद्ध संस्था द्वारा दायर की गई अपील को उच्च न्यायालय ने हाल ही में अस्वीकार कर दिया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) 190 एकड़ भूमि पर संस्था की बिल्डिंग, सड़कों और मौजूदा तथा भावी जरूरतों के लिए अन्य संरचना आधार तैयार कराने का इरादा है जिनका योजना अवधि के दौरान सोपानवार उपयोग किया जाना है। 53 एकड़ भूमि उबड़-खाबड़ और वन वृक्षों से भरपूर है। शेष 281 एकड़ में से लगभग 150 एकड़ भूमि का मुख्यतया प्रयोगात्मक चीनी फैक्ट्री की जरूरतों को पूरा करने के लिए गन्ने की खेती करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। सिंचाई सुविधाओं में सुधार होने और प्रयोगात्मक चीनी फैक्ट्री की बढ़ी हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए सोपानवार गन्ने की खेती के अन्तर्गत अधिक से अधिक क्षेत्रफल लाया जाएगा। वन वृक्षों से भरपूर भूमि का साधन उपलब्ध होने पर और उसके लिए जरूरत पैदा होने पर विकास करने के बाद उपयोग किया जा सकता है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सफाई कर्मचारी

3267. **श्री निहाल सिंह :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कितने सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं तथा उनमें से कितने कर्मचारियों को चयन ग्रेड दिया गया है और उन्हें चयन ग्रेड कितने साल की सेवा पूरी करने के बाद दिया गया है तथा चयन ग्रेड देते समय किन बातों को विचार में लिया गया है; और

(ख) क्या इन व्यक्तियों को उसी प्रकार चयन ग्रेड दिया गया है जिस प्रकार अन्य श्रेणी-4 कर्मचारियों को दिया जाता है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इस समय 708 स्वीपर हैं जिन्हें अब सफाईवाला कहा जाता है। संवर्ग 'डी' के विभिन्न पदों के लिए प्रवर ग्रेड के सृजन के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शन के आधार पर, 106 पदों का सृजन किया गया था। इस समय 103 सफाईवाले प्रवर ग्रेड पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 14 से लेकर 35 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया है। सेलेक्शन ग्रेड के लिए उनकी पात्रता पर विचार किए जाने के लिए, कर्मचारी को इतना सेवाकाल पूरा करना होता है जो उसे सामान्य ग्रेड के संशोधित वेतनमान के तीन चौथाई चरण में ले आए। इसमें उस ग्रेड के पूर्व संशोधित वेतनमान में की गई सेवा शामिल है बशर्ते कि सेवा की कम से कम अवधि 14 वर्ष हो। इस ग्रेड में चयन वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर चयन समिति के जरिये किया जाता है।

(ख) उत्तर सकारात्मक है।

चोरी छिपे मछलियां पकड़ने से होने वाली हानि

3268. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह अनुमान लगाया गया है कि भारत के समुद्र में चोरी छिपे मछलियों को पकड़ने से भारत को प्रत्येक वर्ष 14 से 20 करोड़ रुपये की हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे चोरी छिपे मछली पकड़ना रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) सम्बन्धित अधिकारी, हमारी समुद्री सीमा से बाहर किन्तु एकमात्र आर्थिक क्षेत्र के भीतर मछली पकड़ने के छुटपुट मामलों का पता लगाते हैं। तथापि, मछली पकड़ने वाले ऐसे व्यक्तियों द्वारा पकड़ी जाने वाली मछली का मूल्य बताना कठिन है।

(ख) जब कभी तट रक्षक जलयान हमारे समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले किसी अनधिकृत विदेशी जलयान को मछली पकड़ते हुए पाते हैं तो उसे हिरासत में लेकर सबसे नजदीक वाले बंदरगाह पर ले जाते हैं और आगे कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्थानीय पुलिस के हवाले कर देते हैं।

सूखे के कारण हानि और उसके शिकार लोगों को सुविधा

3269. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सूखे से हुई हानि के कोई राज्यवार अनुमान तैयार किए गए हैं ;

(ख) अब तक क्या-क्या तथा किस प्रकार के राहत उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या इससे प्रभावित लोगों को कोई मुआवजा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो कितना, और

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान सूखे से प्रभावित आबादी तथा संस्थागत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण 1 संलग्न है।

(ख) अब तक किए गए राहत कार्यों का ब्यौरा विवरण 2 में दिया गया है।

(ग) प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसानों के लिए मुआवजा देने के विचार से कभी भी केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है। सरकार प्रभावित व्यक्तियों को सम्भव सीमा तक केवल इसलिए सहायता देती है कि वे अपनी सामान्य आर्थिक गतिविधियों को पुन: आरम्भ कर सकें। अतः यह सहायता निम्नलिखित रूप में दी जाती है :

बूढ़े, अशक्त, निराश्रित व्यक्तियों आदि को निशुल्क राहत, स्वस्थ व्यक्तियों को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत काम, पशु राहत कैंप, ब्याज देयता के सम्बन्ध में छोटे एवं सीमान्त कृषकों को विशेष रियायत, छोटे एवं सीमान्त कृषकों को कृषि आदानों पर राज सहायता तथा स्कूल न जाने वाले,शिशुओं, गर्भवती महिलाओं एवं दूध पिलाने वाली माताओं तथा अपंग व्यक्तियों जैसे समाज के कमओर वर्गों के लिए आहार कार्यक्रम।

(घ) तथा (ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

विवरण—1

1979-80 तथा 1980-81 के दौरान प्रभावित आबादी तथा सस्यगत क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाला विवरण

राज्य	1979-80 के दौरान		1980-81 के दौरान	
	प्रभावित आबादी (लाख)	प्रभावित सस्यगत क्षेत्र (लाख हैक्टार)	प्रभावित आबादी (लाख)	प्रभावित सस्यगत क्षेत्र खरीफ (लाख हैक्टार)
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	125.00	40.00	125.00	40.00
2. बिहार	473.00	30.00	433.00	30.00
3. गुजरात	—	—	60.00	11.24
4. हरियाणा	30.00	17.00	(कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी गई)	
5. हिमाचल प्रदेश	27.00	4.90	34.00	4.90
6. जम्मू तथा कश्मीर	2.69	2.13	(कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी गई)	
7. मध्य प्रदेश	279.00	88.00	267.00	90.08
8. महाराष्ट्र	53.14	10.25	(कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी गई)	
9. उड़ीसा	115.00	43.18	134.00	35.22
10. राजस्थान	240.00	30.00	240.00	30.00
11. उत्तर प्रदेश	773.00	105.00	773.00	105.00
12. पश्चिम बंगाल	87.00	15.55	(कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी गई)	
योग	2204.83	385.99	2066.00	346.44

विवरण—2

अब तक किए गए राहत उपायों की मात्रा तथा उसके स्वरूप को प्रदर्शित करने वाला विवरण :

(ख) 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान सूखे से प्रभावित राज्यों में राहत प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1979-80 के दौरान

मौके पर जायजा लेने के लिए सूखे से प्रभावित राज्यों का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल की रिपोर्टों तथा राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने सूखे से प्रभावित 11 राज्यों को केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिए 156.95 करोड़ रुपये के अधिकतम अतिरिक्त व्यय की मंजूरी दी थी इसमें निराश्रित व्यक्तियों के लिए 12.50 करोड़ रुपए की निःशुल्क राहत तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सक्षम गरीब व्यक्तियों के लाभ के लिए रोजगार पैदा करने वाली योजनाओं के लिए ९९.91 करोड़ रुपए की रकम भी शामिल है।

काम के बदले अनाज संबंधी सामान्य और विशेष कार्यक्रमों के तहत लगभग 25 लाख मीटरी टन खाद्यान्न आवंटित किया गया था। इसके अलावा, दूध पिलाने वाली माताओं तथा गर्भवती महिलाओं, स्कूल न जाने वाले शिशुओं वृद्ध तथा अशक्त व्यक्तियों और शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों, आदि जनसंख्या के अत्यंत दुर्बल वर्गों के निमित्त पोषण के लिए अनाज कार्यक्रम शुरू करने हेतु राज्यों को एक लाख मीटरी टन खाद्यान्न भी उपलब्ध किया गया था।

कृषि आदान मुहैया करने के लिए 1979-80 के खरीफ तथा रबी दोनों मौसमों के लिए 136 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ऋण मंजूर किया गया था।

विशेष रियायतें :

भारत सरकार ने न केवल लघु कृषक विकास एजेंसी, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, सघन ग्राम विकास जैसे विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में बल्कि उन क्षेत्रों में भी जहां फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान पहुंचा है, छोटे तथा सीमाँत किसानों के लिए बीजों, कीटनाशी औषधियों तथा उर्वरकों (जिसमें नाइट्रोजन पूरक उर्वरक भी शामिल हैं) के लिए राजसहायता की अनुमति दी। छोटे किसानों आदि को नाइट्रोजन पूरक उर्वरकों पर पहली बार राज सहायता दी गई।

भारी कर्जे के बोझ से दबे हुए छोटे तथा सीमांत किसानों को राहत देने के उद्देश्य से, उन क्षेत्रों में जहां फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान पहुंचा था, खरीफ के ऋण पर ब्याज की देयता से छूट दे दी गई थी बशर्ते कि ऋण की अदायगी पुनः निर्धारित तारीख पर कर दी गई हो एतत्सम्बंधी खर्च राज्य सरकारों और भारत सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया गया।

पशु आहार के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। तिलहनों की कोल्हू से निकलने वाली खली तथा तेल रहित चावल की भूसी और मिश्रित पशु तथा कुक्कुट आहार का निर्यात बन्द कर दिया गया था।

विद्युत तथा पावर सप्लाई :

जब मौजूदा सरकार ने कार्यभार संभाला तो राज्य सरकारों को सलाह दी गई कि वे रबी मौसम के दौरान एक या दो महत्वपूर्ण सिंचाई के लिए किसानों के लिए कम से कम 50 प्रतिशत डीजल निर्धारित करें और वस्तुतः इसे उपलब्ध करें। रबी मौसम के दौरान किसानों के लिए डीजल एक आवश्यक आदान होता है, अतः पैट्रोलियम मंत्रालय ने भारी कठिनाइयों के बावजूद पहले के कोटे के अलावा अतिरिक्त नियतन किया और इस अतिरिक्त नियतन का एक बड़ा भाग सूखे से प्रभावित राज्यों को दिया गया है।

केन्द्र ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे कम से कम 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत बिजली ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध करे और इसके लिए यदि आवश्यक हो तो आर्क-फरनेस, रोलिंग मिलों आदि बिजली की अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं की सप्लाई में कटौती करे। रेल मंत्रालय तथा कोयला विभाग ने विशेष रूप से उत्तरी क्षेत्र के ताप बिजली घरों के लिए कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए उपाय किए।

राज्य सरकारों ने भूमि के लगान की वसूली को स्थगित करने तथा भूमि के लगान की बकाया राशि के माफी के बारे में आदेश जारी किए।

1980-81 के दौरान

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश की सरकारों के अनुरोध पर भारत सरकार ने सूखे की स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिए अप्रैल-मई, 1980 के दौरान केन्द्रीय दल भेजे। केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों तथा उस राहत सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने इन राज्यों को केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिए 193.501 करोड़ रुपए के अधिकतम खर्च की मंजूरी दी है।

इसके अलावा, काम के बदले अनाज संबंधी विशेष कार्यक्रम के तहत 1980-81 के दौरान सूखे से प्रभावि सभी राज्यों तथा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश व अन्दमान तथा नीकोबार द्वीप-समूह के संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 6.90 लाख मीटरीटन खाद्यान्न उपलब्ध किया गया है। यह मात्रा काम के बदले अनाज संबंधी सामान्य कार्यक्रम के तहत किए गए 3.10 लाख मीटरी टन खाद्यान्न के अलावा दी गई है। 1979-80 के दौरान शुरू किया गया पोषाहार के लिए अनाज कार्यक्रम सितम्बर, 1980 के अन्त तक जारी रखा जाएगा। इस कार्यक्रम के कारगर क्रियान्वयन हेतु प्रोत्साहन के तौर पर राज्य सरकारों को समान व्यय के लिए मार्जिन धनराशि को उपयोग में

लाने की अनुमति दी गई है। समाज कल्याण मंत्रालय ने भी, जहाँ संगठनात्मक अवस्थापना का अभाव है, वहां विना पके हुए आहार के वितरण की अनुमति देकर अपवादजनक परिस्थितियों में पकाया हुआ आहार प्रदान करने की शर्त में ढ़ील दे दी है।

केन्द्रीय सरकार ने दूध पिलाने वाली महिलाओं, बच्चों आदि के लिए सूखे से प्रभावित राज्यों को 2500 मीटरी टन खाद्य तेल तथा 1500 मीटरी टन स्किम दुग्ध चूर्ण उपलब्ध किया है।

भारत सरकार ने खरीफ 1980 के दौरान कृषि आदान मुहैया करने के लिए कुल 51.15 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण मंजूर किया है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सूखे से प्रभावित मोनो-क्राप्ड क्षेत्रों में, जहां रबी की कोई फसल नहीं उगाई जा सकती, छोटे और सीमांत किसानों को कृषि आदानों (जिसमें नाइट्रोजन पूरक उर्वरक भी शामिल है) पर दी जाने वाली वर्तमान राजसहायता बढ़ा दी गई है।

पीने का पानी

सूखाग्रस्त राज्यों में पीने के पानी की समस्या को युद्ध स्तर पर हल किया जा रहा है। 1980-81 के दौरान स्वीकृति की गई केन्द्रीय सहायता में आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश को दिया गया 41.40 करोड़ रुपए का प्रावधान भी शामिल है।

इसके अतिरिक्त, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कुंए खोदने के लिए राज्य सरकारों को सप्लाई करने के लिए स्वदेशी रिगों की अधिप्राप्ति तथा त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के तहत सामान्य प्रावधानों को बढ़ाने के लिए निर्माण एवं आवास मंत्रालय को 11 करोड़ रुपए की राशि दी गई है।

इसके अतिरिक्त, स्वीडन से उपहार स्वरूप 10 रिगों को स्वीकार करने के लिए निर्माण एवं आवास मंत्रालय को प्रतिस्थानी धनराशि के रूप में 4 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

रेलवे ने उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के प्रबंध किए हैं।

रक्षा मंत्रालय उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश राज्यों के सूखे से प्रभावित गांवों में टैंकरों, ड्रमों, बैरलों, केनवास टैंकों आदि से पीने का पानी पहुंचाने के लिए हर संभव सहायता दे रहा है।

सूखा-प्रबंध के बारे में प्रधान मंत्री का 12-सूत्री कार्यक्रम देश में पड़े अभूतपूर्व सूखे की स्थिति से युद्ध स्तर पर निपटने के लिए मूल ढांचे एवं कार्रवाई का मार्गदर्शन करता है। इस कार्यक्रम में ये शामिल हैं—भयंकर रूप से प्रभावित जिलों में पूर्णकालीन राहत अधिकारियों को नियुक्त करना, राज्य तथा जिला स्तरों पर प्रबोधन सेलों का गठन करना, खाद्यान्नों, खाद्य तेल

तथा मिट्टी के तेल की सप्लाई के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना, अभाव की स्थिति का नाजाइज फायदा उठाने का प्रयत्न करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना, पंचायत स्तर पर योजनाओं को सुनिश्चत करके काम के बदले अनाज कार्यक्रम का सुचारू क्रियान्वयन तथा वन रोपण के एक व्यापक कार्यक्रम के साथ काम के बदले अनाज कार्यक्रम को जोड़ना। यह कार्यक्रम प्रभावित ग्रामों में पानी की सप्लाई करने के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने तथा ट्रक, ड्रम, बैरल आदि के प्रबंध करने के लिए अग्रिम कार्रवाई करने पर भी बल देता है। लोगों को इस आपदा से राहत देने के अतिरिक्त, इस कार्यक्रम में गोपशुओं के लिए कैम्पों की स्थापना करने का भी प्रावधान है। 12-सूत्री कार्यक्रम गम्भीरता से क्रियान्वित किया जा रहा है और इसने सभी स्तरों पर राज्य-तंत्र को गति प्रदान की है।

प्रबोधन : ।

कृषि विभाग में एक कृतिक बल तथा खाद्य विभाग में एक प्रबोधन ग्रुप खाद्यान्नों के संचलन, डीजल के आवंटन, पीने के पानी के प्रबंधों आदि का नियमित रूप से प्रबोधन कर रहा है। सूखा राहत कार्यों का प्रबोधन करने तथा राज्य सरकारों को सूखाराहत कार्यों से संबंधित समस्याओं को शीघ्रता से निपटाने में सहायता देने के लिए कृषि मंत्रालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।

पश्चिम बंगाल में डाकघर खोलने का लक्ष्य

3270. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1978-79, 1979-80 के दौरान पश्चिम बंगाल में कितने डाकघर खोले जाने का लक्ष्य रखा गया था;

(ख) क्या वह लक्ष्य पूरा करने में सफलता मिली; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान पश्चिम बंगाल डाक सर्किल में ग्रामीण डाकघरों के खोले जाने का लक्ष्य क्रमशः 400 और 350 था। चूंकि शहरी डाकघरों को आत्मनिर्भर होना चाहिए, इसलिए उनके मामले में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

(ख) जी हां। वर्ष 1978-79 के दौरान 400 और वर्ष 1979-80 के दौरान 352 ग्रामीण डाकघर खोले गये थे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में डाक व तार कार्यालय और टेलीफोन केन्द्र

3271. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 और 1981-82 के दौरान पश्चिम बंगाल में और अधिक डाक व तार कार्यालय तथा टेलीफोन केन्द्र खोलने की योजनाएं, परियोजनाएं तथा अनुमान क्या हैं;

(ख) पश्चिम बंगाल में कितनी परियोजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया और डाक व तार कार्यालय तथा टेलीफोन केन्द्रों के लिए विभिन्न परियोजनाओं के बारे में कितनी राशि मंजूर की गई ;

(ग) पश्चिम बंगाल के प्रत्येक शहर, नगर और जिले में टेलीफोन ग्राहकों को कितने नए टेलीफोन दिए जाएंगे ; और

(घ) पश्चिम बंगाल में 1977-80 दौरान वर्षवार और नगरवार कितने ग्राहकों को टेलीफोन कनेक्शन दिये गये ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) योजना आयोग द्वारा पहले से अनुमोदित 1980-81 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत लगभग 250 ग्रामीण डाकघर तथा 73 तारघर खोले जाने का प्रस्ताव है । तैयार की जा रही 1980-85 की नई पंचवर्षीय योजना के आधार पर इन आंकड़ों में संशोधन किया जा सकता है । नई पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दे दिए जाने के बाद ही 1981-82 के लिये लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे ।

टेलीफोन एक्सचेंजों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) 1980-81 के दौरान पश्चिम बंगाल में डाक भवन तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए 58.49 लाख रुपये तथा नये सार्वजनिक टेलीफोनघर/तारघर खोलने के लिये 90 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । नये डाकघर खोलने पर किया जाने वाला खर्च पूंजीगत किस्म का नहीं है तथा वह कार्य व्यय अनुदान से पूरा किया जाता है । टेलीफोनों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कम्प्यूटरों द्वारा बिल तैयार करने की लागत

3272. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्प्यूटरों से बिल तैयार करने की न्यूनतम और अधिकतम लागत क्या है;

(ख) टेलीफोन ग्राहकों को वास्तविक राशि से ज्यादा राशि के बिल भेजने के बारे में टेलीफोन प्राधिकारियों के विरुद्ध कितने अदालती मामले लंबित हैं; और

(ग) ग्राहकों की इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही सूचना उपलब्ध होगी, सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) **स्थिति से निपटने के लिए की गई कार्रवाई** :

1. मीटरों पर ताला लगाया जाता है और मीटर कक्ष में प्रवेश पर रोक है ।

2. अचानक जांच द्वारा अप्राधिकृत कनेक्शनों, विपथन आदि का पता लगाने के लिये सतर्कता दस्तों का गठन किया जाना है ।

3. 'चार्ज एनलाईजर' की सप्लाई हेतु आदेश दे दिये गये हैं । ये उन उपभोक्ताओं द्वारा की गई एस० टी० डी० कालों का अलग ब्यौरा दे सकेगा जो कि अधिक बिल की शिकायत करते हैं ।

4. मीटर पर आने वाले दोषों को दूर करने के लिये नये मीटर सर्किट प्रारम्भ किये गये हैं ।

5. वितरण प्वांइटों, खंबों और कैबिनेटों पर ताला लगाना ।

6. मीटर और एस० टी० डी० अवरोधन सुविधाओं की जांच करना ।

7. टेलीफोन डायरेक्टरी में उचित शीर्षकों के प्रकाशन द्वारा एस० टी० डी० सुविधा के उचित प्रयोग के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करना ।

खाद्य निगम डिपो उदयपुर के बारे में शिकायतें

3273. **श्री भीखा भाई** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य निगम डिपो, उदयपुर के सम्बन्ध में बहुत-सी शिकायतें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) भारतीय खाद्य निगम के उदयपुर में स्थित डिपो के बारे में किसी राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित शिकायतों से सम्बन्धित कोई समाचार सरकार के नोटिस में नहीं आया है । तथापि, उदयपुर से प्रकाशित हिन्दी के स्थानीय समाचार-पत्र (जय राजस्थान) के 4 और 6 जून, 1980 के अंकों में समाचार प्रकाशित हुए थे जिनमें ये आरोप लगाये गये थे कि उदयपुर की अधिकांश राशन की दुकानों को लाल

और घटिया गेहूं आवंटित की जाती है, निगम के डिपों पर कार्यरत गेहूं तौलने वाले तथा हैडल करने वाले मजदूरों को 1/- रुपये प्रति बोरे के हिसाब से चोरी-छिपे भुगतान करने पर ही अच्छे किस्म का गेहूं आवंटित किया जाता है, फटी बोरियों में गेहूं सप्लाई किया जाता है, ट्रकों में माल भरने के बाद भी माल कम निकलता है, उदयपुर के राशन के दुकानदारों द्वारा अच्छे किस्म का गेहूं काले बाजार में बेचा जाता है, कुछेक उचित दर की दुकानों को दो-दो लाइसेंस दिये गये हैं, कुछेक राशन के दुकानदारों को गेहूं का आवंटन देर से किया जाता है और वार्ड विशेष की उचित दर की दुकानों को गेहूं आवंटित नहीं किया जाता है, आदि ।

(ख) और (ग) राशन/उचित दर की दुकानों को लाइसेंस देने, उन दुकानों को खाद्यान्न आवंटित और सप्लाई करने तथा खाद्यान्नों का सार्वजनिक वितरण करने के कार्य की देख-रेख करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है । भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकार के एजेन्ट के रूप में खाद्यान्नों को हैडल करता है और उन्हें उचित दर की दुकानों को सप्लाई करता है । समाचार में उल्लिखित आरोप अस्पष्ट है और निश्चित नहीं है । फिर भी भारतीय खाद्य निगम उनके संगठन से सम्बन्धित आरोपों की जांच कर रहा है । शेष आरोपों की जांच करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है । यदि भारतीय खाद्य निगम के विरुद्ध कोई निश्चित शिकायतें राज्य सरकार से अथवा किन्हीं अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है तो उनकी जांच की जायेगी ।

अकाल-राहत तथा पेय-जल प्रदान करने के लिए नियतन

3274. **श्री भीखा भाई :** क्या **कृषि मन्त्री** राज्यों में सूखे के बारे में 9 जून 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों को वहां प्रभावित जनसंख्या के अनुपात से अकाल राहत नहीं प्रदान की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या गेहूं की सप्लाई न होने के कारण राजस्थान में कई महीने तक मजूरी की अदायगी नहीं की जा सकी; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी रहा ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) राहत कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन, केन्द्रीय दल द्वारा मौके पर किए गए मूल्यांकन तथा राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर दी जाती है । वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत की गई मार्जिन धन-राशि को भी ध्यान में रखा जाता है । सरकार सूखे से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या सहित सभी सम्बन्धित मुद्दों को ध्यान में रखती है । स्पष्ट है कि केवल इसी कारण से व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है ।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 26 जिलों में से 20 जिलों में

राहत कार्यों में लगे हुए श्रमिकों की 31 मई, 1980 तक की मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है अन्य जिलों में 30 अप्रैल तक भुगतान कर दिया गया है तथा कुछ मामलों में 15 मई, 1980 के मध्य तक का भुगतान कर दिया गया है। राज्य सरकार ने बकाया मजदूरी के भुगतान के लिए युद्ध स्तर पर आवंटन आरम्भ किया है। निम्नलिखित कारणों से भुगतान में देरी हुई :

1. वहां सीधी भर्ती करने में पर्यवेक्षी तकनीकी कर्मचारियों के न मिलने के कारण कम कर्मचारी नियुक्त किए गए, जिसके कारण 'मस्टर रोल' तथा 'मेजरमेन्ट बुक' आदि तैयार करने में कुछ देरी हुई।

2. कुछ क्षेत्रों में मजदूरों की संख्या में अचानक वृद्धि हो जाना।

3. श्रमिकों के अधिक संख्या वाले कुछ क्षेत्रों मे भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं में अपर्याप्त स्टाक का होना।

4. सड़क मार्ग द्वारा खाद्यान्नों को लाने ले जाने में कठिनाई तथा रेलवे वैगनों के आवंटन में विलम्ब।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तिलक नगर में निर्माणों का गिराया जाना

3275. **श्री भीखा भाई : क्या निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1975 में तिलक नगर क्षेत्र में गिराई गई दुकानों/स्टालों के वास्तविक मालिकों को दुकानों/स्टालों का आवंटन किया गया है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक योजना तैयार की थी जिसके अधीन उन दुकानदारों को किस्तों के आधार पर दुकानें/स्टाल आवटित करने की व्यवस्था थी जो पैसे की कमी के कारण जनकपुरी में सब्जी मंडी में दुकान नहीं खरीद सके थे;

(ग) इस योजना के अधीन दुकानों/स्टालों के आवंटन के लिए अलग-अलग कितने लोगों ने आवेदन किया था और कितने लोगों को उनकी पसन्द के अनुसार दुकान अथवा स्टाल आवंटित कर दिए गए ;

(घ) शेष लोगों को स्टाल कब तक आवंटित कर दिए जाएंगे ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार तिलक नगर स्थित सब्जी मंडी में दुकानों/स्थलों का आवंटन करने के प्रश्न पर विचार करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि यह एक सामान्य योजना थी और यह केवल उन्हीं तक सीमित नहीं थी जो छोटी सब्जी मंडी में दुकान नहीं खरीद पाए थे। इस योजना के अन्तर्गत दुकानों/स्टालों के आवंटन के लिए सफाई अभियान के दौरान दिल्ली के

विभिन्न क्षेत्रों से हटाए गए विस्थापितों से 591 आवेदन पत्र (520 दुकानों और 71 स्टालों के आवंटन के लिए) प्राप्त हुए थे। इनमें से आवंटन के लिए पात्र पाए गए 101 व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्लाट की लाटरी के द्वारा दुकान/स्टाल आवंटित किए गए। ये जनकपुरी में दुकान के प्लाट आवंटित किए गए 377 व्यक्तियों के अतिरिक्त थे।

(घ) उपर्युक्त (ख) तथा (ग) में बताई गई स्थिति को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

ट्रैक्टरों का आयात

3276. **श्री मोखा भाई** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से ट्रैक्टरों का आयात किया जाएगा क्योंकि देश में उनका उत्पादन बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से ट्रैक्टरों का आयात किया जाएगा; और

(ग) विभिन्न राज्यों को ट्रैक्टरों का वितरण किन आधारों पर किया जाएगा और वितरण का अनुपात क्या होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। ट्रैक्टरों की मांग को पूरा करने के लिए देशी उत्पादन पर्याप्त है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

खाद्य तेल और तिलहन का समर्थन मूल्य

3277. **श्री ओस्कार फर्नांडीस** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य तेलों का राज्यवार उत्पादन और खपत कितनी होती है, और देश में खाद्य तेलों की कमी के क्या कारण हैं ; और

(ख) सरकार तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तिलहन का समर्थन मूल्य देने हेतु क्या कदम उठाएगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : संगठित तथा गैर संगठित औद्योगिक क्षेत्रों में तिलहनों से खाद्य तेल निकाला जाता है। अत: देश में, राज्यवार, खाद्य तेलों के कुल उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, खाद्य तिलहनों के कुल उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर अनुमान है कि 1979-80 के दौरान लगभग 27 लाख मीटरीटन खाद्य तेल का उत्पादन हुआ और खपत के लिए लगभग 37 लाख मीटरीटन की आवश्यकता थी। सूखे के कारण 1979-80 में तिलहनों के उत्पादन में गिरावट आना और इसके फलस्वरूप मांग तथा पूर्ति के बीच का अन्तर बढ़ना देश में खाद्य तेलों की कमी का कारण है।

(ख) सरकार तिलहनों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए मूंगफली, तोरियां और सरसों, सोयाबीन तथा सूरजमुखी के बीजों का समर्थन मूल्य घोषित करती है। तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए समर्थन मूल्यों को आमतौर से हर वर्ष संशोधित करके बढ़ाया गया है। इसी प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों तथा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को समर्थन मूल्यों पर खरीद का कार्य करने के लिए कहा जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में कालेजों को अनुदान

3278. **श्री ओस्कार फर्नान्डीज : क्या शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पिछड़े क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कालेजों को अनुदान देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई है;

(ख) क्या सरकार का विचार दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित कालेजों को अधिक रियायतें तथा अनुदान देने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) आयोग ने पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कालेजों के लिए पाँचवी योजना के दौरान, विकास अनुदानों हेतु पात्रता से सम्बन्धित शर्तों में ढ़ील दे दी हैं। ढील दी गई शर्तों के अनुसार पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले कालेज, विकास अनुदानों के लिए पात्र होंगे यदि उनमें क्रमश: 400 छात्रों तथा 20 अध्यापकों की सामान्य आवश्यकता के स्थान पर 300 छात्र तथा 15 अध्यापक हैं। ऐसे कालेजों के मामले में, जो दो-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, 270 छात्रों तथा 15 शिक्षकों की सामान्य आवश्यकता में छूट देकर 200 छात्र तथा 10 शिक्षक कर दी गई है।

(ख) और (ग) छठी योजना के दौरान, कालेजों को सामान्य विकास के लिए सहायता प्रदान करने से सम्बन्धित मानदण्ड को आयोग द्वारा अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नये शाखा डाकघर खोलना

3279 **श्री चिन्तामणि जेना : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने ग्रामीण शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है और उनके राज्यवार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) इस कार्य पर केन्द्र सरकार का विचार कितनी राशि खर्च करने का है ; और

(ग) कितने शाखा डाकघरों को उप डाकघरों में बदला जाएगा और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्री (श्री श्री० एम० स्टीफन) : (क) और (ख) 1980-85 की अवधि हेतु पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है। देश में इस योजना की अवधि के दौरान खोले जाने वाले ग्रामीण डाकघरों की संख्या और इस कार्य पर किये जाने वाले खर्च का पता तब चलेगा जब इस योजना के अन्तिम रूप का योजना आयोग द्वारा अनुमोदन कर दिया जायेगा। सर्किल-वार लक्ष्य प्रतिवर्ष के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं न कि कुल मिलाकर 5 वर्ष की अवधि के लिए।

(ग) विभागेतर शाखा डाकघरों का दर्जा उप डाकघर के स्तर तक बढ़ाना योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं है अतः कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। ऐसे मामलों में समय-समय पर कार्य-भार, वित्तीय परिणामों और अन्य सम्बन्धित बातों के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

प्रोटेक्टिव कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटी, दिल्ली

3280. **श्री त्रिलोकचन्द्र** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोटेक्टिव कोआपरेटिव थ्रिफ्ट क्रेडिट सोसाइटी दिल्ली प्रशासन के सहकारी समितियों के रजिस्टार के यहां पंजीकृत सोसाइटी है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सोसाइटी के इस समय कितने सदस्य हैं;

(ग) क्या उक्त सोसाइटी के अनेक सदस्यों ने सेक्रेटरी तथा दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास अपने त्याग-पत्र भेजे हैं ;

(घ) यदि हां, तो किन-किन सदस्यों के त्यागपत्र अब तक स्वीकृत किये जा चुके हैं और उनके त्याग पत्र किन-किन तिथियों से स्वीकृत किये गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनके त्याग-पत्र स्वीकार करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां,

(ख) 52।

(ग) कुछ सदस्यों ने अपना त्याग पत्र सोसाइटी के सचिव को और दूसरों ने दिल्ली के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को भेजे हैं।

(घ) जानकारी विवरण में दी गई है।

(ङ) इस मामले के सम्बन्ध में निर्णय सोसाइटी की प्रबन्ध समिति ने लेना है।

विवरण

प्रोटेक्टिव कोआपरेटिवथ्रिफ्ट एन्ड क्रेडिट सोसाइटी लि० दिल्ली की प्रबन्ध समिति द्वारा अब तक मजूर किए गए त्यागपत्र, सदस्यों की सूची और उनके त्यागपत्रों के मंजूर होने की तारीखें :

क्रम सं०	त्यागपत्र देने वाले सदस्य का नाम	त्याग पत्र स्वीकार करने की तारीख
1.	श्री राजकुमार	10-4-1977
2.	श्री अशोक कुमार	12-8-1977
3.	श्री लक्ष्मी नारायण	13-11-1978
4.	श्री राजेन्द्र पाल	26-6-1975
5.	श्री ओम प्रकाश	28-5-1978
6.	श्री रमेश चन्द	10-4-1974
7.	श्री किशन लाल	13-6-1976
8.	श्री हर फूल	25-4-1977
9.	श्री मंगा राम	12-11-1978
10.	श्री वसु देव	13-7-1975
11.	श्रीमती शांती देवी	28-11-1976
12.	श्री राधेश्याम	25-4-1977
13.	श्री राम नारायण शर्मा	29-11-1976
14.	श्री किशन स्वरूप	11-11-1979
15.	श्रीमती उमारानी गुप्त	12-7-1978
16.	श्री ओम प्रकाश गुप्त	10-8-1978
17.	श्री गिरधारी लाल	4-10-1978
18.	श्री रमेश चन्द	12-7-1978
19.	श्रीमती कृष्णा देवी	10-9-1976
20.	श्री रतन लाल	5-8-1877
21.	श्री अनवर खां	13-6-1976

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर (सिविल और इलेक्ट्रिकल) के ग्रेड में पदोन्नति

3281. **श्री निहाल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर (सिविल और इलेक्ट्रिकल) के ग्रेड में पदोन्नति के लिए सरकार की वर्तमान नीति क्या है ;

(ख) सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग की इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर (सिविल और इलेक्ट्रिकल) श्रेणी दो की सीधी भर्ती के लिए क्या नीति अपनाई है ; और

(ग) क्या सरकार ने निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर (सिविल और इलैक्ट्रीकल) के ग्रेड में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने और 15-20 वर्षों तथा इससे भी अधिक समय से पदोन्नति के लिए संघर्ष कर रहे जूनियर इंजीनियरों (सिविल और इलैक्ट्रिकल) में व्याप्त बहुत अधिक गतिरोध को कम करने के लिए कोई योजना बनाई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) आजकल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियरों (सिविल तथा विद्युत) के पद पदोन्नति द्वारा इस प्रकार भरे जाते हैं :

(1) विभागीय प्रोन्नति समिति के माध्यम से 50 प्रतिशत चयन द्वारा।

(2) 50 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से के० लो० नि० वि० में सहायक इंजीनियर (सिविल तथा विद्युत) श्रेणी-2 के ग्रेड में सन् 1972 से कोई सीधी भर्ती नहीं की गई है।

(ग) चूंकि सहायक इंजीनियरों (सिविल तथा विद्युत) के सभी पद इस समय पदोन्नति द्वारा ही भरे जाते हैं, इसलिए और पदोन्नति के अवसर बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्दू साहित्य और साहित्यकारों को प्रोत्साहन दिया जाना

3282. **श्री भीखूराम जैन** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

उर्दु साहित्य और अन्य साहित्य तथा साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने के लिए वर्तमान योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : सरकार की नीति उर्दु सहित सभी भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति करने तथा उनके विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करने की है जहां तक शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय का सम्बन्ध है, उर्दु की तरक्की से सम्बन्धित एक ब्यूरो का गठन किया गया है, जो शैक्षिक साहित्य तथा विज्ञान और आधुनिक

ज्ञान के अन्य विषयों पर उर्दु में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित करता है। साहित्य अकादमी उर्दु साहित्य के लिए वार्षिक पुरस्कार देता है तथा उर्दु में सृजनात्मक साहित्य के प्रकाशन तथा उर्दु से और उर्दु में अनुवाद के कार्यक्रम को सहायता देता है। राष्ट्रीय पुस्तक न्याय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद जैसी अन्य एजेंसियां भी उर्दु सहित सभी भारतीय भाषाओं में आलोचनात्मक साहित्य का प्रकाशन करती हैं तथा इसके लिए सहायता देती है।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद में वैज्ञानिकों में बेचैनी शीर्षक से समाचार

3283. **श्री नवीन रवाणी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 16 जून, के टाइम्स आफ इण्डिया में (साईंटिस्टस फील चोवड. इन. आई. सी. ए. आर. शीर्षक) से प्रकाशित उस रिपोर्ट का पता है जिसमें सृजनात्मक अनुसन्धान कर सकने वाले दमघोंटू वातावरण का विवरण दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विज्ञानिकों के मनोबल और उत्साह को बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद की अध्यक्षता में गठित समिति की 1978 के बाद से एक वर्ष में एक बैठक भी नहीं हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्यिों के विरुद्ध क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां, श्रीमान। सरकार को इस रिपोर्ट की जानकारी है। तथापि, यह रिपोर्ट सही नहीं है। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद में रचनात्मक अनुसन्धान की वृद्धि और विकास के लिए अनुकूलतम वातावरण है। विभिन्न अनुसन्धान और शिक्षा कार्यक्रमों की उपलब्धियों से, वर्तमान अनुसन्धान संस्थानों के विकास से, नए संस्थानों और अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना से, वर्ष 1979 के दौरान शुरू की गयी अनुसंधान प्रायोजनाओं से तथा छठी पंचवर्षीय योजना के लिए नियोजित नयी प्रायोजनाओं से यह स्पष्ट है। कार्मिक नीतियां विज्ञानियों के लिए रचनात्मक अनुसन्धान करने के लिए पर्याप्त रूप से उत्प्रेरक हैं। नयी शुरू की गयी कृषि अनुसंधान सेवा (ए० आर० एस०) और तकनीकी सेवा भा० कृ० अ० प० में कार्यरत वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों को व्यवसायिक विकास और वृत्ति में उन्नति के लिए सुअवसर प्रदान करती है यह एक ऐसी प्रणाली है जो देश में संघिनी संस्थाओं में अद्वितीय है। कर्मचारियों को कल्याण और सेवा दशाओं में उन्नति करने के उद्देश्य से संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी संस्थानों और मुख्यालय स्तर पर कार्यरत है। विज्ञानियों का मनोबल पहले जैसा ही ऊंचा है। वे न केवल प्रासंगिक और उच्च गुणवत्ता की अनुसंधान कर रहे है अपितु अनेक कार्यक्रमों जैसे कि राष्ट्रीय प्रदर्शनों, परिचालन अनुसंधान प्रायोजनाओं, कृषि विज्ञान केन्द्रों और प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रौद्योगिकीयों को तेजी के साथ किसानों तक पहुंचाने के लिए वे उपयुक्त कार्यपद्धतियों का विकास भी कर रहे हैं।

(ख) उपरोक्त (क) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान। वर्ष 1978-79 में क्षेत्रीय समितियों की आठ बैठकें हुई थी और अप्रैल से जून, 1980 तक 3 बैठकें हुई थीं।

(घ) उपरोक्त (ग) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

गुजरात में पेय-जल के लिए विश्व बैंक की सहायता

3284. **श्री छीतूभाई गामित : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक गुजरात के लगभग 3000 जल-राहत गांवों में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए वित्तीय सहायता देने को राजी हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने उक्त सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया है तथा किन शर्तों पर किया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) गुजरात में 3000 जल विहीन गाँवों में पानी की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार से विश्ब बैंक की सहायता प्राप्त करने के लिए कोई परियोजना प्राप्त नही हुई है। फिर भी, राज्य सरकार ने विश्व बैंक से सहायता के लिए एक परियोजना तैयार की है जिसमें 31 शहरों तथा 396 गांवों को जलपूर्ति तथा 22 शहरों और 36 गांवों को मल व्ययन तथा स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था है। इस परियोजना के ब्यौरे विश्व बैंक को भेज दिए गए हैं।

महाराष्ट्र के गांव में एक मील के अन्दर पेयजल की व्यवस्था

3285. **श्री आर० आर० मोले** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में गांवों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने गांव ऐसे हैं जहां एक मील की परिधि में पेयजल की सप्लाई की कोई व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) क्या सरकार महाराष्ट्र के प्रत्येक गांव में पानी की सप्लाई की परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता लेगी ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में ग्रामों की संख्या 35778 है। राज्य सरकार के अनुसार समस्याग्रस्त ग्रामों

की संख्या 14025 है (अर्थात् वे ग्राम जिनमें 1.6 कि०मी० की दूरी तक या 15 मीटर की गहराई तक जल स्रोत नहीं है या जहां जल स्रोत बीमारी कीटाणुओं से दूषित है या जहां जल स्रोत में अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं) जिनके लिए जल की व्यवस्था करनी है उन ग्रामों का विवरण उपलब्ध नहीं हैं जिनमें एक मील की परिधि के अन्दर जल उपलब्ध नहीं है।

(ख) राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के संसाधनों के सभी शेष समस्याग्रस्त ग्रामों के लिए 1980-85 के अन्तर्गत जल की व्यवस्था करने का विचार है। महाराष्ट्र के सभी ग्रामों को जल देने के लिए विश्व बैंक से सहायता लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कलना, बिहार में खुदाई

3286. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या शिक्षा मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास जानकारी है कि बिहार के मधुबनी जिले में उमागांव खंड के अन्तर्गत कलना (कल्याणेश्वर) में, मिथिला की प्राचीन राजधानी के प्रथम प्रवेश द्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, किसानों द्वारा खुदाई के दौरान बहुत बार ऐतिहासिक महत्व की बहुत पुरानी वस्तुएं प्राप्त होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त स्थल पर बिना और विलम्ब किये खुदाई करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हाँ।

(ख) व (ग) इस स्थान पर खुदाई करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह स्थल, समस्या जनित योजना के अन्तर्गत नहीं आता।

उर्दू भाषा और संस्कृति का संवर्धन तथा विकास

3287. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

उर्दू भाषा और संस्कृति के संबर्द्धन और विकास हेतु यदि सरकार ने कोई ठोस कार्यवाही की है या कर रही है तो वह क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : उर्दू सहित सभी भारतीय भाषाओं को प्रोन्नत करना तथा उनके विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करना सरकार की नीति है। जहां तक शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय का सम्बन्ध है उर्दू की प्रोन्नति के लिए कई कदम उठाये गए हैं। उर्दू की प्रोन्नति से सम्बंधित एक ब्यूरो का गठन किया गया है, जो शैक्षिक, साहित्य तथा विज्ञान और आधुनिक ज्ञान के अन्य विषयों पर उर्दू में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित करता है। चूंकि सुलेखन उर्दू पुस्तक प्रकाशन का एक अभिन्न अंग है, अतः

तीन सुलेखन केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं तथा दो और स्थापित करने का विचार है। सरकार राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को भी सहायता दे रही है जो उर्दू सहित सभी भारतीय भाषाओं में भाषा विकास और साहित्य आदि के कार्य में लगी हुई है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ने सोलन में एक उर्दू शिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया है, जहां त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत दूसरी भाषा के रूप में उर्दू पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। उर्दू शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं उत्तरी क्षेत्रीय भाषा केन्द्र, पटियाला में भी मौजूद है।

खाद्यान्नों का उत्पादन, रिलीज किया जाना और संचित भंडार

3288. **श्री ज्योतिर्मय बसू** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1978-79 में खाद्यान्नों, अनाज और दालों का अलग-अलग वास्तविक उत्पादन क्या था, 1979-80 में कितने उत्पादन का अनुमान है तथा 1980-81 में उत्पादन लक्ष्य क्या है ;

(ख) वर्ष 1976-77 से 1979-80 तक प्रतिवर्ष केन्द्रीय भण्डार से वास्तव में कितना अनाज रिलीज किया गया ;

(ग) वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1979-80 के अन्त में अनाज का कुल संचित भंडार कितना था ;

(घ) क्या सरकार द्वारा 1980-81 में केन्द्रीय स्टाक से अनाज रिलीज किये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्राम्य पुनर्निर्माण मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) ; (क) 1978-79 के दौरान अनाज, दालों और खाद्यान्नों का उत्पादन क्रमश: 1192.0 लाख मीटरी टन, 121-7 लाख मीटरी टन और 1313.7 लाख मीटरी टन हुआ था। 1979-80 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन के अनुमान सभी राज्यों से अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। 1980-81 के लिए खाद्यान्न की पैदावार का लक्ष्य 1350 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया है।

(ख) केन्द्रीय भण्डार से 1976-77 से 1979-80 (वित्तीय वर्षों में) वास्तव में दिए गए खाद्यान्न इस प्रकार थे :

	(लाख मीटरी टन में)
1976-77	75.9
1977-78	98.7
1978-79	85.8
1979-80	114.5

(ग) 1976-77 से 1979-80 के वित्तीय वर्षों के अन्त में खाद्यान्नों का कुल बफर स्टाक इस प्रकार था :

	(लाख मीटरी टन में)
31 3.77	182.7
31.3.78	154.4
31.3.79	161.7
31.3.80	140.2

(घ) जी हां ।

(ङ) 1980-81 के दौरान केन्द्रीय भण्डार से खाद्यानों की पूर्ति राज्यों द्वारा बनायी गई जरूरतों, केन्द्रीय भण्डार में समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सापेक्ष जरूरतों, खुले बाजार में उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों पर निर्भर करेगी ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

निर्माण और आवास मन्त्रालय में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण

3289. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीन विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरियों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है ;

(ख) क्या आरक्षण के उक्त प्रतिशत में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय में उक्त आरक्षण को समरूप करने का कोई प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) निर्माण और आवास मन्त्रालय के अधीन विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरी के आरक्षण की प्रतिशतता संलग्न विवरण 1, विवरण 2 तथा विवरण 3 में दी गई है ।

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण की प्रतिशतता 1971 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है । सरकार ने वर्तमान प्रतिशतता का पुनरीक्षण नहीं किया है ।

(ग) जी, नहीं । स्थानीय/क्षेत्रीय भर्ती के लिए निर्धारित की गई प्रतिशतता में विभिन्नता स्वाभाविक है क्योंकि यह प्रतिशतता क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पर आधारित है ।

विवरण—I

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1. अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती :		
(क) खुली प्रतियोगिता द्वारा (अर्थात् संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से या अन्य किसी प्राधिकरण द्वारा ली गई खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा)।	15%	7-1/2%
(ख) उपर्युक्त (क) से अन्यथा।	16-2/3%	7-1/2%
2. इलाकों या क्षेत्रों से सामान्यतया उम्मीदवारों को आकर्षित करने वाले ग्रुप सी तथा ग्रप डी (श्रेणी-3 तथा श्रेणी-4) के पदों पर सीधी भर्ती।	संलग्न विवरण में यथा दर्शित	
3. पदोन्नति से भरे गए पद।		
(क) ग्रेडों में ग्रुप बी, सी तथा डी (श्रेणी-2, 3 तथा 4) में सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से या उन सेवाओं में जिनमें सीधी भर्ती की संख्या यदि कोई हो 66-2/3% से अधिक न हो।	15%	7-1/2%
(ख) ग्रुप बी (श्रेणी-2) से ग्रुप ए में निम्नतम पद श्रेणी-1 या वर्ग (श्रेणी-1) और ग्रुप बी, सी तथा डी (श्रेणी-2, 3 तथा 4) पदों में चयन द्वारा या उस सेवा में जिसमें सीधी भर्ती की संख्या यदि कोई हो 66-2/3% से अधिक न हो।	15%	7-1/2%
(ग) ग्रुप ए, बी, सी तथा डी (श्रेणी-1, 2, 3 तथा 4) पदों में उपयुक्तता होने पर वरिष्ठता के आधार पर या उस सेवा में जिसमें सीधी भर्ती की संख्या यदि कोई हो 66-2/3% से अधिक न हो।	15%	7-1/2%

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भर्ती करने में आरक्षण के लिए कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से निर्धारित की गई/अपनाई जा रही प्रतिशतता संलग्न विवरण में दिखाई गई है ।

विवरण—II

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित प्रतिशतता	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित प्रतिशतता
1.	आन्ध्र प्रदेश	13	5
2.	असम	6	11
3.	बिहार	14	9
4.	गुजरात	7	14
5.	हरियाणा	19	5
6.	हिमाचल प्रदेश	22	5
7.	जम्मू कश्मीर	8	5
8.	केरल	9	5
9.	मध्य प्रदेश	13	20
10.	महाराष्ट्र	6	6
11.	मणिपुर	2	31
12.	मेघालय	1	44
13.	कर्नाटक	13	5
14.	नागालैण्ड	—	45
15.	उड़ीसा	15	23
16.	पंजाब	25	5
17.	राजस्थान	16	12
18.	तमिलनाडु	18	5
19.	त्रिपुरा	13	29
20.	उत्तर प्रदेश	21	5
21.	पश्चिमी बंगाल	20	6
22.	सिक्किम	5	25
संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	16

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित प्रतिशतता	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित प्रतिशतता
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	45
3.	चण्डीगढ़	12	5
4.	दादर व नगर हवेली	2	43
5.	दिल्ली	अखिल भारतीय आधार पर निर्धारित रोस्टर अपनाया जाना है.	
6.	गोआ, दमण व द्वीप	2	5
7.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	—	45
8.	मिजोरम	—	45
9.	पांडिचेरी	16	5

विवरण —III

क्षेत्र	राज्य	अनुसूचित जाति की प्रतिशतता	अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता
1	2	3	4
ए	उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश पंजाब हरियाणा जम्मू व कश्मीर हिमाचल प्रदेश दिल्ली चण्डीगढ़	19	6
बी	पश्चिमी बंगाल बिहार उड़ीसा असम		

1.	2	3	4
	मणिपुर	15	12
	मेघालय		
	अरुणाचल प्रदेश		
	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह		
	नागालैण्ड		
	त्रिपुरा		
	मिजोरम		
सी	महाराष्ट्र		
	गुजरात		
	मध्य प्रदेश		
	आन्ध्र प्रदेश		
	तमिलनाडु	12	7
	केरल		
	कर्नाटक		
	पांडिचेरी		
	लक्षद्वीप		
	दादर व नगर हवेली		
	गोआ, दमण व द्वीप		

मंत्रालयीय और सरकारी क्षेत्र के एककों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों का आरक्षण

3290. **छीतूभाई गामित :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन मंत्रालयीय विभागों और सरकारी क्षेत्र के एककों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता कितनी है ; और

(ख) क्या ऐसे आरक्षण को उनके मंत्रालय के सम्पूर्ण चार्ज के अन्तर्गत सभी स्थानों में एक समान बनाने के लिए कोई प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) कृषि मंत्रालय व इसके आधीन सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान अनुसूचित जातियों और अनुसूचितज जनजातियों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा बनाए गए निर्देशों का पालन करते हैं, जैसा कि संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

(ख) जी नहीं।

विवरण

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की प्रतिशतता

जब तक भारत सरकार के विशेष या सामान्य आदेशों द्वारा किसी पद पर छूट न दी जाए, सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों पर या प्रोन्नति द्वारा भरे गए तमाम पदों के सबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्नलिखित तरीके से निरपवादरूप से आरक्षण किया जाता है।

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
(1) अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती :—		
(क) खुली प्रतियोगिता द्वारा (अर्थात केन्द्रीय लोक सेवा आयोग या अन्य किसी अभिकरण द्वारा खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर)।	15 प्रतिशत	$7\frac{1}{2}$ प्रतिशत
(ख) उपरोक्त (क) के अतिरिक्त।	$16\frac{2}{3}$ प्रतिशत	$7\frac{1}{2}$ प्रतिशत
(2) ग्रुप ग और ग्रुप घ (वर्ग 3 एवं वर्ग 4) पदों के लिए सीधी भरती जिनके लिए स्थानीय या क्षेत्रीय अभ्यार्थी आकर्षित होते हैं।	सम्बन्धित राज्यों/क्षेत्रों में सामान्यतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में।	
(3) प्रोन्नति द्वारा पदों की भर्ती : (क) उन ग्रेडों और सेवाओं में, जिनमें सीधी भरती का भाग (यदि कोई हो) $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत से अधिक नहीं होता, ग्रुप ख, ग, घ (वर्ग 2, 3, 4) में सीमित विभागीय परीक्षा के आधार पर।	15 प्रतिशत	$7\frac{1}{2}$ प्रतिशत
(ख) उन ग्रेडों और सेवाओं में जिनमें सीधी भरती का भाग (यदि कोई हो) $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत से अधिक नहीं होता, ग्रुप क (वर्ग 1) के निम्न श्रेणी के पदों में ग्रुप ख, (वर्ग 2) से और ग्रुप ख, ग और घ (वर्ग 2, 3 और 4) में चयन के आधार पर।	15 प्रतिशत	$7\frac{1}{2}$ प्रतिशत

(ग) उन ग्रेडों और सेवाओं में, जिनमें सीधी भरती का भाग, (यदि कोई हो) 66⅔ प्रतिशत से अधिक नहीं होता, ग्रुप क, ख, ग, और घ (वर्ग 1, 2, 3 और 4) के पदों के उपयुक्त पाए जाने पर अग्रता के आधार पर।	15 प्रतिशत	7½ प्रतिशत

सामाजिक सेवा संस्थाओं को सहायता

3291. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामाजिक सेवा संस्थाओं को अनुदानों अथवा सहायता के वितरण के लिए उनके मंत्रालय के अधीन इस समय क्या क्या योजनायें हैं ;

(ख) पात्र संस्थाओं की प्रत्येक श्रेणी का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक श्रेणी के लिए चालू वर्ष के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है और इस समय कौन-कौन से आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ; और

(ग) ऐसी संस्थाओं को वर्ष 1977 से 1980 में कितने अनुदान आवंटित किए गए और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) वांछित जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

गुजरात में नए टेलीफोन केन्द्र आदि खोलने की योजना

3292. **श्री नवीन रवाणी** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में 1980-81 के दौरान नए टेलीफोन केन्द्र, नए डाकघर, नई शाखाएं आदि खोलने के बारे में नई योजनाएं क्या हैं;

(ख) इन नई योजनाओं के लिए, जिलावार, किन केन्द्रों का प्रस्ताव किया गया है ; और

(ग) गुजरात में 10,000 से अधिक की जनसंख्या वाले कितने शहरों में टेलीफोन कनेक्शन नहीं है और सरकार का इन शहरों में ये सुविधाएं कब तक प्रदान करने का विचार है ?

संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) **दूरसंचार** : वर्ष 1980-81 के दौरान गुजरात राज्य में 150 सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने का प्रस्ताव है। अब तक 85 योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

डाक : 250 नये ग्रामीण डाकघर खोलने का प्रस्ताव है और चलते-फिरते ग्रामीण डाकघरों के जरिए लगभग 350 ग्रामों में काउंटर सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है। तथापि तैयार की जा रही 1980-85 की अवधि के लिए नई पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखते हुए इस लक्ष्य में संशोधन किया जा सकता है।

(ख) **दूरसंचार** : विवरण के अनुसार

डाक : जिन गांवों में नये डाकघर खोले जाने होते हैं उन्हें वास्तव में पहले से निश्चित नहीं किया जाता है। वर्ष पर्यन्त प्रस्तावों पर विचार किया जाता है और वार्षिक योजना के अन्तर्गत प्रत्येक डाक सर्कल/मंडल के लिए निर्धारित सीमा तक उन प्रस्तावों की मंजूरी दे दी जाती है जो निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हैं।

(ग) ऐसा कोई शहर नहीं है।

विवरण

गुजरात राज्य में 1980-81 के लिए प्रस्तावित नये टेलीफोन केन्द्र

क्रम सं०	जिला	वे स्थान जहाँ सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने का प्रस्ताव है।
1.	पंचमहल	भूयाली, पनवाद, घोगाम्वा, सनजाली पावागढ़, फतेहपुर, मोरवा, भीमा।
2.	बरौच	डेडियापाडा, सम्मी, सेलूमाबा, राजपारडी दोरमार, संदासल।
3.	बड़ौदा	दोरमार, संदासल।
4.	खेड़ा	तिम्बा, नामुवाडा, खानीहली, भालोदा, बासोल, चिपाडी, वटोदरा, चुनेल।
5,	मेहसाना	शंकेश्वर, जामला, जंघराल, दासज, दतुसिया,
6.	सूरत	अर्थेन, वाव, पारिया।
7.	बुलसर	जांकव, सूपा, सेतम, फांसा, आट, देगम, दिगेन्द्रनगर।
8.	दांग	सपुटरा।
9.	साबरकांठा	कावा, कौका, बामना, लिम्बाडिया, चोरीवाड, चंदरानी, पुराल, केड, मुनिया, टका-टुंका, नावानगर।

10.	वनसकांठा	गोल्ला, मोरिया, लखनी, पालाड़ी, खीमत ।
11.	गांधीनगर	कोई नहीं ।
12.	अहमदाबाद	कोई नहीं ।
13.	जामनगर	बानुगर, गाभाका ।
14.	जूनागढ़	माहियारी, खीरासर (खेड), बगसु, डेदान ।
15.	अमरेली	वेलन, पारावड़ी, दोलसो ।
16.	भावनगर	रंगोला, देहोर, पीथलपुर ।
17.	राजकोट	खीरासरा (भायावदर), चित्रावाड, सेठ-वाडाला, सातापर, माकनसर, देवकीगलोल, बालपा, बडोदर, सरपदाड, वासावाद
18.	भुज	मोता, असम्बिया, निरोना, रमणिया, मुनफारा, दरसाडी, मंगवाना ।
19.	सुरेन्द्र नगर	सेडला, पोरडा, अदरिआना ।

मंत्रालय और सरकारी क्षेत्र एककों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्य का आरक्षण

3293. **श्री छीतू भाई गामित : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत आने वाले विभागों और सरकारी एककों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्य के आरक्षण का प्रतिशत क्या है ; और

(ख) क्या उनके मन्त्रालय में इस कोटे को बढ़ाने तथा उसमें एकरूपता लाने के प्रस्ताव हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण के बारे में गृह मंत्रालय के सामान्य निर्देशों की संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार अनुपालना की जा रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा भरे गए सभी पदों तथा पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में नीचे दर्शायी गई पद्धति के अनुसार किया

जाता है, बशर्ते कि भारत सरकार के विशेष या सामन्य आदेशों द्वारा किसी पद के लिए छूट न दी गई हो।

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
(1) अखिल भारत आधार पर प्रत्यक्ष भर्ती :		
(क) खुली प्रतियोगिता के द्वारा (अर्थात् संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से अथवा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से)	15 प्रतिशत	7½ प्रतिशत
(ख) उपर्युक्त (क) के अलावा	16-2/3 प्रतिशत	7½ प्रतिशत
(2) समूह ग तथा समूह घ (श्रेणी 3 तथा श्रेणी 4) के पदों की प्रत्यक्ष भर्ती जिनके लिए सामान्यतया स्थानीय क्षेत्र अथवा प्रदेश से अभ्यार्थी आते हैं।	सामान्यतः सम्बन्धित राज्यों केन्द्रशासित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में।	
(3) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदः		
(क) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ख, ग तथा घ ग्रपों (श्रेणी 2, 3 तथा 4), ग्रेड़ों अथवा सेवाओं में प्रत्यक्ष भर्ती का घटक, यदि कोई हो 66-2/3 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।	15 प्रतिशत	7½ प्रतिशत
(ख) ग्रुप ख (श्रेणी 2) से चयन द्वारा ग्रुप क (श्रेणी 1) में निम्नतम पंक्ति अथवा श्रेणी में तथा ग्रुप ख, ग व घ (श्रेणी 2, 3 तथा 4) पदों, ग्रेड़ों अथवा सेवाओं जिनमें प्रत्यक्ष भर्ती का घटक, यदि कोई हो, 66-2/3 प्रतिशत से अधिक नहीं होता।	15प्रतिशत	7½ प्रतिशत

(ग) वरिष्ठता के आधार पर, बशर्ते कि स्वास्थ्यता हो, वर्ग क, ख, ग तथा घ (श्रेणी 1, 2, 3 व 4) पदों, ग्रेडों अथवा सेवाओं जिनमें प्रत्यक्ष भर्ती का घटक, यदि कोई हो, 66-2/3 प्रतिशत से अधिक नहीं होता।	15 प्रतिशत	7½ प्रतिशत

ओलम्पिक खेलों के दौरान सोवियत संघ जाने वाले दर्शक

3294. **श्री अरविंद नेताम** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अगले माह ओलम्पिक खेलों के दौरान भारत से सोवियत संघ जाने के इच्छुक दर्शकों के सम्बन्ध में कोई मानदण्ड निर्धारित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, नहीं। मंत्रालय का कार्य उन प्रतियोगियों तथा अधिकारियों के सम्बन्ध में केवल स्वीकृति प्रदान करना है, जिन्होंने ओलम्पिक खेलों में भाग अथवा उपस्थित होना होता है। यह पता लगा है कि सोवियत रूस ओलम्पिक समिति ने भारतीय ओलम्पिक संघ के परामर्श से एक निजी संगठन का पता लगाया है, जिसका नाम इन्टरनेशनल ट्रेबल कोनसोरटियम, बम्बई है, जो ओलम्पिक खेलों के सम्बन्ध में सोवियत रूस जाने वाले पर्यटकों की यात्रा के सम्बन्ध में कार्य करता है।

उड़ीसा में प्राचीन स्मारकों का सुरक्षण

3295. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के उड़ीसा में प्राचीन स्मारकों के सुरक्षण के लिए कोई प्रावधान किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया था ; और

(ग) क्या उक्त सूची में कोई स्मारक भी जोड़ा गया है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) और (ख) जी हां। उड़ीसा राज्य के राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों में विशेष परिरक्षण कार्यों के लिए 1979-80 तथा 1980-81 में क्रमशः 3,43,700/-रुपये और 3,69,850/- रुपये की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त 1979-80 में रख-रखाव तथा अनुरक्षण पर 45,427/- रुपये की राशि खर्च की गई और 1980-81 के लिए 58,000/- रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ग) उपर्युक्त समय के दौरान उड़ीसा में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की वर्तमान सूची में कोई नया स्मारक शामिल नहीं किया गया।

पुस्तकालय अभियान के लिए उड़ीसा को धन दिया जाना

3296. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पुस्तकालय अभियान में सहायता देने के लिए उड़ीसा को वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान धन दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष कितना धन दिया गया और किसे दिया गया ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सार्वजनिक पुस्तकालयों/पांडुलिपि पुस्तकालयों का संचालन करने वाले स्वैच्छिक शैक्षिक संगठनों को वित्तीय सहायता की योजना" के अन्तर्गत वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81 के दौरान उड़ीसा के पुस्तकालयों को निम्नलिखित अनुदान दिए गए :

1977-78

संस्था/पुस्तकालय का नाम	राशि	प्रयोजन
1, उर्दू लाईब्रेरी आफ उड़ीसा कटक।	6,000/-	पुस्तकें तथा फर्नीचर
2. बचीनीधि पाठागार गां० : उदयपुर, डाक०नौगांव जिला : पुरी	16,000/-	पुस्तकालय का निर्माण, पुस्तकें और फर्नीचर
3. विद्युत क्लब, डाकघर : हल्दीपुरा, वाया बाजपुर जिला ; पुरी	2, 700/-	पुस्तकें तथा फर्नीचर

1978-79

1. उर्दू लाईब्रेरी आफ उड़ीसा कटक।	2,000/-	पुस्तकें तथा फर्नीचर
2. केदार गौरी क्लब केदार गौरी रोड़ भुबनेश्वर।	2,000/-	पुस्तकें
3. क्लब भावी ज्योति कपलेश्वर	1,000/-	पुस्तकें
4. रामकृष्ण मिशन आश्रम, पुरी	15,000/-	पुस्तकें तथा फर्नीचर

1979-80

1. भक्त बन्धु पाठागार शान्तिनगर, वूसारी, बालासौर	20,000/-	भवन निर्माण पुस्तकें तथा फर्नीचर
2. सर्व मंगला युवक संघ, ए-।/ डाकघर हाजीपुर, वाया अनाकला, उड़ीसा।	7,000/-	पुस्तकें तथा फर्नीचर
3. यूनाइटेड आर्टिस्ट एसोसिएसन, गंजम, उड़ीसा ।	20,000/-	भवन तथा पुस्तकें

1908-81

अभी तक "कुछ नहीं"।

लंगूरों पर जैविकीय अनुसंधान कार्यक्रम

3297. **श्री मनफूल चौधरी** : क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान राजस्थान में जैविकीय अनुसंधान कार्यक्रम पर हो रहे विवाद की ओर आकृष्ट किया गया है जहां अमरीकी वैज्ञानिक रणथम्भौर, सरिस्का, रानकपुर तथा अन्य ऐसे स्थानों पर लंगूर पकड़ते हैं और उनका खून लेते हैं जो इस काम के लिए चुने नहीं गए थे ;

(ख) क्या यह सही है कि इन स्थानों में अमरीकियों के अनाधिकृत प्रवेश से पारिस्थितिक संतुलन और वन्य जीवन को खतरा बढ़ गया है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सरकार ने मई, 1979 में हावर्ड विश्वविद्यालय के पी० एच० डी० छात्र मिस्टर जैम्स जे० मूर की एक अनुसंधान परियोजना "बिहैव्यरल एकोलोजी आफ आल-मैल वेड्स इन दि हनुमान लंगूर (प्रेस्बायटिज इन्टेलस)" अनुमोदित की थी। सितम्बर, 1979 में हावर्ड के दो अनुसंधानकर्त्ताओं डा० डेनियल ब्रूस हर्डी और डा० (श्रीमती) साराह बी० हर्डी, जिनकी सहायिका शोध छात्रा मिस सिलविया हांव थी, कि एक अनुसंधान परियोजना "इंटीग्रेटड फील्ड स्टडी आफ दि बिहैव्यर एण्ट बाइलोजी आफ दि हनुमान लंगूर" भी अनुमोदित की गई थी। दोनों परियोजनाएं जोधपुर विश्वविद्यालय के प्राणि-विज्ञान विभाग से सम्बद्ध है जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर एस० डी० मिश्र हैं। पहली परियोजना का उद्देश्य नर-लंगूरों के आचरण और जन-सांख्यिकी का अध्ययन करना है और इसमें माउन्ट आबू में लंगूर टोलियों का प्रेक्षण अध्ययन भी शामिल है। मि० मूर सितम्बर, 1979 में भारत आए थे और अभी हाल तक अपनी परियोजना पर कार्य करते रहे

हैं। दूसरी परियोजना के अनुसंधान-कर्त्ताओं को अभी अपना कार्य शुरू करना है। पता चला है कि डा० (श्रीमती) हर्डी अपनी अनुसंधान सहायिका मिस सिलविया होव के साथ फरवरी, 1980 में भारत आयी थीं। डा० (श्रीमती) हर्डी प्रस्तावित अनुसंधान परियोजना के सम्बन्ध में जोधपुर आदि में प्रारम्भिक विचार-विमर्श करके लगभग तीन सप्ताह बाद वापस लौट गई। तथापि, मिस होव लंगूरों का प्रेक्षण करने के लिए भारत में ठहर गई।

अभी हाल में वन्य जीवन विनियमों के विरुद्ध क्षेत्र अध्ययन के लिए दो अमरीकी अनुसन्धान-कर्त्ताओं के राजस्थान में रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में प्रवेश के सम्बन्ध में प्रेस रिपोर्ट आयी थी। प्रोफेसर एस० डी० मिश्र से प्राप्त प्रस्ताव पर कृषि मन्त्रालय ने अमरीकी अनुसंधानकर्त्ताओं और उनके भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा राजस्थान के बनों में हनुमान लंगूरों पर प्रेक्षण अध्ययनों और उनके रक्त के नमूने एकत्र करने के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति न होने की सूचना इस शर्त पर दे दी थी कि वे राजस्थान वन्य-जीवन प्राधिकारियों द्वारा लगाई गई शर्तों और नियमों का पालन करेंगे।

अनुसंधान कर्त्ताओं द्वारा वन्य जीवन नियमों के कथित उल्लंघन के बारे में शिकायत को देखते हुए अनुसंधान अध्ययनों की स्वीकृति पर इस मामले में विस्तृत जांच होने तक रोक लगा दी गई है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिला

3298. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **शिक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए और उनमें से कितने छात्रों को दाखिला किया गया ;

(ख) दाखिला देने के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या है और क्या उन्हें दाखिला देते समय इस मानदण्ड का पालन किया गया है ; और

(ग) जिन छात्रों को दाखिला नहीं मिला है उनके बारे में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों में दाखिला के लिए आवेदन पत्रों की प्राप्ति हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि 30 जून, 1980 थी और डाक द्वारा प्राप्त पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्रों को अभी भी पंजीकृत किया जा रहा है। विश्वविद्यालय ने 30 जून 1980 को या उससे पहले डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों पर भी विचार करने का निर्णय किया गया है ताकि डाक में देरी के कारण किसी इच्छुक उम्मीदवार को कोई कठिनाई न हो। अत: इस समय न तो आवेदन पत्रों की सही संख्या ही दी जा सकती है और न ही दाखिल किए गए उम्मीदवारों की संख्या ही बताई जा सकती है क्योंकि दाखिले की प्रक्रिया अभी हाल ही में आरम्भ की गई है और इसको अन्तिम रूप देने में कुछ समय लगेगा।

विश्वविद्यालय द्वारा दाखिला के सम्बन्ध में अपनाई गई मार्गदर्शी रूप रेखाएं दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1. विश्वविद्यालय की प्रवेश नीति को निम्नलिखित नियमों द्वारा नियन्त्रित किया जाता है :

(i) शैक्षणिक योग्यता तथा उच्च कोटि की क्षमताओं वाले छात्रों के दाखिले को सुनिश्चित करना, ताकि इसके छात्र राष्ट्रीय निर्माण तथा सामाजिक परिवर्तन संबन्धी कार्य में सार्थक ढग से अपनी भूमिका निभा सकें ।

(ii) इस बात को सुनिश्चित करना कि इस विश्वविद्यालय में हमारे समाज के कमजोर तथा पीड़ित वर्गों के छात्र पर्याप्त संख्या में दाखिल किए जाएं ; और

(iii) देश के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों की पर्याप्त संख्या में दाखिला देकर, विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय स्तर को बनाये रखना ;

2. शैक्षणिक योग्यता एवं अन्तर्निहित क्षमताओं से सम्बन्धित मूल्यांकन के तरीके भिन्न-भिन्न बिषय के लिए भिन्न-भिन्न हो सकते हैं और इन्हें सम्बन्धित केन्द्रों के निर्णय पर छोड़ देना चाहिए ।

3. समाज के शोषित वर्गों के छात्रों को पर्याप्त संख्या में दाखिल करने की बात को सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक वंचन की एक सूची तैयार की जानी चाहिए और प्रवेश प्रक्रिया के दो स्तरों अर्थात् आवेदन पत्रों की जांच से तथा वास्तविक प्रवेश में इसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए ।

4. निम्नलिखित सूचकों पर, प्रत्येक के सामने दिये गये महत्व को ध्यान में रखते हुए सामाजिक वंचन की एक सूची तैयार की जानी चाहिए :

(क)	आर्थिक वंचन	7
(i)	400/- रु० प्र० मा० से कम	7
(ii)	400/- से 500 प्र० मास तक	6
(iii)	500/- से 600 रु० प्र० मास तक	5
(iv)	600/- रु० से 700/- रु० प्रतिमास तक	4
(v)	700/- से 800/-रु० प्रतिमास तक	3
(vi)	800/-से 900/-रु० प्रतिमास तक	2
(vii)	900/-से 1000 रु० प्रतिमास तक	1

(ख) सामाजिक वंचन ... 9

(i) अनुसूचित जनजाति ... 9

(ii) अनुसूचित जाति ... 9

(iii) पिछड़ा वर्ग 6

(iv) शैक्षिक तौर पर पिछड़े तथा वंचित अन्य वर्ग/दल 3

(ग) क्षेत्रीय वंचन ... 4

(i) चौथे चतुर्थक के जिले ... 4

(ii) तीसरे चतुर्थक के जिले ... 2

बशर्ते कि मूल जिला साधारणतया वहां जिला हो जहां कि आवेदक हाई स्कूल के लिए अध्ययन करता है।

5. मौखिक/लिखित प्रवेश परीक्षा हेतु बुलाये जाने वाले छात्रों की एक सूची तैयार करने के लिए, निम्नलिलित आधार पर एक योग्यता सूची तैयार की जानी चाहिए।

(i) पिछली परीक्षा/परीक्षाओं में प्राप्त अंक ... 80%

सम्बन्धित विषय में स्नातक अथवा स्नातक (आनर्स) को अधिक महत्व दिया जाए ; सहायक अथवा अन्य विषयों में स्नातक अथवा स्नातक अन्य स्नातकोत्तर डिग्रियों (आनर्स) डिप्लोमा :

शिक्षण तथा अनुसंधान अभि-विन्यास तथा अनुभव, और प्रकाशनों पर सम्बन्धित केन्द्र द्वारा केन्द्र की छात्र संकाय समिति के परामर्श से निर्णय लिया जाएगा, बशर्ते कि उन विश्वविद्यालयों की स्नातक डिग्री को, जिनमें आनर्स कार्यक्रम नहीं है, स्नातक (आनर्स) के बराबर समझा जाए।

(ii) सामाजिक वंचन का अभिसूचक ... 20%

बशर्ते कि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के उन सभी आवेदकों की, जो अध्यादेशों के संदर्भ में पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं, प्रवेश परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाए।

6. निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाने वाली योग्यता सूची के अनुसार दाखिला दिया जाना चाहिए ;

(क) शैक्षणिक योग्यता (80)	एम. फिल/पी. एच. डी.	एम. ए.
(i) पिछली परीक्षा/परीक्षाओं में प्राप्त अंक	20	30

(ii) मौखिक परीक्षा	40	30
(iii) लिखित परीक्षा	20	20
(ख) सामाजिक वंचन का अभिसूचक	20	20

बशर्ते कि उपरोक्त क (i) की जांच 5 (i) के अन्तर्गत दिए गए स्पष्टी करण के संदर्भ में की जाए ।

7. यद्यपि, देश के विभिन्न भागों से आने वाले छात्रों के दाखिलों को सुनिश्चित करने हेतु कोई महत्व देने सम्बन्धी योजना नहीं सुझायी जा रही हैं, फिर भी यह आशा की जाती है कि विश्वविद्यालयों में दाखिला देते समय केन्द्र तथा स्कूल इस पहलू को ध्यान में रखेंगे ।

8. अन्य बातें समान होने पर उन छात्रों को वरीयता दी जानी चाहिए जो खेलों तथा अन्य अतिरिक्त पाठ्यचर्या सम्बन्धी कार्यकलापों में प्रमाणित रुचि रखते हैं ।

9. विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जैसा कि प्रथम अनुसूची में उल्लेख किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए कि भारत से बाहर के, विशेषकर विकासशील देशों के छात्र विश्वविद्यालय में, पर्याप्त संख्या में दाखिला लें ।

10. यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि एम. फिल/पी. एच. डी. स्तर पर दाखिला केवल जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर डिग्री धारकों तक ही सीमित न रखा जाए । छात्रों के इस वर्ग को जवाहर लाल नेहरू विश्व-विद्यालय के वातावरण में शिक्षित किया गया है, अत: इस पर्यावरण में अनुसंधान करने के लिये उपयुक्तता की जांच करने में, इन छात्रों का सामान्यत: अन्य छात्रों से, स्थान ऊपर ही रहेगा । तथापि, इससे विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय स्वरूप का प्रतिवाद नहीं होगा । विशेषकर इस तथ्य को देखते हुए कि इस स्तर पर दाखिले का क्षेत्र स्नातकोत्तर स्तर पर दाखिले के क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक व्यापक होता है ।

11. छात्र संकाय समितियों को दाखिले की प्रक्रियाओं से, जांच सिद्धान्तों को लागू करने और (6) में दिए गए स्वीकृत सूत्र के अनुसार योग्यता सूची तैयार करने के स्तर पर, सम्बद्ध किया जाना चाहिए ।

लेवी की चीनी तथा खुली बिक्री की चीनी की दरें

3299. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी की प्रति किलोग्राम उत्पादन लागत के सम्बन्ध में कोई अद्यतन प्राक्कलन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लेवी की चीनी तथा खुली बिक्री की चीनी के जनवरी से मई 1980 तक के अलग-अलग मासिक खुदरा मूल्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) चीनी की उत्पादन लागत के अद्यतन अनुमान 1979-80 मौसम के लिये लेवी चीनी के मूल्य निर्धारित करने के लिये लगाये गये थे जो कि 17 दिसम्बर, 1979 को अधिसूचित किये गये थे । इन अनुमानों के अनुसार चीनी की अखिल भारतीय निकासी लागत को भारित औसत 2·56 रुपये प्रति किलो बैठती है जिसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

	रुपये प्रति किलो
1) गन्ने की लागत	1.64
2) रूपान्तरण लागत	0.69
3) लाभ	0.23
कुल	2.56

(ग) 17 दिसम्बर, 1979 से चीनी पर आंशिक नियन्त्रण फिर से लागू करने से देश भर में लेवी चीनी का खुदरा मूल्य 2.85 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है । जनवरी से मई, 1980 तक की अवधि के दौरान प्रमुख मण्डियों में खुली बिक्री की चीनी के खुदरा दाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

विवरण

प्रमुख मण्डियों के खुदरा मूल्य

(रु०/कि०ग्रा०)

1980	दिल्ली	कानपुर	कलकत्ता	बम्बई		मद्रास
को	सी-30	डी-30	डी-30	सी-30	डी-30	ई-30
1	2	3	4	5	6	7
जनवरी						
7	4.60	4.50 (8)	4.50	4.80	4.70	4.70
15	4.55	4.60 (14)	4.50	4.60	4.50	4.20 (14)
22	4.50	4.40	4.60 (21)	4.60	4.50	4.25
30	4.60	4.45	4.80	5.10	5.00	4.75

1	2	3	4	5	6	7
फरवरी						
7	5.10	4.90	5.20	5.60	5.30	5.00 (6)
15	5.50	5.00	5.60(12)	6.10	6.00	5.60
22	6.00	6.00	6.00	6.60	6.50	6.80
29	6.00	5.80	6.20	6.80	6.70	6.50
मार्च						
7	6.00	5.70 (10)	6.20	6.10	6.00	6.30 (6)
15	5.80	5.60	5.80	5.90	5.80	5.60
22	5.75	5.60	5.80	5.90 (21)	5.80 (21)	5.90
31	5.70	5.45	5.60	6.00 (28)	5.90 (28)	5.80
अप्रैल						
7	5.75	5.50	5.70 (5)	6.00	6.00	5.70
15	5.70	5.65	5.70 (9)	6.10	6.00	5.50
22	5.75	5.90	5.80	5.90	5.80	5.50
29	6.20	6.10	6.00	6.50	6.40	6.00
मई						
7	6.80	6.35	7.00	6.70	6.60	5.90 (6)
15	6.60	6.40	7.00	6.00	5.90	5.70
22	5.70	5.50	7.00 (15)	5.50	5.40	4.80
31	6.50	5.60 (24)	6.00 (30)	6.20 (30)	6.10 (30)	5.60 (29)

जनकपुरी, नई दिल्ली में एक महिला कालेज खोजना

*3300. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि नई दिल्ली में विशालतम बस्ती जनकपुरी में कोई महिला कालेज नहीं है जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र में लड़कियों के माता-पिता को भारी परेशानी हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां एक महिला कालेज खोलने का है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) यद्यपि जनकपुरी में कोई महिला महाविद्यालय नहीं है किन्तु जनकपुरी क्षेत्र में तीन महाविद्यालय (एक महिला कालेज और दो सह-शिक्षा कालेज अर्थात् एस. पी. मुकर्जी कालेज, टैगौर गार्डन, राजधानी कालेज और शिवाजी कालेज, राजा गार्डन, नई दिल्ली) हैं।

जनकपुरी में महिला कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में कोई भी प्रस्ताव दिल्ली विश्व-विद्यालय के विचाराधीन नहीं है।

सीनियर सैकेन्डरी स्कूलों में कामर्स पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश

3301. **श्री डी० जी० जदेजा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में ग्यारहवीं कक्षा के कामर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने हेतु छात्रों को दसवीं कक्षा की परीक्षा में कुल मिलाकर 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं;

(ख) क्या उन्हें गणित तथा सामाजिक अध्ययन विषयों में भी प्रत्येक में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं;

(ग) क्या सामाजिक अध्ययन में इतिहास, नागरिक शास्त्र तथा भूगोल विषय भी शामिल है, यदि हां, तो कामर्स में प्रवेश देने के लिए सामाजिक अध्ययन विषय में अंकों को क्यों विचार में रखा जाता है जबकि ये दोनों विषय अर्थात् सामाजिक अध्ययन तथा कामर्स परस्पर सम्बन्धित नहीं है;

(घ) इस विषमता को सरकार कैसे दूर करेगी और कक्षा-XI में कामर्स और गणित विषय देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाएगी; और

(ङ) क्या ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश के लिए उस खिलाड़ी छात्र को कोई महत्व देगी जिसने विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं जोनल मैचों में प्रतिनिधित्व किया हो और उक्त कक्षा में प्रवेश के लिए अन्य क्या रियायतें दी जाती हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (बी० शंकरानंद) : (क) जी नहीं।

(ख) गणित में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं परन्तु सामाजिक अध्ययन के विषयों में नहीं।

(ग) सामाजिक अध्ययन के विषयों में नागरिक शास्त्र और भूगोल शामिल हैं जिनके अन्तर्गत अर्थशास्त्र और वाणिज्य के तत्व भी आते हैं।

(घ) इसमें कोई असंगति नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

सीतापुर जिले में डायल व्यवस्था

3302. **श्री रामलाल राही : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सीतापुर जिले में वर्तमान टेलीफोन सेवाओं के अकुशल प्रबंध को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार इस उपयोगिता सेवा के लिए प्रयोक्ताओं की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु उस जिले के प्रत्येक शहर, कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों में डायल व्यवस्था आरम्भ करने का है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : पहले से ही सीतापुर जिले के सभी टेलीफोन एक्सचेंज स्वचल है। जिले की टेलीफोन सेवा सामान्यतः सतोषजनक है। तथापि सेवा की विश्वसनीयता और बढ़ाने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि जिले के प्रत्येक छोटे एक्सचेंज से सीतापुर के लिए कम से कम दो जंकशनों की व्यवस्था की जाय। ट्रंक डायलिंग के लिए सीतापुर एक्सचेंज को बरेली ट्रंक स्वचल एक्सचेंज से 1983-84 में जोड़े जाने की संभावना है।

कृषि विभाग, अण्डमान तथा निकोबार में भ्रष्टाचार के आरोप

3303. **श्री समर मुखर्जी : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अण्डमान सरकार कृषक कर्मचारी संघ, पोर्ट ब्लेयर द्वारा 10 फरवरी, 1980 को पास किए गए संकल्प की एक प्रति प्राप्त हुई है जिसमें कृषि विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि ज्ञापन में लगाए गए कथित आरोप अन्दमान एवं निकोबार प्रशासन से सम्बन्धित थे, अतः ज्ञापन की एक प्रति उस प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करने तथा उस पर की गई कार्रवाई की सूचना को यथा समय कृषि मंत्रालय में भेजने के लिए प्रेषित की गई थी।

अन्दमान एवं निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि ज्ञापन में लगाए गए कथित भ्रष्टाचार के आरोप साधारण प्रकार के हैं। तथापि आरोपों की जांच की जा रही है तथा इस सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट जांच कार्य पूरी होने के तुरन्त बाद कृषि मंत्रालय को भेज दी जाएगी।

एटूमनूर में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का निर्माण

3304. **श्री स्कारिया थामस : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय खाद्य निगम ने केरल के कोट्टायम जिले में एटूमनूर में एक गोदाम का निर्माण करने के लिए प्रारम्भिक कदम उठाये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने बाद में अपना विचार बदल लिया है जिनके परिणामस्वरूप उन छोटे भू-स्वामियों को भारी हानि उठानी पड़ी है जिनसे आरम्भ में भूमि अर्जित की गई थी ;

(ग) गोदाम के निर्माण के सम्बन्ध में विचार बदले जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) एटूमनूर में ही गोदाम का निर्माण करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) अभिग्रहण की जाने वाली भूमि का मूल्यवान बागानी क्षेत्र होने के अलावा, ऊंचा नीचा होना पाया गया था और उसमें भारी लागत पर अत्यधिक भराई कराने की आवश्यकता थी। इस तथ्य की दृष्टि में और दूसरी खाद्यान्न भण्डारण परियोजना के कार्यान्वयन में सम्भावी बिलम्ब को दूर करने के लिए भी इस केन्द्र को विश्व बैंक योजना से निकाल देने का निश्चय किया गया था। यद्यपि भूमि अभिग्रहण करने की कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी थी लेकिन भूमि वास्तव में अभिग्रहण नहीं की गई थी या उसका कब्जा नही लिया गया था। इसलिए, थोड़ी भूमि के मालिकों को भारी नुकासान होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) भारतीय खाद्य निगम की एटूमनूर में फिलहाल गोदाम बनवाने की कोई योजना नहीं है।

डाक और तार विभाग में ड्राफ्टसमैनों की श्रेणियां

3305. **श्री नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक और तार विभाग में ड्राफ्ट्समैन की नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता क्या है ;

(ख) ड्राफ्ट्समेनों की कितनी श्रेणियां हैं और प्रत्येक श्रेणी का वेतनमान क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डाक और तार विभाग में ड्राफ्ट्समेनों को निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में पदोन्नति के अवसरों के अतिरिक्त अन्य पदोन्नति के अवसरों से वंचित रखा जाता है जबकि अन्य सभी वर्गों की पदोन्नति के अवसर प्राप्त हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस असंगति को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) विभाग की दूरसंचार शाखा में ड्राफ्ट्समैन प्रवर ग्रेड मैट्रिकुलेशन सहित इस लाइन में किसी सरकारी विभाग अथवा प्रसिद्ध फर्म में काम का अनुभव हो या डिप्लोमा या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ड्राफ्ट्समैन का कोर्स किया हो।

ड्राफ्ट्समैन, उच्चतर ग्रेड :

मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष परीक्षा सहित भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ड्राफ्ट्समैन का डिप्लोमा या सिविल इंजीनियरी या सर्वेक्षण या ओवरसीयर का सर्टिफिकेट ।

(ख) अवर ग्रेड के लिए 260-8-300 द. रो. 8-340-10-380-द. रो. 10-430 तथा उच्चतर ग्रेड के लिए 330-10-380-द. रो. 12-500-द. रो. 15-560 के वेतनमान में दो ग्रेड हैं ।

(ग) जी नहीं । निम्न ग्रेड ड्राफ्ट्समैन उच्च ग्रेड ड्राफ्ट्समैन के अपने सामान्य पदोन्नति क्रम के साथ साथ अन्य संवर्गों की तरह कनिष्ठ इंजीनियर (वेतनमान रु० 425-700) के संवर्ग में विभागीय प्रत्याशियों के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत कोटे के लिए और रापीटर स्टेशन सहायक, टेलीफोन निरीक्षक स्वचल एक्सचेंज सहायक और वायरलैस आपरेटर (वेतनमान रु० 380-560) के संवर्गों में 100 प्रतिशत रिक्त स्थानों के लिए अन्य संवर्गों की तरह सामान्य क्रम से भिन्न प्रतियोगिता के आधार पर पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता । फिर भी पिछले दिनों वित्त मंत्रालय के परामर्श से डाक तार विभाग द्वारा उच्च ग्रेड ड्राफ्ट्समैन के संवर्ग में चयन ग्रेड लागू करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया गया । चूंकि चयनक्रम के सृजन का प्रयोजन केवल संवर्ग में प्रगतिरोध को दूर करना था अतः इस प्रस्ताव को इस कारण स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि फिलहाल उच्च ग्रेड ड्राफ्ट्समैन के संवर्ग में कोई प्रगतिरोध नहीं है ।

गुन्डुराव समिति का प्रतिवेदन

3306. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चनी के कारखानों के पुनर्वास तथा आधुनिकीकरण से सम्बन्धित समिति के प्रतिवेदन, जिसे कि 'गुन्डुराव समिति के प्रतिवेदन' के नाम से जाना जाता है, को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था ;

(ख) समिति के निर्देश पद क्या हैं ; और

(ग) विभिन्न राज्यों में समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन किस हद तक किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारत की चीनी फैक्ट्रियों का पुनर्वासन और आधुनिकीकरण करने विषयक समिति, जोकि 'गुन्डुराव समिति' के नाम से विख्यात है, ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 30 जून, 1965 को प्रस्तुत कर दी थी । तथापि, उक्त रिपोर्ट 1968 में प्रकाशित हुई थी ।

(ख) समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे :—

(क) चीनी उद्योग के अलाभकारी यूनिटों की स्थिति और समस्याओं की जांच करना ।

(ख) क्या समस्याओं को व्यक्तिगत यूनिटों अथवा यूनिटों को मिलाकर अथवा ऐसे क्षेत्रों के, जहां ऐसे यूनिट सर्वाधिक हैं, के आधार पर हल किया जा सकता है ; इस सम्बन्ध में सिफारिश करना ।

(ग) ऐसे उपाय सुझाना जिससे अलाभकारी यूनिटों को लाभकारी बनाया जा सके, जैसे :—

(1) वर्तमान यूनिटों का विस्तार कर ;

(2) प्लांट्स का पुनर्वासन और आधुनिकीकरण. कर ;

(3) क्षेत्र में गन्ने की पैदावार में वृद्धि कर ;

(4) मिलाने की योजनाएं तैयार कर तथा उसके परिणामस्वरूप पैदा हुई फालतू मजदूरों की समस्याओं को हल कर ;

(5) ईंधन की खपत में किफायत कर तथा सह-उत्पादों का इस्तेमाल कर ; और

(6) अन्य ऐसे उपाय कर जिन्हें समिति उचित और व्यवहार्य समझती है ।

(घ) अभिस्तावित उपायों पर आने वाली वित्तीय लागत का जायजा लेना और अपने स्रोतों से अथवा बैंकों से ऋण प्राप्त कर अथवा कर्जे से आवश्यक धनराशि जुटाकर उद्योग की सहायता करने के लिए उपायों और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता के अन्य उपायों के बारे में सुझाव देना ।

(ग) क्योंकि यह रिपोर्ट 15 वर्ष पुरानी है, बहुत समय बीत जाने और संबंधित रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण राज्यों में इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में इतनी देर के बाद विवरण देना सम्भव नहीं होगा ।

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : महोदय मैंने, एक सूचना भेजी है... (व्यवधान) 33 वर्षीय आदिम जाति की एक उड़ीसा स्त्री को नंगा किया गया और उसे पुलिस के समक्ष उसके लड़के से ही सम्भोग करने के लिए बाध्य किया गया...(व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : आप सभी शोर मचा रहे हैं। बात सुनो, सज्जनों मेरी अनुमति के बिना आप ऐसा कर रहे हैं। यह बड़ी गलत बात है। आप मेरी अनुमति नहीं लेते। मैं आपको अनुमति दूंगा और आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। यह काम करने का कोई ढग नहीं है। आप अनावश्यक रूप से सदन का समय खराब कर रहे हैं। हर बात पर चर्चा की जा सकती है ...।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, हर रोज शील भंग के मामले हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : रामावतार शास्त्री जी, मैंने हर बात की अनुमति दे रखी है। (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : अब आप सभी मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। जो कुछ भी मेरी अनुमति के बिना बोला जाता है, उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न किया जाए। (**व्यवधान**)*

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय मुझे आपकी अनुमति चाहिए। मैंने दो सूचनाएं भेजी हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

श्री हरिकेश बहादुर और श्री रामविलास पासवान ने दरभंगा जिले के एक गांव में हरिजनों को सुरक्षा प्रदान करने में सरकार की असफलता और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस कर्मियों तथा बिहार सेना पुलिस द्वारा छापा मारे जाने के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं दी हैं। आज के समाचार पत्र में आई खबर के अनुसार, यह घटना 7 जून, 1980 को घटी मैंने इस मामले को मन्त्री महोदय के पास तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए भेजा है। इस विषय पर मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। मैं मामले पर विचार कर रहा हूं ...(**व्यवधान**)।

आप धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा क्यों नहीं करते ? मैं कुछ घोषणाएं कर रहा हूं।

मुझे असम की, शेष देश के साथ संचार सम्पर्कों में हुई गड़-बड़ी के बारे में निम्नांकित सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं : श्री बाजू बन रियान, श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर श्री दीनेन भट्टाचार्य, श्रीमती सुशीला गोपालन, और श्री निरेन घोष (**व्यवधान**)।

सत्र के दौरान असम समस्या पर काफी चर्चा हो चुकी है अर्थात्, राष्ट्रपति की उद्घोषणा को जारी रखने के लिए संकल्प, असम बजट, आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण विधेयक, 1980 और असम राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1980। यह एक चालू रहने वाला मामला है। स्थगन प्रस्ताव पर आई सूचनाओं पर मैंने अपना मत रोक लिया है ;

श्री निरेन घोष (दम-दम) : महोदय क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं ? (**व्यवधान**)।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : समय आने दो । मैं इस बात पर भी चर्चा करूंगा । दुर्ग के मामले में मैंने मामले को नियम 377 के अधीन उठाने की अनुमति दे दी है । श्री परूलेकर दुर्ग के मामले को उठायेंगे । श्रीमती प्रमिला दण्डवते ने सूचना भेजी है, वह गोंडा जिले में चौदह आदिवासी महिलाओं के साथ हुए बलात्कार के समाचार के बारे में नियम 377 के अधीन मामला उठायेंगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते हैं । 377 को स्थगन प्रस्ताव के बराबर नहीं माना जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : राज्यों के कुछ ऐसे विषय हैं, जिन पर यहां स्थगन प्रस्ताव लाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है...(**व्यवधान**) चाहे कुछ भी क्यों न हो, आदमी तो आदमी ही हैं (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसकी अनुमति दे दी है । कृपया सहयोग करने की कोशिश करें । सबकी सुरक्षा की जिम्मेवारी है, सब का काम चलेगा । इस तरीके से नहीं हो सकता है । सारा काम हिसाब से, कानून के हिसाब से, नियमों के हिसाब से चलेगा (**व्यवधान**) ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय कृपया स्थगन प्रस्ताव को पढ़ें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे पढ़ चुका हूं... ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने सूचना भेजी है (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं इसके लिए अनुमति नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें व्यवस्था के प्रश्न पर अनुमति देता हूं । मैं उनका व्यवस्था का प्रश्न सुनना चाहता हूं । (**व्यवधान**) । शान्त रहिए । आप किस नियम के अधीन इसे उठा रहे हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 376 के अधीन । सदस्यों के लिए निर्देशिका के पृष्ठ 31 के पैरा 14 (छः)के अधीन मैंने आपको लिखित सूचना दी है । महोदय, सदस्य होने के नाते आप से यह निवेदन करने का मेरा अधिकार है कि आप प्रस्ताव की प्राप्ति का उल्लेख करने की कृपा करें ...(**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी हैं । ...(**व्यवधान**) इसका निर्णय करना मेरा काम है । मैंने इसकी अनुमति नही दी है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने मेरी बात नहीं सुनी है । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस घटना से हमारा मस्तक दुनियां के सामने शर्म से झुक जायेगा ...।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है । बसु जी जब हमने इस पर चर्चा की थी आप यहां नहीं थे ।

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : यह पहला अवसर है जबकि विपक्ष-समाज विरोधी लोगों का समर्थन कर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : ईमानदारी और न्याय के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है मैं उसके लिए सब युद्ध कर रहा हूं । जब श्री बसु जी आप यहाँ नहीं थे, परसों ही बागपत की घटना पर बहस के लिए मैंने तीन घन्टे का समय दिया था (**व्यवधान**) । कुछ भी हो आदमी तो आदमी ही है ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है । कुछ टिप्पणियां की गइ थीं । क्योंकि इससे भावी प्रक्रिया निश्चित की जायेगी, मैं इसे उठा रहा हूं । जब आदिवासियों और हरिजनों पर हुए अत्याचारों की बात उठाई गई तो आपने कहा था कि यह एक ऐसा मामला है जो राज्य सरकार के अन्तर्गत आता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह गलत है ।

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक सामान्य मामलों की बात है, वहां तक तो यह कहना ठीक है । परन्तु जहाँ तक आदिवासियों और अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है, उन्हें न केवल संविधान के अधीन संरक्षण प्राप्त है, अपितु इस सदन की तो यह परम्परा रही है कि आदिवासियों और हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों पर यहां बहस की अनुमति दी जाती है । ऐसे कितने ही दृष्टांत दिये जा सकते हैं । इसलिए उस स्थगन प्रस्ताव पर विचार किया जाए और उसे अन्य स्थगन प्रस्तावों के समान न समझा जाए । (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : श्री राव बिरेन्द्र सिंह (**व्यवधान**) मैंने कल के लिए एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया है (**व्यवधान**) ।

मैं हर बात का ध्यान रखूंगा । आप कृपया सहयोग करने का प्रयास करें

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्य करण की समीक्षा, भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन ; विलम्ब का कारण बताने वाला एक विवरण और उर्वरक (नियन्त्रण) संशोधन आदेश 1980 की एक प्रति ।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

1. भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति

   (ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1009/80)

2. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक-एक प्रति :—

   (एक) भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

   (दो) भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

3. उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

   (ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 1010/80)

4. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उर्वरक (नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1980 (हिन्दी**संस्करण) जो दिनांक 6 फरवरी, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 31 (ङ) में प्रकाशित हुआ था तथा उसका शुद्धि पत्र, जो दिनांक 23 जून, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 377 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

   (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1011/80)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1978-79 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन, प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने का कारण बताने वाला एक विवरण और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा सभा पटल पर प्रतिवेदन

*वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे 27 मार्च, 1980 को सभा पटल पर रखे गये थे।

**अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर 28 मार्च, 1980 को रखा गया था।

को रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण तथा पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्व-विद्यालय, शिलांग के वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखे और उसे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण और अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय, अलीगढ़ की वर्ष 1977-78 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन, आदि ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

1. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी** संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1012/80)

2. (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) कालेज के 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(तीन) प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1013/80)

3. (एक) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखे और उन पर लेख परीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) परिषद् के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(तीन) प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1014/80)

4. (एक) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखाओं

*अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण, 28 मार्च, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था ।

**लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण, 27 मार्च, 1980 को सभा पटल पर रखा गया था ।

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1015/80)

5. (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) विश्वविद्यालय के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1016/80)

6. (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1978 के वार्षिक प्रतिवेदन (3 खंड) की एक प्रति ।

(दो) विश्वविद्यालय के वर्ष 1978 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति ।

(तीन) प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखने तथा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रन्थालय में रखे गए । देखिये संख्या एल० टी० 1017/80)

7. (एक) आयोजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) विद्यालय के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति ।

(तीन) वार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब तथा लेखाओं को सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1018/80)

8. (एक) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ फाउण्ड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलोजी, रांची के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1019/80)

9. (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) दस्तावेज को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्यां एल० टी० 1020/80)

10 (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई के वर्ष 1978-79 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1021/80)

11. प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय पौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1022/80)

12. रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन* (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

13. रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1023/80)

14. (एक) रीजनल इंस्टीट्यूट आफ टेकनोलाजी, जमशेदपुर के वर्ष 1978-79 के वार्षिक

*प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण और उन पर समीक्षा—हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में 27 मार्च, 1980 को सभा पटल पर रखे गये थे।

प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखें और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) इंस्टीट्यूट के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1024/80)

15. (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, पश्चिमी क्षेत्र, भोपाल के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) इंस्टीट्यूट के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(तीन) इंस्टीट्यूट के वर्ष 1978-79 के लेखापरीक्षित लेखों को सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 1025/80)

वर्ष 1980-81 के लिए इस्पात, खान और कोयला मन्त्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : मैं वर्ष 1980-81 के लिए इस्पात, खान और कोयला मन्त्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 1026/80)

टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेंटस इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण बताने वाला विवरण ।

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : मैं निम्नलिखत पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च 1979 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली 31 मार्च, 1979 को

समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 1027/80)

स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं के बारे में जारी

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री पासवान । (व्यवधान)* ।

मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए । बस यही बात है । आप मुझसे सहयोग करने का प्रयत्न करें । श्री बसु यह कोई तरीका नहीं है । मैं प्रत्येक बात पर विचार करने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहा हूं । आपको यह करने की अनुमति नहीं है अन्यथा मैं आपके साथ सहयोग नहीं करूंगा ।

श्री ज्योतीर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपको तो कई निवेदन करने हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, प्रो० दंडवते ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हरिजनों और आदिवासियों पर अत्यचार ...।

अध्यक्ष महोदय : श्रीबसु, आप मेरे पास आईये । हम एक बैठक बुलायेंगे और इस पर चर्चा करेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप नियमों की बात न करिये ।

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ।

श्री निरेन घोष (दमदम) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है । अब श्री पासवान का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होगा । यह एक महत्वपूर्ण बात है जो शुरू होगी । मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि प्रत्येक विषय पर समुचित ढंग से विचार किया जाता है और मैं प्रत्येक सदस्य को अपने विचारों को हर सम्भव तरीके से व्यक्त करने के लिए अनुमति देने का प्रयत्न करता हूं । परन्तु यह कोई

---

*कार्यवही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

तरीका नहीं है। (व्यवधान) कृपया बैठ जाइये। जब मैं खड़ा हूं तो कृपया आप बैठ जाइए। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि सदन में कुछ शालीनता होनी चाहिए। मैंने यह देखा है। हमें सदन का शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए। बाहर जाकर के देखिये कि लोग हमारे बारे में कैसी बातें करते हैं। मेरे कक्ष में आइए और किसी भी चीज के बारे में चर्चा कीजिए मैं आपके साथ सहयोग करूंगा। यह कक्ष आपके लिए है। यह आपका कक्ष है (व्यवधान) हम इस मामले पर चर्चा नहीं कर सकते हैं।

श्री ए० नीलालोहिथादसन (त्रिवेन्द्रम) : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : यह कैसी बात है कि आप शिष्टाचार नहीं जानते हैं। मैं खड़ा हूं और आप भी खड़े हो गये। नियमों की अवहेलना करने की कोशिश न करिये। यह कोई तरीका नहीं है। हमें प्रत्येक विषय पर चर्चा करनी है और मैं सदन के प्रत्येक वर्ग को अवसर देने की कोशिश करूंगा। मैं कोई गलत निष्कर्ष देने नहीं जा रहा हूं। मैं इस नियम पुस्तक में आप लोगों और इस सदन के द्वारा बनाये गये नियमों और कानून के अनुसार ही काम कर रहा हूं। यही मुझे कहना है। अब, श्री पासवान।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, एक माननीय महिला सदस्य निवेदन करना चाहती है। (व्यवधान)।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अलप्पी) : खड़ी हुई।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, आप भी वही करने की कोशिश कर रही हैं। आप भी दूसरों के साथ बोल रही है। मैं इस पर पहले से ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर चुका हूं। (व्यवधान)।

श्री कृष्णचन्द्र (हाल्दर) : मुझे एक मिनट का समय दीजिए। मै मद सं० 11 का स्पष्टीकरण चाहता हूं। यहां यह लिखा हुआ है कि ऊर्जा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान मद 12 में लिखा हुआ है कोयला विभाग (इस्पात, खान, और कोयला मंत्रालय) के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान में यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या इन मद 11 और 12 दोनों को एक साथ लिया जाएगा या कोयला विभाग (इस्पात और खान) को अलग से लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : केवल कोयला विभाग को लिया जायेगा। दूसरे मंत्रालय अलग से लिया जायेगा।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : डाक्टरों वगैरह के सवाल को लेकर काम रोको प्रस्ताव दिए गए हैं। झगड़ा सिर्फ इतना है कि आपने कुछ नामों की तो चर्चा कर दी है और कुछ नामों की नहीं की है। अगर सब के नाम आप बता देते तो सब को तसल्ली हो जाती :—

अध्यक्ष महोदय : बता तो दिया है कि सुशीला जी का नाम रखा है।

अध्यक्ष महोदय : वह सब आपने कहा, बता देंगे। **(व्यवधान)** सब की चर्चाएं हैं, सुशीला गोपालन का नाम भी है। **(व्यवधान)**।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, एक मामले पर मुझे आपकी सलाह प्राप्त करनी है। जब एडजार्नमेंट मोशन हम लाते हैं, तो हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं किसी विफलता के लिए। दिल्ली में असम्बली नहीं है, दिल्ली का सारा कामकाज केन्द्रीय सरकार देख रही है। पार्लियामेंट के अलावा कोई दूसरा फोरम नहीं है। मैं कहूंगा कि एडजार्नमेंट की जगह जो कालिंग अटेंशन मंजूर कर लिया गया है, इससे उद्देश्य पूरा नहीं होता। मरीज मर रहे हैं। **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की कल के लिए अनुमति दी है इस प्रश्न पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा चर्चा की जा सकती है। यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप यहां बताइये कि एडजार्नमेंट मोशन क्यों नहीं ? कालिंग अटेंशन ही क्यों ? मैं दिल्ली का प्रतिनिधि हूं, माफ कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरा यह विचार है कि इस प्रश्न पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा चर्चा की जा सकती है आप मुझे समझाइए **(व्यवधान)**।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : श्रीमान, डाक्टरों की हड़ताल पर मैंने स्थगन प्रस्ताव सरकार की निन्दा करने के लिए है। सरकार ने उदासीनतापूर्ण रवैया अपनाया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दी है।

श्री जी एम बनात वाला : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से कुछ नहीं होगा। **(व्यवधान)**।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : श्रीमान मेरा नियम 376 के उपबंध (II) के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न है। कर्नाटक, तमिलनाडू, मणिपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश और आसाम में बाढ़ है। हमने देश में बाढ़ की समस्त स्थिति पर एक सामान्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की मांग की थी। अगर आपने तब अनुमति दी होती तो सारी स्थिति पर चर्चा हुई होती। इसलिए कृपया इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को निलंबित कर दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृति होनी चाहिए ताकि देश की समूची बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हो सके।

अध्यक्ष महोदय : यह तो हम लोग बाद में सोचेंगे यह तो होने दें, बाद में करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति क्यों नहीं देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : काम की बात होगी तो एडजार्नमेंट मोशन भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे ? **(व्यवधान)**।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

गुजरात में बाढ़

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हू, कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"गुजरात में हाल ही में आई भारी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति तथा बाढ़ पीढ़ित लोगों की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही"।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : 1 जून 1980 से लेकर 2 जुलाई 1980 के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में 362% की सामान्य वर्षा हुई थी। 9 से०मी० वर्षा की अपेक्षा 33 से०मी० की वर्षा हुई। भारी वर्षा विशेष रूप से 24 जून, 1980 के बाद हुई और तब से लेकर 5 जुलाई 1980 तक अहमदाबाद, राजकोट, वेरावल, पोरबन्दर, भुज, बुलसर और अमेरली जैसे स्थानों में 26 से०मी० से लेकर 76 से०मी० तक वर्षा हुई। राजकोट जिले के कुछ क्षेत्रों में 6 घंटों में 9 इंच से लेकर 14 इंच तक वर्षा हुई। भारी वर्षा के कारण बांध तालाब और नदियों में ऊपर तक पानी भर कर बहने लगा जिससे सरकारी तथा निजी सम्पत्ति की भारी क्षति हुई।

कच्छ, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली और राजकोट सबसे अधिक बुरी तरह से प्रभावित होने वाले जिले है। राज्य सरकार के अनुमान से 10 लाख लोग·····(**व्यवधान**)।

श्री ज्योतिर्मय बसु : व्यवस्था के प्रश्न पर

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटर) : अध्यक्ष महोदय, क्या आप सन्तुष्ट हैं कि हमने पूरे 20 मिनट के समय का इस पर सदुपयोग किया है? यह सब बात वे आपके कक्ष में ही कर सकते थे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यहां सिंचाई मन्त्री हैं, उत्तर उनके द्वारा दिये जाने हैं। मैंने अपने चार लोकसभा के कार्यकाल के दौरान यह देखा है कि कृषि मंत्री इसका उत्तर कभी नहीं देते हैं। इसका उत्तर सिंचाई मंत्री को देना है। यह सब क्या है? महोदय आप इस सदन के अधिकारों के संरक्षक हैं। यह कोई तरीका नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह सामूहिक उत्तरदायित्व है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, जी नहीं। इसका उत्तर सिंचाई मत्री को देना चाहिये। हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : कार्य का नियतन किया गया है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय बाढ़ के सम्बन्ध में सिचाई मंत्री ही जवाब देते हैं। श्री केदार पांडे को जवाब देना चाहिये। अगर सिचाई मंत्री के जगह कृषि मत्री जवाब देंगे, तो यह गलत परम्परा होगी।

अध्यक्ष महोदय : आप किसी को भी पकड़ सकते हैं। कोई भी जवाब दे सकता है। क्या ज्वायंट रेसपांसिबिलिटी नहीं है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सब मंत्रियों का काम बंटा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें कहने दीजिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : व्यवस्था के प्रश्न पर मंत्री मंडल में कार्य के आबंटन व उत्तरदायित्व का विभाजन करने के लिये नियम हैं। यह बिशेषत: सिचाई के अन्तर्गत आता है। इसका उत्तर सिंचाई मंत्री को देना है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें स्पष्ट करने दीजिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया सदन का अपमान इस तरह से न करिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : बाढ़ से प्रभावित लोगों को सरकार द्वारा दी गई सहायता के बारे में जानकारी हेतु यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। यह राहत का प्रश्न है। 'प्राकृतिक रूप से विपत्ति में राहत' का विषय कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत आता है।

श्री रामावतार शास्त्री : यह परम्परा ठीक नहीं है। इरिगेशन मिनिस्टर का काम क्या है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : यह वास्तव में सूखे व बाढ़ के लिये राहत का प्रश्न है। यह 'सहायता' कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत आती है।

श्री रामावतार शास्त्री : यह स्थाई ढंग से समाधान का प्रश्न है। यह बाढ़ का भी प्रश्न है। इसका उत्तर आप कैसे दे सकते हैं ? (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये। अगर आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को पढ़ेंगे तो वह इस प्रकार है—' कृषि मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षण करना।"

श्री रामविलास पासवान : हम लोगों ने 'सिंचाई मंत्री' लिखा था।

अध्यक्ष महोदय : इसमें "एग्रीकल्चर मिनिस्टर" लिखा हुआ है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : आप जो सहायता दी गई है उसके बारे में पूछ रहे हैं। (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : आपने यह भी पूछा है—"बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिये उठाये गये कदम ।"

श्री रामावतार शास्त्री : आप कालिंग एटेन्शन नोटिस को देखिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है । उसमें "इरिगिशन मिनिस्टर" लिखा है, "एग्रीकल्चर मिनिस्टर" नहीं । एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने चीनी के बारे में जबाब दिया, और चीनी नहीं मिल रही है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री वसन्त साठे पुनर्वास मंत्री हैं वे श्री वीरेन्द्र सिंह राव के बदले में जबाब नहीं दे सकते हैं । श्री वीरेन्द्र सिंह राव सिचाई मन्त्री का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं करते हैं । उनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है (**व्यवधान**) । व्यवधान न कीजिए मुझे यह स्पष्ट करने दीजिए .. (**व्यवधान**) ।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय मेरी नोटिस में क्या चीज लिखी है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय मुझे एक निवेदन करना है अगर मैं इसके लिए गृहमन्त्री के पास जाऊंगा तो क्या आप समझते हैं कि गृहमन्त्री महोदय इसका उत्तर देंगे (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपने ध्यानाकर्षण सूचना में इस विभाग को सम्बोधित किया है । यह विभाग राहत की व्यवस्था के सम्बन्ध में कार्यवाही करता है । (**व्यवधान**) ।

श्री रामावतार शास्त्री : केवल राहत ही नहीं । (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात बहुत गलत है अगर ऐसा करेंगे आप लोग ।

श्री रामावतार शास्त्री : आप मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं । (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : कार्यसूची की मद 6 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण के अनुसार हमने जिसमें कृषि मन्त्री महोदय को इसका उत्तर देने के लिए निर्देश दिया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृषि मन्त्रालय का काम क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : लोगों को राहत व सहायता देना । (**व्यवधान**) ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, कृपया हमें यह पढ़ाने की कोशिश न करें । (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी आपकी हस्ताक्षरित प्रतिलिपि मुझे प्राप्त हुई है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : गल्ती स्वीकार की जानी चाहिए और इस मद को सिचाई मन्त्रालय को भेज दिया जाना चाहिए । (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : इस मंत्रालय के द्वारा बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत व सहायता दी जाती है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहूँगा कि इस प्रश्न का सम्बन्ध बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत व सहायता की व्यवस्था करना है। (**व्यवधान**)।

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : कार्य के नियमों के अनुसार, राहत, कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। यह राहत देने का प्रश्न है और मैं यह बताना चाहूंगा कि श्री बसु इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं। अगर श्री शास्त्री इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो वे प्रश्न न पूछें और वे दूसरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दे सकते हैं। (**व्यवधान**)।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमारा निवेदन यह है...।

अध्यक्ष महोदय : आपका निवेदन तो मैंने सुन लिया। आपका निवेदन यह है कि हाउस न चले।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : श्री बसु, आप प्रश्न क्यों पूछते हैं ? आपका नाम कार्यसूची की मद संख्या 7 में नहीं है अतः आप कोई प्रश्न पूछने के अधिकारी नहीं हैं। मेरा ध्यान श्री पासवान और अन्यों के द्वारा उनके लिए आकर्षित किया गया है अतः मैं उनको उत्तर दूंगा। (**व्यवधान**)।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसका सम्बन्ध आपके मन्त्रालय से नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : आपका सम्बन्ध इससे नहीं है। उन्होंने यह प्रश्न उठाया है। मैं उनको उत्तर दे रहा हूं। इस पर दूसरे लोग कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। (**व्यवधान**)।

कृषि मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में 1 जून, 1980 से 2 जुलाई, 1980 की अवधि के दौरान साधारण से 362 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई। इस अवधि में यहाँ 9 सेंटीमीटर के मुकाबले 33 सेन्टीमीटर वर्षा हुई। खासतौर पर 24 जून, 1980 से वर्षा का जोर बढ़ा और उस दिन से 5 जुलाई, 1980 तक अहमदाबाद, राजकोट, वेरावल, पोरबन्दर भुज, बुलसर तथा अमरेली आदि में 26 सेंटीमीटर से 76 सेंटीमीटर तक वर्षा हुई। राजकोट जिले के कुछ इलाकों में छः घंटे के अंदर 9 इंच से 14 इंच तक वर्षा हुई। भारी वर्षा की वजह से बांधों, तालाबों और नदियों के किनारों को तोड़कर पानी बहने लगा जिससे सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति को भारी नुकसान पहुंचा।

कच्छ, जामनगर, जूनागढ, अमरेली और राजकोट जिलों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि 10 लाख लोगों पर किसी न किसी रूप में बाढ़ का असर पड़ा है। 25400 से भी अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है और 5000 लोग 10 राहत केन्द्रों में रखे गए हैं, जिनका इन्तजाम राज्य ने किया है। दस हजार मवेशियों को बचाया गया है। 200 मवेशियों के मर जाने या बह जाने का अन्देशा है। कच्छ और राजकोट जिलों में 1500 झोंपड़ियां और 500 मकान तबाह या बरबाद हो गए हैं। जूनागढ़ जिले में हुई बरबादी का अभी जायजा लिया जाना है। चार तालुकों अर्थात् कालावाड़, डवार्क्स, मालियाहाटिना और मेंगरोल में नहीं पहुंचा जा सकता था। लेकिन अब वहां पहुंचा जा सकता

है। सिंचाई के 38 मध्यम छोटे बांधों अथवा जलाशयों के ऊपर से पानी बह रहा था। सिंचाई के तीन मझोले बांधों, चार जलाशयों और 227 छोटे जलाशयों को विभिन्न मात्रा में नुकसान पहुंचा है, लेकिन सभी बड़े बांध सुरक्षित हैं। जूनागढ़ में एक रेलवे पुल भी बह गया है। सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसमें एक राजमार्ग भी शामिल है।

अभी तक राज्य सरकार ने 18 मौतें होने की पुष्टि की है। सरकार की ओर से मैं शोक संतप्त और दुखी परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता हूं। राज्य सरकार पशुओं और फसलों को हुए नुकसान तथा निजी और सार्वजनिक सम्पत्ति को हुई क्षति का जायजा ले रही है।

कच्छ जिले में बनाए जा रहे मित्ती बांध के आस पास के इलाकों में छह दिनों तक मूसलाधार वर्षा होने की वजह से 418 मिलीमीटर पानी गिरा। इससे बांध में पानी का स्तर 18 70 मीटर तक पहुंच गया, जबकि बांध के पक्के ढ़लवे किनारे सिर्फ 18.50 मीटर ऊंचे हैं और इसी के मुताबिक इसमें पानी रुक सकता था। बांध के टूटने का खतरा पैदा हो गया क्योंकि 250 मीटर की लम्बाई तक आंशिक रूप से पूरे किए गए बांध के किनारों की ऊंचाई सिर्फ 20 मीटर थी, जबकि किनारों को लगभग 24 मीटर ऊंचा रखने की योजना है। बांध की सुरक्षा के लिए थल सेना और वायु सेना के जवानों की मदद से समय पर एहतियात के उपाय किए गए। अब पानी का स्तर घटकर 16.4 मीटर हो गया है।

सुखपुर, वेदसार, छसरा, कारबन्ध, और कोशा से लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। भुज के नजदीक हमीसार झील से भी 4 फुट ऊंचा पानी बहने लगा और लगभग 170 लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। अब पानी का स्तर घट गया है जिससे ये लोग वापिस चले गए है।

सौराष्ट्र के इलाके में भारी वर्षा होने की वजह से कालिन्दरी, हसनापुर, मेजियासार, भादर आदि सिंचाई के अनेक छोटे/मझोले बाँधों से पानी बहने लगा और कई नदियों में बाढ़ आई। कई स्थानों पर रेल और सड़क संचार व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई।

जूनागढ़ जिले के मालिया हाटिना और इसके इर्द-गिर्द के इलाकों में मूसलाधार वर्षा हुई। इस जिले के घेड क्षेत्र के लगभग 125 गांव तथा मंगरोल गांव के इर्द-गिर्द के इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए। बचाव और राहत के काम के लिए सेना और वायु सेना की मदद मांगी गई। हैलीकोप्टरों से खाने के पैकट गिराए गए।

सौराष्ट्र के इलाके में राजकोट, अमरेली, जामनगर, सुरेन्द्र नगर और भावनगर जिलों में इस अवधि के दौरान एक ही दिन में 150 मिलीमीटर से 350 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हुई। रेडियो से बुलेटिन जारी करके लोगों को सुरक्षित जगहों पर चले जाने के लिए आगाह किया गया। निचले इलाकों के गांवों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया और उनके

लिए खाने और पनाह का इन्तजाम किया गया। सरकार ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने और उन्हें बचाने तथा तत्काल राहत देने के लिए समय पर एहतियात के सभी उपाय किए। दक्षिण गुजरात के वलसड़ जिले में भी मूसलाधार वर्षा हुई और 24 घंटों में 250 मिलीमीटर से 405 मिलीमीटर तक पानी गिरा। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।

राज्य के मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री ने 5 जुलाई, 1980 की शाम को वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर मित्ती बांध तथा भुज के इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया।

राज्य सरकार के अनुसार ताप्ती, नर्वदा, दामन गंगा, माही, बनास, साबरमती आदि बड़ी नदियों में भारी बाढ़ नहीं आई है। इसके अलावा, उकई, कादना, पानम, साबरमती, दांतीबाड़ा आदि बड़े जलाशयों में पानी का स्तर, पूरी सप्लाई के स्तर से बहुत कम है। अब हर जगह पानी का स्तर घट रहा है।

राज्य सरकार ने बाढ़ की रोकथाम करने तथा चौकसी रखने के बारे में सभी सम्बन्धितों को स्थायी हिदायत दी थी। अधीक्षक इंजीनियरों, कार्यकारी इंजीनियरों, कलेक्टरों, जिले के पुलिस अधिकारियों आदि को बाढ़ की चेतावनी भी दी गई थी।

प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को राहत देने का कार्य राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है। अगर राज्य सरकार के संसाधन काफी नहीं है और बरबादी काफी बड़े पैमाने पर हुई है तो राज्य सरकार केन्द्रीय सहायता माँगती है जो सातवें बित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दी जाती है। सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर गुजरात के लिए हर साल दी जाने वाली मार्जन धनराशि 1-4-1979 को 4.55 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 9.56 करोड़ रुपए कर दी गई थी, ताकि राहत के खर्चे की तत्काल पूर्ति की जा सके।

केन्द्रीये सरकार बरबादी से बचने की तैयारी और बरबादी को रोकने पर काफी जोर देती रही है ताकि जान-माल को होने वाले नुकसान और लोगों की तकलीफों को खत्म किया जा सके। जून के शुरू में जब चालू मानसून के दौरान साधारण या उससे ज्यादा वर्षा होने की उम्मीद थी, दूसरे अधिकारियों के साथ-साथ गुजरात के मुख्य सचिव को भी एक पत्र लिखा गया था, जिसके साथ बाढ़ों से होने वाली बरवादी से बचने की तैयारी के लिए पहले सेकार्यवाही करने की माडल योजना की एक प्रति भेजी गई थी। यह अनुरोध किया गया था कि मुख्यालयों और क्षेत्र स्तर के अधिकारियों को जरूरी हिदायतें जारी की जाएं कि वे बाढ़ों की वजह से होने वाले किसी भी नुकसान से बचने के लिए पहले से ही सभी तैयारी कर लें।

10 जून, 1980 के अर्ध-सरकारी पत्र के बाद गुजरात के मुख्य सचिव और दूसरे अधिकारियों को 2 जुलाई, 1980 को एक टेलेक्स सन्देश भेजा गया था जिसमें उन्हें पहले सुझाई गई कार्यवाही की याद दिलाई गई थी। उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे इन मुद्दों पर, विशेषकर सशस्त्र सेनाओं के साथ सम्पर्क कायम करने और बाढ़ों से प्रभावित इलाकों से लोगों

और मवेशियों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की समय पर चेतावनी देने के बारे में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सूचना दें।

राज्य सरकार सशस्त्र सेनाओं के स्थानीय कमाण्डरों से जो मदद प्राप्त करने की हकदार है, उसके अलावा उसने अभी तक कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी है। थल सेना, वायु सेना और जल सेना राज्य सरकार द्वारा मांगी गई सभी सम्भव मदद देने को तैयार है। सिंचाई मन्त्रालय जोकि बाढ़ की रोकथाम करने के उपायों के लिए एक केन्द्रीय एजेन्सी है, बाढ़ से प्रभावित इलाकों को एक विशेषज्ञ दल भेज रहा है। राज्य सरकार की केन्द्रीय सहायता की जरूरत का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजने के बारे में राज्य सरकार से ऐसा अनुरोध प्राप्त होते ही विचार किया जाएगा। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, चूंकि अब फल्ड का समय है, और पूरे देश के विभिन्न भागों में बाढ़ की विभीषिका आएगी, इसलिए मेरा आग्रह है कि इस विषय पर थोड़ा और गंभीर रूप से विचार करें।

अध्यक्ष जी, सूखा और बाढ़ इस देश के लिये अभिशाप हैं। एक तरफ जहां प्रतिवर्ष बाढ़ से नुकसान और सरकार का जो बाढ़ सहायता में खर्च होता है, दोनों मिलाकर अरबों रुपया तक खर्च हो जाता है, वहीं दूसरी ओर यहां सूखे की चपेट भी कम नहीं है। देश की 1/5 भाग जमीन हमेशा सूखे की चपेट में चली जाती है।

सर्वप्रथम हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि बाढ़ की उत्पति कहां से होती है, क्योंकि बाढ़ के लिये बहुत सारी योजनायें बनाई गई हैं और इस पर 1978 में जब इस सदन में बहस हो रही थी तो बताया गया था कि उस समय तक 633 करोड़ रुपया फल्ड-कन्ट्रोल के लिये खर्च किया गया है। इसलिये हमें देखना होगा कि बाढ़ कहां से आती है ? हमारे यहां जो प्रमुख नदियां हैं, उन में कोसो, कर्नाली, गण्डक, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी—ये सारी नदियाँ आती हैं। मंत्री महोदय कोसी को देखेंगे तो कोसी का जो जल-संमेट क्षेत्र है वह सब से अधिक है बह है—23990 वर्ग मील तथा यह हिमालय से निकलती है। कर्नाली जो आगे चल कर घाघरा हो जाती है, इस का जल-संमेट क्षेत्र 20600 वर्ग मील है। गण्डक का 14600 वर्ग मील है, काली का 6300 वर्ग मील है, यमुना का 4500 वर्ग मील है, राम गंगा का 2600 वर्ग मील है और ब्रह्मपुत्र का जो मानसरोवर से निकलती है, जो इस समय चाइना के अधीन है... ।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत दूर चले गये।

श्री रामविलास पासवान : जहां से निकलती हैं, वह बतला रहा हूं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा—नदियां, जो प्रति वर्ष पानी बहाती हैं, वह 1.68 मिलियन क्यूबिक मीटर हैं। प्रतिवर्ष जो वर्षा होती है वह 400 मिलियन हैक्टेअर मीटर है और इसमें से उपयोग के लिये पानी खर्च हो पाता है वह है—60 मीलियन हैक्टेअर पानी। इसका कारण क्या है ? इसके दो कारण हैं—एक तो यह कि आपकी जो नदियां हैं उन नदियां में पानी रखने की कैपेसिटी नहीं रहती है और दूसरे—जो आप का ड्रेनेज सिस्टम है, वह सही नही है—ये दो मुख्य कारण हैं।

अब मैं वे आंकड़े देना चाहूंगा कि बाढ़ से प्रति वर्ष कितना नुकसान होता है। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ से प्रतिवर्ष 1452 करोड़ रुपये के फसल का नुकसान होता है 7.4 मिलियन हैक्टेअर जमीन बाढ़ से प्रभावित होती है, जिसमें 50 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि होती है। 1954 से मार्च, 1978 तक 633 करोड़ रुपये से ज्यादा बाढ़ नियन्त्रण पर खर्च हुआ है। 1978 में बाढ़ और चक्रपात से 1091 करोड़ रुपये की क्षति हुई, जिसमें से 67 प्रतिशत क्षति केवल बिहार और उत्तर प्रदेश में हुई।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

अभी आप गुजरात की चर्चा कर रहे हैं। मैंने मंत्री महोदय की रिपोर्ट को पढ़ा है। उस में मंत्री महोदय ने कहा है कि वहां 18 आदमी मरे हैं, जब कि आज ही सवेरे रेडियो सुन रहा था, उस में बताया गया कि 20 आदमी मरे हैं। अखबारों में भी 20 आदिमयों के मरने की बात कही गई है। यह संख्या कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन जो आप का रेडियो है, जो सरकारी मशीनरी है, वह कहता है कि 20 आदमी मरे हैं, तो आप 18 कैसे कहते हैं। जो गवर्नमेन्ट का मास-मीडिया है, उस पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। जब सरकार कहती है कि इतने आदमी मरे हैं, तो लोग यह समझते हैं, कि इस से कहीं ज्यादा मरे होंगे।

हमारे यहां बिहार में कोसी का भयंकर प्रकोप होता है, गंगा का भयंकर प्रकोप होता है, पांडे जी यदि इस समय आपके स्थान पर होते तो वे इस सम्बन्ध में ज्यादा एनलाइटन कर सकते थे। लेकिन हमारे मंत्री जी कहते हैं कि वे सारी चीजों को जानते हैं और जब जवाब देना शुरू करेंगे तो वह सोचेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ का मामला गुजरात तक ही सीमित रहने वाला नहीं है, बिहार, उत्तर प्रदेश और असम में सब से भयंकर बाढ़ आने वाली है। आज सरकारी रेडियो में कहा गया है कि 68000 करोड़ की कोई व्यापक योजना सरकार बनाने जा रही है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ की समस्या किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, यह राष्ट्रीय समस्या है। जब मैं सरकार की रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उस में सरकार ने कहा है—

"बाढ़ नियन्त्रण राज्य सरकार का विषय है और इसीलिए बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रमों को तैयार करने, उन्हें आरम्भ करने, और क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का रहा है।"

मैं आप से कहना चाहता हूं कि यह बिलकुल गलत चीज है। जब तक आप इसको राज्य की सूची में रखते रहेंगे तब तक कोई व्यापक नीति नहीं बना सकेंगे। जब भी किसी राज्य में बाढ़ आती है, कहीं चना बांट देते हैं, कहीं गुड़ बांट देते हैं, कहीं नाव चला देते हैं और कहते हैं कि बाढ़ की समस्या का समाधान हो गया, यही लगातार होता आया है।

हम लोगों ने जब लास्ट टाइम जो डिस्कशन में भाग लिया था, तो उस समय एक सुझाव दिया था लेकिन वह तो भारत सरकार के लिए एक दिवास्वप्न है। मेरा सुझाव यह था कि

सम्पूर्ण देश में नहर माला योजना

हिमालय के बगल से एक नाला बना लें। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि एक बहुत विस्तृत प्लान दस्तूर और डा० के० एल० राव ने गंगा और कावेरी को मिलाने के बारे में दिया था।

एक माननीय सदस्य : गारलैंड केनाल का प्लान था।

श्री राम विलास पासवान : मैं समझता हूं कि जिस तरीके से काम चल रहा है, यह सरकार के लिए दिवा-स्वप्न की बात है। सरकार के लिए कोई चीज बड़ी नहीं होती है लेकिन सब से बड़ी बात नीयत की होती है। अगर काम करने की नीयत नहीं होगी, तो कोई काम नहीं होगा। मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था और उस में यह था कि चीन में दो बड़ी नदियां हैं यांगस्यांग और ह्वांगही। यह सबसे दुखदायी मानी जाती थी लेकिन उस नदी को वहां की सरकार ने सबसे ज्यादा सुखदाई नदी बना दिया। भारत सरकार यदि चाहे तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी आदि जो बड़ी नदियां हैं, इनको जोड़ कर सुखदाई बना सकती है। गंगा आप की बड़ी पवित्र नदी है लेकिन उस नदी में भी बाढ़ आती हैं। गंगा के जिस पानी को लोग कोसों दूर ले जाकर महादेव जी के माथे पर चढ़ाते हैं,उसी गंगा में बाढ़ आती है, तो लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं और वह दुखदाई हो जाती है। गंगा की पवित्रता कायम रहे, ब्रह्मपुत्र की पवित्रता कायम रहे, इसके लिए सरकार को कोई ठोस योजना बनानी पड़ेगी और मैं तो कहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, मंत्री महोदय को इस समस्या को सुलझाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बात चलानी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय: यह गुजरात के संबंध में है। आपने अभी तक गुजरात के बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्री राम विलास पासवान : हमने पहले ही स्पीकर साहब से अनुमति ले ली थी कि मैं इन बातों को उठाऊंगा। तो मैं यह कह रहा था कि यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का भी मामला है। बहुत सी ऐसी नदियां हैं जिनका संबंध भारत के साथ साथ चीन से भी है, जहां से नदी निकलती है, भारत और बंगला देश से भी नदियों का संबंध है, भारत और पाकिस्तान के साथ भी संबंध है और भारत और नैपाल के साथ भी संबंध है। इस तरह से हिमालय के आस-पास जितने सारे देश है, उनके साथ मिलकर आप को बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रभावशाली कदम उठाने पड़ेंगे।

होता क्या है कि यहां के जो इंजीनियर हैं, वे प्रति वर्ष यू० के० चले जायेंगे, प्रति वर्ष यू० एस० ए० चले जाएंगे और एक मोटी सी रिपोर्ट 700, 700 पेजेज की लिख कर दे देंगे लेकिन मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यहां की जो इतनी सारी नदियां हैं, उनके बारे में वे क्या कर रहे हैं हजारों करोड़ रुपया बहा दिया गया है और बाढ़ें रुकती नहीं है। यहां पर ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना है, पुनपुन है, कोसी है, भागीरथी है, बूढ़ी गंडक है, घाघरा है, राप्ती, झरही, शारदा, बलान, छोटी गंडक और बागमती आदि नदियां है, ये जितनी

नदियां हैं, आज इनके पानी से जो बाढ़ आती रहती है, वे कभी रुकी नहीं हैं । रिपोर्टें आती रहती है लेकिन कुछ हुआ नहीं है । आज हिमालय में पेड़ काटे जा रहे है और रिपोर्ट में यह बात आती है कि पेड़ कटने से लैंड स्लाइड होता है, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती है । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को फारेस्ट पालिसी के संबंध में भी अपनी पालिसी को रिवाइज करने की आवश्यकता है । अभी हमारे श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा कि श्री के० एल० राव आयोग बना और दस्तूर आयोग के बारे में भी उन्होने कहा । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपने ब्रह्मपुत्र फ्लड बोर्ड बनाया । हमारे यहां कोसी सब से भयंकर नदी है, गंगा सबसे भयंकर है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कुछ श्री रामावतार शास्त्री के लिए भी छोडिए आप सभी कुछ कहते जा रहे हैं ।

श्री रामविलास पासवान : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं । सरकार सहायता का काम करती है लेकिन एक तरफ तो सरकार सहायता देती है, छोटी-मोटी सहायता, कहीं जा कर चना दे दिया, कहीं शक्कर दे दी और इस तरह से सारा मामला खत्म हो जाता है लेकिन दूसरी तरफ बाढ़ों की रोक थाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती । श्री केदार पांडे जी यहां बैठे हुए हैं । ये जानते हैं कि बिहार में गंगा के कटाव से करोड़ों रुपये का घपला हो जाता है । एक तरफ सरकार रुपया खर्च करती है लेकिन दूसरी तरफ उसका एक चौथाई भी ठीक तरह से खर्च नहीं होता है । 60 पर सेन्ट रुपया अफसरों की जेबों में चला जाता है । और 40 परसेन्ट ठेकेदार की जेब में चला जाता है । एक लाख वाल्डर गिराने का एस्टीमेन्ट बनता है लेकिन गिरता है सौ बोरा ही । बाढ़ पीड़ितों के लिए इसमें क्या पुनर्वास की, बाढ़ग्रस्त गांवों को ऊंचा करने की भी योजनाएं हैं । यह भी बताएं ।

अब मैं मंत्री महोदय से प्रश्न पूछना चाहता हूं । मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार यह जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विभिषिका आती है । उस विभिषिका को रोकने के लिए अलग से मंत्रालय बनाएगी ? क्या इस विषय को केन्द्रीय सूची में रखेगी । क्या सरकार बाढ़ की रोक थाम के लिए चीन, बंगलादेश और नेपाल से बातचीत करेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रत्येक डेम का राज्यवार क्या ब्यौरा है । इस डेम का निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ, कितनी इसकी आयु है ? कितना इसका इम्प्लीमेंन्टेशन हुआ और कितना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ ? आज सवेरे में हमने आकाशवाणी पर सुना है कि सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना शुरू करने जा रही है जिससे कि हिमालय के पानी को डाइवर्ट करके दूसरी नदियों में भेजा जा सके ? यह योजना क्या है ? क्या सरकार बाढ़ के नाम पर जो लूट हो रही है उसको रोकेगी ? गुजरात के सम्बन्ध में सरकार ने जो गलत बयान दिया है कि वहां 18 आदमी मरे हैं, जब कि वहां 21 आदमी मरे हैं, यह कहां तक सही है ? क्या सरकार इसकी सफाई करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : यह काल अटेंशन गुजरात के मुत्तल्लिक है और माननीय सदस्य ने चीन, पाकिस्तान की बात कह डाली है । पहले तो माननीय सदस्य ने पूछा कि बाढ़ कहां से

आती है, इसका पता लगाया जाए। गुजरात के मामले में पता कर रखा है। यह बाढ़ आसमान से आती। समुद्र से उठकर सीधे पानी बरसा और बाढ़ आ गई। जिन जिलों में बाढ़ आयी उनमें इतना भारी पानी बरसा कि उनमें बाढ़ आना स्वाभाविक था।

कच्छ के अन्दर सालाना एवरेज 340 मिलिमीटर बारिश होती है और दस दिन में वहां 800 मिलिमीटर बारिस हुई। जूनागढ़ में एक साल में एवरेज 843 मिलिमीटर बारिस होती है वहां दस दिन के अन्दर 1341 मिलिमीटर बारिस हुई। इसी तरह से जामनगर में एवरेज सालाना 466 मिलिमीटर होती है वहां दस दिन के अन्दर 1079 मिलिमीटर बारिस हुई। (व्यवधान)। दस मिलिमीटर का एक सेन्टीमीटर और करीब ढाई सेन्टीमीटर का एक इंच होता है। आप कौन से स्कूल में पढ़े हैं? आप किसी पब्लिक स्कूल में पढ़े मालूम होते है। इसी तरह से अमरेली में सालाना रेनफाल 515 मिलिमीटर है वहां उसके मुकाबले में 472 मिलिमीटर वर्षा दस दिन में हो गयी। राजकोट तो बहुत ज्यादा पानी पड़ गया। वहां का सालाना एवरेज रेनफाल 599 या 600 मिलिमीटर है लेकिन वहां पानी पड़ गया 1150 मिलिमीटर। इस तरीके से सीधे बाढ़ आयी है, इसमें किसी हेराफेरी से नहीं आयी है।

यह तो मैंने जिलों का ब्यौरा दिया है। बहुत-सी जगहों पर पानी बरस पड़ा "वोल्ट्स फ्रोम द ब्ल्यु" का आदमी कहां तक इन्तजाम कर सकता है। उसके लिए फ्लड कन्ट्रोल मेजर्स हमारे हैं। आपने पूछा कि इसके लिए क्या क्या उपाय किये जा रहे हैं, यह सवाल अगर आपने पूछना है तो मेरे माननीय दोस्त से पूछिए जो कि इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के महकमे के इन्चार्ज हैं। उनसे सवाल करने के लिए एटेंशन उनकी आकर्षित कीजिए, वह सारा जबाब दे देंगे। मैं मुख्तसिर में इतना ही बताना चाहता हूं कि सरकार फ्लड कंट्रोल पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। मुकाबला अगर आप करें तो आपको पता चलेगा कि जहां 1969-74 के लिए फ्लड कंट्रोल के लिए 162 करोड रुपया पांच साल में रखा गया था वहां 1980-81 में यानी इसी साल के अन्दर हम 168 करोड़ का प्राविजन कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ध्यान इस ओर दिया जा रहा है। सरकार की योजना है कि 1985 तक फ्लड कंट्रोल के लिए सेंटर और स्टेट्स के प्लांज में तीन सौ करोड़ रुपया सालाना तक प्रोवाइड किया जाए। इस तरह से ये सब काम जो आपने बताए हैं देखे जा रहे है। स्टेट में प्लांज बनते हैं, यहां उनको मंजूरी मिलती है और जितनी ज्यादा से ज्यादा राशि इस सिलसिले में खर्च की जा सकती है उसके मुताबिक इंतजाम किया जाता है।

श्री रामविलास पासवान : केन्द्रीय सूची में इस विषय को रखने और बाढ़ मन्त्रालय बनाने के बारे में भी तो कहें।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : बाढ़ मंत्रालय तो बना हुआ है केन्द्र में। यह पांडे जी बैठे हुए हैं आपके बिहार के और आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। और कौन सा अलग बनवायेंगे आप ?

अठारह आदमियों की मैंने बताया है जाने गई हैं इस बाढ़ में। जो कल शाम तक हम

इनफार्मेशन ले सके हैं और फोन से कल शाम छः बजे तक हमें जो इत्तिला गुजरात सरकार से मिली, उसके मुताबिक अठारह आदमियों की जानें गयी थीं। अपने रेडियो और अखबारों का जिक्र किया है। अगर सरकार की वनसवत माननीय सदस्य अखबारों पर ज्यादा एतबार करते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना, वह एतबार कर लें। मुझ से पूछें तो मैं वही बता सकता हूं जिसकी तसदीक की जा चुकी है। और तसदीक के कोई बात इस हाउस में नहीं कहना।

जहां तक डैमेज के एसेसमेंट का सवाल है, कुछ इलाकों में अभी एसेसमेंट हो रहा है। जामनगर के अन्दर पूरे नुकसान का पता नहीं लगा है। हो सकता है और जहां जहां ज्यादा नुकसान हुआ है उसका ब्यौरा हमारे पास बाद में पहुंचे। मैं यकीन दिलाता हूं कि हम इस मामले में पूरी तरह से सतर्क हैं और जितना हम इंतजाम कर सकते हैं कर रहे हैं। जहां तक फूड की बात है हैलीकाप्टर से फूड पैकेट्स भी गिराए गए हैं। आर्मी, नेवी आदि मदद कर रहे हैं। लोगों को बचाया भी गया है। मवेशियों को बचाया गया है। बाढ़ में से लोगों को निकाला भी गया है। सरकार इस मामले में पूरा इंतजाम करने के लिए तनदेही से काम कर रही है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सब से पहले तो मैं यह कहना चाहता हू कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को बहुत होशियारी के साथ गुजरात तक सीमित कर दिया गया है। मेरे ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव को आप देखें जिस का नोटिस मैंने दिया था तो आपको पता चलेगा कि उस में असम भी जुड़ा हुआ था और 'अन्य' करके और राज्यों की चर्चा भी थी। ऐसा आपको नहीं करना चाहिये था क्योंकि गुजरात के अलावा तीन आदमी मरे हैं जो अभी तक अखबार में निकला है असम में और बाढ़ कर्नाटक में भी है, केरल में भी है। तो आपने इसको गुजरात तक सीमित कर दिया और एक लक्ष्मण रेखा आपने खींच दी। यह नहीं होना चाहिये था।

मैं यह कहना चाहता हूं :

सरकार की अजीब माया
कहीं धूप कहीं छाया

इसका अर्थ यह हुआ कि पिछले 33 बरस में सरकार की गलत नीतियों की वजह से, जन विरोधी नीतियों की वजह से हर साल हमारे देश के कुछ राज्यों में भंयकर बाढ़ आती है कुछ राज्यों में सुखाड़ रहता है और सरकार को सहायता कार्य में अरबों रुपया खर्च करना पड़ता है।

मैं भी ऐसे सूबे से आता हूं, जहां हर साल बाढ़ आती है और खतरा है कि इस साल भी बाढ़ आयेगी और कुछ इलाकों में अभी सुखाड़ भी है जिसमें हमारे क्षेत्र का भी कुछ हिस्सा शामिल है। स्थिति ऐसी है, लेकिन इन्होंने इसको गुजरात तक ही सीमित कर दिया।

गुजरात के 7 जिलों की चर्चा इन्होंने की है अपने वक्तव्य में जहां भारी वर्षा हुई है और 5 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वे हैं जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, कच्छ और राजकोट। ये जिले सबसे ज्यादा बाढ़ से पीड़ित हैं, 10 लाख लोग प्रभावित हैं। इनके मुताबिक 18 मरे और

रेडियो के मुताबिक 20 मरे। असम में 3 मरे जैसा कि मै पहले ही कह चुका हूं। 200 मवेशियों के मरने की खबर है। गुजरात सरकार से जो जो सहायता कार्य की सूचना मिली, इन्होंने उसका भी विवरण दिया है और इन्होंने यह भी बताया है कि 38 बांध बड़े-बड़े टूटे, 227 छोटे जलाशय नष्ट हो गये। इस तरह से बड़े पैमाने पर गुजरात का संहार हुआ। अरबों की क्षति हुई होगी। सरकार की जवाबदेही के मुताबिक यह कहते हैं कि हम सहायता के लिये तैयार हैं, लेकिन राज्य सरकार ने सहायता मांगी नहीं।

राज्य सरकार क्या सहायता कर रही है? इस पर इन्होंने कहा कि हैलीकोप्टर से भोजन गिरा रही है। क्या गिरा रही है, सहायता का विवरण क्या है? कितनी राशि दी जा रही है, किरासिन कितना दिया जा रहा है, नमक, दियासलाई और रोटी का क्या हाल है, ऐसी विपत्ति में सरकार की तरफ से क्या सहायता दी जा रही है, इन बातों का कोई जिक्र इस वक्तव्य में नहीं है वैसे वक्तव्य लम्बा बहुत है, लेकिन इन बातों के बारे में हम जानना चाहते थे ताकि हिन्दुस्तान की जनता, दूसरे राज्यों की जनता यह जान सके कि अगर कहीं ऐसी मुसीबत दूसरी जगह आयेगी तो इस प्रकार की सहायता उन्हें भी मिल सकेगी। इसका जिक्र कहीं नहीं है।

अब बाढ़ आई है। जुलाई को और मुख्य मंत्री वहां जाते हैं 5 जुलाई को। यह हाल आप देख लीजिये कि वहां की सरकार कितनी सजग है। बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने के लिए कितनी तैयार है, इसका प्रमाण इससे मिलता है। 5 तारीख को मुख्य मंत्री जाते हैं ऐसा इस स्टेटमैंट में लिखा हुआ है। दूसरे राज्यों जैसे उत्तरप्रदेश और बिहार में भी बाढ़ आने का खतरा है। इन तमाम बातों को दिभाग में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो एक माडल योजना तमाम राज्यों को भेजी, जो कि बाढ़ से बचाव के सिलसिले में है, तो उस मौडल योजना के मुताबिक गुजरात सरकार ने कौनसी कार्यवाही बाढ़-पीड़ितों की मदद के लिये और बाढ़ को रोकने के लिये की है?

सरकार ने जो सहायता दी है उसका ब्योरा क्या है?

जहां तक इस समस्या के स्थायी हल का सम्बन्ध है, शायद मंत्री महोदय उसके बारे में नहीं बता सकेंगे, लेकिन किसी न किसी रूप में यह बात सदन के सामने आनी चाहिये कि सरकार बाढ़ की समस्या का स्थायी हल कैसे निकालना चाहती है, और किस रूप में निकालना चाहती है। मैं दस साल से यहाँ हूं। हर साल बाढ़ आती है और इस सदन में उस पर बहस भी होती है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आते हैं। लेकिन बाढ़ की विभीषिका बढ़ती ही जाती है। अगर कहीं कुछ किया जाता है, कोई योजना लागू की जाती है, तो उससे बाढ़ और बढ़ जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि बाढ़ का स्थायी हल क्या है।

सरकार ने सुखाड़ और बाढ़ के समय सहायता करने के लिए प्राकृतिक विपत्ति कानून, नैचुरल कैलेमिटीज एक्ट, बना रखा है। यह एक्ट अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। इसी एक्ट के मुताबिक गुजरात सरकार ने काम किया है। सभी राज्य सरकारें इसी एक्ट के अनुसार कार्य-

वाही करती हैं। यह एक्ट बहुत पुराना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस कानून को बदलने के सिलसिले में कोई विचार किया है; अगर किया है, तो वह किस नतीजे पर पहुंची है। मैंने यह सवाल इस लिए उठाया है कि बिहार में सब जगह यह आवाज उठ रही है कि इस कानून में परिवर्तन किया जाये।

मैंने बड़े पायंटिड क्वेस्चन किये हैं, जो कि ज्यादातर गुजरात की बाढ़ के सम्बन्ध में हैं। अन्य राज्यों को हम फिलहाल छोड़ देते हैं। बाद में देखेंगे कि वहाँ क्या स्थिति बनती है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ तो गुजरात में आई, और यह कालिंग एटेन्शन नोटिस उसके बारे में था, लेकिन शास्त्री जी ने भी आसाम और बिहार की बातें बीच में कर डालीं। उन्होंने कहा कि कहीं धूप कहीं छाया। उन्होंने भी कहीं का गीत कहीं पर गाया।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि वे 'राम अवतार' हैं और सम्पूर्ण भारत से सम्बन्धित हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : महोदय, मैं याद रखूंगा।

शास्त्री जी ने जो पहला एतराज किया, उसके मुताल्लिक मुझे कुछ कहना है। उन्होंने कहा कि बड़ी होशियारी से कालिंग एटेन्शन को सिर्फ गुजरात के लिए सीमित कर दिया गया है। यह एक आक्षेप है, चेयर पर और लोक सभा सेक्रेटेरियट पर। मुझे इसका जवाब नहीं देना है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। चेयर तो सब इलाकों के इन्ट्रेस्ट को वाच करती है।'

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने चेयर को कुछ नहीं कहा है। मैंने कालिंग एटेन्शन नोटिस में जो कुछ लिखा था, वही मैंने बताया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : अगर आपके कहने के मुताबिक आपका मोशन बदल दिया गया है, तो उसका इल्जाम चेयर पर ही आता है। मुझे जो मोशन जिस हालत में मिला, मैं उसी का जवाब ही दे सकता हूं। शास्त्री जी ने हैलीकोप्टर से क्या गिराया गया, यह पूछा तो मैं जवाब दूंगा कि उस से फूड गिराया गया, 6-6 सौ किलोग्राम के फूड के पैकिट गिराये गए। यह आप की इन्फार्मेशन के लिए मैं बता दूं ··(**व्यवधान**)·· माडल ऐक्शन प्लान भारत सरकार की तरफ से पहले भी गए हुए थे और 10 जून को हमने यहां से चिठ्ठी लिखी, उसके मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट को सजेस्ट किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या ऐक्शन लेना है उसके लिए तैयार हो जायें। कन्ट्रोल रूम अपना बनायें, हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम बनाएं और फ्लड कंट्रोल के महकमे को वार्निंग दें। हर जगह डिस्ट्रिक्ट में ब्लाक लेवेल पर यह पता करें कि कौन-कौन से इलाकों में बाढ़ से ज्यादा नुकसान होने का अन्देशा है अगर बाढ़ आए तो, उसका पता करें, आइडेंटिफाई करें और उनमें दवाइयां, राशन, खेमें तथा दूसरी चीजों का इन्तजाम करें, जिनकी बाढ़ में जरूरत

पड़ती है। आदमियों को निकालने के लिए बोट्स का बन्दोबस्त करें। इन सब चीजों का बन्दोबस्त पहले से किया जाए और इसके मुताबिक ऐक्शन प्लान लम्बा चौड़ा स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट में आफिसर्स को क्या करना है और ब्लाक लेवेल पर उससे नीचे के अधिकारियों को क्या करना है, यह सारी हिदायतें भेजी गई। उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने अमल भी किया। गांधी नगर के अन्दर स्टेट गवर्नमेंट का फ्लड कन्ट्रोल रूम काम कर रहा है···(**व्यवधान**) ···सारी चीजें आपको पहले बता दूं तो आपको पूछने का मौका कैसे मिले ? गांधी नगर में स्टेट गवर्नमेंट का फ्लड कन्ट्रोल रूम एक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के नीचे काम कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर के ऊपर भी फ्लड कन्ट्रोल रूम बने हुए हैं, वक्त बेवक्त खबर देने के लिए सारा इन्तजाम टेलीफोन वगैरह का किया गया है। जैसी हिदायत सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजी उसके मुताबिक सहायता देने के लिये जो करना चाहिए था वह स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा किया। ·· (**व्यवधान**) बसु जी, करना तो हमें हैं, आपके बस का तो करना है नहीं कुछ।

मार्जिन मनी 10 करोड़ के करीब स्टेट गवर्नमेंट को साल में मिलती है। उसमें से इम्मीडिएट जिस चीज की आवश्यकता है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट खर्च कर सकती है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि जहां कहीं नुकसान हो तो एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट से सहायता मांगी जाय और उसके बगैर काम न चले। जब दस करोड़ रुपए से काम नहीं चलता तो बाढ़ के लिए या दूसरी किसी मुसीबत के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से सहायता मांगती है और फ्लड के लिए काफी सहायता सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अगर उन को आगे सहायता की जरूरत पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मांगने की आवश्यकता होगी तो स्टेट गवर्नमेंट जो सहायता के लिए पैसा खर्च करेगी, 75 प्रतिशत उस का खर्च भारत सरकार बर्दाश्त करेगी। 25 प्रतिशत सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। उसके लिए हम देख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अपने आप काम चला लेगी, इस मुसीबत का मुकाबला कर लेगी या भारत सरकार से मदद मांगेगी। अगर भारत सरकार से मदद मांगेगी तो हम जरूर मदद देंगे।

श्री छीतूभाई गामित (माण्डवी) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां बार-बार कुदरती आफतें आती रहती हैं। गुजरात का करीब एक तिहाई भाग दायमी सूखा-ग्रस्त है। गुजरात में कई बार ऐसे इलाकों में अकाल पड़ता है तो कई बार भारी वर्षा के कारण गुजरात की छोटी-मोटी नदियों में भयंकर बाढ़ आती है। कई बार भयंकर सामुद्रिक तूफान और साइक्लोन आते हैं। ऐसा लगता है कि गुजरात के साथ प्रकृति भी रूठी हुई है। इससे गुजरात के लोगों को करीब-करीब हर साल प्राकृतिक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।

अभी जो गुजरात में बाढ़ आई है उस की चर्चा करने से पहले गुजरात में पिछले दस-बारह वर्षों से जो कई बार ऐसी कुदरती मुसीबतें आई हैं, गुजरात का करोड़ों रुपए का नुकसान जिस से हुआ है और गुजरात में जो विकास होना चाहिए उस विकास को इन मुसीबतों से जो रुकावटें आई हैं उसकी कुछ चर्चा मैं करना चाहूंगा। 1968 में गुजरात में ताप्ती, नर्मदा, पूर्णा और अंबिका आदि कई छोटी-मोटी नदियों में भारी वर्षा के कारण भयंकर बाढ़ आई थी।

इससे सूरत, भड़ोंच, बलसाड़, जो साउथ गुजरात का एरिया है, वहां पर अरबों रुपए का बाढ़ से नुकसान हुआ। 1970 में फिर से इसी नदी में भारी वर्षा के कारण बाढ़ आई जिससे और भी ज्यादा नुकसान हुआ।

1972 में करीब सारे गुजरात में ऐसा सूखा पड़ा जो गुजरात के इतिहास में कभी नहीं पड़ा था। साथ ही कई जगहों पर भारी वर्षा के कारण गुजरात के नौ जिलों सुरेन्द्रनगर, सूरत, राजकोट, भड़ोंच, बड़ौदा, मेहसाना, साबरकांठा, अमरेली, गांधीनगर आदि) में भारी बाढ़ आई जिससे करीब 50 लाख लोगों को नुकसान पहुंचा तथा 50 हजार घर एवं झोपड़ियां नष्ट हो गईं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार करीब 60 करोड़ का नुकसान हुआ।

1976 में फिर से बाढ़ आई। अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ौदा, पंचमहाल, जूनागढ़, सूरत आदि जिलों में भारी वर्षा से आई बाढ़ के कारण अरबों रुपए का नुकसान हुआ। लगभग 6 हजार गांव बाढ़ से प्रभावित हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न मंत्री महोदय से पूछिए और उसके बाद अपना भाषण दीजिए।

श्री छोटू भाई गामित : 1979 में सौराष्ट्र, राजकोट एरिया में भारी वर्षा के कारण मच्छू बांध नं० 1 और 2 टूटने के कारण मानव संहार एवं करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ।

इस साल वर्षा के दिन आने से गुजरात के लोग जब अच्छे दिनों के स्वप्न देख रहे थे तब भारी वर्षा से भयंकर बाढ़ आने के कारण जो मानव संहार तथा भारी नुकसान हुआ है वह कभी भूला नहीं जा सकेगा। इस बार भारी वर्षा होने से सौराष्ट्र के राजकोट, कच्छ में कई छोटी-मोटी नदियों में भारी बाढ़ आई है और कई सिंचाई के बांध पानी भरने से टूट गए हैं तथा पानी ऊपर से बह रहा है। सारे सौराष्ट्र एरिया में हजारों लोगों पर इस बाढ़ का असर पड़ा है तथा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।

इस बैकग्राउन्ड में मुझे कहना है कि गुजरात में बराबर ऐसी प्राकृतिक मुसीबतें आती रही हैं जिसमें अरबों रुपए का नुकसान हर साल होता रहा है तथा उससे गुजरात के विकास में भी रुकावट पड़ी है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार की ओर से सहायता दी गई है वह बहुत कम है। अभी मंत्री जी ने अपने स्टेटमेन्ट में जो 9 करोड़ 56 लाख की सहायता की बात कही है, मैं समझता हूं वह बहुत कम है, इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि किसानों को नुकसान हुआ है, उनकी जो फसल नष्ट हो गई है, क्या भारत सरकार की ओर से उनके लिए बीज, खाद आदि की व्यवस्था की जायेगी ?

तीसरे—मैं यह जानना चाहता हूं गुजरात में इस प्रकार की जो मुसीबतें रहती हैं उनका हल करने के लिए क्या भारत सरकार की ओर से कोई मास्टर-प्लान तैयार किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो उस पर कब तक कार्यवाही की जायेगी—मंत्री जी यह बताने की कृपा करें।

इसके अतिरिक्त क्या गुजरात में बाढ़ से अफेक्टेड लोगों के लिए जो जरूरी दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी उनकी आपूर्ति भारत सरकार की ओर से की जायेगी या नहीं ? साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि भारत सरकार के जो अलग-अलग मंत्रालय हैं वे आपस में कोआपरेट कोऑर्डिनेन्ट करके जितनी भी सहायता की जरूरत पड़ेगी वह सहायता गुजरात को देंगे या नहीं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन सारी परिस्थितियों को अध्ययन करने के लिए भारत सरकार की ओर से विशेषज्ञों की कोई टीम भेजी जाएगी या नहीं ? जो वहां पर तुरंत आवश्यक चीजों को दे सके। गुजरात में हर बार बाढ़ से भयंकर नुकसान होता आया है, क्या भारत सरकार इस ओर भी ध्यान दे रही है या नहीं ? यदि भारत सरकार द्वारा कोई टीम भेजी जा रही है, तो क्या वह, वहां पर जो बांध बने हैं उन की क्षमता का फिर से अध्ययन कर उन बांधों की ओर भारत सरकार का ध्यान दिलाएगी या नहीं ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मौजूदा दिनों में जो बाढ़ आई, उसके साथ पिछले पांच वर्षों में जो नुकसान हुआ है, उसकी इन्फार्मेशन हाउस को दी। इसमें कोई शक नहीं गुजरात में बहुत से इलाके ऐसे हैं, जहां पर हर साल बाढ़ आती है और भारी नुकसान होता है।

जहां तक भारत सरकार का ताल्लुक है, गुजरात राज्य को सहायता पूरे तौर पर दी जाती है। स्टेट के अन्दर 9 करोड़ 56 लाख रु० मार्जिन मनी का नार्मल एलोकेशन है, जिसके तहत यदि कोई मुसीबत आये तो गुजरात सरकार फौरन उस कार्य के लिए रुपया खर्च कर सकती है और इससे फालतू खर्च होता है, तो गुजरात सरकार फौरन उसके बाद भारत सरकार को सहायता के लिए लिख सकती है। गुजरात सरकार की और सहायता के लिए, जितनी उसकी मांग होगी, उसके ऊपर गौर किया जाएगा। पिछले साल में भी गुजरात सरकार को और दूसरे प्रान्तों की बनिस्पत सबसे ज्यादा बाढ़ की सहायता के काम के लिए सहायता दी गई थी। सन् 1979-80 में 50 करोड़ 60 लाख रु० गुजरात प्रान्त को बाढ़ की सहायता के लिए स्वीकृत किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती है। माननीय सदस्य का यह कहना ठीक नहीं है है कि गुजरात में काफी सहायता नहीं दी जाती है।

जहां तक स्थाई फ्लड कन्ट्रोल के कामों का ताल्लुक है, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि स्टेट का मास्टर-प्लान होता ही है और सैन्ट्रल गवर्नमेंट भी प्लानिंग कमीशन द्वारा उसके ऊपर विचार करती है और इरिगेशन मिनिस्ट्री, जिसके चार्ज में फ्लड कन्ट्रोल का काम है, उन सारी स्कीमों को देखती है तथा उसके मुताबिक जितना एलोकेशन प्लान में हो सकता हैं वह किया जाता है। इस मौजूदा नुकसान को देखते हुए कि कहां-कहां एक दम सहायता देने की जरूरत है, इस संबंध में इरिगेशन मिनिस्ट्री की एक एक्सपर्टस टीम आज ही गुजरात के लिए रवाना हो रही है, जो वहां जाकर देखेगी कि कहां-कहां एक दम रुपया खर्च करने की जरूरत है और कहां-कहां पर बाँध वगैरह बनाने के लिए सहायता चाहिए।

माननीय सदस्य ने गुजरात की बहुंत सी नदियों का जिक्र किया। जहाँ तक मैं समझता हूं कच्छ के इलाके में व सौराष्ट्र के इलाके में बाढ़ वहां आती है, जहां से नदियों का पानी

बहुत पास से समुन्द्र में गिरता है। जब नदियाँ रेत लेकर समुन्द्र में जाती हैं, तो टाइडल वेव्ज के साथ बहुत सा रेत वापिस नदी में आ जाता है और नदियों के बैड्स में जम जाता है और नदियों के पानी के बहाव में रुकावट पैदा होती है। इसलिए जब उन नदियों का रेत बार-बार, मानसून आने के पहले, साफ नहीं किया जाएगा, तो उससे खतरा यह होता है कि नदियों का बहाव रुक जाने से बहुत से इलाकों के अन्दर बाढ़ का पानी फैल जाता है और उससे बहुत नुकसान होता है तथा इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। गुजरात सरकार का भी इस ओर ध्यान है तथा भारत सरकार का, जो मिनिस्ट्री इस बात के लिए जिम्मेदार है, उनका भी इस ओर ध्यान है।

कोई और खास बात आनरेबिल मेम्बर ने नहीं पूछी है। मैं उनको यही यकीन दिलाता हूं कि जिन चीजों की तरफ उन्होंने सरकार का ध्यान दिलाया है उनकी तरफ भारत सरकार पूरी तरह से ध्यान देगी।

श्री छोटू भाई गामित : आप ने डैम्ज़ और रिजर्वायर्स के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : डैम्ज और रिजर्वायर्स और दूसरी तमाम चीजों को देखने के लिए हमारी एक्सपर्ट टीम आज जा रही है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : माननीय मंत्री जी के वक्तव्य में कई महत्वपूर्ण मामले उठाए गए हैं और मैं सभा का ध्यान केवल उसमें दिए गये तथ्यों की ओर आकर्षित करूंगा।

महोदय, सौराष्ट्र क्षेत्र में बहुत से छोटे और बड़े बांध अपने तटबन्धों से ऊपर बह रहे हैं और उनमें से कुछ टूट भी गए हैं। अब आमतौर पर यह शंका व्यक्त की जा रही है कि क्या उन जलाश्यों और बांधों के डिजाइन ठीक ढंग से तैयार किए गए थे या ठीक ढंग से उनका निर्माण हुआ था या उनके निर्माण या डिजायन में कहीं कुछ त्रुटियां रह गई थीं ? अत: क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या इन आशंकाओं को दृष्टि में रखते हुए सरकार का बांधों की स्थिति और निर्माण तथा उनकी वर्तमान स्थिति और डिजायन के बारे में कोई जांच कराने का तथा नई योजनाएं बनाने का विचार है ताकि भविष्य में इस प्रकार की विपत्ति का पुन: प्रकोप न हो।

यह भी जानना आवश्यक है कि क्या उसका कारण कहीं मानवीय असफलता तो नहीं रही और यदि रही तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसकी जांच कराई जाएगी और जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी

वक्तव्य में राज्य सरकार की भूलों के काफी संकेत मिलते हैं। मैं वक्तव्य के पैरा 13 और 14 का उल्लेख करता हूं जिसमें यह कहा गया है कि जून के आरम्भ में ही जब अधिक वर्षा होने के संकेत मिले थे पर्याप्त चेतावनियां दी गई और अधिकारियों को सचेत किया गया। गुजरात सरकार के मुख्य सचिव को एक अर्ध-शासकीय पत्र भी लिखा गया जिसमें स्थिति का सामना

करने के लिए व्यवस्था करने हेतु इन्हें सचेत किया गया । परन्तु इसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा किए गए पत्र व्यवहार के अनुसरण में गुजरात सरकार द्वारा कोई सहतियाती उपाय या निवारक उपाय नहीं किए गए ।

21 जून से फिर निरन्तर वर्षा होती रही और बाढ़ें आईं । इससे फसलों को गम्भीर क्षति पहुंची और पशुओं और व्यक्तियों की जानें गईं । जहाँ तक समाचार-पत्रों से पता चलता है । 3 जुलाई को सेना बुलाई गई । सेना को इससे पहले क्यों नही बुलाया गया ? पर्याप्त ऐहतियाति उपाय क्यों नहीं किए गए ? यदि सेना को पहले बुला लिया जाता तो पशुओं और मनुष्यों की बहुत सी जानें बचाई जा सकती थी । अतः मैं यह पूछना चाहता हूं कि सेना की सहायता लेने में विलम्ब क्यों हुआ ?

मेरा तीसरा मुद्दा यह है । करीब 20 व्यक्ति मर गये हैं । क्या सरकार का उन लोगों को, जो अपने किसी दोष के कारण नहीं अपितु गुजरात सरकार या केन्द्र सरकार की भूल के कारण मरे हैं, कुछ मुआवजा देने का विचार है ।

अन्त में, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार या गुजरात सरकार का किसानों को उनकी फसल की क्षति के लिए कोई क्षतिपूर्ति देने का प्रस्ताव है ।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का किसानों के कृषि ऋण माफ करने और उन्हें नए ऋण तथा अन्य वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है ताकि पानी घटने पर वे अपनी क्षति ग्रस्त भूमि को पुनः जोत सकें और यह सुनिश्चित हो सके कि कृषि को नुकसान न पहुंचे ।

अन्त में, सरकार ने इस प्रकार की बाढ़ों के पश्चात् आम तौर पर फूट पड़ने वाली महामारियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है ? यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाढ़ के पश्चात् महामारियां न फैलें भारत सरकार और गुजरात सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : महोदय, मैं सभी बातों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा । आपने प्रश्नों की बौछार कर दी है । माननीय सदस्य ने सबसे पहले बान्धों के उचित डिजायन और योजना से सम्बन्धित आशंकाओं के बारे में प्रश्न पूछा । उन्होंने सुझाव दिया है कि उस संबंध में जांच करवाई जाए ।

मेरी सूचना के अनुसार इतनी जोरदार वर्षा के बावजूद कोई प्रमुख बांध नहीं टूटा है । परन्तु राज्य सरकार द्वारा निर्मित कुछ छोटे बांध रिसने लगे हैं या उनको कुछ क्षति पहुंची है । असफलताओं के मामले में यदि यह पता चल जाए कि यदि डिजायन ठीक होता तो इससे बचा जा सकता था मैं अपेक्षा करता हूं कि आम तौर पर जांच की जाती है और जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है । परन्तु माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इस प्रकार की विपदाओं

का पहले से पता नहीं लगाया जा सकता। इस दिनों में वर्षा किसी क्षेत्र विशेष की औसत वर्षा से लगभग तीन गुना हुई है। अब विपदाओं का अध्ययन करने और की जाने वाली कार्यवाहियों की स्थितियों के सम्बन्ध में सभी प्रकार की सावधानियां बरती जाती हैं। आने वाले मानसून में जितनी वर्षा होने की आशा हो, उसकी भविष्यवाणी की जाती है मौसम विज्ञान विभाग राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को चेतावनी देता है। और कितनी भी विपत्ति के लिए तैयार रहा जाता है। इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य में स्थायी मशीनरी और स्थायी निर्देश हैं। तैयारी के पश्चात् विपत्ति से एक दम पहले चेतावनी की स्थिति होती है। लोगो को चेतावनी दी जाती है, स्थानीय अधिकारियों को चेतावनी दी जाती है, स्थिति का मुकाबला करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाते हैं। विपत्ति के पश्चात् विपत्ति को दूर करने के प्रबन्ध किए जाते हैं। यह वह स्थिति होती है जिसके पहले केन्द्रीय सरकार के निर्देश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा तैयारी करने के लिए अग्रिम कार्यवाही कर ली जाती है। मुझे ऐसा कोई आधार नजर नहीं आता जिससे मेरा वक्तव्य पढ़ने के पश्चात् माननीय सदस्य यह सोचने लगें कि राज्य सरकार सही समय पर उचित कार्यवाही करने में असफल रही। राज्य सरकार ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्यवाही की और वह किसी भी घटना के लिए तैयार थी। यदि आपदा अधिक हो तो आप भी मानवीय सीमाओं को मानेंगे। मानवीय सीमाओं का बाढ़ की विभिषिका के समय पता चलता है। उन्होंने अधिक राहत और अधिक ऋण देने के बारे में सुझाव दिया है।

श्री चित्त बसु : तब सेना को बुलाने में देरी क्यों हुई ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : राज्य सरकार को जैसे ही यह पता चला कि वे स्थिति का सामना नहीं कर सकेगी उन्होंने तत्काल सेना से सम्पर्क किया। सेना की तत्परता से जो सहायता माँगी गई, वह दी गई। सेना के द्वारा कोई देरी नहीं हुई। यह कहना बड़ा कठिन है कि राज्य सरकार ने सेना की सहायता माँगने में देरी कर दी। मैं इस प्रश्न पर कुछ नहीं कह सकता क्यों कि मैं नहीं जानता कि राज्य सरकार को कब पता चला कि किसी स्थान विशेष पर स्थिति गम्भीर है। आप निसन्देह इससे सहमत होंगे कि तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार सबसे पहले अपने स्थानीय अधिकारियों और स्थानीय स्रोतों पर निर्भर होती है।

यदि रात को भारी वर्षा होती है तो उससे यह अनुमान लगा पाना सम्भव नहीं होता कि वर्षा आगामी रात या दिन को रुक जायेगी। जब वर्षा होती रहती है, तो लोग उसकी तैयारी करते रहते हैं। इसकी सूचना राज्य के मुख्यालय, तथा बाढ़ नियन्त्रण रूम को भेज दी जाती है और फिर राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर निर्णय किया जाता है। मुझे मालूम है कि सेना से सम्पर्क स्थापित करते ही उसने तुरन्त राहत कार्यों की व्यवस्था कर दी।

जहाँ तक माननीय सदस्य के सुझाव का प्रश्न है, उस पर निश्चय ही विचार किया जायेगा। इस प्रकार की विपत्तियों के लिए राहत कार्यों की व्यवस्था कुछ नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत करने और सहायता की पद्धति निर्धारित करने का दायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकार

का ही होना है । इसलिए राहत योजनायें राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती है और मैं आपको आश्वस्त्रासन देता हूं कि राज्य सरकारों द्वारा जितनी भी केन्द्रीय सहायता की माँग की जाती है, हम उनकी माँग को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करेगें ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि कच्छ, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली तथा राजकोट क्षेत्रों पर बाढ़ का अत्याधिक कुप्रभाव पड़ा है । वहाँ क्षति बहुत अधिक हुई है और माननीय मंत्री ने बताया कि 10 लाख व्यक्तियों पर किसी न किसी प्रकार से बाढ़ का प्रभाव पड़ा है । 25,400 से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है और लगभग 5 000 लोगों को तम्बूओं वाले राहत केन्द्रों में रखा गया है । इसी से आपदा की भयंकरता का अनुमान लगाया जा सकता है । केन्द्रीय सरकार का रवैया क्या हैं ? मैं निश्चय ही यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इसके प्रति उदासीन रही है । हमें बताया गया कि 1 जून से 2 जुलाई, 1980 की सम्पूर्ण कालावधि के दौरान सौराष्ट्र तथा कच्छ में सामान्य औसत से 362% अधिक वर्षा हुई, परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिए क्या किया जा रहा था । 10 जून को गुजरात के मुख्य सचिव को एक पत्र भेजा गया । इस पत्र के भेजे जाने के बाद यद्यपि तथ्य यह था कि बाढ़ की भयंकरता में उग्र रूप धारण करती गई, इस तथ्य के बावजूद कि 24 जून से लगभग 5 जुलाई तक भयंकरता बढती गई तथा वर्षा अधिक होती गई तथा नदियों के सभी पुलों तालाबों तथा बांधों के ऊपर से पानी बहता रहा, सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी । इसके उपरान्त 2 जुलाई को एक टैलेक्स संदेश के माध्यम से, प्रथम पत्र पर की गई अनवर्ती कार्यवाही की सूचना देने का अनुरोध किया गया ।

हमें आगे बताया गया कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और बाढ़ नियंत्रण उपायों से सम्बद्ध, सिंचाई विभाग का एक विशेषज्ञ दल वहां भेजा जा रहा है और अब हमें यह बताया जा रहा है कि दल को आज भेजा जा रहा है । केन्द्रीय सहायत से सम्बद्ध दल को उस समय भेजा जायेगा जबकि इसकी सहायता की मांग की जायेगी ।

श्रीमान्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का रवैया बहुत उदासीनता पूर्ण है। यह तक मानवीय आपदा है जिसके लिए सरकार से अधिक पहल तथा गतिशीलता की अपेक्षा की जाती है । यहां तक कि राहत देने का दायित्व जो कि मुख्यता माननीय मंत्री का ही दायित्व है, उसके बारे भी सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है अर्थात उसका कहना है कि यदि राज्य सरकार द्वारा इसकी मांग की जायेगी तो हम इस पर विचार करेगें । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की असफलता केन्द्रीय सरकार के कार्यकरण में भी परिलक्षित होती है । मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह एक मानवीय आपदा है । अतः इसके लिए केन्द्र सरकार से पहले तथा कर्मण्यता की अपेक्षा की जाती है इसलिए क्या मंत्री महोदय द्वारा राहत व्यवस्था से सम्बद्ध अपने विभाग का पुर्नगठन करने के प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जायेगा ताकि उस विभाग को गतिशील बनाया जा सके जिससे कि वह राहत कार्यों के लिए पहल कर सके ? वहाँ जो मानवीय आपदा आ पड़ी है उसके सम्बन्ध में विभाग तथा मंत्री महोदय को सम्पर्क स्थापित करना चाहिये । यदि राज्य सरकार अपने दायित्व का पालन करने में असफल रही है, तो केन्द्र सरकार को राज्य

सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहिये तथा वह केवल राज्य सरकार की प्रतिक्षा में ही न रहे क्योंकि ऐसा करने से राज्य सरकार की असफलता में केन्द्रीय सरकार की असफलता भी परिलक्षित होती है । इसका एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी है ।

मंत्री महोदय बार-बार यही दोहरा रहे हैं कि इस प्रकार की विपत्ति की आशंका नहीं की जा सकती थी । मैं इस सम्बन्ध में विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को अपने पुराने आंकड़ों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए क्योंकि वह अब पुराने हो गये हैं । इस बात को समझ लेने की आवश्यकता है । हमारे नए पुलों तथा बांधों के लिए 'सुरक्षा स्तर' निर्धारित करने हेतु, उनकी ऊंचाई, शक्ति तथा संस्थिति सम्बन्धी जो अनुमान लगाये गये हैं, उनका पुनरीक्षण किया जाना चाहिए । मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं । पिछले वर्ष मोरवी नदी के संकट के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया कि 24 इंच की जलवृष्टि, जोकि आपदा वाले उस दिन हुई, वह गत 100 वर्षों के मौसमी औसत से कहीं अधिक थी । अब 1 जून से 3 जुलाई तक सौराष्ट्र तथा कच्छ क्षेत्रों में सामान्य औसत से 362 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई । अतः अब आंकड़ों पर निर्भर नहीं किया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : और वह पुराने हो गए हैं ।

श्री जी० एम० बनातवाला : और इसीलिए इन सब बातों के पुनरीक्षण की आवश्यकता है । बाढ़ सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग ने भी इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर ध्यान देने को कहा है । राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग ने तो विशेष 'बाढ़-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम' तैयार करने का सुझाव दिया है जो कि 'सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम' के अनुरूप ही होगा । आयोग का कहना है कि इस प्रकार के बाढ़-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम को आरम्भ किया जाना चाहिए । मैं इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं··· ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह तीनों ही प्रश्न पहले ही पूछ चुके हैं ··· ।

श्री जी० एम० बनातवाला : जी हां अब मुझे इनका उत्तर दिया जाना चाहिए··· ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : सदस्य महोदय ने बताया कि राज्य सरकार कुछ सीमा तक असफल रही है । जो कुछ मैंने बताया है उससे यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने जितनी जल्दी सम्भव हो सका, स्थिति से निपटने के लिए कार्यवाही की । मैंने यह भी बताया कि मुख्य मंत्री तथा सिंचाई मंत्री दोनों ने स्वयं उस स्थान का दौरा किया है । सेना को बुलाया गया । बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना की सहायता ली जा रही है । खाद्य-सामग्री हवाई जहाजों द्वारा गिराई जा रही है । केन्द्रीय आदर्श-कार्य-योजना के अनुसार शीघ्र कार्यवाही की जा रही है । औषधियों की व्यवस्था की जा रही है । महामारी को फैलने से रोकने के लिए हर सम्भव उपाय किये जा रहे हैं । हैजे के टीके लगाये जा रहे हैं । मलेरिया की रोकथाम के लिए कार्यवाही की जा रही है । बाढ़ में घिरे लोगों तथा पशुओं का जीवन बचाने के लिए ये सब कदम उठाये जा रहे हैं ; उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और उन्हें शिविरों आदि में रखा

जा रहा है। यह सब कुछ किया जा रहा है। अतः फिर भला राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की अकर्मण्यता का प्रश्न कहां उत्पन्न होता है ? इस प्रकार का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

धन का अभाव नहीं है। जैसा कि मैंने बताया गुजरात राज्य सरकार के पास इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के लिए 9.56 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस प्रावधान में से, मेरी जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि इन राहत-कार्यों के लिए केवल 1 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद भी उनके पास 8 करोड़ रुपया रह जाएगा। यदि उन्हें केन्द्र सरकार की सहायता की आवश्यकता होगी, तो यह सहायता उन्हें उसके बाद ही उपलब्ध करवाई जायेगी। अन्यथा राहत तो पहले ही पहुंचायी जा चुकी है। ऐसी सभी प्रकार की सहायता गुजरात सरकार को उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

इसलिए मैं जो कुछ सदन के समक्ष कहना चाहता था, वह मैंने कह दिया है और उसके बारे में किसी प्रकार की गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि सरकार स्थिति से भलीभांत अवगत है। जैसा कि मैंने कहा, बाढ़ नियंत्रण उपायों को स्थाई आधार दिया जाना चाहिए। सिंचाई मंत्रालय के एक केन्द्रीय दल द्वारा आज राज्य का दौरा किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने कुछ समय पहले अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था। गुजरात के एक प्रमुख व्यक्ति, श्री जय सुखलाल हाथी उसके सभापति थे। उस आयोग के प्रतिवेदन का अध्ययन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा अलग से एक कक्ष का गठन किया गया है।

श्री जी० एम० बनातवाला : इसके अध्ययन में कितना समय लगेगा ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं समझता हूं कि इसके बारे में मेरे सहयोगी श्री केदार पांडे कुछ बता सकते हैं। मुझे जो मालूम था मैने बता दिया है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों का सिंचाई मंत्रालय द्वारा कारगर ढंग से अनुसरण किया जा रहा है। इन सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए अलग से एक कक्ष का गठन कर दिया गया है और योजना के अनुसार विभिन्न राज्यों द्वारा, भारत सरकार के संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए, आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, इसकी व्यवस्था की गई है। जहां तक 10 जून का प्रश्न है, इसके बारे सम्भवतः कुछ भ्रान्ति है। माननीय सदस्य को मालूम है कि 10 जून को पत्र लिखा गया था। तथ्य तो यह है कि किसी भी राज्य सरकार को लिखना आवश्यक नहीं होता है ···।

श्री जी० एम० बनातवाला : आप चैन से सो सकते हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : हम सदा सतर्क रहते हैं। इसलिए राज्य सरकारों को पुनः यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होती कि उन्हें बाढ़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। उनसे आशा की जाती है कि वह मौनसून आरम्भ होने से पहले हर वर्ष, हर समय तैयार रहे। इस प्रकार के निदेश पिछली वर्ष भी भेजे गये थे। परन्तु भारत सरकार अत्यधिक सतर्क थी, अत्याधिक चौकस थी और इसीलिए उसने मौससून आरम्भ होने से बहुत पहले उन्हें लिख दिया।

ये निदेश पुनः इसलिए जारी नहीं किए गए थे कि राज्य सरकार द्वारा भारी वर्षा होने से पूर्व उन पर कार्यवाही नहीं की जा रही थी। ये तो सामान्य कार्य प्रक्रिया के रूप में जुलाई में राज्य सरकारों को भेजे गये थे। उनसे कहा गया था कि "हम उनसे प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप भी जागरूक है; आपने निश्चय ही स्थिति का अनुमान लगा लिया होगा और आप हमें बतायेंगे कि इन उपायों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार की ओर से और क्या सहायता अपेक्षित है"। टेलेक्स संदेश देने का उद्देश्य यही था। परन्तु राज्य सरकार स्वयं ही बहुत सक्रिय तथा जागरूक थी, और इसलिए शिकायत का कोई कारण नहीं था।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : श्रीमान मैं वर्तमान चर्चा से सम्बद्ध कुछ प्रश्न उठाना चाहता हूं। आप मुझे इसकी अनुमति दे दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें मंत्री को भेज दीजिए और वह उन्हें देख लेंगे। मैं आपको कोई प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि आपका नाम सूची में नहीं है। यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप उसके बारे मंत्री महोदय को लिख भेजिए। वह आपको उसका उत्तर दे देंगे। मैं आपको प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दे रहा।

गोदावरी जल विवाद अधिकरण के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य

सिंचाई मन्त्री (श्री केदार पान्डे) : गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने आज अपनी अगली रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेज दी है। इस रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के साथ, गोदावरी जल के सम्बन्ध में लम्बे समय से पड़ा हुआ अनिर्णीत विवाद हल हो गया है। उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश, श्री न्यायमूर्ति आर०एस० बचावत, इस न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति डी०एम०भण्डारी और गोहाटी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति डी० एम० सेन इसके अन्य सदस्य है।

यह याद दिला दिया जाये कि चूंकि आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के राज्यों के बीच विवाद को बातचीत द्वारा नहीं सुलझाया जा सका था, इसलिए भारत सरकार ने अन्तर्राज्यिक जल-विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, न्यायनिर्णयन के लिए 10 अप्रैल, 1969 को गौदावरी जल-विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया था। उसी दिन एक अन्य न्यायाधिकरण अर्थात् कृष्णा जल-विवाद न्यायाधिकरण का भी गठन किया गया था। चूंकि ये जल-विवाद परस्पर-सम्बद्ध थे और कुछ पक्ष ऐसे थे जो दोनों विवादों में शामिल थे, इसलिए दोनों न्यायाधिकरणों की सदस्यता समान रखी गई थी। कृष्णा और गोदावरी दोनों जल-विवादों के पक्ष इस बात से सहमत थे कि कृष्णा के मामले की सुनवाई पहले की जाए। तद्नुसार कृष्णा के मामले की सुनवाई पहले की गई और कृष्णा न्यायाधिकरण ने अपने अन्तिम रिपोर्ट मई, 1976 में दे दी जिसे बाद में प्रकाशित कर दिया गया और यह लागू हो गयी। गोदावरी के मामले की सुनवाई बाद में की गई।

गोदावरी न्यायाधिकरण ने नवम्बर, 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी जिसमें इसके द्वारा पाए गए तथ्य और इसे निर्दिष्ट मामलों पर इसके निर्णय दिए गये थे। अधिनियम के अनुसार, न्यायाधिकरण से उन मुद्दों पर जिन्हें मूल रूप में इसे निर्दिष्ट नहीं किया गया था, निर्णय होने की तारीख से तीन मास तक की अवधि के भीतर, स्पष्टीकरण अथवा मार्गदर्शन मांगा जा सकता था। आज प्रस्तुत अगली रिपोर्ट में, केन्द्र और कुछ पक्ष-राज्यों द्वारा न्यायाधिकरण के पास भेजे गए निर्देशों के सम्बन्ध में इसके निदेश दिए गए हैं। गोदावरी न्यायाधिकरण के पंचाट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) गोदावरी नदी के जल के वितरण के लिये पांचों राज्य समय-समय पर आपस में करार करते रहे हैं। न्यायाधिकरण ने आदेश दिया है कि पक्ष-राज्यो द्वारा इन सभी करारों का पालन किया जाए और उन्हें कार्यान्वित किया जाए।

(2) महाराष्ट्र को प्रवरा उप-बेसिन पैथन बांध-स्थल तक गोदावरी नदी के सारे जल और महाराष्ट्र में बहने वाली अन्य नदी-प्रणालियों के कुछ विशिष्ट बांध स्थलों तक के जल का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र को अन्य परियोजनाओं और लघु सिंचाई स्कीमों के लिए विभिन्न उप-बेसिनों में लगभग 215 टी० एम० सी० जल आबंटित किया गया है।

कर्नाटक को 17.77 टी० एम० सी० जल आबंटित किया गया है।

मध्य प्रदेश के प्राणहित उप-बेसिन में नन्दन, आमला देकदोह तथा मोहगांव एकीकृत परियोजनाओं और सोवाना नाला परियोजना तक के सारे जल, वेनगंगा उपघाटी में विशिष्ट परियोजना-स्थलों तक के सारे जल और कुछ एक विशिष्ट स्थलों तक अन्य सहायक नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश को विभिन्न उप-बेसिनों में, जिनमें वह हितबद्ध है, विभिन्न वृहद और लघु-स्कीमों के लिए 412 टी० एम० सी० जल आबंटित किया गया है।

उड़ीसा को अपर इन्द्रावती परियोजना-स्थल तक इन्द्रावती नदी के सारे जल, इन्द्रावती उप-बेसिन से महानदी बेसिन को लगभग 90 टी० एम०सी० जल के व्यपवर्तन, उड़ीसा मध्य-प्रदेश सीमा पर 45 टी० एम० सी० जल की मात्रा सुनिश्चित करने के बाद शेष जल का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा को उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बीच की सीमा तक साबरी नदी और अन्य विनिर्दिष्ट सहायक नदियों के जल का उपयोग करने की भी अनुमति दी गई है। इसके अलावा, उड़ीसा को साबरी उप-बेसिन में वृहद और लघु स्कीमों के लिए 77 टी० एम० सी० जल का आबंटन किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश को पोचम्पाद और अन्य नदियों तथा विशिष्ट परियोजना स्थलों के अनुप्रवाह में गोदावरी बेसिन में शेष जल का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। कुछ विशिष्ट परियोजनाओं में प्रयुक्त होने वाली विशिष्ट मात्राओं का निर्धारण भी किया गया है।

आन्ध्र-प्रदेश की सीधे इंचम्पल्ली परियोजना से 85 टी० एम० सी० जल के व्यपवर्तन की भी अनुमति दी गई है ।

(3) न्यायाधिकरण के निर्णय में यह व्यवस्था है कि कई परियोजनाओं का निर्माण राज्यों को संयुक्त परियोजनाओं के रूप में किया जाए । इस निर्णय में पोलावरम बराज से कृष्णा बेसिन के लिए जल के व्यपवर्तन की और ऐसे व्यपर्तन के फलस्वरूप अपर राज्यों के हिस्से की भी व्यवस्था है ।

(4) न्यायाधिकरण ने निदेश दिया है कि केन्द्रीय जल आयोग द्वारा एफ० आर० एल०/एम० डब्ल्यू० एल०+150 फुट वाली पोलावरम परियोजना को यथा संभव शीघ्र स्वीकृति दी जाए, बांध के डिजायन और उसके प्रचालन कार्यक्रम से सम्बन्धित मामले केन्द्रीय जल आयोग पर छोड़ दिए जाएं जिन पर आयोग पक्ष राज्यों के बीच हुए करारों और 2 अप्रैल, 1980 को हुए करार को ध्यान में रखते हुए फैसला करेगा और यदि 2 अप्रैल, 1980 के करार के प्रचालन कार्यक्रम में किसी प्रकार के परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो वह सम्बन्धित पक्षों के साथ परामर्श करके ही किया जाना चाहिए ।

न्यायाधिकरण के इस निदेश से आन्ध्र प्रदेश को पोलावरम परियोजना से गोदावरी नदी के जल को कृष्णा नदी में व्यपवर्तित करने से सम्बन्धित पुराना विवाद भी सौहार्दपूर्ण ढंग से तय हो गया है । इस व्यपवर्तन के फलस्वरूप, प्राप्त होने वाले अपने-अपने हिस्से के बारे में भी आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य सहमत हो गये हैं । महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य की केन्द्रीय जल आयोग द्वारा पोलावरम परियोजना को स्वीकृति दिए जाने की तारीख से कृष्णा जल में अपने-अपने हिस्सों के उपयोग का अधिकार होगा चाहे वास्तविक व्यपवर्तन कभी भी हो ।

(5) न्यायाधिकरण के निर्णय से, पक्ष-राज्यों में से प्रत्येक राज्य को गोदावरी के जल में से उसे आबंटित हिस्से में से किसी भी भाग को गोदावरी बेसिन से अन्य बेसिनों में व्यपवर्तित करने की स्वतन्त्रता भी प्राप्त हो गई है । इसमें इस बात की भी व्यवस्था है कि इसमें समाविष्ट किसी उपबन्ध से पक्ष-राज्यों द्वारा परस्पर करार करके या संसद द्वारा कानून बनाकर इस निर्णय में परिवर्तन, संशोधन या आशोधन करने में कोई रोक नहीं है ।

(6) राज्य न्यायाधिकरण के सामने पेश होने के सिलसिले में अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे । न्यायाधिकरण पर होने वाले व्यय का बंटवारा और भुगतान राज्यों द्वारा बराबर-बराबर किया जाएगा ।

अन्तर्राज्यिक जल-विवाद अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के लिए न्यायाधिकरण के निर्णय को राजपत्र में प्रकाशित करना अपेक्षित है और इसके बाद यह निर्णय अन्तिम हो जाता है और विवाद के पक्ष राज्यों के लिए आबद्धकर हो जाता है तथा उनके द्वारा इसे अमल में लाना जरूरी हो जाता हे । तद्नुसार इस निर्णय को प्रकाशित करने के बारे में कार्रवाई शुरू की जा रही है ।

गोदावरी दक्षिण को सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और यह अपने बेसिन में 1,20,800 वर्ग मील के क्षेत्र में फैली हुई है जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 10 प्रतिशत के बराबर है। न्यायाधिकरण के निर्णय से अब बहुत सी परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

प्रो० एन०जी० रंगा (गुंटूर) : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। वक्तव्य में यह कहा गया है कि यदि सम्बद्ध सरकारें ऐसा चाहती हैं; तो वे एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकती हैं; और तब वे जल के अपने-अपने हिस्से के बंटवारे के बारे में निर्णय कर सकती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह जानकारी आपको बाद में मिलेगी।

प्रो० एन० जी० रंगा : उनके बीच में और उनके द्वारा समझौता करने के लिए इस तरह की बातचीत के लिए क्या कोई समय सीमा है ? अन्यथा, यह फिर विचाराधीन पड़ा रहेगा, जैसा कि यह गत 20 वर्षों से विचाराधीन पड़ा रहा है।

श्री केदार पाण्डे : इसे विचाराधीन नहीं छोड़ा गया है। यह अंतिम रूप में है।

दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में रेजिडेंट डाक्टरों की सांकेतिक हड़ताल के बारे में वक्तव्य

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री रामविलास पासवान निर्देश 115 के अन्तर्गत अपना वक्तव्य दें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हुआ हूं। आपने निर्देश 115 के अन्तर्गत श्री रामविलास पासवान को एक वक्तव्य देने के लिए अनुमति प्रदान की है और इस तरह नई दिल्ली के जूनियार डाक्टरों के एसोसिएशन द्वारा दिए गए ज्ञापन की प्रगति के संबंध में माननीय मंत्री महोदय को अपना उत्तर शुद्ध करने का एक अवसर प्रदान किया है। मैंने इसी विषय पर माननीय मंत्री महोदय के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग के बारे में एक प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड ड्रार्बर) : हम तीन व्यक्ति हैं जो इस से सम्बधित हैं— वाजपेयी, पासवान और मैं स्वयं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं नहीं जानता कि विशेषाधिकार भंग का मामला उठाने के नोटिस को अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमति क्यों नहीं दी गई। सवाल यह है कि क्यामंत्री महोदय ने जानबूझ कर सदन को गुमराह किया अथवा उन्होंने अनजाने में यह भूल की। प्रश्न यह है कि वैसे ही मामले को निर्देश 115 के अन्तर्गत अनुमति दी जा रही है जबकि विशेषाधिकार भंग के प्रस्ताव को, निर्देश 115 के अन्तर्गत स्वीकार किए गए इस वक्तव्य में मुकाबले में वरीयता दी जानी चाहिए थी।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कौनसा नियम है जिसके आधार पर आप यह कह रहे हैं कि जब विशेषाधिकार का प्रस्ताव पड़ा हो तो नियम 115 के अन्तर्गत इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : एक निर्देश किन्हीं परिस्थितियों के अन्तर्गत नहीं ।

उपाध्येक्ष महोदय . एक दूसरा प्रश्न यह है कि अध्यक्ष महोदय ने विशेषाधिकार प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है । इसलिए यह सही नहीं है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या सही नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं । यह सही नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने उस विशेषाधिकार प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है ·· ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, आप मुझे समझाने की कोशिश कीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :···इसलिए, वह प्रश्न हल हो गया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय ने यह नही बताया कि विशेषाधिकार प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया गया था ।

उपाध्यक्ष महोदय ; उन्होंने विशेषाधिकार प्रस्ताव की अनुमति नहीं प्रदान की है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : किन आधारों पर ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : एक व्यवस्था के प्रश्न पर ।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 222 और 223 के अन्तर्गत । **(व्यवधान)** ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप व्यवस्था का एक प्रश्न उठा रहे हैं ? किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 376 के अन्तर्गत । मेरा निवेदन यह है कि हाउस आफ कामन्स में अध्यक्ष महोदय कभी नहीं बोलते हैं । इस सदन में अध्यक्ष महोदय हमेशा बोलते रहते हैं । यह परेशानी है···।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु उपाध्यक्ष महोदय कभी नहीं बोलते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा निवेदन यह है···· ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए, आप व्यवस्था का एक प्रश्न नहीं उठा रहे हैं ? आप एक निवेदन कर रहे हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप जैसा चाहें वैसा करें। आप इसे किसी भी रूप में ले सकते हैं जिसमें कि आपको संतुष्टि मिलती हो। मेरा निवेदन यह है कि जब तक एक निर्देश नियम समिति में एक नियम को संशोधित नहीं करता है, एक निर्देश, नियम के प्रावधानों का स्थान नहीं ले सकता। जो शक्ति एक निर्देश में रहती है, वह नियम की शक्ति के अधीन होती हैं। हम अनावश्यक रूप से संसद की शक्तियों और इस सदन की नियम समिति द्वारा बनाए गए नियमों की टीका टिकाणी कर रहे हैं कृपया इस तथ्य को अनदेखा न करें कि हम तीनों ने नियम 222 और 223 के अन्तर्गत विशेषाधिकार भंग के प्रस्ताव का नोटिस दिया था और अब उसे निर्देश 115 के अन्तर्गत एक वक्तव्य के रूप में घटा दिया गया है। और उसे समाप्त कर दिया गया है। ज्ञान-बूझ कर सदन को गुमराह करने का प्रयास एक भूल के रूप में परिवर्तित हो गया है। इस सदन का भी अपमान हुआ है। मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है, क्योंकि हम विश्वास नहीं करते···।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि माननीय सदस्य महोदय अध्यक्ष पीठ पर किसी तरह का आक्षेप नहीं कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं समूचे सदन पर आक्षेप कर रहा हूं। (**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : तब कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। (**व्यवधान**)।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कभी नहीं, उससे ज्यादा हमारे लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जाना चाहिए कि इस तरीके से अध्यक्ष पीठ द्वारा मंत्री महोदय का संरक्षण नहीं किया जाना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या मुझे यह जानने का अधिकार नहीं है कि किस आधार पर मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने विशेषाधिकार प्रस्ताव की पहले ही अनुमति नहीं दी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : किस आधारों पर ?

उपाध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, यह सही नहीं है····।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या सही नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया है आप को उसी दिन नहीं पूछना चाहिए ···।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वही मामला निर्देश 115 के अन्तर्गत उठाया जा रहा है। (**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय ने एक निर्णय किया है। उनसे पूछने के लिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप पीठासीन हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप अध्यक्ष महोदय के कक्ष में जाइए और उनसे इसकी चर्चा कीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एक दूसरी बात और है। मैंने निर्देश 115 के अन्तर्गत भी नोटिस दिया था। अब मुझे बताया गया है कि मुझे वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि केवल एक व्यक्ति को अनुमति दी जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह भी, नियम और यहां तक कि अध्यक्ष महोदय का विशेषाधिकार है। (**व्यवधान**)।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री वाजपेयी को यह समझना चाहिए कि शासक दल राजधानी दिल्ली में अपना राजनीतिक प्रभाव नहीं बढ़ा सकता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यदि एक ही समय दो सदस्य नोटिस देते हैं तो उनका क्या होगा। क्या उनको अनुमति नहीं दी जाएगी ? विशेषाधिकार प्रस्ताव के मामले में भी एक से अधिक सदस्य को अनुमति दी गई है, तो इस मामले में भी क्यों नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : एक सदस्य को अनुमति दी गई है। उसी विषय पर दूसरे सदस्य को कैसे अनुमति दी जा सकती है ?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या मैं आपको एक मिसाल दूं। इस सदन में जब सदस्यों द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाए जाने की अनुमति मांगी जाती है, अनेक अवसरों पर तीन से अधिक सदस्यों ने विशेषाधिकार प्रस्ताव दिये थे। उदाहरण के लिए, विशेषाधिकार का एक सुविख्यात मामला है, जिसमें प्रधानमंत्री को कारावास की सजा दी गई थी। श्री ज्योतिर्मय बसु ने वह मामला उठाया था श्री दण्डवते ने वह मामला, उठाया और अन्य दूसरे सदस्य भी वहां थे, जिनमें से प्रत्येक को इस सदन में वक्तव्य देने की अनुमति दी गई थी। और संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में यह विशेषाधिकार का अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला था। यदि उस विशेषाधिकार प्रस्ताव के सम्बन्ध में वैसा हो सकता है, तो निर्देश 115 के मामले में इसकी अनुमति क्यों न दी जाए ? मेरे विचार में उस पर विनिर्णय दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अध्यक्ष महोदय द्वारा लिए गए एक निर्णय पर विनिर्णय दिए जाने की आशा नहीं कर सकते; अतः यहां व्यक्त किए गए सभी विचारों से अध्यक्ष महोदय को अवगत करा दिया जाएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किस नियम के अन्तर्गत आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं ? किन नियमों के अन्तर्गत आप ऐसा कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपके संरक्षण के अन्तर्गत ·।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह बाहर की बात है ..(**व्यवधान**) आप पीठासीन हैं, और हम केवल एक को जानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था सम्बन्धी एक प्रश्न श्री राजपेयी ने उठाया था और मैं उसे पहले ही नियम विरुद्ध बता चुका हूं। विशेषाधिकार के मामले पर, जब अध्यक्ष महोदय निर्णय दे चुके हैं, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना और उस पर कोई विनिर्णय देना नहीं चाहता। मैं किसी को एक ऐसा मामला उठाने की अनुमति नहीं दूंगा जिस पर अध्यक्ष महोदय ने पहले ही निर्णय दे दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं यह नही कह रहा हूं ···।

उपाध्यक्ष महोदय : यह उस विशेषाधिकार प्रस्ताव के सिलसिले में है ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपसे अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए विनिर्णय पर विनिर्णय दिए जाने के लिए अनुरोध नहीं करता। जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जब आप पीठ पर आसीन हैं तो आप पर अध्यक्ष महोदय की सारी जिम्मेदारियां हैं···।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु एक ऐसे विषय पर नहीं जिस पर अध्यक्ष महोदय ने पहले ही निर्णय दे दिया है। आपको मेरे प्रति निष्पक्ष और जनवादी भी होना चाहिए। जब अध्यक्ष महोदय पहले ही निर्णय दे चुके हैं, तो मुझे किसी भी तरह का निर्णय नहीं देना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने निर्णय नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : उसके सम्बन्ध में, आप उस विषय पर चर्चा शुरू नहीं कर सकते। यह सदन की अवमानना है ··।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने कोई भी विनिर्णय नहीं दिया है। क्या आप हमें अनुमति देंगे ? अब, अध्यक्ष महोदय ने कोई भी निर्णय नहीं दिया है...(**व्यवधान**) जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस तरह कोई टिप्पणियां न दें जिनसे हमें अध्यक्ष महोदय से कोई भी विनिर्णय नहीं मिल पाए। यही सब कुछ मैं कर रहा हूं। हम अध्यक्ष महोदय के समक्ष मामले को उठाएंगे।

एक माननीय सदस्य : आप उपाध्यक्ष महोदय से भी बढ़ कर बोल रहे हैं। (**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार प्रस्ताव पर ऐसी कोई भी चर्चा जिसे अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमति नहीं दी गई हो।···

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) मैं विशेषाधिकार प्रस्ताव देने वाले सदस्यों में से एक हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका पहले ही निर्णय ले चुका है।

श्री के० ए० राजन : उस दिन एक मामले विशेष पर संयुक्त सचिव द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ एक पत्र मिला था और सदस्यों ने कार्य विधि पर आपत्ति व्यक्त की और इसे सदन में उठाया गया था.... ।

उपध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। अब श्री रामविलास पासवान निर्देश 115 के अन्तर्गत एक वक्तव्य देंगे।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोक सभा अध्यक्ष के निर्देश 115 के अन्तर्गत निम्नलिखित वक्तव्य देने की अनुमति चाहता हूं—

दिनांक 18 जून, 1980 को दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों के रेजीडेन्ट डाक्टरो की सांकेतिक हड़ताल के सम्बन्ध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से यह प्रश्न पूछा था :—

"5 तारीख को स्वास्थ्य मंत्री के नाते आपको मेमोरेंडम दिया गया या नहीं।" मेरे इस प्रश्न के बारे में आप ने भी स्वास्थ्य मंत्री जी से उत्तर देने के लिए कहा। इस पर मंत्री जी ने पूछा— किसका ज्ञापन मैंने प्रश्न पूछा—5 तारीख को फेडरेशन आफ जूनियर डाक्टर्स आफ देहली की तरफ से आप को मेमोरेंडम दिया गया है या नहीं ?

इस पर मंत्री ने उत्तर दिया :

"मुझे यह प्राप्त नहीं हुआ है"..."श्रीमान जो, रेजीडेंन्ट डाक्टरों की फेडरेशन ने अभी भी कोई नोटिश नहीं दिया है या मांग नहीं पेश की है। इसलिए उस बारे में समझौते का प्रश्न ही नहीं उठता।"

मैंने बाद में पता किया तो मालुम हुआ कि यह मेमोरेंडम मंत्री महोदय को कार्यालय में 5 जून, 1980 को प्राप्त हुआ और इसकी रसीद ली गई।

अत: इससे स्पष्ट है कि स्वास्थ्य मंत्री ने सदन के समक्ष गलत बयान दिया है। अत: आप से अनुरोध है कि आप मंत्री महोदय को निर्देश दें कि वे इस बारे में वक्तव्य दें तथा सदन से क्षमा मांगें।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : कृपया इस बात को याद करें कि ध्यानाकर्षण का नोटिस, "16 जून 1980 को नई दिल्ली के मुख्य अस्पतालों में रेजिडेन्ट डाक्टरों की कथित सांकेतिक हड़ताल की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए था।" और मैंने 18 जून 1980 को रेजिडेन्ट डाक्टरों की सांकेतिक हड़ताल के बारे में वक्तव्य दिया। सदन के माननीय सदस्यों द्वारा किए गए प्रश्नों और उनको दिए गए

उत्तरों के दौरान रेजिडेंट डाक्टरों की मांगों के सम्बन्ध में अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए श्री रामविलास पासवान (संसद सदस्य) ने पूछा था कि क्या मुझे 5 जून 1980 को दिल्ली के जूनियर डाक्टर्स की फेडरेशन की ओर से कोई ज्ञापन मिला था। चूंकि, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और मेरा वक्तव्य तथा पिछले सभी सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सम्बन्ध मुख्य रूप से 16 जून 1980 को रेजिडेंट डाक्टरों की सांकेतिक हड़ताल के बारे में था, मैंने ऐसा माना कि माननीय सदस्य महादय का प्रश्न सांकेतिक हड़ताल से सम्बन्धित रेजिडेंट डाक्टरों के कुछ ज्ञापनों के सम्बन्ध में था और बड़े ही सीधे ढंग से इस तरह के ज्ञापन की प्राप्ति के बारे में नकारात्मक उत्तर दिया।

चूंकि मामला सदस्यों द्वारा उठाया गया था, मैंने पूरी तरह से खोजबीन कराई और यह पाया कि जूनियर डाक्टरों की फेडरेशन द्वारा दिया गया एक ज्ञापन मेरे कार्यालय में प्राप्त हुआ था। ऐसी स्थिति में एक पूरक प्रश्न के बारे में दिलाए गलत उत्तर के लिए, जो कि असावधानी से दिया गया था. मैं अफसोस जाहिर करता हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अब एक स्पष्टीकरण दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। स्पष्टीकरण के लिए मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा उपस्थित नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : वह अस्पताल में हैं।

(एक) बिहार में करमचट बांध परियोजना को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : केन्द्र सरकार और बिहार सरकार ने रोहतास जिले के दक्षिण भाग को विशेषत: चेनारी, शिवसागर, भगवानपुर, चैनपुर, भुभुवा, चांद दुर्गावती मोहिनिया, कुदरा, रामगढ़ एवं सासाराम आदि प्रखंडों के कृषि क्षेत्र की पूर्ण सिंचाई हेतु 45.50 करोड़ की लागत से बनने वाले करमचट बाँध परियोजना को स्वीकृत किया। करीब 3 लाख एकड़ की सिंचाई होने के लिये यह परियोजना सक्षम सिद्ध होने वाली थी।

करमचट बाँध परियोजना का शिलान्यास भू० पू० प्रतिरक्षा मंत्री श्री जगजीवनराम ने जून, 1976 में वर्तमान एवं तत्कालीन मुख्य मंत्री डा० जगन्नाथ मिश्र जी की उपस्थिति में किया था तत्पश्चात् करीब 12 करोड़ रुपये का निर्माण कार्य सम्पन्न हो चुका है। कई नहरों की खुदाई भी साथ-साथ चल रही थी। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये बढ़े पैमाने पर कालोनियां बन

चुकी हैं। अभी-भी कर्मचारियों पर लाखों रुपये मासिक वेतन-भत्ता उन्हें बेकार बैठा कर अपव्यय किया जा रहा है।

भू० पू० सिंचाई मंत्री बिहार के कुछ सम्बन्धी के हटने की बात थी। जिनके पुनर्वास के लिये सरकार की ओर से व्यवस्था की जा चुकी है। इस परियोजना में मात्र 3-4 छोटे-छोटे गांव डूबने वाले है। यहां लाभ के दृष्टिकोण से बहुत ही कम क्षति होने की गुंजाइश है। यह दुर्गावती नदी जो कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है जिसे बांध कर किसानों को गारन्टी के साथ सिंचाई की व्यवस्था करना था।

इस संदर्भ में भारतीय किसान संघ रोहतास जिला के तत्वाधान में संसद के समक्ष 1 जुलाई से धरना देने आये हैं। अतः सिंचाई मंत्री सदन में वक्तव्य देकर बतायें कि इस महत्व-पूर्ण सिंचाई एवं पनबिजली परियोजना को कब से पुनः कार्यान्वयन हेतु प्रारम्भ कर रहे हैं। क्योंकि आम जनता की यह मांग है कि इस परियोजना का निर्माण जनहित में अनिवार्य है।

(दो) उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 14 आदिवासी महिलाओं के साथ कथित बलात्कार

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : नियम 377 के अधीन मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले को उठाती हूं।

यह समाचार मिला है कि डाकुओं ने उत्तर प्रदेश में गोंडा गांव के पास 14 युवा आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार किया था इन डाकुओं ने 28 जून, 1980 को आधी रात गांव में डाका डाला था। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में बांदा गांव के निकट नौ हरिजन महिलाओं के साथ भी बलात्कार किया गया।

भारत कूप में पत्थर तोड़ने वाली मिल में कार्यरत आदिवासी महिलाओं ने अपने नियोजकों को इस दुखद कहानी की सूचना दी थी जिन्होंने उनकी शिकायत को पुलिस में दर्ज करने का आश्वासन दिया था परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया।

हालांकि स्थानीय दैनिक : **दैनिक कारयुग प्रकाश** ने सामूहिक बलात्कार का ब्यौरा प्रकाशित किया है परन्तु अपराधियों को पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

गृह मंत्री महोदय को आदिवासी तथा हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार पर एक वक्तव्य देना चाहिए।

(तीन) गृह मंत्रालय की एक महिला कर्मचारी द्वारा आत्महत्या करने के मामले में जांच की आवश्यकता

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती मनमोहिनी सहगल नाम की एक 26 वर्षीय महिला ने गृह मंत्रालय के लोकनायक भवन की नवीं मंजिल से कूद कर आत्म-हत्या कर ली। यह एक अत्यन्त गंभीर घटना है। इस के रहस्य को जानने के लिए इस घटना

की जांच कराना अति आवश्यक है क्योंकि उक्त महिला की मृत्यु अत्यन्त रहस्यात्मक परिस्थिति में हुई है।

(चार) त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में ले जाये जाने वाली सहायता सामग्री के लिए विमान भाड़े में छूट की आवश्यकता

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : श्रीमान, नियम 377 के अधीन मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित बहुत महत्वपूर्ण मामले का उल्लेख करना चाहूंगा :

त्रिपुरा राज्य सरकार ने, जो हाल के हुए साम्प्रदायिक दंगे के 1.98 लाख शरणार्थियों से अधिक के लिए 145 राहत शिविर लगाने के कठिन काम का सामना कर रही है, राहत कोष में नकद या वस्तुओं का उदारतापूर्ण दान करने के लिए केन्द्र, राज्य सरकारों, विभिन्न संस्थाओं तथा व्यक्तियों से मदद मांगी है।

अनेक राज्य सरकारों तथा प्रमुख संस्थाओं ने पीड़ितों के लिए सहायता दी है। परन्तु विभिन्न राज्य सरकारों तथा संगठनों द्वारा दान दिया गया सामान त्रिपुरा में परिवहन की अड़चनों के कारण नहीं पहुंच सका। इसलिए मै संबंधित मंत्री महोदय से उस राहत सामग्री जो त्रिपुरा भेजी जा रही है के लिए विमान भाड़ा की छूट देने तथा उन्हें अगरत्तला हवाई अड्डे पर समय से भेजने का प्रबंध करने का अनुरोध करता हूं। मेरा आप से व्यक्तिगत निवेदन है कि इस मामले को सरकार के साथ उठाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने वक्तव्य दे दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री परूलेकर।

(पांच) मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले के एक महिला के साथ कथित दुर्व्यवहार

श्री बापू साहिब परूलेकर**

उपाध्यक्ष महोदय : आप भाषण दे रहे हैं। आपने नियम 377 के अधीन कुछ लिखित में दिया है। कृपया उसे पढ़िए। उसे छोड़ कर बाकी जो आप बोलेंगे वह कार्यवाही सारांश में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नगिरि) : मै व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहूंगा क्योंकि एक बात है जो अध्यक्ष महोदय हमें बार-बार कह रहे हैं और हमेशा के लिए हम इस मामले पर निर्णय करना चाहते हैं मैं आपका ध्यान नियम 377 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें कहा गया है :

"जो सदस्य सभा की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे जो औचित्य प्रश्न न हो तो वह महासचिव को लिखित रूप में सूचना देगा जिसमें संक्षेप में उस विषय को बतायेगा,

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जिसे वह सभा में उठाना चाहता हो तथा साथ में कारण भी बतायेगा कि वह उसे क्यों उठाना चाहता है और उसे ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति हो जाने के बाद ही दी जाएगी।"

इसलिए लिखित रूप में वही बात दी जानी है। जो सभा में उठाई जानी है। नियम 377 सदस्य के अधिकार पर प्रतिबन्ध नहीं लगाता है और जो वक्तव्य दिये जाने वाला है उस पर प्रतिबंध नहीं लगाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री बापू साहिब पक्लेकर : नियम बड़े स्पष्ट हैं और उनकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि किस सदस्य को नियम 377 के अधीन मामले को उठाने की अनुमति मिल चुकी है उसे अपने आप को उस वक्तव्य तक ही सीमित करना चाहिए जिसकी प्रतिलिपि पहले भेजी जा चुकी है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह यहाँ दिया गया है कि उसे ऐसा प्रश्न उठाने की अनुमति अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिये जाने के बाद ही दी जाएगी। अध्यक्ष ने केवल इस वक्तव्य को पढ़ने की मम्मति दी है। आप अन्य मुझे नहीं उठा सकते हैं। वह अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृति नहीं हैं। इसलिए नियम 377 तो सही है और आपका व्यवस्था का प्रश्न ठीक नहीं है। इसलिए आप कृपया उसे पढ़िए जो आपने दिया है।

श्री बापू साहिब परूलेकर : दुर्ग जिले में एक थाने में एक मामूली अपराध के सिलसिले में बुलाई गई एक गर्भवती महिला मजदूर को पुलिस द्वारा हवालात में नंगा किया गया। पुलिस ने महिला को बहुत बुरी तरह से पीटा। महिला को अस्पताल में बड़ी नाजुक हालत में भरती किया गया था और जिस डाक्टर ने उसे देखा उसे गर्भपात होने की आशंका हुई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री महोदय ने घोषणा की कि क्रूर कार्य था इससे भी अधिक खतरनाक तथ्य यह है कि महिला ने यह शिकायत की है कि पुलिस ने उसे उसके पुत्र के साथ सोने को बाध्य करने की धमकी दी है उसके पुत्र को भी थाने बुलाया गया था। न तो इस शिकायत की पड़ताल की गई और नहीं प्राधिकारियों ने इस तथ्य से इंकार किया है।

अपराधियों के विरुद्ध सही ढंग से आरोप-पत्र नहीं बनाये गए हैं। उन पर केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के अन्तर्गत अपराध का अभियोग ही लगाया था अर्थात् गलत ढंग से हिरासत में लेना जिसके लिए प्राधिकारियों को दोष मुक्त ठहराया जाएगा क्योंकि कानून के अंतर्गत पुलिस को 24 घण्टे तक हिरासत में लेने का अधिकार है। कार्यवाही गम्भीर चोट और बलात्कार अपमान और अनुचित आक्रमण के अपराध के लिए की जानी चाहिए थी। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से मामले पर ध्यान देने और मामले में सही कार्यवाही करने के लिए अनुरोध करता हूं।

(छः) केन्द्र द्वारा अनाज की सप्लाई न किये जाने पर पश्चिम बंगाल में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के स्थगित करने का समाचार

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मुद्दे को उठाना चाहता हूं :

पं० बंगाल सरकार से प्राप्त तत्काल संदेश के अनुसार काम के लिए अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा खाद्यान्नों के पूर्ति न करने के कारण कार्य बिल्कुल स्थगित हो गया। केन्द्र द्वारा राज्य को आवंटित 20 हजार टन अनाज भारतीय खाद्य निगम द्वारा नहीं उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह भी बताया है कि उसे तीन ग्रामीण कार्य परियोजनाओं का निष्पादन करने के लिए 1979-80 के दौरान केन्द्र से 149,597 टन खाद्यान्न मिले थे। राज्य सरकार पहले ही 1979-80 में केन्द्र से प्राप्त खाद्यान्न के 92 प्रतिशत से अधिक अनाज के विस्तृत उपयोग का हिसाब प्रस्तुत कर चुकी है। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जो राज्य के कुछ भागों में कानूनी राशन की प्रणाली बनाये हुए हैं। जब तक कि राज्य को खाद्यान्न युद्ध स्तर पर उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तब तक अव्यवस्था ही अव्यस्था रहेगी।

यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का है जिसके बारे में संबंधित मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिया जाना चाहिए।

अनुदानों की माँगें (सामान्य) 1980-81 वाणिज्य मंत्रालय

श्री जार्ज जोसफ मुडाकल (मुमुक्त पुजा) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, आजादी से पहले, महाराजा ट्रावनकोर अपने राज्य के लिए स्वतंत्रता घोषित करना चाहते थे। हम उनके विरुद्ध लड़े और हमने उन्हें भारतीय संघ में शामिल होने के लिए बाध्य किया। अब लोग बहुत निराश हैं। दिल्ली केरल के साथ एक कालोनी जैसा वर्ताव कर रही है। केरल के विरुद्ध एक आर्थिक नाकेबन्दी है। जो भी माल हम उत्पादित कर रहे हैं उस पर आप भारी कर लगा रहे हैं और भारी शुल्क लगा रहे हैं। जिस चीज की भी हमें आवश्यकता है वह केरल में बड़ी मंहगी है। सीमेंट, चीनी, कपड़ा, उर्वरक तथा हर वस्तु केरल में बड़ी दुर्लभ और मंहगी है।

हमारे लोग मध्य-पूर्व में कार्य कर रहे हैं और बहुत विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं और उस रकम से हम उत्तर में बड़े-बड़े कारखानों का निर्माण कर रहे हैं। हम इसकी परवाह नहीं करते हैं। परन्तु हमें इस बात की चिन्ता है कि विदेशी मुद्रा का रबड़, कोको आदि के आयात करने में उपयोग किया जाता है। यह केरल के निर्धन कृषकों के लिए बड़ी दुखद बात है।

श्रीमान, मैं रबड़ कृषक हूं। यदि रबड़ का छः महीने से अधिक के लिये भंडार किया जाता है। तो यह खराब हो जाएगा। अब, राज्य व्यापार निगम ने 10 करोड़ रु० से अधिक के मूल्य

का रबड़ का आयात किया है और यह राज्य व्यापार निगम के गोदामों में बेकार पड़ा है, और अब यह बिगड़ती हालत में है। दुर्भाग्यवश, सरकार फिर कृषकों के हितों के विरुद्ध रबड़ का आयात करने का प्रयास कर रही है। काडबरी तथा डनलप जैसी अन्तर्राष्ट्रीय तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का गरीब कृषकों की अपेक्षा दिल्ली में अधिक प्रभाव है। वे चाल बाजी भी कर सकते हैं। पहले वे कहेंगे कि उन्हें उनके उपभोग के लिए 2 लाख टन रबड़ की आवश्यकता है परन्तु बाद में वे कहेंगे कि कलकत्ता में इस समय कटौती है, बम्बई, में तालाबन्दी है तथा मद्रास में 'धीरे काम करो' अभियान है और यह सारा भंडार गोदाम में बेकार पड़ा रहेगा। इस तरह से वे कृषकों के हितों को समाप्त करना चाहते हैं।

कोको की दशा देखिए। राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने हमें गत 4 या 5 वर्षों से अधिक कोको लगाने के लिए कहा परन्तु अब वास्तव में अब कोको खरीदने वाला कोई नहीं है। मैं अकेले इस सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं। उस समय भी जब श्री मोरारजी देसाई प्रधान मंत्री थे उन्होंने आयात शुल्क 75 प्रतिशत से घटाकर 45 प्रतिशत कर कर दिया था। उसके बाद श्री चरणसिंह आये। वह कृषकों के मित्र समझे जाते हैं। परन्तु उन्होंने सारे आयात शुल्क में छूट दे दी और नि.शुल्क आयात की अनुमति दे दी जिससे कृषकों के हितों को भारी नुकसान पहुंचा। राज्य सरकार भी दोषी है। वे खरीद सकती है और कोको तथा अदरक का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर सकती है। परन्तु वह वैसा नहीं कर रही है। वे काजू और नारियल-जटा उद्योगों के कल्याण के लिए भारी रकम व्यय कर रहे हैं। इस उपज की प्राप्ति के बाद यदि वे इसको बेच नहीं सकते हैं तो वे इसको अरब सागर में फेंक सकते हैं।

श्रीमान, हमारे देश की एकता के लिए मैं श्री प्रणव बाबू से केरल के गरीब कृषकों के प्रति कुछ उदारता तथा दया दिखाने का अनुरोध कर रहा हूं। हमारी खेती लम्बी अवधि की खेती है। रबड़, कोको, नारियल को लाभप्रद उत्पादन के लिए 8 से 10 वर्ष तक लग जाते हैं। हम तुरन्त बदलकर दूसरी खेती नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जोखिम उठाकर हम इन सब वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। सरकार बड़ी जल्दी-जल्दी अपनी नीतियां बदल रही है। जो गरीब कृषकों को आघात पहुंचा रही है। जनता सरकार ने केले लगाने के लिए कृषकों को प्रोत्साहन दिया। परन्तु तुरन्त केलों सब्जियों तथा फलों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया। गरीब लोगों को इससे हानि हुई। किसी तरह से आप को भी गरीब कृषकों के हितों की रक्षा करनी है। कृपया दक्षिण में दूसरा असम न बनाइए। प्रणव बाबू आप से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप केरल के गरीब कृषकों के प्रति कुछ दया दिखायें तथा अदरक, कोको तथा इन सब वस्तुओं का न्यूनतम मूल्य देने की व्यवस्था करें।

हमारे रूस के साथ अच्छे सम्बन्ध हैं वे लगभग डेढ़ लाख कोको बीन का उपभोग रहे हैं। हम सरकारी क्षेत्र या सहकारी क्षेत्र में उनकी तकनीकी जानकारी तथा सहयोग से कारखाना अथवा कोको परिष्करण एकक का निर्माण कर सकते है। इस बीच हम इस कोको का निर्यात रूस को भी करने का प्रयास कर सकते हैं। काडबरी अथवा डनलप जैसी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के प्रभाव में न आइये। उनका प्रभाव दिल्ली में अधिक है। कृपया रबड़, जायफल, लौंग के आयात पर

तुरन्त प्रतिबन्ध लगाइये और अदरक हल्दी और कोको का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कीजिए तथा अधिकतम निर्यात करने का प्रयास भी कीजिए ।

हल्दी का मूल्य 2 रु० किलो है परन्तु इस पर शुल्क 2 रु० है । यह इसे कैसे वहन कर सकती है ।

एक बार फिर मैं माननीय मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में मदद करने का कृषकों के प्रति कुछ दया दिखाने का अनुरोध करता हूं । मैं अपने कटौती प्रस्ताव को भी वापस ले रहा हूं ।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिलचर) : मैं वाणिज्य मन्त्रालय की मागों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हू । चूंकि मैं पूर्वोत्तर भारत का हूं; मैं प्रमुख रूप से चाय पर, जो हमारा प्रमुख उत्पाद है तथा कुछ अन्य मदों पर बोलना चाहूंगा ।

हमारे देश से परंपरागत निर्यातों में चाय का प्रमुख स्थान है तथा हमारे देश के लिये इसके निर्यात से बहुत अधिक विदेशी मुद्रा कमाई गई है । किन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि जनता शासन के पहले ही वर्ष के दौरान चाय पर उत्पाद शुल्क लगाये जाने के कारण चाय उद्योग को बड़ा ही धक्का लगा । निर्यात में भी कमी आ गई । 1978-79 में हमने केवल 1773-30 लाख किलो ग्राम चाय का ही निर्यात किया जिस पर हमें 335.9 करोड़ रुपये की ही आय हुई जबकि हमने उससे पहले वर्ष में 2215-20 लाख किलोग्राम चाय का निर्यात कर 563-71 करोड़ रुपये कमाये थे । तत्तकालीन वाणिज्य मंत्री श्री मोहन धारिया गलत विचारधारा के कारण चाय उद्योग के भाग के साथ खेल रहे थे । भारत, जो कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एकाधिकार है । किन्तु जनता सरकार की गलत नीतियों के कारण भारत ने यह स्थिति खो दी है और अब चीन और केन्या भी बजार में आ गये हैं । तत्तकालीन वाणिज्य मन्त्री यह समझ नहीं सके कि एक बार अन्तर्राष्ट्रीय बजार हाथ से निकल जाये तो वहाँ पुन: जाना बड़ा कठिन कार्य होता है । परमपरा से ही भारत की चाय का विदेशों में, विशेष कर रूस और इंगलैंड में स्वागत किया जाता था किन्तु गलत नीति के कारण हमें इस सम्बन्ध में नुकसान उठाना पड़ा ।

अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त करने के लिये मैं अनुरोध करता हूं कि भारत का अन्तर्राष्ट्रीय निकायों में सशक्त रूप से भाग लेना चाहिए । भारत को चाय के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के सम्बन्ध में उचित भूमिका निभानी चाहिये । अब 'साझा फ्रंट' बन गया है, इसे अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिये । मेरा विचार है कि वाणिज्य मन्त्री इस बात का ध्यान रखेंगे ।

साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें अपने आन्तरिक बाजार की अवहेलना नहीं करनी चाहिये । हमें पता चलता है कि देश में चाय की खपत में 6 प्रतिशत की चक्रवृद्धि हुई है । जबकि हमारे उत्पादन में 3 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है । वाणिज्य मंत्रालय को इस कमी को पूरा करने के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी । इसके पास चाय बोर्ड है, आई० टी० सी०,आई० तथा अन्य सम्बद्ध संगठन हैं । देश में चाय का उत्पादन बढाया जाये ताकि निर्याति में भी वृद्धि

की जा सके । देश में चाय की खपत में दिन पर दिन वृद्धि होती जा रही है । ऐसा समय आ सकता है कि हमारा अतिरिक्त चाय निर्यात आन्तरिक खपत में ही चूक जाये । अतः चाय के उत्पादन में भी वृद्धि की जानी चाहिये ।

वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन में यह देखा है कि आन्तरिक बाजार में चाय का मूल्य कलकत्ता में 16.11 रुपये प्रति किलोग्राम है, कोचीन में इसका मूल्य 12.04 रुपये प्रति किलोग्राम है जबकि नीलामी मंडी में, जहां चाय बेची जाती है, इसका औसत मूल्य लगभग 10 रुपये है । उपभोक्ता की कीमत पर विचौलिये लाभ कमा रहे हैं । अतः मैं माननीय मन्त्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह उचित दर की दूकानें खोलने की संभावना का पता लगायें । राज्य व्यापार निगम अथवा चाय बोर्ड किसी ऐसी पद्धति का विकास कर सकते हैं जिससे उपभोक्ता को देश में कम मूल्य पर चाय उपलब्ध हो सकती है ।

जैसा कि मैंने कहा है, मैं पूर्वोत्तर भारत का हूं मैं दार्जिलिंग में चाय उद्योग की दयनीय स्थिति की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं । दार्जिलिंग चाय पर काफी विदेशी मुद्रा कमाई जाती है । विशेषकर रूस के लोग दार्जिलिंग चाय के अच्छे खरीद-दार हैं । दार्जिलिंग चाय का लगभग 80 प्रतिशत उत्पादन रूस में भेजा जाता है । अभी हाल में चाय मजदूर संघ और भारतीय चाय संघ तथा भारतीय चाय परिषद के बीच वेतन सम्बन्धी एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं । मेरे विचार से मजदूरों को प्रतिदिन 90 पैसे मजदूरी की वृद्धि देना उचित है । किन्तु इससे दार्जिलिंग चाय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि चाय के बाग 50 वर्ष पुराने हैं और अप्रैल के महीने में हुई ओला वृष्टि से चाय उत्पादन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है ।

यदि आप रिकार्ड देखें तो आपको पता चलेगा कि चाय उद्योग पर उत्पाद शुल्क से सरकारी खजाने में 65 करोड़ रुपये की आय होती है । इसकी तुलना में दार्जिलिंग चाय से केवल 1.5 करोड़ रुपये की ही सरकार को आय होती है । मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि उत्पाद शुल्क के उद्देश्य से दार्जिलिंग क्षेत्र को क्षेत्र एक में सम्मिलित कर लें । मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह कुछ प्रोत्साहन दें ताकि दार्जिलिंग चाय उद्योग चलता रहे ।

अतीत में भारत सरकार ने टंडन समिति का गठन किया था जिसने सरकार को विभिन्न सिफारशें की । हमारी विपणन नीति ऐसी होनी चाहिये कि हम उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दे सकें और इसके निर्यात से अधिक से अधिक आय कमा सकें । मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह टंडन सीमति को विभिन्न सिफारशों का कार्यान्वयन करने की सम्भावनों का पता लगायें । अतीत में हमने चाय के निर्यात और वितरण सम्बन्धी नीति को प्राथमिक रूप में देखा है । इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिये । वेहतर बनाई गई चाय के निर्यात पर बल दिया जाना चाहिये । मुझे विश्वास है कि हमारे योग्य माननीय वाणिज्य मन्त्री इस ओर ध्यान देगें और आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

चाय उत्पादन और उपभोक्ता प्राथमिकताओं के बारे में अनुसन्धान की बहुत आवश्यकता है । हमने चाय उत्पादन का जो लक्ष्य स्वीकृत किया है उसे प्राप्त करने के लिये अनुसन्धान की

बहुत आवश्यकता है ताकि देश में खपत सम्बन्धी आवश्यकता पूरी हो सके और निर्यात के लिये चाय बच रहे इसी प्रकार, हमारे निर्यात में स्थिरता लाने के लिये उपभोक्ता प्राथमिकताओं पर अनुसंधान का भी कम महत्व नहीं है।

जैसा कि मैंने कहा है जनता सरकार की पिछली नीति का भारतीय चाय के अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार पर भी प्रभाव पड़ा है। भारत का विश्व बाजार में लगभग 45 प्रतिशत अंशदान रहा है। आज दुर्भाग्यवश हमारा अंशदान केवल 24 प्रतिशत रह गया है। 45 प्रतिशत से 28 प्रतिशत की जो गिरावट आई है, उसका कारण जनता सरकार की नीति है। मुझे विश्वास है कि सरकार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से निर्यात को फिर उतना ही बढ़ाएगी और इसको बनाए रखेगी। महोदय, मेरे कछार जिले में और बंगाल के कतिपय भागों में कुछ आर्थिक रूप से संकटग्रस्थ चाय उद्योग हैं। ये उद्योग या तो बन्द हैं या इस तरह से चलाए जा रहे हैं कि मजदूरों को बागानों में उनकी दैनिक मजदूरी नहीं मिल रही है और वे बहुत दुखी हैं। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वह इसकी जांच करें। इन उद्योगों को सरकार के क्षेत्राधिकार में लाया जाना चाहिए ताकि इस समस्या का समाधान हो सके।

पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से आसाम से भी मांग की जा रही है कि गोहाटी में क्षेत्रीय चाय बोर्ड का एक कार्यालय खोला जाए क्योंकि चाय के कुल उत्पादन में आसाम का 60 प्रतिशत योगदान है। मुझे विश्वास है कि माननीय वाणिज्य मन्त्री, जिन्होंने हमें पहले ही आश्वासन दिया है कि वह इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और जब आसाम में वर्तमान स्थिति में परिवर्तन होगा तो वह इस पर विचार करेंगे। मैं इस बात पर जोर नहीं देता कि वह यह तत्काल करें किन्तु मेरा निवेदन यह है कि जब आसाम में स्थिति सामान्य हो जाए तो वह कृपया इस मामले को लें।

मैं वाणिज्य मन्त्री से दूसरे पहलू अर्थात् गोहाटी में अखबारी कागज का एक गोदाम खोले जाने के लिए भी अनुरोध करता हूं। यह भी वाणिज्य मन्त्री के अधीन है और इस पर विचार किया जाए। अन्यथा आसाम के छोटे अखबारों के लिए अखबारी कागज को जा कर लाना कठिन हो जाएगा।

हम आसाम में विदेशी नागरिकों के बारे में एक आन्दोलन और अशान्तिपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे हैं। 1947 से 1971 तक कानूनी प्रक्रिया के द्वारा पूर्व बंगाल से कई शरणार्थी पश्चिम-बंगाल, आसाम और त्रिपुरा आए। भारत सरकार की नीति के अनुसार हमने शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक को क्षतिपूर्ति के दावे भी प्रस्तुत किए। किन्तु दुर्भाग्यवश अधिकांश दावे शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक के यहां लम्बित पड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि मूख्य कारण यह है कि पूर्वी पाकिस्तानियों ने, जब वे भारत के नागरिक थे, जिस मात्रा में आसाम तथा पश्चिम बंगाल में सम्पत्ति छोड़ी वह उतनी नहीं थी जो पूर्वी पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने वहां छोड़ी थी। किन्तु उन लोगों को जो खाली हाथ भारत आए क्षति-पूर्ति दी जानी चाहिए और मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय इस पर विचार करेंगे।

मैं मन्त्री महोदय का ध्यान एक उत्पाद अर्थात् आसाम और त्रिपुरा के रूई उत्पाद की ओर दिलाना चाहता हूं। इसका आसाम में मुख्यत: कछार और त्रिपुरा में उत्पादन हो रहा है। पहले उनका वस्त्र आयुक्त बम्बई के एक तदर्थ आदेश से नियन्त्रण होता था। हाल ही में भारत सरकार ने एक सूचना जारी की जो वस्त्र आयुक्त, बम्बई की दिनांक 14 मई, 1980 की प्रेस अधिसूचना थी। इसके अनुसार उन्हें बम्बई से आदेश लेने हैं। इस प्रक्रिया में बड़ा समय लग जाता है क्योंकि त्रिपुरा और कोमेला की रूई के लित हाइड्रोलिक प्रेसें कलकत्ता में हैं। अत: मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह इस पर विचार करें और उत्पादकों तथा निर्यातकों की शिकायतों को दूर करें। इस विशेष रूई का जापान में अच्छा बाजार है और सप्लाई करने वालों के रूप में हमारे प्रतियोगी बंगला देश के हैं। जब तक इस पर विचार नहीं किया जाता इस बाजार पर बंगला देश वाले अपना आधिपत्य कर लेंगे। अत: मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह इस पर विचार करें।

इन शब्दों के साथ मैं वाणिज्य मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री एन. ई. होरो (खूटी) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो कामर्स मन्त्रालय की रिपोर्ट दी है उस को मैने देखा। कामर्स मिनिस्ट्री के अन्दर उन्होंने पांच बोर्डस बनाए हैं--टी बोर्ड, काफी बोर्ड, रबर बोर्ड, कार्डगम बोर्ड वगैरह। इसके माध्यम से इन चीजों का प्रोडक्शन, डवलपमेंट और एक्सपोर्ट होता है। मुझे हैरानी इसलिए है कि इस रिपोर्ट में शेलक या सीडलैक जो कि एक्सपोर्ट कमोडिटी है और इधर गत वर्ष इन्होंने 21 करोड़ का इसका निर्यात किया है। इस शेलाक को गवर्नमेंट ने बिल्कुल नेग्लेक्ट किया है। इसी सदन में कुछ साल पहले मैंने क्वैश्चनरेज किया था कि शेलाक इण्डस्ट्री जो है, इसमें सीड-लैक पैदा करने वाले विशेषकर आदिवासी और गरीब किसान हैं जो कि जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। दस लाख से ज्यादा लोग इसको पैदा करते हैं। गवर्नमेंट ने चाहा था कि जो लोग सीड-लैक प्रोड्यूस करते हैं उनकी राहत के लिए कुछ काम किया जाए। पहली बात तो यह है कि सीड-लैक का जो दाम प्रोड्यूसर को मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। उनके लिए मिनिमम रेम्युनरेटिव प्राइस गवर्नमेंट ने जो फिक्स की है वह केवल 3 रुपए के० जी० है जबकि आज वह 15 रुपए के० जी० से कम नहीं होनी चाहिए।

मेरी दूसरी डिमाण्ड यह है कि जैसे सरकार ने टोवैको, कार्डिमम, टी, काफी और रबर बोर्ड बनाए हैं उसी प्रकार से शेलाक बोर्ड का गठन किया जाए। उसके माध्यम से ही शेलाक का बढ़िया प्रोडक्शन हो सकता है और उससे लाखों लोगों को, विशेषकर ट्राइबल्स को फायदा पहुंचेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बिहार में माइक्स प्रोड्यूस होती है, यानी अभरख पैदा होती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने माइका ट्रेडिंग कार्पोरेशन (मिटको) बनाया हुआ है। इस कार्पोरेशन की गतिविधि पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि जिनको यह काम दिया गया है वे खुद इसको करते नहीं हैं, इसलिए आज इसमें बहुत नुकसान हो रहा है। जो प्राइवेट व्यापारी

हैं, जो माइका प्रोड्यूस करते हैं वे आंख से देखकर, वह किस कैटेगरी और किस क्लास का है, यह बता सकते हैं लेकिन ये लोग बाहर के हैं जिनका माइका से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके प्रोडक्सन से कोई ताल्लुक नहीं है इसलिए ऐसे अफसरों को हटाया जाए तथा उनके एकाउन्ट्स और फंक्शनिंग की जांच की जाए। उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जिस मतलब से कार्पोरेशन बनाया गया था वह मकसद पूरा नहीं हो रहा है। इसमें बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है इसलिए सरकार को तुरन्त ही कोई डिपार्टमेण्टल या अन्य किसी किस्म की उच्चस्तरीय जांच की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि इसमें करोड़ों का नुकसान हो रहा है और जिस लाभ की आशा थी वह आशा पूरी नहीं हो रही है। साइंटिफिक ढंग से माइका के एक्सप्लाएटेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। बिहार में अच्छी क्वालिटी का माइका प्रोड्यूस किया जाता है जिसको विदेशों में भेजकर फौरन एक्सचेंज अर्न करते हैं लेकिन उसमें हमको नुकसान हो रहा है। जो मिटको के अफसर हैं वे नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे केवल अपनी नौकरी और आमदनी से ताल्लुक रखते हैं।

मैंने दो बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया है—एक तो शैलाक बोर्ड बनाया जाए और दूसरे, मिटको की सार्वजनिक इन्क्वायरी कराई जाए।

श्री के०टी०कोसलराम (निरूचेंडूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की माँगों का समर्थन करता हूं और साथ ही इन मीगों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे वाणिज्य मंत्री, श्री प्रणब मुखर्जी ने गतिशील होने का नाम कमाया है और उन्होंने वित्त-नौवहन और परिवहन तथा उद्योग मंत्रालयों के अपने पूर्व प्रभारों पर अपनी छाप छोड़ी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वाणिज्य मंत्री के रूप में प्रतिकूल व्यापार संतुलन, अनुकूल व्यापार संतुलन में परिवर्तित होगा।

2,230 करोड़ रुपये का प्रतिकूल व्यापार संतुलन जनता सरकार की आयात करने की सबको स्वतंत्रता देने की नीति के कारण हुआ है। खुला सामान्य आयात लाइसेंस 'बहुतायत सामान्य आयात लाइसेंस से परिवर्तित हो गया।

मेरे मित्र, प्रणव बसु को इसका पुनरीक्षण करना चाहिए तथा इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि हम केवल अनिवार्य आवश्यकताओं का आयात करते है। जबकि जनता सरकार ने आयातों को उदार बना दिया था, उत्तराधिकारी लोकदल सरकार ने बहुत सी वस्तुओं का निर्यात को रोक दिया था। बिनौले की खली का उदाहरण दूंगा। लोकदल का महासचिव गुजरात का है और उन्होंने चरणसिंह सरकार को बिनौले की खली के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने को राजी किया और वह भी भूतलक्षी प्रभाव से। परिणामत: 15 लाख रु० के मूल्य की उस खली का निर्यात करने पर रोक लगा दी थी जो विरूधूनगर, कोवील पट्टी तथा तमिलनाडु के एकदम दक्षिणी भाग में मेरे निर्वाचन क्षेत्र से मोरमुगोवा लाई गई थी। वे इस माल को सितम्बर, 1979 में लाये थे जबकि यह प्रतिबंध 4-12-79 को लगाया गया था। आज भी माल मोरमुगोवा बन्दरगाह पर पड़ा है और बन्दरगाह अधिकारियों ने पार्टियों को माल तुरन्त ले जाने के लिये कहा है। परन्तु माल डिब्बे नहीं है और मौसम की हालत बहुत बुरी है, तथा मानसून शुरू हो चुका है

और मुझे डर है कि 15 लाख रु० की सारी खली वह जायेगी। इसलिये मैं अपने मित्र, श्री मुखर्जी से इस पर ध्यान देने और कुछ करने के लिये अनुरोध करता हूं। निहितस्वार्थों तथा भूतपूर्व जनता सरकार में गुजराती लाबी ने यह सब तबाही मचा दी थी। मुझे आशा है कि वे इस बारे में कुछ करेंगे।

भूतपूर्व जनता सरकार द्वारा लिया गया एक अन्य गलत निर्णय चन्दन की लकड़ी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना था। इसके परिणाम स्वरूप तमिलनाडु में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। कई लाख की नहीं बल्कि कई करोड़ रुपये के मूल्य की चन्दन की लकड़ी का तमिलनाडु में ढेर लग गया है। इसका कितने समय तक भंडारण किया जा सकता है ? कोई सुरक्षित भंडारण स्थान नहीं है। मैं चन्दन की लकड़ी के निर्यात से प्रतिबंध तुरन्त उठाने की मांग करता हूं। तमिलनाडु सरकार बहुत बार केन्द्र को लिख चुकी है। इसलिये कुछ किया जाना चाहिए।

अन्य विशेष बात मैं आप के ध्यान में लाना चाहता हूं। 1977 में जनता सरकार ने केन्द्रीय नमक आयुक्त द्वारा दिये गए उत्पादन के गलत आंकड़ों के आधार पर नमक के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। मैंने तत्कालीन जनता सरकार तथा मोरारजी देसाई के साथ इस मामले पर बातचीत की और नमक के उत्पादन के सही आंकड़े प्रस्तुत किये। मेरे द्वारा चलाये गये एक लम्बे अभियान के बाद, 1978 में सरकार ने प्रतिबंध उठा लिया था। उस समय तक, बंगला देश, मलेशिया सिंगापुर, ईराक, जापान तथा मध्य पूर्वी देशों जैसे हमारे परम्परा वादी क्रेता हमसे नाता तोड़ कर कहीं दूसरी जगह से नमक खरीदने के लिये जा चुके थे। हमारे भूतपूर्व वाणिज्य सचिव, श्री कृष्णस्वामी राव साहेब ने हमारे नमक के लिए विदेशी बाजारो का पता लगाने का भरसक प्रयास किया तथापि उनके प्रयास सफल नहीं हुये। हम 5 लाख टन नमक वार्षिक निर्यात कर रहे थे। इसलिये श्रीमान् मैं निवेदन करूंगा कि नमक के निर्यात को पुनः शुरू करने के कड़े प्रयास किये जाने चाहिए।

मेरे मित्र, श्री मुखर्जी इस बात से पूर्ण अवगत है कि हम झींगा -मछली का निर्यात कर रहे हैं और हर वर्ष भारी विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। हाल में, ताईवान के मछली पकड़ने वाले जलपोत हमारे समुद्र में मछली पकड़ते हुये पाये गये हैं और उनमें से एक को टुटुकोरीन के निकट पकड़ लिया गया था जिसमें 7000 रु० के मूल्य को झींगा मछली थी। जलपोत के कप्तान ने यह बताया कि ताईवान के पास लगभग 3500 जलपोत है और यह भारतीय महासागर में पहुंचने के लिए लगभग 15 दिन लेता हूं। वहाँ वे लगातार दो से तीन महीने तक रहते हैं।

मुख्य जलपोत को हमारे क्षेत्रीय समुद्र से दूर रखा जाता है और रोजना की पकड़ी हुई झींगा मछली को इसमें हस्तांतरित कर दिया जाता है। हाल में, श्री लंका नौसेना ने हमारे क्षेत्रीय समुद्र से हमारी मछली पकड़ने वाली 64 नौकाओं को पकड़ लिया था यदि इन बातों को तुरन्त नहीं रोका जायेगा तो तिरूचेन्दुर तट से कन्या कुमारी तक तथा कोलो चल तक में 1,00,000 मछियारों की जीविका का साधन समाप्त हो जायेगा।

मैंने इस का उल्लेख इस बात को प्रकाश में लाने के लिये किया है कि हमारे समुद्र में मछली पकड़ने के इस विदेशी अनाधिकार से मछली का हमारा निर्यात कितना प्रभावित हुआ है।

हमारे वाणिज्य मंत्री महोदय को इस मामले पर रक्षा मंत्रालय में अपने सहयोगियों के साथ कार्यवाही करनी चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नौसेना उनकी सुरक्षा प्रदान करे। अन्यथा हर वर्ष आप 20 करोड़ रु० से अधिक की विदेशी मुद्रा का नुकसान करते रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रशीद मसूद। आप 10 मिनट लेंगे। और उसके बाद मंत्री महोदय अंसारी उत्तर देंगें। जहां तक श्री निरेन घोष का सबंध है वे केवल पाँच मिनट लेंगे। श्री रशीद मसूद।

श्री रसीद मसूद (सहारनपुर) : डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का ताल्लुक है, हम देखते हैं कि 1979-80 में हमारा एक्सपोर्ट 5999 करोड़ रुपये का और इम्पोर्ट 8271 करोड़ रुपये का हुआ है, जिसका साफ मतलब है कि हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट-के-मुकाबले कम कर रहे हैं। 1980-81 की हालात भी बहुत बेहतर नजर नहीं आ रही है। गवर्नमेन्ट ने इस सिलसिले में बहुत से इंसेन्टिव्ज दिये हैं, लेकिन कोई प्रोग्राम या प्लान ऐसा नही है जिससे यह यकीन हो सके कि इस साल में हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बैलेंस्ड हो सकेगा।

अभी परसों ही हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने इण्डस्ट्रीज के लोगों के सामने एक स्पीच दी थी, जिस में उन्होंने कहा था कि आप लोग खुदा के लिए हमने जो कन्सेशन्ज दिए हैं, उनका ख्याल रखिए, उनसे फायदा उठाए ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके। मैं समझता हूं कि इस तरह की दरख्वास्तों से एक्सपोर्ट बढ़ने वाला नहीं है, जब तक आप उन सब चीजों की तरफ नहीं देखेंगे जिन से हम वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं। हमारी पार्टी ने कई दफा सुझाव दिया है और हमारे मेनिफेस्टो में भी दिया है कि जब तक आप मुल्क की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक आप इस मुश्किल से नहीं निकल सकते हैं।

आप शुगर को लीजिए-हमारे यहां शुगर की प्राबलम आई हुई है, हम शुगर को इम्पोर्ट करने जा रहे हैं, सात ही पिछले कमिटमेन्ट्स की वजह से हमें एक्सपोर्ट भी करनी पड़ रही है। लेकिन जो शुगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसके सिलसिले में मिनिस्टर साहब ने राज्य सभा में एक काल-एटेन्शन के सिलसिले में बताया था कि हम इस मर्तबा 2 लाख टन शुगर इम्पोर्ट करेंगे जो हम को पोर्ट में आकर 560 रुपये पर-क्विंटल पड़ेगी। मेरा कहना यह है कि जिस वक्त यह कांट्रैक्ट किया गया था, उस वक्त वर्ल्ड मार्केट मैं शुगर की इतनी ज्यादा प्राइस नहीं थी कि वह 560 रुपए फी क्विंटल पड़े। इसकी वजह यह है कि हम को मुखतलिफ एजेन्सी को काफी कमीशन देनी पड़ती है। हम बहुत ज्यादा एजेन्सीज को कान्टैक्स करके उनकी मारफत खरीदते हैं जिस की वजह से चीनी हम को बहुत मंहगी पड़ती है। मेरी दरख्वास्त यह है कि हमें जहां तक हो सके इन एजेन्सीज को कम करना चाहिए ताकि जो कमीशन हमें उनको देनी पड़ती है, उस से बच सकें।

दूसरी तरफ हमने शुगर एक्सपोर्ट सबसिडी के तौर पर 15 करोड़ रुपए का प्रावीजन किया है। 15 करोड़ रुपए की सबसिडी की क्या जरूरत थी? यह उस वक्त दी जाती थी, जब वर्ल्ड मार्केट में कम प्राइस थी, लेकिन आज तो यह हमको 560 रुपए क्विंटल पड़ रही है। मतलब यह है कि अब वर्ल्ड मार्केट में ऐसी कमी नहीं है। जो लेवी हम लगाते हैं, वह 230 रु० क्विंटल के हिसाब से लगाते हैं, इस तरह से 330 रु० फी-क्विंटल हमारे पास फाजिल बचते हैं। ऐसी सूरत में एस० टी० सी० या जिस के थ्रू हम एक्सपोर्ट करना चाहें, कम्पीट कर सकते हैं।

मेरा ख्याल यह है कि 15 करोड़ रु० की जो यह सब्सीडी आप ने बजट में रखी है, यह बिल्कुल गलत है, यह नहीं होनी चाहिए थी। मैं तो यह कहूंगा कि आप अनड्यूली फैवर मिल.ओनर्स को कर रहे हैं जब कि शुरू से हम यह कहते आ रहे हैं कि छोटी इन्डस्ट्रीज को फैवर करना चाहिए, एग्रीकल्चर वालों को फैवर करना चाहिए। आप बहुत कन्सेसन्स पहले ही इन इन्डस्ट्री वालों को दे चुके हैं और फिर 15 करोड़ रुपए और सब्सीडी के तौर पर दे रहे हैं, यह मैं समझ नहीं पाया। यही नहीं बल्कि आप के यहां यह भी होता है कि पहले एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट आफ फूड परचेज किया करता था मुख्तलिफ चीजें और गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करती थी और खास तौर पर शुगर एक्सपोर्ट करती थी लेकिन 1974 से यह स्कीम खत्म कर दी गई है और एस० टी० सी० शुगर परचेज कर के बाहर भेजती है। इस के अलावा आई०एस०आई०ई० सी० शुगर खरीदता है जो मिल-ओनर्स का एक आर्गेनाईजेशन है यानी मिल-ओनर्स को डाइरेक्ट सब्सीडी के तौर पर 15 करोड़ रुपए देते हैं और आई० एस० आई० ई० सी भी कमीशन लेगा और वह भी इन्हीं इंडस्ट्री वालों को चला जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि आप लोग रोज-ब-रोज ज्यादा से ज्यादा एजेन्सिया क्यों बढ़ाते जा रहे हैं, जिनसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कमीशन देना पड़े। आप डाइरेक्ट एस० टी० सी० से परचेज कराइए और डाइरेक्ट बाहर भेजिए। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप इस एजेन्सी सिस्टम को खत्म करें।

मैंने जनवरी में प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखा था, जिस में मैंने दरख्वास्त की थी कि डिपार्टमेंट आफ फूड के लोगों को क्यों बाहर भेजा जाता है इन्टरनेशनल शुगर कौंसिल की मीटिंग एटेंड करने के लिए लन्दन में जब कि इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती है क्योंकि आप की जो कामर्स मिनिस्ट्री है, वह इन कामों से डील करती है और चीजों की खरीद-फरोख्त करती है। आपका डिपार्टमेंट आफ फूड 1974 से पहले इस से डील करता था। तो कोई वजह नहीं रह जाती कि आप उसके नुमायन्दों को बाहर भेजें। मुहतरमा प्राइम मिनिस्टर ने मुझे जवाब दिया कि हम इसको देखेंगे और जो पैसा जाया होता है, वह जाया न जाए लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि जब तक आप अनप्लान्ड एक्सपेंडीचर को कम नहीं करेंगे और यह जो गैप है, इस गैप को खत्म नहीं करेंगे, तब तक आप की एकोनामी दिन-ब-दिन खराब होती चली जाएगी। मुझे मालूम है कि एक कान्फ्रेन्स में नहीं बल्कि दो कान्फ्रेन्सेज में फूड डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ लोगों को जाने दिया गया। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस तरह का जो पैसा खर्च होता है, उस पर काबू पाना चाहिए। या तो एस० टी० सी० डाइरैक्ट परचेज करे या फिर

डिपार्टमेंट आफ फूड, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर के अन्डर में है, वह जिस तरह से पहले खरीदता था, वह खरीदे या फिर आप अपनी मिनिस्ट्री में कोई डिपार्टमेंट कायम करें ताकि डाइरेक्ट परचेज हो सके और डाइरेक्ट आप माल बेच सकें। यह करना बहुत ही जरूरी है।

अब मैं टैक्सटाइल्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप ने अपने यहां कुछ सब्सीडी पर और मुझे अफसोस और ताज्जुब इस बात का है कि ये लोग जो महात्मा गांधी के मुल्क में रहते हैं, महात्मा गांधी के नाम पर कसम खाते हैं, महात्मा गांधी के ख्यालात पर अमल करने की बात करते हैं।

हैन्डलूम में काम करने वाले लोगों को न फायदा पहुंचा कर, उन लोगों को फायदा पहुंचाते हैं जो महात्मा गांधी के ख्यालात के विरुद्ध हैं, उन के ख्यालात के खिलाफ हैं और वे हैं बड़े बड़े मिल वाले। उनको सब्सीडी के तौर पर 48 करोड़ रुपये की सब्सीडी मिलों के कपड़ों पर दी गई है और जो कपड़ा हैन्डलूम पर तैयार होगा और जो हैन्डलूम वालों से खरीदा जाएगा, उस पर 22 करोड़ रुपये की सब्सीडी दी जाएगी। यह आप कह सकते हैं कि मिल वालों से ज्यादा कपड़ा खरीदा जाएगा, इसलिए उन को ज्यादा सब्सीडी दी जाएगी, लेकिन और हैन्डलूम वालों से कम कपड़ा खरीदा जाएगा, इसलिए उनको कम सब्सीडी दी जाएगी, ताज्जुब की बात तो यह है कि मिल वालों से जो कपड़ा खरीदा जाएगा, उस पर, पर स्क्वायर मीटर 1 रुपया 30 पैसे सब्सीडी दी जाएगी और जो कपड़ा हैंडलूम वालों से खरीदा जाएगा, उस पर 50 पैसे से लेकर 70 पैसे और 1 रुपये तक पर स्क्वायर मीटर सब्सीडी दी जाएगी। यानी मिल-आनर्स को 1 रुपए 30 पैसे पर स्क्वायर मीटर सब्सीडी मिलेगी, जो कपड़ा आप उनके लेंगे। और जो कपड़ा हैण्डलूम वाले बनायेंगे उनको आप 50 पैसे से 1 रुपये तक की सब्सीडी देंगे। क्या आप महात्मा गांधी के ख्वाब को चकनाचूर नहीं कर रहे हैं? मैं तो कहूंगा कि मिल-आनर्स को सब्सीडी नहीं दी जानी चाहिए। गरीब लोगों को, हैण्डलूम वालों को ही सब्सीडी दी जानी चाहिए। अगर आप बड़े लोगों को, मिल वालों को भी सब्सीडी देंगे तो छोटे-छोटे हैन्डलूम वाले, छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज वाले बड़ी इंडस्ट्रीज वालों से कैसे कम्पीट कर पायेंगे। इसके लिए आपने कोई पालिसी या प्लान नहीं बनाया है।

(श्री शिवराज पाटिल पीठासीन हुए)

पिछले तीस सालों में गरीब गरीब से गरीब होता चला गया, सैंकड़ों हैण्डलूम इण्डस्ट्रीज बंद हो गयीं और आपकी मिलें बढ़ती चली गयीं। क्योंकि आप बड़ी मिल वालों को सपोर्ट करते हैं जबकि हम लोग इसकी मुखालिफत करते हैं। आपकी पालिसी छोटी इंडस्ट्री वालों को खत्म करने की, क्रश करने की है। आप इस पालिसी को बदलिए और छोटे छोटे उद्योगधंधों को लगवाइए। उनसे माल परचेज करके एक्सपोर्ट कीजिए ताकि आपके पैसे का डिस्ट्रिब्यूशन हो। वजाय इसके कि आप 1 रुपए 30 पैसे की सब्सीडी बड़ी मिल वालों को दें और 50 पैसे की सब्सीडी हैण्डलूम वालों को दें, आपको छोटे-छोटे उद्योगधन्धों को ज्यादा सब्सीडी देकर बढ़ावा देना चाहिए। आप ऐसी पालिसी बनाइए जिससे उनको फायदा हो।

आप उन्हें यह भी बताइए कि वे कौन-सी चीजें बनाएं जिनसे कि कम्पीट कर सकें। आपको भी ऐसी प्रोड्युस को छांटना चाहिए जिनसे कि आप बड़ी मार्केट्स में कम्पीट कर सकें। हम बार-बार यह कहते आए हैं कि आप ऐसी प्रोड्युस का एक्सपोर्ट कीजिए जिनसे कि आप वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट कर सकें अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको लौंग टर्म पालिसी बनानी चाहिए।

इसी तरह से शुगर के बारे में है। कभी आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं, कभी इसको इम्पोर्ट करते हैं। कभी आप दोनो करते हैं। आप अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए इसको एक्सपोर्ट करते हैं और अपने मुल्क में इसकी कमी को दूर करने के लिए इम्पोर्ट करते हैं। आप इसके लिए भी एक लांग टर्म पालिसी बनाइए। मै समझता हूं कि आप इस मुल्क के किसानों की अगर पूरी तरह से मदद करें तो आपको शुगर का इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ऐसी पालिसी बनाएं जिससे कि इस मुल्क के किसानों की मदद हो सके तो इस मुल्क के किसान न तो लोगों को भूखा मरने देंगे और न इस मुल्क के अन्दर शुगर की इम्पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। वे आपके कमिटमेंट भी पूरे कर देंगे। इसलिए मैं आप से दरख्वास्त करता हूं कि आप अपनी पालिसी में चेंज कीजिए और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर को बढ़ावा दीजिए तभी आप इस मुल्क से ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इन अलफाज के साथ मै बैठता हूं।

सभापति महोदय : अब सम्मानीय मन्त्री जी कुछ कहेंगे।

वाणिज्य और नागरिके पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मिस्टर चेयरमेन, कामर्स मिनिस्ट्री की डिमाण्ड्स पर बहुत तफसीली बहस में मैं नहीं पड़ना चाहता। हमारे दोस्त श्री प्रणवकुमार मुखर्जी जिस वक्त फाइनल रिप्लाई इन डिमाण्ड्स पर देंगे उसी वक्त वे तफसीलात में जाएंगे। मैं तो सिर्फ कामर्स मिनिस्ट्री की उन डिमाण्ड्स के मुतल्लिक जो हेण्डलूम और हेण्डीक्राफ्ट्स के मुतल्लिक हैं, उनके बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं और बहुत थोड़े वक्त में उन डवलपमेंट स्कीमों का तफसरा करना चाहता हूं जो कि हेण्डलूम और हेण्डीक्राफ्ट्स के लिए चल रही हैं। मैं उन स्कीमों के बारे में भी बताना चाहता हूं जिनको कि मौजूदा हुकूमत हेण्डलूम और हेण्डीक्राफ्ट्स सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए आगे बढ़ाना चाहती है।

चेयरमेन साहब, पांच घण्टे के करीब कामर्स मिनिस्ट्री की डिमाण्ड्स पर बहस हो गई लेकिन बहुत कम लोगों ने हेण्डलूम और हेण्डीक्राफ्ट्स सेक्टर के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। यह सही है कि कामर्स मिनिस्ट्री के बड़े समुद्र को देखते हुए हेण्डलूम और हेण्डीक्राफ्ट्स सेक्टर एक बहुत छोटा-सा समुद्र है। लेकिन यह मुल्क की आबादी के बहुत बड़े हिस्से को रोजगार फरहाम करता है। एग्रीकल्चर के बाद यह मुल्क का सबसे बड़ा उद्योग है।

मुझे दुःख है कि इसके ऊपर जितनी दिलचस्पी आनलेबल मैम्बर्स को लेनी चाहिए थी, नहीं ली,। इलैक्शन के दौरान जब मासिस को एट्रैक्ट करने के लिए फील्ड में जाते हैं तो सारी दिलचस्पी उनकी इन इन्डस्ट्रीज के ऊपर होती है जो मास बेस्ट हैं, जिनमें अव्वाम लगे हुए हैं

और जिनसे अव्वाम को रोजगार फराहम होता है। लेकिन यहां इस हाउस में उस सैक्टर की तरफ ऐसी चश्मपोशी और ऐसी अनदेखी कर देना, मेरी समझ में नहीं आता है।

वार मजां चूं जलवा बर महराब व मम्बर की कुनन्द,

चों बेखिलवत मी रवद आन कारे दीगरी की कुनन्द।

बाज लोग जब बाहर तकरीर फरमाने जाते हैं तो उस में बड़े लम्बे-लम्बे दावे, अव्वाम को रोजगार फराहम करने के, गरीबों की तरफ तवज्जह देने के, किए जाते हैं और हेण्डलूम इन्डस्ट्री जो कि रूरल बेस्ड इन्डस्ट्री है इसके ऊपर सारी तवज्जह दी जाती है लेकिन जब तनहाई में पार्लियामेंट के गोशे में बैठ कर बहस करते हैं तो उस वक्त न गरीब अव्वाम उनको याद आते हैं जो इन छोटे-छोटे पेशों में लगकर रोजी कमा रहे हैं और न खातिर ख्वाह जो दिलचस्पी इसके बारे में दिखाई जानी चाहिए, वह ही दिखाई जाती है।

बहरहाल इसमें मैं बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं। मैं हैंडलूम के सिलसिले में पहले कुछ अर्ज करना चाहता हूं और उसके बाद हैंडीक्राफ्ट्स के सिलसिले में अर्ज करना चाहूंगा। हैंडलूम की इन्डस्ट्री हमारी प्राचीन काल से चली आ रही है, बहुत सदियों पुरानी यह इन्डस्ट्री है और डीसेंट्रलाइज्ड सेक्टर में है, इसमें कोई आर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है, यह डिसआर्गेनाइज्ड है। इसमें जो लेबर लगी हुई है वह भी बेजुबान है। उसकी लेबर यूनियन नहीं हैं। इसलिए अर्से तक एक्स्प्लायटेशन की यह शिकार रही है। मैं नहीं कहता हूं कि आज नहीं है, आज भी एक्स-प्लायटेशन की यह शिकार है। लेकिन हिन्दुस्तान की आजादी के अव्वलीन दिनों के बाद जब से हमारी नेशनल गवर्नमेंट्स आई, उस दिन से हमारी पूरी तवज्जह हैंडलूम सेक्टर, विल्लेज इन्डस्ट्रीज की तरफ गई। उस सिलसिले में मर्कजी हकूमत ने भी और सूबाई हकूमतों ने भी इस बात की कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज इन इंडस्ट्रीज को फराहम की जाएं। मैंने अर्ज किया है कि यह एक अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर है। इसलिए एक कोशिश उस सिलसिले में यह रही है कि ज्यादा से ज्यादा कोओप्रेटिव सैक्टर में हैंडलूम इन्डस्ट्री को ला कर उसमें इसको आर्गेनाइज कर दिया जाए। एक आर्गेनाइजेशन इस तरह से बिल्ड अप हो जाए जिसके जरिए से वे अपनी इन्डस्ट्री को ठीक तौर पर चला सकें। सारी कोशिशों के बावजूद हम अभी तक बहुत ज्यादा वीवर्ज को कोओप्रेटिव सोसाइटीज में आर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब हमारा इरादा यह है कि साठ फीसदी हैंडलूम इन्डस्ट्री को हम कोओप्रेटिव सैक्टर में लाएं। साठ फीसदी कोओप्रेटिव सैक्टर में लाने के बाद भी बहुत से ऐसे वीवर्ज रह जाएंगे जो कोओप्रेटिव सैक्टर में कवर नहीं हो सकेंगे···।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : कितने सालों में लाएंगे ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : छठे फाइव यीअर प्लान में हम साठ फीसदी को को-ओप्रे-टिव सैक्टर में लाना चाहते हैं।

मैं अर्ज कर रहा था कि इसके बावजूद भी काफी सैक्टर वह रह जाएगा, काफी हिस्सा वह रह जाएगा जो कोओप्रेटिव्ज सैक्टर के बाहर होगा। कोओप्रेटिव को आर्गेनाइज करने के सिलसिले में जो रियायतें हमने दी हैं, मैं उनमें जाकर वक्त जाया नहीं करना चाहता हूं। जो रियायतें दी गई हैं वे आपको मालूम ही हैं और वे अर्से से चली आ रही हैं।

जो नई को-आपरेटिव्ज के सिलसिले में हमारे प्लान हैं, स्कीम हैं, उनका मैं तस्किरा आपको करना चाहता हूं। जैसा आनरेबल मेम्बर्स जानते हैं कि को-आपरेटिव सैक्टर में जो गवर्नमेंट आफ इण्डिया स्टेट गवर्नमैंट्स को मैचिंग ग्रांट देती है, को-आपरेटिव सोसाइटीज के मेम्बर बनने के लिए एक तो वह पहले से चली आ रही है और दूसरे एक एसिस्टेंट गवर्नमेंट आफ इण्डिया देती है शेयर कैपिटल को एपैक्स को-आपरेटिव सोसाइटीज और रीजनल एपैक्स को आपरेटिव सोसाइटीज को स्ट्रैन्थन करने के लिए। यह भी पहले से चली आ रही है।

इसमें 2, 3 नई स्कीमें हम 80-81 में और बढ़ाने जा रहे हैं। एक तो यह है कि अधिकतम 2500 रुपये पर-लूम के हिसाब से, जिसमें एक-तिहाई सब्सीडी होगी और दो-तिहाई लोन होगा, हमने लूम्स के माड्रनाइजेशन के लिए एक स्कीम चलाई है। यह ईजी इन्सटालमेंट्स में दिया जाएगा।

दूसरी जो नई स्कीम हम को-आपरेटिव सैक्टर में ला रहे हैं, वह हैंडलूम को डवलप करने के लिए है। को-आपरेटिव सोसाइटीज में एक्सपर्ट मैनेजमेंट की बहुत सख्त जरूरत है और कभी-कभी यह महसूस किया जाता है कि को-आपरेटिव सोसाइटीज अच्छी होते हुए भी जितना अच्छी तरह से उनको फंक्शन करना चाहिए, नहीं कर पातीं हैं। इसलिए हमने 80-81 में मैनेजीरियल सब्सीडी स्कीम प्राइमरी को-आपरेटिव सोसाइटीज को मैनेजमेंट इम्प्रूव करने के लिए देने के लिए निकाली है।

इसके अलावा वीवर को-आपरेटिव सोसाइटीज केवल नाम की थी और बिल्कुल अन-आर्गेनाइज्ड थी। वीवर अपनी झोंपड़ी, जहां रहता था, वहीं एक कोने में करघा लगा देता था। वहीं उसका चूल्हा होता था और वहीं वह सो भी जाता था। यह सब आर्गेनाइज्ड नहीं था। अब इससे बहुत बड़ा फायदा यह होगा कि हम इंडस्ट्रियल टाइप की सोसाइटीज को आर्गेनाइज करके उन वीवर्स को, जिनके मकान छोटे-छोटे हैं, परिवार बढ़ता जाता है, वर्किंग शेयर कैपिटल देकर, उन्हें सहूलियत देंगे ताकि वह अपने लूम लगा सकें। इसके लिए 1980-81 में हम प्रावीजन कर रहे हैं।

को-आपरेटिव सैक्टर के बाहर जो वीवर्स हैं, वीवर्स का तबका बहुत बड़ा है और जैसा हमने कहा कि अपनी सारी कोशिशों के बावजूद भी जितना अच्छा आर्गेनाइज इनको किया जाना चाहिए था, हम नहीं कर सके, इसलिए उनके लिए 25 इन्टैंसिव हैंडलूम डवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आलरेडी काम कर रहे हैं और एक-एक हैडलूम प्रोजेक्ट में 10-10 हजार लूम्स कवर होते हैं। 21 प्रोजेक्ट इस मुल्क में एक्सपोर्ट प्रोडक्शन प्रोजेक्ट हैं जो 1,000 लूम्स को कवर करते हैं और 40 लाख पर-प्रोजेक्ट इसका आउट-ले है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्या वे कोआपरेटिव्ज के अधीन हैं।

श्री जेड० आर० अन्सारी : जी नहीं, वे कोआपरेटिव्ज से अलग है। वे कोआपरेटिव्ज में नहीं आते हैं।

इन प्राजेक्ट्स के अलावा हमारा इरादा है कि 1980-81 में हम कुछ और प्राजेक्ट्स टेक अप करें, ताकि जो बिखरा हुआ वीवर्ज का तबका है, जो किसी वजह से को-आपरेटिव सैक्टर में आर्गनाइज नहीं हो पाता है हम उसको भी कवर कर सकें।

जहां तक क्रेडिट फैसिलिटीज का ताल्लुक है, हैंडलूम कोआपरेटिव्ज के लिए जो क्रेडिट सैंक्सन हुआ है, उसमें काफी बढ़ावा हुआ है। 1976-77 में 36.43 करोड़ रुपये सैंक्सन हुए थे और 1979-80 के लिए 60 करोड़ रुपये की क्रेडिट लिमिट सैंक्शन हुई है। जो वीवर्ज कोआपरेटिव सैक्टर के बाहर है, उनकी क्रेडिट की प्रावलम्ज को स्टडी करने के लिए एक स्टडी ग्रुप बनाया गया था। उसकी रीकमेंडेशन्ज अंडर एग्जामिनेशन हैं और जल्दी हम उन पर कोई फैसला लेने जा रहे हैं।

जहां तक हैंडलूम सैक्टर की प्राडक्शन का सवाल है, उसका एक्चुअल प्राडक्सन 2,900 मिलियन मीटर है। लेकिन हमारा टारगेट है कि सिक्स्थ फाइव-यीअर प्लान के आखिर तक 4,100 मिलियन मीटर कपड़ा हैंडलूम में बनने लगे। हैंडलूम का टोटल आउटले 1976-77 में 10 करोड़ रुपये था। 1980-81 में उसको बढ़ा कर 20,25 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

प्रो० एन० जी० रंगा : धागे की पूर्ति के बारे में क्या है ?

श्री जेड० आर० अन्सारी : मैं अभी इस विषय पर आ रहा हूं। क्योंकि यह अत्यधिक संवेदन शील क्षेत्र है ; मैं इस विषय को बाद में लूंगा।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर (खंडवा) : मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि वह हैंडलूम सैक्टर को काफी मदद दे रहे हैं। लेकिन भिवंडी, मालेगांव, एचलकरंजी, बुरहमपुर, जबलपुर महेश्वर आदि जगहों में, जहां बिजली आ गई है, लोगों ने पावरलूम लगा लिए हैं। सरकार जो सुविधाएं हैंडलूम को दे रही है, क्या वह वे सुविधायें पावरलूम को भी देगी ? वे भी वीकर सैक्शन्ज हैं और हिन्दुस्तान में हजारों की तादाद में है। उन्होंने टैक्स मार्क के लिए सप्लाई किया है, मगर वे उन्हें नहीं मिल रहे हैं और उन पर लैवी लग रही है। क्या मंत्री महोदय उन्हें टैक्स मार्क और अन्य सारी सुविधाएं देंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा : पावरलूम पहले ही लगा दिया गया है और भारी लाभ कमा रहा है।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : मैं इस वक्त हैंडलूम के मुत्ताल्लिक बहस कर रहा हूं। पावरलूम, हैंडलूम और आर्गनाइज्ड मिलें, इन तीनों सैक्टर्ज को मिलाकर पूरा टैक्साइल सैक्टर बनता है। इस टैक्स्टाइल सैक्टर के बारे में भी मुकर्जी रेप्लाई देते हुए कहेंगे।

मैं सिर्फ जो हैंडलूम के मुताल्लिका चीजें हैं उसके मुताल्लिका आप से अर्ज करना चाहता हूं। मार्केटिंग में भी दो तीन चीजें हमने की है हैंडलूम के कपड़े को प्रोटेक्शन देने के लिए और इसलिए कि वह ओपेन मार्केट में दूसरे सैक्टर से कम्पीट कर सकें। इसके लिए एक रिबैट की स्कीम है जिसके जरिए से हम यह कर रहे हैं ।

एक्सपोर्ट में बड़ी हद तक बढ़ावा मिला है और मुख्तलिफ फेयर्स और मुख्तलिफ एक्सपोर्टस जो हमने आर्गनाइज किए हैं उससे हमारे एक्सपोर्ट काफी बढ़े हैं, खास तौर से हैंडलूम के गार्मेन्ट्स का एक्सपोर्ट काफी बढ़ा है ।

अब मैं और चीजों को छोड़कर क्यों कि मैं देख रहा हूं कि वक्त निकल रहा है, उस सैंसिटिव एरिया के मुताल्लिक कुछ अर्ज करना चाहता हूं जिसके मुताल्लिक लोग ज्यादा सुनना चाहते हैं और वह है भी बहुत अहम्, इसलिए कि किसी भी दस्तकारी में और खास तौर से हैंडलूम में जो वीकर सैक्टर है, उसमें रा-मैटीरियल की फराहमी जो है उससे ज्यादा अहम् कोई चीज नहीं है। रा-मैटीरियल मिले और मनासिब दामों पर मिले, उसमें उसको कोई दिक्कत न आए ताकि वर्कमैन पूरी दिलचस्पी के साथ उसमें कार्य कर सकें। यह निहायत जरूरी है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यार्न की सप्लाई और उसकी प्राइसेज के सिलसिले में इधर कुछ अरसे से दिक्कतें आईं और यार्न की प्राइसेज बढ़ी। एप्रिल सन् 80 तक बराबर प्राइसेज बढ़ती रहीं। उसके बाद में कुछ थोड़ी सी स्टेबिलाइज हुई हैं हालांकि बहुत उसके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता । यह मैं नहीं कहता कि कोई बहुत बड़ा फर्क आया है लेकिन लोअर काउन्ट्स में कुछ थोड़ा बहुत डानवर्ड ट्रेन्ड है और अभी हायर काउन्ट में प्राइसेज ने ठीक तरह इस से बिहेव करना शुरू नहीं किया है। यार्न की सप्लाई का इलाज में निहायत अदब के साथ ऐवान के सामने अर्ज करना चाहता हूं, इसका मुस्तकिल इलाज सिर्फ यार्न के प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ा देना है ··(व्यवधान।)··· यार्न की सप्लाई को ठीक करने के लिए उसके प्रोडक्शन लेवेल को बढ़ाना बहुत जरूरी है। जब तक उसका प्रोडक्शन लेवेल न बढ़ाया जाय तब तक सप्लाई की पोजीशन दुरुस्त नहीं हो सकती। उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने की तरफ हमारी तवज्जह है और दो तीन स्टेप्स उसके लिए हमने लिए हैं। उसमें कुछ तो स्पिन्डल्स हम बढ़ाना चाहते हैं और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका माडर्नाइजेशन करके उसकी वर्किंग को हम और एफेक्टिव और ज्यादा एफिश्येंट बनाना चाहते हैं ··(व्यवधान)···काहे को बकवास कर रहे हैं ? बड़ी आदत हो गई है बकवास करने की ।

तीसरी बात जिस की तरफ हमारे दोस्तों ने तवज्जह दिलायी और वह सही बात है, नेशनल टेक्सटाइल्स कारपोरेशन जो हमारा एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, दरहकीकत इसको एक रोल अदा करना है यार्न की सप्लाई हैण्डलूम सेक्टर को, जोकि वीकर सेक्शन है, की जाए—इसके लिए इंस्ट्रक्शंस भी नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन को दिए गए हैं कि वे इस बात को देखें कि क्या तरीके अख्तियार किए जायें जिससे कि हैंडलूम सेक्टर को मुनासिब दामों पर यार्न मिलने लगे।

जहां तक यार्न के कन्ट्रोल का ताल्लुक है, इस सिलसिले में हमको आपको और इस सदन के ज्यादातर मेम्बरान को बड़ा तल्ख तजुर्बा है। 1973 में हमने इसका तजुर्बा किया था कि यार्न को कन्ट्रोल करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। नतीजा यह हुआ कि जहां मोटे सूत की जरूरत थी वहां बारीक पहुंच गया और जहां पर बारीक सूत की जरूरत थी वहां पर मोटा पहुंच गया। साथ ही प्रापर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था। असल में यार्न का मसला ऐसा है कि एरिया टु एरिया इसकी डिमाण्ड डिफर करती है, काउन्ट टु काउन्ट डिफर करती है। एक मील का आदमी एक काउन्ट का सूत चाहता है लेकिन दूसरे मील के आदमी को वह काउन्ट दे दिया जाए तो वह उनको पसन्द नहीं करेगा। 1973 में जिस वक्त कन्ट्रोल लागू किया गया था उसके थोड़े ही अर्से के बाद शिकायतें आने लगी थीं कि जो यार्न सप्लाई किया जा रहा है वह मुनासिब नहीं है, वह क्वालिटी यार्न नहीं है। उसके बाद ब्लैक—मार्केटिंग और क्या क्या होने लगा। हमारी प्रपोजल यह है कि नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कार्पोरेशन, जिसका एलान फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने किया है, इसको होलसेल ट्रेड की नार्मल फंक्शनिंग में कन्ट्रोल के जरिए से एन्टर कर जाए। फर्जी कन्ट्रोल से तो कोई फायदा नहीं होगा लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर का कोई ऐसा आर्गेनाईजेशन होलसेल ट्रेड में एन्टर कर जाए तो वीवर्स के सामने एक आल्टर्नेटिव हो जाए और मैं समझता हूं उससे फर्क पड़ेगा। हम समझते हैं हैंडलूम डेवलपमेंट कार्पोरेशन इस तरफ अमल करेगा। इसके अलावा हमने अपेक्स कोआपरेटिव सोसायटीज को, स्टेट लेविल कार्पोरेशन्स को कहा है कि वे देखें किस तरह से प्राइसेज को ठीक तौर पर लाया जा सकता है और किस तरीके से लाया जा सकता है। हम यह भी चाहते हैं कि जो प्राइवेट ट्रेड है उसमें वालंटरी तौर पर, इस तरह का कोई सिस्टम इवाल्व किया जाए ताकि कम से कम एक पीरियड आफ टाइम के लिए, चाहे वह छोटा ही हो, प्राइसेज में स्टैबिलिटी लाई जाए। मेरा ख्याल है इन बातों से प्राइसेज पर कुछ अच्छा असर पड़ेगा और प्रोडक्शन के सिलसिले में, जैसा मैंने अर्ज किया, प्रोडक्शन तो जरूरी है ही। हम कुछ और मिल लगाने जा रहे हैं और उसके लिए प्रोविजन भी किया है। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग मिले हैं उनके लिए कोशिश कर रहे हैं कि स्पिंडलिंग बढ़ जाए और जो मोटा सूत बना रहे हैं उनको और काउन्ट्स का सूत बनाने की पर्मीशन दे दी जाए। इस तरह से जो इसकी कमी है उसको जल्दी से जल्दी कैसे पूरा किया जाए—उसकी तरफ हमारी तवज्जह है। साथ ही लांग टर्म मेजर्स भी लेने का हमारा इरादा है।

अभी आखिर में जो हमारे दोस्त बोले हैं, मैं उनकी बात समझ नहीं पाया कि सब्सिडी से उनका क्या मकसद है। यदि सब्सिडी का तसकिरा एक्सपोर्ट के सिलसिले में किया है, तो एक्सपोर्ट की सब्सिडी कोई अलग-अलग नहीं है, एक ही है। अगर उन्होंने जो जनता-क्लोथ की स्कीम सन् 1976 से चली है, उसको हैंडलूम सेक्टर में और कन्ट्रोल क्लोथ में मिल-सेक्टर में जो एसिसटेंस दिया गया है, उसकी तरफ इशारा किया है, तो वे फिगर्स जो उन्होने दी हैं, वे मेरे ख्याल में सही नहीं हैं। सन् 1976 में हैंडलूम सेक्टर में जनता क्लोथ को बनाने की स्कीम कांग्रेस सरकार की थी, लेकिन उसका पैट्न आफ एसिसटेंस जनता पार्टी के जमाने में कायम हुआ और उसको देखकर थोड़ी मायूसी जरूर होती है, इस बात को मैं छिपाना नहीं चाहता हूं कि उनके पैट्रन आफ एसिसटेंस और हमारे पैट्रन आफ एसिसटेंस में काफी भेद है।

अब मैं हैंडलूम से हटकर एक-दो बातें हैंडीक्राफ्ट्स के संबंध में कहना चाहता हूं और वह यह है कि हैंडीक्राफ्ट्स, जैसे कारपेट और जैम-एंड-ज्वैलरी, में काफी अच्छा परफार्मेंस रहा है। कारपेट के सिलसिले में जो स्कीम हैंड निटेड विवर्स को ट्रेन्ड करने की थी और जिसके बारे में अनफार्चुनेटली प्रीवियस गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया था कि इसको स्टेट गवर्नमेंटस को ट्रांसफर कर दिया जाय और चूंकि इस स्कीम के तहत काफी लोगों को फायदा पहुंच रहा था, उसको इस हुकूमत ने रिटेन कर लिया है। हमारी सरकार का इस स्कीम के तहत कारपेट विवर्स को बड़े पैमाने पर ट्रेंड करने का इरादा है। कारपेट के अलावा और दूसरे हैंडीक्राफ्ट्स जो रूरल बेस्ड हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनको काफी तादाद में आगे बढ़ाने का हमारा इरादा है।

मैं एक-दो और बातें अर्ज करना चाहता हूं। हमने एक नैशनल इन्स्टीचूट जयपुर में हैंड प्रिंटेड फैबरिक्स का कायम किया है, ताकि इस हैंडीक्राफ्ट् में जो टैक्नो-लाजी है वह डवलप हो सके, और लोगों को उसमें ठीक तरह से ट्रेंड किया जा सके। उसी तरह से दूसरा नेशनल लैवल पर एक इन्स्टीचूट्स जैम-एंड-जवैलरी के लिए कायम करने का इरादा किया है। यह मुख्तसरन हमारी अर्जदाश्त है और मैं समझता हूं कि जो हमारी हैंडीक्राफ्ट् सैक्टर में कास्कदंगी है, उसको देखकर यह आनरेबल हाउस एप्रीशिएट करेगा और इसकी तारीफ करेगा।

श्री निरेन घोष (दम-दम) : मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उनका जवाब देंगे।

पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं यह है कि खतरनाक नारा 'निर्यात करो नहीं तो नष्ट हो जाओगे बेतुका है। मुझे यह खतरनाक नारा प्रतीत होता है क्योंकि आपकी निर्यात अर्थ-सहायता दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ती जा रही है परन्तु आपका निर्यात घटता जा रहा है। अर्थ-सहायता के लिए निर्यात का औसत 1:5 का है। आप किसको अर्थ सहायता दे रहे हैं। विदेशी बड़े व्यापारियों को या इस देश देश में बड़े व्यापारिक घरानों को आप किसको मदद दे रहे हैं। 500 निर्यात गृह हैं और उनमें से सब अधिकृत वस्तुओं का आयात करने के हकदार हैं। वे व्यापार करते हैं। कुछ बड़े घरानों ने इन सबको ठप्प कर दिया है। इसलिये आप बड़े घरानों की बड़ी सेवा में लगे हैं। यह इसलिए है क्योंकि वे मालिक हैं जो अपने इशारे पर नचाते हैं।

भारत की विशेष स्थिति यह है कि हम अब चीनी, इस्पात, रबड़, सीमेन्ट, कोकिंग कोयला तथा आदि-आदि जैसे कच्चे माल तथा प्रारम्भिक वस्तुओं के आयात कर्त्ता बन गये हैं। यह वह स्थिति है जहां हमें 33 वर्ष का कांग्रेस शासन ला चुका है ; हम पूर्ण दल-दल में हैं। आपकी निर्यात नीति हमारे देश के अर्थ-व्यवस्था के भविष्य को बाहरी बड़ी शक्तियों तथा बहु राष्ट्रिकों को रहन करने के लिए तैयार की गई है। यही आप कर रहे हैं। आप आन्तरिक बाजार का दम घोंट रहे हैं। आप आन्तरिक बाजार की व्यापक क्षमता को विकसित नहीं कर रहे हैं जिसको विकसित किया जा सकता है। प्रत्येक वर्ष बीतने के साथ अधिकाधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे जा रहे हैं। और सम्पूर्ण देशी बाजार समाज के धनी वर्गों के प्रति अभिमुख हो गया है।

आप इस देशी बाजार की उपेक्षा कर रहे हैं। लोग भूखे मर रहे है। खेतों में कृषक का कारखानों में मजदूरों का माल जो सारा का सारा आपको मिलता है उसे आप उन्हें सस्ते मूल्यों पर निर्यात कर रहे हो। हम हर वस्तु को बड़ी सस्ती निर्यात करते हैं, परन्तु जो भी हम उनसे खरीदते हैं, हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य की अपेक्षा भी बहुत उच्चे मूल्यों पर खरीदते हैं। ये अदल-बदल हमारे ऊपर थोपे गये हैं। यदि हम सारे विकसित विश्व और सारे अर्द्ध विकसित देशों को लें तो अर्द्धविकसित देश (50 अरब रुपया से अधिक के ऋणी है। प्रतिवर्ष वे लगभग 600 लाख रायल्टी, तकनीकी ज्ञान, ऋण अदायगी और आदि-आदि के रूप में भुगतान करते हैं। हमने भारत में विदेशी मास्टरों की कृतज्ञता के साथ सेवा की है। अब आप वहां पर भी बड़े व्यापार की कृतज्ञ रूप से सेवा रहे हैं। इस नीति के अधीन भारत बहुत जल्दी डूबेगा और ऐसा डूबेगा कि यदि सारे 65 करोड़ व्यक्ति भी सहारा देंगे तब भी वे इसे बचा नहीं सकेंगे।

इस देश के सभी प्रगतिशील वर्गों तथा लोकतांत्रिक वर्गों ने मांग की है और मांग कर रहे हैं कि सबके उपभोग की 10 या 12 आवश्यक वस्तुओं का वितरण समस्त देश में उसी मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाये। उसके लिए आपको 500 करोड़ रुपया राज अर्थ सहायता की आवश्यकता हो सकती है। मूल्य में वृद्धि के कारण यह एक बहुत बड़ी राशि प्रतीत हो सकती है परन्तु आप हर वर्ष बड़े व्यापार को निर्यात अर्थ-सहायता, कर छूट आदि के रूप में 3000 करोड़ रुपये से कम नहीं दे रहे हो।

आप बड़े व्यापार के लिए तो सरकारी कोष से 3000 करोड़ रुपया दे सकते हैं, किन्तु आप 6500 लाख लोगों के लिए आप 600 करोड़ रुपया नहीं दे सकते ताकि रियायती दरों पर आवश्यक वस्तुयें उन्हें उपलब्ध करायी जा सकें। मुख्यत: इन वस्तुओं की चोर बाजारी हो रही हे। वे प्रतिवर्ष कम से कम 1000 करोड़ रुपया बटोर रहे हैं। मंत्री महोदय ने आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी के निवारण और उसमें चोर बाजारी करने वालों की नजरबन्दी हेतु एक विधेयक प्रस्तुत किया था। क्या मैं यह जान सकता हूं कि ऐसे कितने बड़े उद्योग पतियों, जमाखोरों को नजर बन्द किया गया है ? वे कौन हैं ? आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि इस प्रणाली को यहां और अब चालू किया जाये।

मैं कच्ची कपास के मूल्यों को समान बनाने की मांग करता हूं। हम हथकरघा बुनकरों के बारे में बहुत अधिक सुन चुके हैं। यदि आप कच्ची कपास के मूल्यों को समान करेंगे, तो इस में से कम से कम 30 लाख हथकरघा बुनकरों को लाभ होगा। मूल्य कम हो जायेंगे। यदि आप बुनकरों को रियायती दर पर सूत देंगें, तो वे कठिन परिश्रम करके अल्प वेतन प्राप्त करके किसी प्रकार से जीवित तो रह पायेंगें। क्या आप वैसा करेंगें ? आप कहेंगे कि इसके लिए ऊर्जा तथा पैट्रोल की आवश्यकता होगी। इस विषय पर विस्तार पूर्वक बोलने का समय नहीं है। किन्तु मैं केवल इतना ही कहूंगा कि कोयले तथा जल-विद्युत साधन क्षमता को भारी मात्रा में उपयोग किया जाये और पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में बहुत अधिक कटौती की जाये।

चाय उद्योग के बड़े घरानों का राष्ट्रीयकरण किया जाये और चाय के विदेशी व्यापार को अपने हाथ में लीजिये। क्या आप वैसा करेंगें ?

जनता सरकार ने इस वर्ष से पटसन की वसूली में एकाधिकार प्राप्त करने का निर्णय किया था। किन्तु आपने इसे कार्यान्वित नहीं किया। सात या आठ बड़े घरानों ने आपको घूस दी और आप ने इसे स्वीकार नहीं किया है। कोई भी आप की नीति के बारे में नहीं जानता है। मैं यह अनुरोध करता हूं कि कच्ची पटसन की उत्पादकों से वसूली के काम में एकाधिकार प्राप्त किया जाये।

श्री के० ओबुल रेड्डी (कड़प्पा) : सभापति महोदय, श्रीमान् जी जब जनता पार्टी 1977 से 79 तक सत्तारूढ़ थी, तो भारत के विदेशी व्यापार में काफी घाटा हुआ था। 1976-77 में 68 करोड़ रुपये की थोड़ी वृद्धि की तुलना में, 1977-78 में व्यापार में घाटा 621 करोड़ रुपये का था, जो 1978-79 में यह बढ़ कर 1088 करोड़ रुपये हो गया और 1979-80 में यह घाटा बढ़ कर 2300 करोड़ रुपये हो गया। व्यापार में इस घाटे का एक मुख्य कारण 1977-78 और 1979-80 के बीच हुये निर्यात की गति धीमी रही। इन तीन वर्षों के दौरान औसतन वृद्धि दर 6 से 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी जबकि 1974-75 से 1976-77 तक की तीन वर्ष की अवधि के दौरान वार्षिक वृद्धि दर लगभग 27 प्रतिशत थी।

अन्य बातों के अतिरिक्त बढ़ते हुए घाटे का एक मुख्य कारण यह था कि पिछली सरकार द्वारा सुसंगत एवं समेकित निर्यात नीति नहीं अपनायी गयी जिसके परिणामस्वरूप निर्यात क्षेत्र को पर्याप्त प्राथमिकता देने में वह सरकार विफल रही।

जनता सरकार की नीति अस्थिर और अवास्तविक थी। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा ...।

सभापति महोदय : मेरा आपसे अनुरोध है कि आपसे मुख्य बातें ही कहें, क्योंकि आपको सारी बात पढ़ना सम्भव नहीं होगा।

श्री के० ओबुल रेड्डी : मैं केवल यह कह रहा हूं कि जनता शासन के दौरान निर्यात व्यापार कम हो गया और उनकी नीति अवास्तविक थी।

मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि जनता सरकार ने वर्ष 1978-79 में चूड़ियों का निर्यात करने के लिए किसी ऐसी एजेन्सी की व्यवस्था नहीं की जिसके माध्यम से इसका निर्यात हो सकता। और आगामी वर्ष, अर्थात् 1979-80 में पुनः चूड़ियों का निर्यात करने के लिए इसकी व्यवस्था की। इसका परिणाम यह हुआ कि एम० एम० टी० सी० सहित निर्यातक विदेशी खरीद-दारों के साथ दीर्घकालीन ठेके नहीं हो सके और इस प्रकार कुछ मंडिया खो दी जिसका लाभ चीन और थाई लैण्ड को हुआ।

अब, श्रीमान् जी, इस सरकार की नीति निर्यातोन्मुख है। हमारे वाणिज्य मंत्री महोदय अपना कार्यभार सम्भालने के पश्चात अपने देश के निर्यात व्यापर को प्रोत्साहन देने हेतु वास्तविक

पग उठाते रहे हैं। मैं वाणिज्य मंत्री महोदय को खनिज तथा अन्य वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये शीघ्र तथा उपयुक्त पग उठाने के लिये धन्यवाद देता हूं। किन्तु अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। कुछ प्रतिबन्धों को हटाना होगा और निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में कुछ कठोर नियमों में ढील देनी होगी। लाल फीताशाही तथा अनावश्यक प्रतिबन्धों को निर्यात व्यापार में बाधक नहीं बनना चाहिये।

वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, खनिजों, कृषि उत्पादों, इंजीनियरी के सामान और अन्य दूसरी निर्यात वस्तुओं का बड़ा और छोटा निर्यात व्यापार कर रहे हैं। जो व्यापार वे करते हैं उसकी मात्रा इतनी अधिक है कि वे छोटे निर्यात व्यापार पर, जैसे कि कम मात्रा के सामान की पैकिंग और जहाजों को बुक करना और समय पर सुपुर्दगी, जिनके लिए व्यक्तिगत प्रयासों की आवश्यकता होती है, ध्यान नहीं केन्द्रित कर पाते। खनिजों जैसे बेराइटिस पाउडर, बेंटोनाइट, एसलस्टोन और अभ्रक के टुकड़ों तथा ऐसी ही अन्य दूसरी वस्तुओं के लिए, जो कि बहुत जल्दी गीली हो जाती हैं और पैकिंग की विशेष किस्मों और समय पर सुपुर्दगी की आवश्यका होती है। तेल निकालने के प्रयोजनों के लिए इन खनिज चूर्णों की आवश्कता होती है। विशेषतौर पर, खाड़ी के देशों के, जहां कि समुचित भंडारन की कोई सुविधायें नहीं हैं, खरीददार इन वस्तुओं को छोटी मात्रा में खरीदना चाहते हैं और वे इनकी समय पर सुपुर्दगी चाहते हैं। विभिन्न देश माल की सप्लाई भिन्न-भिन्न प्रकार की पेकिंगों में मांगते हैं। इसलिए, खनिज और धातु व्यापार निगम और राज्य व्यापार निगम तथा अन्य दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और बड़े निर्यात घराने इस छोटे निर्यात व्यापार को संभाल नहीं सकते अथवा इसको संभालने के इच्छुक नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप, हम मध्य-पूर्व और अन्य दूसरे समीपवर्ती देशों में कुछ विदेशी बाजारों को खो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यदि हम एक बार विदेशी बाजारों को खो देते हैं तो वहाँ दुबारा प्रवेश करना कठिन होता है।

महोदय, इसलिए कुछ संसद सदस्यों द्वारा अप्रैल के महीने में इस तथ्य को वाणिज्य मंत्री के ध्यान में लाया गया था और उन्होंने तत्काल मामले की जांच करवाई और बेराइटिस के निर्माताओं को उनके उत्पादन की सीमा तक निर्यात करने की अनुमति देने के लिए और खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा बड़े ठेके और विदेशी सरकार की आवश्यकताओं का निर्यात संभालने की अनुमति देने के लिए तत्परता से कार्यवाही की। उसी तरह, कृषि उत्पादों, हथकरघा कपड़ा और इंजीनियरी के सामान की कुछ मदें है, जो छोटी मात्रा की हैं, परन्तु वे व्यक्तिगत रूप से किए गए प्रयासों से अतिरिक्त विदेशी मुद्रा अर्जित करती हैं। इन वस्तुओं के मामले में भी, छोटे उत्पादकों को उस सीमा तक निर्यात करने की अनुमति दी जाए जिस सीमा तक वे उत्पादन करते हैं, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा बड़े निर्यात घराने निर्यात की इन छोटी मदों पर ध्यान केन्द्रित करने में सक्षम नहीं है। उनसे भारी मुनाफे के व्यापार पर ध्यान देने के लिए कहा जाए जिसमें कि व्यक्तिगत प्रयास आवश्यक नहीं हैं। मैं यह भी सुझाव देता हूं कि निर्यात की छोटी मदों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निर्यात घरानों से अलग किया जाए और लघु उद्योगों तथा छोटे उत्पादकों के लिए जहां कि व्यक्तिगत प्रयास आवश्यक हैं, निर्यात की कुछ मदें

निर्धारित की जाए । यदि ऐसा कर दिया जाता है तो बड़े और छोटे निर्यात व्यापार को बढ़ाया जा सकता है और कुछ नए बाजारों का भी पता लगाया जा सकता है । यदि सरकार यह अनुभव करती है कि ऐसा किए जाने से वहां धोखाधड़ी के कार्य और गुप्त लेन-देन होगा तो वह उनके कार्य-निष्पादन की सतत निगरानी कर सकती है और इस तरह के कार्य करने वाले निर्यात कर्त्ताओं के नाम काली सूची में शामिल कर सकती है ।

लोहे के अतिरिक्त अन्य दूसरे खनिजों के अपरिष्कृत रूप में निर्यात किए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । हमारे पास अपने देश में ही पिराई करने, परिष्कृत करने और संसाधित करने की पर्याप्त क्षमता है, जो कि अधिकांश में श्रमोन्मुखी है । हमें ऐसे उद्योगों के लिए कार्य उपलब्ध कराना है । इसलिए, केवल संसाधित और अर्द्ध संसाधित वस्तुओं को निर्यात की अनुमति दी जानी चाहिए । मैंगजीन के निर्यात पर कुछ प्रतिबन्ध हैं । इन प्रतिबंधों को समाप्त किया जाए और देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संभव सीमा तक इसके निर्यात की अनुमति दी जानी चाहिए ।

हल्दी पर 2000 रुपए का एक निर्यात शुल्क लगाया गया है । आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में इस वस्तु का मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है । इस निर्यात शुल्क के लगाए जाने के परिणामस्वरूप, इस वस्तु का निर्यात न किया जा सका । विशाल भंडारों के अम्बार लग गए हैं और इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है । वे इसका और अधिक उत्पादन करने के इच्छुक नहीं है । मैं इस शुल्क को समाप्त किए जाने अथवा कम से कम जहां तक संभव हो सके इसमें छूट दिए जाने का अनुरोध करूंगा । चन्दन के तेल के मामले में भी अनेक प्रतिबंध हैं । सरकार द्वारा हस्तशिल्प के उत्पादन और निर्यात के लिए उसे खरीदने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को कुछ प्रोत्साहन दिया जाना चहिए ।

नमक, मिर्च और बिनौले की खली के निर्यात की भी अनुमति दी जानी चाहिए । जनता पार्टी सरकार द्वारा इन सभी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था । सारे देश में इनका उत्पादन किया जाता है और ये हमारे पास अतिरिक्त मात्रा में है । इन वस्तुओं पर से प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए और उत्पादकों को इसका निर्यात करने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

आयात के मामले में भी, वाणिज्य मंत्री को ,आयात कम किए जाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए । इस समय हम चीनी, कोको, सीमेंट, उर्वरक तथा अन्य दूसरी वस्तुओं को आयात कर रहे हैं, जिनका हम अपने देश में उत्पादन करके इससे (आयात से) अच्छी तरह बच सकते हैं । वह सम्बद्ध मंत्रियों की इस बात का सुझाव दे सकते हैं कि उन्हें उचित मूल्य निर्धारित करके और कुछ प्रोत्साहन कार्यों की घोषणा करके निर्यातोन्मुखी उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए । केवल मशीनरी, तकनीकी जानकारी और कच्चे माल के आयात को अनुमति दी जानी चाहिए, जिसे हम अपने निर्यात वृद्धि के कार्य में प्रयोग कर सकते हैं ।

मुझे आशा है, हमारे सुयोग्य और क्षमतावान वाणिज्य मंत्री निर्यात को बढ़ाने और आयात को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : जहां तक विकासशील देशों के विकास का प्रश्न है वे आयात और निर्यात के द्वारा जो कमाई होती है उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। हमारा भी आयात-निर्यात व्यापार चल रहा है। 1979-80 में जो विदेश व्यापार हुआ है उसकी रोशनी में देखने से पता चलता है कि हमें बहुत घाटा हुआ है। लाभ होने के बजाय हमारी आय क्षीण हो रही है और विदेशी मुद्रा की भी कठिनाई का हमें सामना करना पड़ रहा है।

जहां तक वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट का सम्बन्ध है उसको देखने से पता चलता है तथा जो अद्यतन आंकड़े प्रस्तुत हुए उनको देखने से साबित हो जाता है कि 1980 में प्रतिकूल व्यापार शेष जो है वह 2233 करोड़ रुपये का है। भविष्य में यह घाटा और भी बढ़ने वाला है। इसलिए हमें अपनी विदेश व्यापार नीति को अधिक गतिशील बनाना होगा और उसको नया स्वरूप प्रदान करना होगा ताकि निर्यात और आयात दोनों में हमारे देश को अधिक मुनाफा हो सके और जो निर्यातक है तथा जो आयातक है उन लोगों को भी एक निश्चित दिशा मिल सके। आज हमारी विदेश व्यापार की जो नीति है उसको लेकर जितने हमारे देश के निर्यातक हैं और जो आयात करने वाले भी हैं, इन दोनों में एक अनिश्चय का वातावरण बना हुआ है।

कोई भी व्यापार निश्चित रूप से नहीं कर पाते। इसीलिए कि सरकार की नीति ऐसी है कि कभी-कभी अगर कोई चीज निर्यात कर देते हैं तो कोटा सम्बन्धी पावन्दी लगाकर उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। कई बार क्वालिटी कंट्रोल में कठिनाई होती है, बन्दरगाहों में भी कठिनाई होती है और वहां बहुत अव्यवस्था है। इसलिए निर्यात व्यवसाय को जितना तेजी से बढ़ना चाहिए, वह नहीं बढ़ रहा है। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि हमारा निर्यात ज्यादा बढ़ सके और निर्यातकों पर जो पावन्दी है, उन्हें दूर किया जा सके।

अब मैं अपने क्षेत्र कोडरमा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह माइका के लिये संसार में प्रसिद्ध है। अभ्रक का निर्यात 80 प्रतिशत सारे संसार में केवल भारत से होता है। यह बिहार, आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। 20 प्रतिशत ब्राजील में पाया जाता है। 80 प्रतिशत अभ्रक का निर्यात करके हमारा देश अब तक 400.500 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा में अर्जित कर पाया होता, लेकिन लगता है कि सरकार एक्सपोर्ट ड्यूटी से अब तक 100 करोड़ की आय कर पायी है। अन्य प्रकार के टैक्सों से भी सरकार की काफी आय होती है लेकिन अभ्रक से लगता है कि सरकार इसे नजरन्दाज किये हुए है।

मिटको जो हमारे यहां बना हुआ है, उसकी जो रूपरेखा है, जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है, उसके तीन पहलू हैं। एक तो उत्पादन को बढ़ाये, जिससे निर्यात बढ़ाया जा सके, दूसरे वीकर सैक्शन को सहायता दी जा सके। लेकिन जहां तक प्रोडक्शन है अगर देखा जाये तो यह 1958 में 31,942 टन है, 1960 में 29,226 टन है, 1970 में 16,589 टन है, 1975 में 11,501 टन है, 1979 में 8,745 टन और 1980 में 649 टन है। इससे देखा जाये तो

इसके उत्पादन में काफी गिरावट आयी है। यह एक चौथाई से भी कम होने जा रहा है। इसी प्रकार निर्यात में भी 74-75 में 7 हजार टन निर्यात हुआ है। वहाँ अब तक 17 टन मात्र निर्यात हुआ है। इससे करोड़ों रुपये की क्षति हुई है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि गवर्नमेंट की कोटा पालिसी में कठिनाई है और दूरदर्शिता का अभाव है। माइका ट्रेडिंग में हमारे जो निर्यातक विदेशों से आर्डर लेते हैं उसमें से 40 प्रतिशत मिटको ले लेता है. उसमें भी 2 प्रतिशत सर्विस चार्ज देना पड़ता है। व्यापारी लोग पैसा लगाकर विदेश जाते हैं और वहां से आर्डर लाते हैं और उसमें 40 प्रतिशत मिटको ले लेता है, इससे व्यापारियों को बहुत निराशा होती है क्योंकि जो मुश्किल से वह आर्डर लाते हैं, उसमें से उनका हिस्सा चला जाता है। मिटको के लोग 40,50 की संख्या में विदेश जाकर लौट चुके हैं, लेकिन उसको अभी तक कोई आर्डर नहीं मिला है। रूस माइका का सबसे बड़ा खरीददार है, लेकिन उससे एक भी आर्डर मिटको को नहीं मिला। वह समाजवादी, साम्यवादी, देश कहलाता है, लेकिन वह भी आर्डर बिजनेसमैन को देता है। सिर्फ जर्मनी एक देश है जिससे मिटको को आर्डर मिलता है, बाकी दूसरे देश जिसमें अमरीका, यू० के०, पोलैंड, हंगरी आदि देशों के साथ जो व्यापार होता है। वह सब व्यापारियों के द्वारा होता है।

1979-80 में 1700 टन माइका का निर्यात हुआ है। माइका के दामों में 1972 की तुलना में 300 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसी कारण 24, 25 करोड़ रुपये के पुराने स्तर को मेनटेन किया जा रहा है। 1972 के मूल्य के आधार पर केवल 8 करोड़ रुपये का व्यवसाय हुआ है। जहां तक क्वान्टिटी, मात्रा का सम्बन्ध है, पहले की तुलना में एक-तिहाई मात्रा का निर्यात हो रहा है। यदि वर्तमान मूल्य पर उसी मात्रा में निर्यात होता,तो 72 से 80 करोड़ रुपये का निर्यात होता। मात्रा के हिसाब से भी निर्यात में गिरावट आई है।

इस स्थिति में मिटको के कार्य-कलापों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। वह दाम बढ़ाकर घाटे का व्यवसाय कर रहा है। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गिरिडिह में माइका के गोदाम में एक अग्नि-कांड से 45 लाख रुपये का माइका जल गया। माइका में सबसे बड़ा प्राकृतिक अवरोधक है और 850° सेंटीग्रेड पर ही उसके ताप में परिवर्तन आ सकता है। अभी तक कोई भी सिन्थेटिक ऐसा पैदा नहीं हो सका है। लेकिन बताया जाता है गोदाम में आग लगने से माइका जल गया। यह नहीं हो सकता है। पीछे पता चला है कि जला हुआ माइका 5,6 लाख रुपये में किसी को बेच दिया गया। इससे मिटको के अधिकारियों ने 20 लाख रुपये का अनुचित लाभ कमाया है।

आज माइका पर नाना प्रकार के टैक्स है, जैसे एक्सपोर्ट ड्यूटी, लेवर वैलफेयर सैस, सेल्ज टैक्स, मिटको सर्विस चार्ज, प्री-शिपमेंट क्वालिटी कंट्रोल चार्ज, रायल्टी आन माइनिंग और सैस आन माइनिंग। अगर सरकार माइका की स्थिति को सुधारना चाहती है, तो उसे इस बारे में फिर से विचार करके इन टैक्सों को समाप्त करना चाहिए। मिटको को एक बिजिनसमैन की तरह व्यापार करना चाहिए।

मिटको का हैडक्वार्टर पटना में रखा गया है—जहां माइका पैदा होता है, वहां से 150 मील दूर। अफसर हवाई जहाज पर आते-जाते हैं और लाखों रुपया व्यय करते हैं। गिरिडिह में टैलेक्स, रेल-हैड, रोड है सब व्यवस्था है। वह कलकत्ता और दिल्ली में दोनों के बीच में स्थित है। उसको हैडक्वार्टर बनाना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि मिटको में जो अधिकारी बहाल हुए हैं, उन्हें माइका की कोई जानकारी नहीं है। माइका दो रुपये से छः हजार रुपये प्रति-किलो बिकता है। उसको आंख से ही जांचा जाता है। उसके लिए कोई और उपाय नहीं है, कोई मशीन नहीं है। माइकावेल्थ के कई ऐसे जानकार हैं जो अशिक्षित होते हुए भी दो तीन हजार रुपये मासिक वेतन पाने वाले बड़े-बड़े अधिकारियों से ज्यादा नालेज रखते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम माइकावेल्थ के जानकार लोगों की भर्ती करके इस व्यापार को सुधारें और गलत काम करने वालों पर कड़ी नजर रखें।

सभापति महोदय : श्री ओस्कर फर्नान्डीस, आप केवल पांच मिनट तक बोलेंगे। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि यहां तीन वक्ता हैं जिन्हें बोलना है और तत्पश्चात् मन्त्री महोदय को उत्तर देना है। मैं समय के मामले में अत्यन्त सख्त हूं। केवल अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न ही किए जाएं।

***श्री ओस्कर फर्नान्डीस (उडीपी)** : सभापति महोदय, मैं वाणिज्य मन्त्रालय से सम्बद्ध अनुदानों की मांगों के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। क्योंकि मुझे बहुत थोड़ा समय दिया गया है, मैं केवल कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का ही उल्लेख करना चाहूंगा।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा, इलायची का व्यापार है। निसन्देह यहां इलायची बोर्ड है जो इलायची के व्यापार की निगरानी करता है। परन्तु इसके (बोर्ड के) कर्मचारी समुचित रूप से इसका विपणन नहीं कर रहें हैं। दुर्भाग्यवश, इलायची का व्यापार कुछ निजी लोगों का एकाधिकार हो गया है। इस कारण से इलायची उत्पादकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे स्थिति को सुधारने के लिए कुछ करें।

दूसरी बात, मैं देश में होने वाले कोको के उत्पादन के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। केरल और कर्नाटक के अनेक माननीय सदस्य पहले ही इसका उल्लेख कर चुके हैं। कोको का उत्पादन करने वाले कर्नाटक राज्य से एक संसद सदस्य होने के कारण मैं इस बात का अनुरोध करूंगा कि कोको उत्पादकों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया कोको बोर्ड की ओर ध्यान दें और कोको बोर्ड पर अपने प्रभाव का यह देखने के लिए उपयोग करें कि उत्पादकों को प्रोत्साहन दिया जाता है।

*कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

केडबरीज इण्डिया द्वारा कोको की खरीद की जा रही है। परन्तु अपने कोको के उत्पादों की खरीद करने के लिए हमें मात्र उनके ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। चाकलेट का निर्माण करने वाली अन्य दूसरी इकाइयां हैं, जिनको हमारे स्वदेशी उत्पादों की खरीद करने की पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

इन दिनों सीमेंट की काफी कमी है। एक समय था जब हम अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सीमेंट का उत्पादन करते थे, परन्तु अब स्थिति बदल गई है और हम विदेशों से सीमेंट का आयात करते हैं। अपनी बढ़ती हुई घरेलू मांग को पूरा करने के लिए हमें अपने उत्पादन अवश्य बढ़ाना चाहिए। यदि वर्तमान सीमेंट फैक्ट्रियां इस मांग को पूरा करने में असफल रहती हैं तो नई फैक्ट्रियां अवश्य स्थापित की जानी चाहिए ताकि इस महत्वपूर्ण कच्चे माल की अपेक्षित मात्रा देश में उपलब्ध हो।

मैं एक अन्य दूसरे महत्वपूर्ण मामले का उल्लेख करना चाहूंगा और वह राज्य व्यापार निगम, हमारी वस्तुओं और निर्मित माल का निर्यात और आयात करता है, की कार्यशैली के बारे में है। दुर्भाग्य से, यह एरावत और अमरावती के सदृश हो गया है। यह केवल सफेद हाथी ही नहीं है, बल्कि एक जंगली हाथी भी है। राज्य व्यापार निगम की अकुशल कार्यप्रणाली की वजह से हमारे लघु क्षेत्र और व्यापार को घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संसद सदस्यों और सम्बद्ध पक्षों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक समिति गठित की जानी चाहिए जो राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण की जांच करे। समिति से अपना कार्य तेजी से पूरा करने और अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा जाना चाहिए।

कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्रों, जिनमें एक का मैं प्रतिनिधी हूं, के सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। वहां सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग मछली पकड़ना है। हमारे तटवर्ती समुद्र में झींगा मछली की बहुतायत है, परन्तु अमेरिका को भेजी गई मछली का कुछ संपरेषित माल दूसरे दर्जे का होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। मन्त्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों के मत्स्य-विभाग इस तरह की अनर्थकारी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए गुण-नियन्त्रण कड़ाई से लागू करें।

हथकरघा उद्योगों के बारे में, जिसका कि मन्त्री महोदय ने उल्लेख किया है, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा और वह यह है कि हथकरघा रेशे को दी गई छूट उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाले धागों पर दी जानी चाहिए।

समय की कमी के कारण मैं इस पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालने से संकोच करता हूं। सूत पर छूट दी जानी चाहिए, क्यों कि इससे हथकरघा उद्योग को अधिक सहायता मिलेगी।

***श्री के० कुन्हम्बु (कन्नानौर)** : सभापति महोदय, मैं सभा के सामने अपने केरल राज्य की कुछ समस्यायें रखना चाहता हूं। मुझे खेद है कि केन्द्रीय सरकार कुछ समस्याओं को सुलझाने के मामले में हमारे राज्य के साथ सौतेली मां का व्यवहार कर रही है।

*मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

यह बात सच है कि कार्यकारी केन्द्रीय सरकार केरल के प्रति रबड़, कोको, काजू आदि जैसी नकदी फसलों के मामले में अनुचित रवैया अपनाती है। केरल के किसानों में कोको एक लोकप्रिय फसल बन गयी है। इसकी खेती सैंकड़ों एकड़ जमीन में की जाती है। कैडबरीज कम्पनी इस फसल की मुख्य ग्राहक थी। लेकिन इस कम्पनी ने कुछ महीने पहले कोको की खरीद अचानक बन्द कर दी, जिसके फलस्वरूप किसानों के पास कोको का बहुत स्टाक जमा हो गया। उनके पास स्टाक बेचने का कोई साधन नहीं था और ऐसी स्थिति में कोको गोदामों में सड़ने लग गया। पिछले वर्ष कोको 20 रुपये प्रति किलो बिक रहा था और इस वर्ष इसका भाव गिर कर 5 रुपये प्रति किलो हो गया है। इसके साथ-साथ केन्द्रीय सरकार कोको आयात करने सम्बन्धी अपने पहले के निर्णय पर टिकी हुई है।

इस संकट के समय केरल सरकार ने भी किसानों की सहायतार्थ इस क्षेत्र में पदार्पण किया। उन्होंने निश्चित मूल्य पर उत्पादकों से सीधे खरीद करने का निर्णय किया फिर भी केन्द्रीय सरकार कोको का आयात करने में आगे बढ़ती गयी। एक ओर तो ग्राहक न होने के कारण किसानों की फसल सड़ रही है, दूसरी ओर सरकार इसी वस्तु का आयात बाहर से कर रही है। यह एक विचित्र स्थिति है।

रबड़ और काजू की भी यही स्थिति है। देश की आवश्यकता के 71 प्रतिशत प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन केरल में होता हैं। अधिकांश रबड़ उत्पादकों के पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन है। जब ये छोटे उत्पादक रबड़ का कुछ अधिक मूल्य लेने लग जाते हैं, तो बम्बई से टायर निर्माता आकर सरकार पर रबड़ आयात करने का दबाव डालते हैं। ऐसी बातें अब होती ही रहती हैं। इसके फलस्वरूप केरल में पैदा होने वाली रबड़ के मूल्यों में गिरावट आ जाती है और उत्पादकों को लागत मूल्य भी नहीं मिलती।

काजू का मामला भी अन्य वाणिज्यिक फसलों से भिन्न नहीं है। अभी हाल में काजू के आयात सम्बन्धी नीति में परिवर्तन हुआ है और इससे केरल के किसानों में भय पैदा हो गया है। सरकार ने कुछ प्राइवेट पार्टियों को कुछ नये क्षेत्रों से कच्चे काजू का आयात करने की अनुमति दी है। केरल में काजू श्रमिकों की संख्या लाखों में है जिन्हें सरकार के इस अनुचित निर्णय से नुकसान हो रहा है। आज कच्चे काजू की कमी के कारण केरल में अनेक कारखाने बन्द पड़े हैं। यदि प्राईवेट पार्टियों को कच्चे काजू के आयात की अनुमति दी जाये, तो वे इसे संसाधित करने के लिए कर्नाटक तथा तमिलनाडु जैसे पड़ोसी राज्यों में संसाधित करने के लिए ले जायेंगे। जिसका कारण यह है कि इन राज्यों में श्रम बहुत सस्ता है। इसका परिणाम यह होगा कि केरल में काजू कारखाने बंद हो जायेंगे और लाखों श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे।

मैं मंत्री महोदय से एक सीधा सा प्रश्न पूछता हूं। यदि भारतीय काजू निगम कच्चे आयात का काम कर रहा है। तो सरकार ने प्राइवेट एजेन्सियों को इसे आयात करने की अनुमति क्यों दी है ? लेकिन मैं कहूंगा कि यह एक गलत कदम है जिससे केरल की अर्थ-व्यवस्था

को क्षति पहुंचेगी । अत: मेरा अनुरोध यही है कि भविष्य में काजू का आयात केवल सरकारी ऐजेन्सियों अर्थात् भारतीय काजू निगम द्वारा ही किया जाना चाहिए । और इस क्षेत्र में किसी की प्राइवेट एजेन्सी को काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, मैं दो सवाल उठाना चाहता हूं । पहला सवाल है बुनकारों की स्थिति के बारे में, जिसकी चर्चा कुछ समय पहले अन्सारी साहब जो कि मंत्री हैं, उन्होंने की है । बुनकरों को कहीं-कहीं इनके साहित्य में जुलाहे के नाम से पुकारा जाता है लेकिन यह उचित नहीं हैं । बुनकर कहना ज्यादा उचित होगा । जुलाहा शब्द को समाप्त कर देना चाहिए । एक बात आप यह भी समझ लीजिए कि बुनकरों में केवल मुसलमान ही नहीं हैं, बहुत सारे हिन्दू भी है । मेरे सूबे खास तौर से भागलपुर और दूसरे जिलों में बहुत हैं और इन बुनकरों की संख्या दो लाख है और उनके ऊपर भी कई लाख लोग निर्भर होंगे । इसी तरह से तमिलनाडु में दो लाख परिवार बुनकरों के धन्धे को करते हैं और उसी से अपनी रोजी कमाते हैं ।

आज बुनकरों के बारे योजना तो अपने बहुत बनाई, लेकिन क्या कभी इस बात की जानकारी हासिल की कि कोई जाँच समिति बैठाई जाए जिससे यह पता लग सके कि आप जो सहूलियतें दे रहे हैं, वह सही मायनों में बुनकरों के पास जा रही है या नहीं । आज बुनकरों को बैंकों से पैसा नहीं मिलता है और यदि मिलता भी है तो उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है तथा घूस भी देनी पड़ती है । जो आप की सहयोगी समितियाँ हैं, वे भ्रष्टाचार के अड्डे हैं वे सब सूत भी डकार जाते हैं । और पैसा भी डकार जाते हैं । इसके बारे में इन्क्वायरी कारने के लिए बिहार सरकार ने एक अहमद आयोग बनाया था । श्री सय्यद अली अहमद, जो हाईकोर्ट के जज थे, उनकी अध्यक्षता में । उसको सक्रेप कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया । उस आयोग का काम यही था कि जो गड़बड़ हो रही है, वह उसकी जांच करे । बुनकर जो कपड़ा बनाते थे, उसकी खरीद आप की सरकार नहीं करती है, उनके ऊपर छोड़ देती है कि तुम जहाँ चाहो बेचो और वे बेच नहीं पाते हैं । इससे उनको आर्थिक नुकसान होता है । उन्हें सूत सही दाम पर नहीं मिलता है, नियंत्रित दाम पर नहीं मिलता है और ठीक से नहीं मिलता है । स्पेशल और दूसरे सूत की कीमत भी बढ़ गई है, इससे हमारे देश के बुनकर संकटमय स्थिति से गुजर रहे हैं ।

3 फरवरी 1980 को आल-इंडिया-वीवर्स-फैडरेशन के जनरल सैक्रेटरी, श्री पी० सत्यनारायण, ने मंत्री जी को एक तार भेजा था, जो कि मद्रास के सिलसिले में था ।

"दो लाख हथकरघा परिवार असली मद्रास रूमालों (हैंडकरचीफ) का निर्यात की व्यवस्था करने का अनुरोध करते हैं । संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की बैठक में भाग ले रहे नाईजीरिया के मंत्री से हमारे आयात के बदले वस्तु निर्यात करने के बारे में वार्ता करें ।"

उन्होंने यह लिखा था, पता नहीं इसके बारे में क्या किया, क्या नहीं किया और इस सिलसिले में मैमारेंडम भी दिया गया था— एक रीयल मद्रास हैंडकरचीफ एक्सपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से और दूसरा आन्ध्रप्रदेश हैंडलूम विवर्स की ओर से, जिसमें विवर्स के तमाम सवाल रूमाल वगैरह के

उठाए गए थे। मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने इस सिलसिले में बहुत सारी बातें की, लेकिन सचमुच में उनको क्या तकलीफ है, उसको रफा-दफा करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं बताया।

दूसरा सवाल मैं यह उठाना चाहता हूं कि हमारे बिहार सूबे में प्याज की उपज बहुत हुई है, पिछले कई सालों की तुलना में लेकिन उनको 20 रु० प्रतिमन से कम दाम मिल रहा है, जो धन उन्होंने खेत में लगाया है, वह भी उनको नहीं मिल रहा है। कोई सपोर्ट प्राइस प्याज के लिए वहां नहीं हैं। आपने महाराष्ट्र में तो कुछ किया, मालूम नहीं वह चालू है या नहीं, लेकिन बिहार में आपने कुछ नहीं किया। इसलिए हमारी मांग है कि वहां के किसान बड़ी संकटमय स्थिति में हैं, वे बर्बाद हो जायेंगे, वे नष्ट हो जायेंगे, उनकी कमर टूट जाएगी, इसलिए उनको आप "नाफेड" के जरिए, जो आपका संगठन है; जो कई तरह की चीजें खरीदता है, तो बिहार में प्याज आप उनसे खरीदवायें और कम से कम 60 रु० क्वींटल का दाम उनको दीजिए, ताकि उन को घाटा न होने पाए और उनको अपने घर से भी न देना पड़े। इसलिए मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं कि इन सवालों पर कुछ रोशनी डालें कि वे इस संबंध में कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या बिहार के किसान भगवान के भरोसे जिन्दा रहेंगे या वे अपने भाग्य को कोसते रहें कि हम ऐसे राज्य में पैदा हो गए। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे मेरे इन दोनों सवालों पर रोशनी डालने की कोशिश करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं वित्त मंत्रालय की ओर कुछ ध्यान देता आया हूं और मैंने देखा है कि भारत और शेष पूंजीवादी विश्व, पश्चिमी और जापान जैसे पूर्वी देशों के बीच उपनिवेशवादी ढांचे के व्यापार में लगभग कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि आप थोड़ा भी देखें तो मालूम होगा कि संतुलन उनकी ओर अधिक है और हमारी ओर कम।

उदाहरणार्थ तम्बाकू ही लीजिये। तम्बाकू आन्ध्र प्रदेश के पाँच तटवर्ती जिलों में किसानों के खून-पसीने से पैदा होता है। उन्हें क्या मिलता है ? एक किलो वर्जिनियां तम्बाकू से हजार सिगरेटें बनायी जा सकती हैं। आप एक क्षण के लिए, उत्पाद शुल्क के बारे में भूल जाते हैं। दो वर्ष पहले केन्द्रीय सरकार को तम्बाकू का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 485 करोड़ रुपया मिला था और वह भी अधिकांश आंध्र प्रदेश से मिला था। उन्होंने तम्बाकू उत्पादकों के लिए क्या किया ? इन्डिया तम्बाकू कम्पनी को लूट करने की अनुमति दी गयी। लूट मचाने वाली तथा हेराफेरी करने वाली इस कम्पनी को इनाम दिया गया। इसके सभापति श्री हक्सर एयर इंडिया तथा इन्डियन एयरलाइन्ज के बोर्ड में हैं। श्री प्रणव मुखर्जी आपकी सरकार कितनी अच्छी है। यह इन्डिया तम्बाकू कम्पनी बीजक की हेराफेरी में रंगे हाथों पकड़ी गयी और इसे सजा दी गयी। उन्हें जेल में भेजा जाना चाहिए। आप अपने दस्तावेज देखें। आपको न मिले तो मैं दे दूंगा।

वे तम्बाकू बीजकों की हेराफेरी कैसे करते हैं ? मेरी बात सुनें, क्योंकि मैं दो बार तम्बाकू बोर्ड में रहा हूं। जब वे विदेशों में अपनी ही कम्पनियों, ब्रिटिश कम्पनियों, आंग्ल-अमरीकी तम्बाकू कम्पनी, रैले इन्वेस्टमेंट आदि-आदि कम्पनियों को तम्बाकू का निर्यात करते हैं तो वे अच्छे से

अच्छा तम्बाकू भेजते हैं और घटिया किस्म की तम्बाकू का बीजक काटते हैं। और वे अपनी ही कम्पनी इन्डियन तम्बाकू कम्पनी को घटिया प्रकार का तम्बाकू भेजते हैं और अच्छे प्रकार के तम्बाकू का बीजक काटते हैं। बीजक की इस प्रकार की हेराफेरी से देश को करोड़ों रुपए की हानि होती है। लेकिन आप उनको नहीं छू सकते, क्योंकि वे अपना कोटा देते हैं। श्री मुखर्जी, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि** ? (**व्यवधान**) उनके मंत्रालय का कोटा (**व्यवधान**) मैं यह जानता हूं कि यह कैसे चलता है। मैं बाद में किसी समय बताऊंगा। (**व्यवधान**)।

सभापति महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण करें। यदि कोई माननीय सदस्य सभा के किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध कोई आरोप लगाना चाहता है तो उसे नोटिस देना पड़ेगा। चूंकि आपने नोटिस नहीं दिया है, अतः मैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त से बाहर निकालता हूं, जो कुछ आपने बोला है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने नोटिस दिया है। खेद की बात है कि आपने मेरा नोटिस नहीं देखा है।

सभापति महोदय : क्या आपने मंत्री अथवा मंत्रालय को नोटिस दिया है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने मंत्रालय का कोटा कहा है और मैंने अधिकारी के विरुद्ध नोटिस दिया है और उस बारे में मैं बोलने वाला हूं। मैंने उन्हें लिखित नोटिस दिया है।

सभापति महोदय : क्या वह नोटिस मंत्री महोदय को दिया गया ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने अध्यक्ष महोदय को नोटिस दिया है जिसकी प्रति मैंने मंत्री महोदय को दी है। (**व्यवधान**)।

मैं कह रहा हूं कि इन्डिया तम्बाकू कम्पनी सत्तारूढ़ दल की सबसे बड़ी चंदा देने वाली कम्पनी है। यही कारण है कि उस व्यक्ति को एयर इन्डिया और इन्डियन एयरलाइन्ड के बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज में लिया गया है जिस पर बीजक की हेराफेरी का आरोप लगाया गया है। देश के लिए यह शर्म की बात है। भारतीय पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन को इन्डियन एयरलाइन्ड और एयर इन्डियन के बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज में नहीं रखा गया है। आपने ओबराय, हक्सर और कोका कोला को लिया है।

अब मैं संगत प्रश्न पर आऊंगा।

सभापति महोदय : आपका नोटिस मेरे पास है। इस में कुछ भी नहीं कहा गया है। यह···।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मै उस बात पर आ रहा हूं।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया।

सभापति महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त का अंग नहीं बनेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप नोटिस पढ़ें।

सभापति महोदय : इस मामले पर इस प्रकार कार्यवाही करना जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने श्री एन. के. सिंह के विरुद्ध नोटिस दिया है।

सभापति महोदय : मंत्री के विरुद्ध नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने कहा कि मंत्रालय का कोटा क्या है। यदि मुझे मंत्री के विरुद्ध कुछ कहना हो तो मैं नोटिस दूंगा।

सभापति महोदय : आप अपनी बात कहें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने बार-बार कहा था कि राज्य व्यापार निगम को विदेशों में चमड़ा, चाय काफी, तम्बाकू, आदि के लिए थोक विक्रय केन्द्र खोलने चाहिए। परन्तु उन्होंने इसे नहीं किया। उन्होंने इसे जानबूझ कर नहीं किया। यदि वे ऐसा करते हैं तो उत्पादकों को और अधिक धन मिलेगा। और पश्चिमी पूंजीपति, उनके संरक्षक उससे अधिक धन प्राप्त नहीं कर सकते जितना वे चाहते है। महोदय, मैं इस पर आ रहा हूं। महोदय, मैं कह रहा हूं कि यह संस्थान भ्रष्टाचार का केन्द्र है। मैं बता सकता हूं। मै राज्य व्यापार निगम का उदाहरण दे सकता हूं शेट्टी के मामले में क्या हुआ, जो चमड़े के उद्योग के लिए मशीनरी के आयात में अन्तर्ग्रस्त थे ? उस मामले को दबा कैसे दिया गया है ? महोदय, क्या हम इन सब बातों को नहीं जानते ?

महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं, स्टेनलैस इस्पात को लीजिए। उच्च पूल कीमतों के कारण बर्तमान आयात नीति से राजस्व की अत्यधिक हानि हो रही है। मुझे एक अत्यन्त और विश्वसनीय और सुविज्ञ स्रोत-विशेष सहायक श्री एन० के० सिंह से पता चला है कि स्टेनलैस इस्पात आयात नियमों में कतिपय अनुकूल परिवर्तन करने के लिए 5 लाख रुपए की रकम मांगी गई।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मरमागाओ) : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : मुझे व्यवस्था का प्रश्न सुनने दीजिए। श्री बसु आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मुझे व्यवस्था का प्रश्न सुनने दीजिए।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : आपने जैसा अभी कहा है, ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आपको पूर्व सूचना दिए बिना लांछन, आरोप और दोष नहीं लगाया जा सकता जो सभा में अपना बचाव नहीं कर सकता। क्या इसकी सूचना दी गई है ? मुझे लगता है, यह नहीं दी गई है।

इसे न केवल कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाए अपितु सदस्य की भी निन्दा की जाए। वे बार-बार इसे यहां उठा रहे हैं। वे प्रतिदिन ऐसा करते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे अध्यक्ष पीठ को गुमराह कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि उनका वकालत का पेशा है। उन्हें नियम पढ़ना चाहिए। नियम 353 में प्रक्रिया का उल्लेख है। मैंने प्रक्रिया का पालन किया है। मैं मन्त्री महोदय को इसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कह रहा हूं या इस सम्बन्ध में जांच करवाएं और सभा को स्थिति से अवगत कराएं। मैंने यह आरोप लगाया है, यह मेरा कर्तव्य है। मैं इसे सभा के समक्ष लाता हूं।

श्री एडुआर्डो फलेरो : यदि पूर्व सूचना दी गई है तो मैं इसे मानता हूं। अब मैं व्यस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। किसी भी आरोप की आपको केवल सूचना देना काफी नहीं है। यह सूचना सम्बन्धित मन्त्री को भी भेजी जानी चाहिए। उन्हें स्वयं तैयार रहना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उनको जानकारी नहीं है, इसे मन्त्री महोदय को भी भेजा गया है, मेरे विचार में आपको उनकी अपेक्षा अधिक जानकारी है.....।

सभापति महोदय : ज्योतिर्मय बसु आप कृपया बैठ जाइए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अच्छा, महोदय।

सभापति महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु आपने पहले भी कुछ कहा था जो माननीय मन्त्री के विरुद्ध था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मन्त्रालय। आप प्रो० दण्डवते से पूछिए मैंने क्या कहा था। मन्त्रालय का कोटा कितना है ?

सभापति महोदय : अच्छा, यह आरोप कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह कार्य वृतान्त में नहीं रहेगा।

और जहां तक मन्त्रालय और सम्बन्धित मन्त्री के विरुद्ध आपके आरोप का सम्बन्ध है, आपने सूचना दी है।

परन्तु मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि आपको इस सम्बन्ध में पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। आखिर ये सब जांच आपने ही की है, यद्यपि आप यहां वही आरोप लगा रहे हैं जिनकी यहां अनुमति है, परन्तु इस सबकी जिम्मेदारी आप की होगी

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं जो कुछ कहता हूं, वह सब कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित होता है जब तक .....** यह इस सभा में कोई नई बात नहीं है। मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य को सभा की कार्यवाही की निन्दा न करने के लिए कहता हूं । मैं उन्हें अपने शब्द वापस लेने के लिए कहूंगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मन्त्री महोदय यहीं हैं, वे इंकार कर सकते हैं । वे आरोप की जांच करवाएं और सच्चाई का पता लगाएं ।

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : वे आरोप लगा रहे हैं । उन्हें वापस लेने दीजिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने आरोप एक अधिकारी के विरुद्ध लगाया है । नियम 353 के अधीन जैसा अपेक्षित है, मैंने अध्यक्ष को सूचना भी दी है ।

सभापति महोदय : सदस्यगण·· ** के संबंध में आपके लांछनों पर आपत्ति कर रहे हैं । वह सभा के कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा । मैं ज्योतिर्मय बसु को इसे सभा में पुन: दोहराने के लिए मना करता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपके अनुरोध को याद रखूंगा मैं आगे चलूं ।

सभापति महोदय : हां, कृपया आगे चलिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इस टेप को सुरक्षित रखने का अनुरोध करता हूं । मैं सीमेंट और चीनी के आयात के बारे में मंत्री महोदय से एक साधारण प्रश्न करता हूं ।

क्या यह सच है कि सीमेन्ट और चीनी का आयात थामस मोग एन्ड कम्पनी के स्वराज पाल के द्वारा किया जा रहा है ? मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं । चीनी और सीमेन्ट की वसूली को कौन संभालेगा ? यदि मैं गलत हूं तो मुझे बताइये । मेरी सूचना के मुताबिक तो आप पूर्णतया थामस-मोग एण्ड कम्पनी के निदेशक स्वराज पाल पर निर्भर हैं । मैं यह आरोप लगा रहा हूं । कृपया बताइये स्थिति क्या है ?

महोदय, अब खाद्य तेलों के आयात के बारे में । पिछले शासन के दौरान मार्च, 1977 की समाप्ति से पूर्व उन्होंने 630.12 करोड़ रुपए के खाद्य तेलों के लाइसेन्स दिए और उसमें से तेल की अधिकांश मात्रा समुद्र के रास्ते में ही काफी लाभ पर बेच दिया और काफी धन एकत्र किया गया । हम जानना चाहते हैं क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है । गोदरज, अर्माचन्द प्यारे लाल, ए० पी० जेड, हिन्दुस्तान लीवर आदि का, जो आयात के मामले में मुख्य अपराधी हैं, क्या हुआ ? क्या परिणाम रहा ?

जूट के व्यापार के सम्बन्ध में भारत हरी और जे० के० हानियां द्वारा किए गए आर्थिक अपराधों के बारे में सरकारी उपक्रम समिति की रिपोर्ट प्रकाशित की गई और यह

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

पाया गया कि 49.59 लाख रुपए के कम बीजक बनाए गए । इस व्यक्ति को दण्ड न दिए जाने के क्या कारण हैं ? उस समय प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दण्डित क्यों नहीं किया गया ? किस आधार पर दण्ड नहीं दिया गया ?

मेरा अन्तिम निवेदन प्रोटीन के निर्माण के संबंध में है । महोदय, भारत ऐसा देश है जहां लोगों को प्रोटीन नहीं मिलता । वर्ष 1977-78 में 174.3 करोड़ रुपए की मछली निर्यात की गई । वर्ष 1978-79 में यह राशि बढ़कर 228.3 करोंड़ रुपये हो गई और परिणाम स्वरूप हमें प्रोटीन नहीं मिला ।

औरंगाबाद में बुकबांड 3 रुपये प्रति किलो की दर से भैंस का मीट खरीदता है और विदेशों में यह 60 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है ।

हमें क्या मिलता है ? क्या कोई ऐसी जांच की गई है कि उतरने पर मूल्य में से कितना और अन्तिम बिक्री मूल्य में से कितना देश को भेजा जा रहा है ? क्या इसका केवल अंश मात्र ही भेजा जा रहा है, मुखर्जी साहब । कृपया इसे अन्यथा न लें ।

वस्त्र निर्यात का जहां तक सम्बन्ध है, आप अंग्रेजों के साथ सहयोग करने जा रहे हैं । वे आपका सब कुछ ले लेंगे । अब अमेरिका जिलेट ब्लेड फैक्ट्री लगाने के लिए कह रहा है । इससे सम्पूर्ण लघु उद्योग नष्ट हो जाएगा । मैं अब केवल इतना कहना चाहता हूं कि पड़ौसी देशों का आपके पास व्यापक बाजार है । जैसे चीन, जहां 100 करोड़ लोग रह रहे हैं । यदि आप माल निर्यात करना चाहते हैं, यदि आप अपने सम्बन्ध उनसे सामान्य बनाना चाहते हैं तो विदेश मंत्री यहां बैठे हैं और आप चीन से अपने उत्पादों का व्यापार कर सकते हैं । वहां आपकी वस्तुओं की खपत हो जाएगी । धन्यवाद ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, क्या मुझे एक मुद्दे पर आपका मार्गदर्शन मिल सकता सकता है ? डायमंड हर्बर से आए माननीय सदस्य ने कुछ व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया है । मुझे इस पर आपका मार्ग दर्शन चाहिए । क्या यह काफी है कि जब कोई किसी के विरुद्ध आरोप लगाना चाहता है या अन्य कुछ चाहे, मान हानि हो क्यों न हो । वह उसकी सूचना ही दे दें ? या क्या यह आवश्यक है कि आप द्वारा आरोप लगाने की अनुमति देने से पूर्व आपके समक्ष प्रत्यक्ष मामला रखा जाए ?

मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें ऐसे आरोप लगाने का अधिकार है । यदि आप हमारा मार्ग दर्शन करेंगे कि हमें कैसे इसे लेना चाहिए तो इससे हमें भविष्य में सहायता मिलेगी ।

सभापति महोदय : व्यवस्था का प्रश्न जब उठाया जाता है तब उसी समय उसका निर्णय कर दिया जाता है । अब व्यवस्था का प्रश्न उठया गया है, इसमें बिस्तृत विवेचना की आवश्यकता है । मैं अब इसे नहीं लूंगा और मैं अब वाणिज्य मंत्री को उत्तर देने के लिए कहूंगा ।

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : सभापति महोदय, वाणिज्य मंत्रालय की अनुदान मांगों पर वाद विवाद, जो कि वस्तुतः बजट चर्चा का दूसरे चरण का आरंभ होता है, बहुत ही निम्न स्तर का रहा और उसमें कोई उत्तेजना भी नहीं रही सिवाए अन्तिम वक्ता श्री ज्योतिर्मय बसु के भाषण के।

मैं माननीय सदस्यों का जिन्होंने विभिन्न पहलुओं पर अपना योगदान दिया आभारी हूं और यथा सम्भव मुद्दों पर बोलने का प्रयत्न करूंगा। निःसन्देह, मैं श्री ज्योतिर्मय वसु द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं उनसे केवल अपनी भाषा सुधारने के लिए कहूंगा क्योंकि यदि मुझे ठीक याद पड़ता हैं तो उन्होंने कहा "आपकी क्या ···*।

श्री ज्योतिर्मय बसु : * क्या मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया था ?

श्री प्रणव मुखर्जी : आखिर श्री मुखर्जी की पहचान वाणिज्य मंत्रालय से नहीं है। यदि आप 'क्या आपकी * ?" पर ही रुक जाते तो कम से कम मैंने इसकी व्याख्या कर ली होती "मैंने" अर्थात् वाणिज्य मंत्रालय ने। वे मेरे एक अच्छे मित्र हैं। मैं उनसे केवल अपनी भाषा सुधारने के लिये कहूंगा अथवा जिस किसी ने "आपकी क्या ···*" को सुना है उसका घटिया अर्थ लगाएगा, श्री मुखर्जी ने व्यक्तिगत रूप से* ···।

अब मैं वाद-विवाद के अधिक गम्भीर भाग पर आता हूं। जहां तक विदेश व्यापार की स्थिति है, माननीय सदस्य भली-भांति जानते हैं कि जहां तक चालू वर्ष का सम्बन्ध है, हम एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं, जिसमें घाटा 2250 करोड़ रुपये से अधिक है। जैसा कि मैं अन्य अवसरों पर पहले ही कह चुका हूं. मै नहीं समझता कि जो कुछ प्रयास हम करेंगे, उनसे आगामी वर्षों में भी इस खाई को बड़ी मात्रा में पाटने की कोई सम्भावना है। 1976-77 तक, विशेषकर 1974-75 से 1976-77 तक के तीन वर्षों का अभिलेख यह दर्शाएगा कि हमारी निर्यात संबंधी उचित विकास दर 25 से 27 प्रतिशत रही है और वर्ष 1976-77 में इस देश के इतिहास में शायद पहली बार, हमें विदेश व्यापार में स्पस्ट रूप से लाभ हुआ है। तत्पश्चात जहां तक निर्यात के क्षेत्र में विकास दर का सम्बन्ध है, गत तीन वर्षों में यह 6-7 प्रतिशत तक रही है। अब हमें खोए हुए आधार को प्राप्त करना होगा। हम किस तरह से इस खोए हुए आधार को प्राप्त कर सकते हैं, यह मुख्य प्रश्न है। इस सम्बन्ध में दो बातों को विशेषकर ध्यान में रखना होगा, जिसमें एक राष्ट्रीय है और दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय पहल का सम्बन्ध है माननीय सदस्य यह जानते हैं कि विकसित देशों में कई बार मन्दा होता है, जो हमारे लिये अलाभकर होता है। इसी प्रकार कुछ विकसित देशों ने संरक्षणात्मक रवैया अपना रखा है। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी देश भी अपने देशों में, हमारे निर्यात व्यापार के विस्तार के मार्ग में बाधा बनकर खड़े हैं। मैं केवल इसलिए इस समस्या का उल्लेख नहीं कर रहा हूं कि कोई बहाना ढूंढ़ना चाहता हूं कि हम इसका विस्तार क्यों नहीं कर रहे हैं और हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैं इस मुद्दे पर

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

इसलिए बल दे रहा हूं कि इसमें ये कठिनाईयां हैं। इसके साथ ही साथ हमें यह देखने का प्रयत्न भी करना होगा कि हम इन कठिनाइयों पर विजय पाएं और हम न केवल जीवित रहें अपितु हम एक ऐसे वातावरण में फलें-फूलें जो कि हमारे पक्ष में नहीं है और न ही हमारे लिये अनुकूल है। इस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान उस एक मुद्दे की ओर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा जिसे, डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने वाद-विवाद में भाग लेते समय उस दिन उठाया था और कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर हमारा कार्य बहुत ढीला और अनिश्चित है और व्यवहारिक रूप में हम किसी के साथ भी जुड़े हुए नहीं हैं। यह बात सच नहीं है। माननीय सदस्य ज्ञानवान व्यक्ति हैं और वह यह जानते हैं तथा कि वाणिज्य मंत्रालय के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री गोयल ने भी यह बात मानी है कि सामान्य निधि में दूसरे माध्यम की संकल्पना की स्वीकृति कमी-बेश विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय प्रतिनिधि मण्डलों की पहल के कारण है और यह हमारे लिये सहायक सिद्ध होगी तथा अपने उत्पादन आधार की दिशा परिवर्तन करने, अनुसंधान और विकास अभिमुख करने में, विकासशील देशों को आपेक्षित सहायता प्रदान करेगी। सामान्य निधि की दूसरे माध्यम के लिये ऐच्छिक अंशदान और अनिवार्य अंशदान प्राप्त करने के सन्देश हमारी पहल का एक उदाहरण हैं, जिसे भारत ने 1976 में "अंकटाड" पाम में 1976 में रखा था। बाद वाली सरकार ने भी इसका अनुपालन किया। और मैं यह बता देना चाहता हूं कि जनता सरकार ने भी इस संकल्पना को जारी रखने के लिए भरसक प्रयत्न किया।

परन्तु जनता पार्टी के एक अन्य सदस्य ने, मैं नहीं जानता कि वह किस गुट से सम्बन्ध रखते हैं, कहा है कि हमने कुछ नही किया है। दूसरे माध्यम की सम्पूर्ण संकल्पना के मामले में तथा और उन विश्व संबंधी बातचीत की पूर्व संध्या पर, जो कि अगस्त के अन्तिम सप्ताह से शुरू होने वाली है सामान्य निधि की स्वीकृति, जिससे आगामी दशक में नवीन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था स्थापित की जा सके, भारतवर्ष ने पहल की है और सामान्य निधि की स्वीकृति इस दिशा में हमारी सफलता की एक निशानी है।

जहाँ तक घरेलू समस्याओं की बात है, ये आधारभूत ढाँचे और कम उत्पादन की समस्याएं हैं,। और इस संकल्पना को स्वरूप देने की कोशिश की गई है कि हमारे पास निर्यात करने के लिए अधिक मात्रा में चीज हों। हमारे जैसे देश में, जहां 65 करोड़ लोग बसते हैं, जो कुछ हम उत्पादन करेंगे उसका उपभोग कर लिया जायेगा। यदि हमें भारतीय लोगों की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो मैं नही समझता कि हम आगामी कई वर्षों तक निर्यात करने के लिए अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने की स्थिति में पहुंच सकेंगे। यदि हम 2½ करोड़, 4 करोड़ या 10 करोड़ टन भी इस्पात तैयार करते हैं, तो संभवतः 65 करोड़ लोग उसका उपभोग कर सकते हैं और 10 करोड़ टन सीमेंट का भी उपयोग कर सकते हैं। अतः यदि हम निर्यात योग्य अधिक उत्पादन की संकल्पना को मूर्त रूप देना चाहते है, अर्थात सम्पूर्ण घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने और कुछ निर्यात के लिए भी बचाने की स्थिति में पहुंचना चाहते हैं, तो मुझे डर है कि हम इस संकल्पना को स्वीकार नहीं कर सकते, और इस संकल्पना के आधार पर हम विदेशी व्यापार नहीं चला सकते। **(व्यवधान)**।

अत: हमें इसका उत्पादन करने पर जोर देना चाहिए और इसके लिए जोरदार प्रयत्न करने के लिए, जैसा मैंने कहा है और जिन मंत्री इस नये प्रस्ताव के सारे पहलू पर विचार करने के लिए तैयार हुए हैं, हमें इसके निर्यात के लिए उत्पादन करना चाहिए क्योंकि हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें पश्चिम के बाजार की आवश्यकता को पूरा करने की बात को ध्यान में रखना होगा। हमें अपने उत्पादन का आधार बदलना चाहिए। हमें वहां की बाजार की प्रक्रिया के साथ चलना चाहिए। पश्चिम के बाजारों में हमारी अपनी विश्वसनीयता तथा विपणन क्षमता होनी चाहिए। हो सकता है किसी एक किस्म का उत्पादन जो पश्चिम के बाजार में बिकने योग्य है, वही पूर्व के बाजार में बिकने योग्य न हो। अत: बाजार को ध्यान में रखते हुए तथा सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और निर्यात की समस्त प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए हमें अपने उत्पादन आधार को फिर से नया रूप देना चाहिए ताकि हमारे पास हमेंशा कुछ न कुछ निर्यात के लिए हो और आज जो समस्या है जिसे आप तदर्थवाद कह सकते हैं उसका सामना न करना पड़े। यदि हमारे पास कुछ है तो हम इसका निर्यात करने के लिए बाजार ढूंढ़ते हैं और ज्यों ही हमें देश के बाजार में कतिपय बाधाएं दिखाई देती हैं तो तत्काल हम इस पर प्रतिबन्ध लगाते हैं जिससे संकट दूर हो जाये। इस प्रक्रिया से आपको नियमित अन्तर्राष्ट्रीय बाजार नहीं मिल सकता है और आप निरंतर जोरदार प्रयास नहीं कर सकते। अत: हमें अपना उत्पादन आधार बदलना चाहिए। ऐसा करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो हमें विभिन्न विनियमों, नियमों और कानूनों को जो इसमें बाधा डालते हैं जांच करनी चाहिए।

मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है और सम्भवत: सदस्य इसे जानने है। कि मैं जनता पार्टी को इस का श्रेय देता हूं कि उन्होंने समस्त निर्यात सम्भावनाओं की जांच करने के लिए टंडन समिति की नियुक्ति की जो इस बात की सिफारिश करे कि सरकार की क्या नीति होनी चाहिए। हमने सत्ता में आने के बाद टंडन समिति में व्यवधान नहीं डाला। हमने उन्हें काम करने दिया। उन्होंने अब सिफारिशें की हैं और कुछ सिपारिशें पहले थी—क्रियान्वित की जा चुकी है तथा अन्य क्रियान्वित होने जा रही हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : आप उन्हें परिचालित क्यों नहीं करते ?

श्री प्रणव मुखर्जी : वह एक दूसरी बात है। इसमें कोई प्रतिबन्ध नही हैं। हम कितने दस्तावेज परिचालित करते हैं। मैं नहीं जानता आप कितने पढ़ते हैं और कितना आप उन पर विचार करते हैं। मैं एक पहलू को कुछ थोड़ा विस्तार से स्पष्ट करूंगा। यह नकद सहायता का सिद्धान्त है जिसका डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी, श्री निरेन घोष तथा श्री ज्योतिर्मय बसु ने अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दिया है। इसमें बड़ी गम्भीर उलझनें हैं। यदि फिलहाल राजसहायता का सिद्धान्त जो हमने अपने निर्यात क्षेत्र के लिए अपनाया है तथा जैसा डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने तथा श्री निरेन घोष ने बिवेचन किया है, उसे निर्यात समुदाय द्वारा मान लिया जाये तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वास्तव में यही बही तर्क है जिसे हमारी वस्तुओं के विरूद्ध बराबर के शुल्क लगाने के लिए कि पाश्चात्य देशों ने दिया है और यदि वर्तमान राजसहायता योजना का

उनका अर्थ मान लिया जाये तो विश्व के बाजार में भारतीय वस्तुओं का निर्यात करना कठिन हो जाएगा। अतः मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। आपकी अनुमति से मैं एक पैरा पढ़ना चाहूंगा क्योंकि प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय बातचीत में प्रत्येक शब्द उद्धृत किया जाएगा। महोदय मेरे विचार से यू 'नकद क्षतिपूर्ति सहायता का प्राथमिक उद्देश्य निर्यातित उत्पादन पर लगने वाले अप्रत्यक्ष करों की क्षतिपूर्ति करना है। इनमें वे कर भी शामिल हैं जो इसके उत्पाद में प्रयोग किये जाने वाले और सेवाओं पर लगते हैं। "मैं यहां इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि निर्यात होने वाले उत्पाद पर लगने वाले अप्रत्यक्ष कर की वापसी की प्रथा विश्वभर में प्रचलित है और इसे बिल्कुल भी राजसहायता नहीं माना जाता है। वास्तव में हम अपने अधिकांश प्रतियोगियों की तुलना में अधिक प्रतिबन्ध लगाते हैं। जहां तक हमारे निर्यात के अधिकांश भाग का सम्बन्ध है, कोई नकद क्षतिपूर्ति सहायता नहीं है और इस प्रकार हम अप्रत्यक्ष करों की भी वापसी नहीं करते। बहुत से मामलों में जिनमें नकद क्षतिपूर्ति सहायता दी जाती है उनमें यह दर उत्पाद पर लगने वाले अप्रत्यक्ष करों की राशि से कम होती है। हमारी नीति यह है कि नकद क्षतिपूर्ति सहायता बहुत ही चयनात्मक आधार पर दी जानी चाहिए और इसकी समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। उत्पाद के चयन में महत्वपूर्ण विचार यह होता है कि वे निर्यात बाजार में सहायता दिए जाने की एक प्रारम्भिक अवधि के बाद टिक सकें। यद्यपि स्थायित्व की वांछनीयता तथा नकद क्षतिपूर्ति सहायता प्रणाली जारी रखना एक महत्वपूर्ण विचारणीय बात है किन्तु सरकार की यह नीति रही है कि व्यक्तिगत मामलों में राज सहायता कम की जानी चाहिए अथवा इसे समाप्त किया जाना चाहिए जब हमारी विकास या प्रतियोगिता सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए और अधिक आवश्यक न हो। यह इस तथ्य से आवश्यक है कि बाजार की विकास सम्बन्धी सहायता के लिए 1980-81 में कुल बजट अनुमान 355 करोड़ रुपये था जब इसकी तुलना में वर्ष 1979-80 में 358 करोड़ रुपये और 1978-79 में 375 करोड़ रुपये था। मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार इस नीति को सतर्कता से क्रियान्वित करती रहेगी और विशेषरूप से उन मामलों में जहां स्तर बढ़ जाता है इस बात का ध्यान रखेगी। अप्रत्यक्ष करों की क्षति पूर्ति केवल तभी की जाएगी जब उसका पूरा औचित्य हो। यही आधार है जिस पर हम तर्क दे रहे हैं। हम कुछ विकसित पाश्चात्य देशों द्वारा बराबर के शुल्क लगाने के बिरुद्ध तर्क दे रहे है हम उन्हें यह बताने का प्रयत्न कररहे हैं। कि हमारी राजसहायता वास्तव में कम हो रही है। समस्त बाजार विकास सहायता में केवल नकद क्षतिपूर्ति सहायता ही नहीं है किन्तु इसके बाजार विकास जैसे अन्य पहलू भी है। अतः यदि आप भारत की ससद से यह कहते जायें कि हम अपनी निर्यात होने वाली मदों पर बहुत अधिक राजसहायता देते हैं तो मुझे भय है कि कोई भी व्यक्ति इन तर्कों का हमारे विपरीत प्रयोग करने का प्रयत्न करेगा। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं।

कुछ सुझाव दिये गये हैं और विशेष रूप से सुझाव कटौती प्रस्तावों के रूप में आये हैं कि हम क्यों न समस्त आयात-निर्यात व्यापार का राष्ट्रीकरण करें। कुछ सदस्यों ने और सुझाव भी दिये हैं। माननीय सदस्यों की सूचनार्थ मैं यह बताना

चाहता हूं कि जहां तक निर्यात-आयात व्यापार का सम्बन्ध है, हमारे सरकारी क्षेत्र के एकक इससे काफी सम्बद्ध हैं तथा इस समय 60 प्रतिशत आयात व्यापार राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम जैसे सरकारी क्षेत्र के एकंकों के माध्यम से होता है। साथ ही इस क्षेत्र में इंडियन आयल, नाफेड और कुछ अन्य संगठन हैं (व्यवधान)। हमारे कुल निर्यात व्यापार का 16 प्रतिशत··· (व्यवधान) श्री बसु मेरा आप से निवेदन है कि आप मुझ सुने, क्योंकि मैं आपको शान्तिपूर्वक सुनता रहा हूं। मुझे मालूम है कि आपकी असीमित शक्ति है। आखिर हमें यह समाप्त करना है। समस्त निर्यात व्यापार का 16 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र के संगठनों के जरिये होता है। अतः जहां तक विदेश व्यापार का सम्बन्ध है सरकारी क्षेत्र के संगठनों का वास्तव में निर्यात और आयात दोनों में अधिपत्य है।

जहां तक वस्त्र नीति का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्यों को सरकार की नीति स्पष्ट करना चाहता हूं। अपने भाषण के दौरान श्री मूलचन्द डागा ने कहा है कि 1974 में घोषित वस्त्र नीति की हमें समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या यह नीति बहुत संकुचित है। सभा में इस बात पर दो राय नहीं हो सकती कि हमारे कपड़ा क्षेत्र में हथकरघे को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी हैं क्योंकि इसमें 100 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है और यह सबसे परम्परागत उद्योग है जिसमें कृषि के बाद सबसे अधिक संख्या में लोग लगे हुए हैं। किन्तु साथ ही दो अन्य क्षेत्र भी हैं। हम उनका क्या करें ? प्रश्न यह है कि क्या वे उन्हें इसी दशा में चलने दें या वे अपनी उचित भूमिका निभाएं। अतः आपको ऐसी नीति बनानी होगी जिसमें वस्त्र उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र मिल क्षेत्र, विद्युत करघा क्षेत्र और हथकरघा क्षेत्र को प्रभावी भूमिका निभानी है। अन्यथा हम जो भी उपाय करेंगे वे इकतरफा होंगे और अन्ततः हमें अपने उस उद्देश्य तक नहीं पहुंचायेंगे जहां हम जाना चाहते हैं। अतः यह एक बात है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि इनमें से कुछ बातों पर ध्यान दिया ही जाना चाहिए। जब कोई व्यापक नीति बनायी जाएगी तो मैं उस नीति को संसद सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।

इसके महत्वपूर्ण अवयवों में से एक यह है: जहां तक मल्टी-फाइबर नीति का सम्बन्ध है, इसके बारे में हमारी नीति क्या होनी चाहिये ? निसन्देह कपास हमारी कपड़ा नीति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व रहेगा किन्तु साथ ही हम किस सीमा तक मिश्रण की अनुमति दें ? हमें मानव-निर्मित धागे के गुणों का किस सीमा तक लाभ उठाना चाहिये ? जब तक हम इन नीतियों का स्पष्ट निर्धारण नहीं करते, यह कपड़ा उद्योग के लगभग सभी क्षेत्रों के विरुद्ध रहेगा। अतः यह ऐसा समय है कि जब हमें इस सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहिये। एक अन्य क्षेत्र में, विशेष कर उन क्षेत्रों में जहां धागे की बहुत कमी है, स्पिनड़लों की अतिरिक्त क्षमता बनाने के लिये शीघ्र ही एक निर्णय लिये जाने की आवश्यकता है क्योंकि हमें ऐसे मामले में नीति सम्बन्धी निर्णय करना चाहिये जहां हम स्पिनिंग मिलों में क्षमता बढ़ाने की अनुमति दे सकते हैं।

पटसन के बारे में प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। इससे पहले भी एक अवसर पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने यह बात स्पष्ट

कर दी थी; जहां तक भारतीय पटसन निगम का सम्बन्ध हैं, वह मूल्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम नहीं होने देंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : वह हर वर्ष ऐसा कहते हैं । किन्तु वह ऐसा कभी करते नहीं हैं ।

श्री निरेन घोष (दमदम) : कपास और गेहूं के बारे में भी वह ऐसा कहते रहते हैं ।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं कपास अथवा गेहूं के साथ तुलना नहीं कर रहा हूं । जहां तक भारतीय पटसन निगम की भूमिका का सम्बन्ध है, हमने उनका क्षेत्राधिकार निर्धारित कर दिया है । जहां तक उसकी वर्तमान गतिविधियों का सम्बन्ध है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक स्पष्टीकरण मांग रहा हूं । समर्थन मूल्य कितना है ? क्या यह कृषि मूल्य आयोग का समर्थन मूल्य है ? अथवा मारवाड़ी लाबी द्वारा लगाया गया मूल्य है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : आपको कौन सा स्पष्टीकरण चाहिए ? मैंने जो बात कहनी है उसे अभी स्पष्ट नहीं किया है ? हमने भारतीय पटसन निगम को कार्य-संचालन के लिये कहा है। उनकी समस्या क्या है ? उनकी समस्या यह है कि उनके पास 16 लाख गाँठों का भंडार है और वे 4 लाख गांठों का वितरण कर सकते हैं । मैंने उन्हें शेष 12 लाख गांठों का वितरण करने को कह दिया है । मैंने 13 करोड़ रुपये की उनके पुराने भंडारों के वितरण में होने वाली हानि को स्वीकार कर लिया है । 13 करोड़ रुपया भारतीय पटसन निगम को देना पड़ेगा ।

श्री निरेन घोष : क्या मैं यह पूछ सकता हूं

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं झुकूंगा नहीं ···आपको अपना स्थान ग्रहण करना चाहिये ·· **(व्यवधान)** आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा रहे हैं । आप ··रनिंग कमेंटरी नहीं दे सकते हैं । माननीय सदस्य स्वयं को बहुत होशियार समझते हैं किन्तु यह उनकी सरकार ही है जिसने हमारे लिये यह समस्या उत्पन्न की है । **(व्यवधान)** श्री घोष, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं यह आपका धार्मिक संघ है । पश्चिम बंगाल के सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि जब पटसन निगम दोपहर बाद कार्य आरम्भ करता है तो आपको जानकार आश्चर्य होगा कि उसके सदस्य अगर 4 से 7 बजे तक कार्य करते हैं तो समयोपरि भत्ता मांगते हैं । आपने हमें इस कठिनाई में डाल दिया है ।

सभापति महोदय : मैं सदस्य से यह अनुरोध करूंगा कि वह तभी हस्तक्षेप करें जब मंत्री महोदय किसी बात का उत्तर न दे सकें, अन्यथा आपको खड़े नहीं होने दिया जायेगा और बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी । मुझे विश्वास है कि सदस्य उन बातों के बारे में सरकार के विचार जानना चाहते हैं जो उन्होंने उठाई हैं । अतः यह आप लोगों के हित में है कि आप मंत्री महोदय का भाषण धैर्य से सुनें ।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा । **(व्यवधान)**···।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह मेरी बात को सुनें, मुझे उनके सहयोग की आवश्यकता है । मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री से भी बात की है । मैंने उनसे भी बात की है, किन्तु यदि उनका बिचार हो कि इस प्रकार चिल्लाने से वह मुझे दबा सकते हैं तो इस प्रकार न तो उनकी समस्या का समाधान होगा, न ही मेरी समस्या का समाधान होगा और न ही पटसन उत्पादकों की समस्या का ही समाधान होगा । हमें इस समस्या का समाधान करना होगा ।

मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि एकाधिकार खरीद नहीं होगी । यह भारतीय पटसन निगम के लिये सम्भव नहीं है । वह एकाधिकार खरीद करने की स्थिति में नहीं है । उनके पास संरचनात्मक ढांचा नहीं है । उनके पास खरीद केन्द्र नहीं है; यह हमारा अनुभव है, आप इसे सही अथवा गलत कह सकते हैं, आप भारतीय पटसन निगम का दुरुपयोग कर सकते हैं किन्तु ठोस तथ्य तो यह है कि जब मैंने भारतीय पटसन निगम को खरीद के लिये कहा तो उन्होंने उत्पादकों के स्थान पर व्यापारियों से खरीद कर ली । पहली बार मुझे यह निर्देश देना पड़ा कि आप को व्यापारियों के स्थान पर सीधे उत्पादकों से कुल खरीद का 50 प्रतिशत खरीदना चाहिये ।

मैं इसका लाभ व्यापारियों को नहीं देना चाहता । यदि भारतीय पटसन निगम अधिक से अधिक खरीद करने की स्थिति में है तो मैं उनकी हर सम्भव सहायता करने के लिये तैयार हूं । अत: यह एक ऐसी समस्या है जिसे हम सब को सुलझाना होगा । आप चिल्ला चिल्ला कर इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं । आप दर्शक-दीर्घा की तरफ देख-देख कर मुझ पर चिल्ला नहीं सकते और इस प्रकार हीरो नहीं बन सकते हैं । मैं ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं करूंगा । भारतीय पटसन निगम को भी बिना शर्त पटसन का निर्यात करने की अनुमति दे दी गई है ताकि उनके गोदामों में ताजा माल आ सके । गोदाम कहां है ? किन्तु क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 10 लाख गांठों को रखने के लिये गोदाम उपलब्ध हैं ? यह ऐसी समस्या है, जिसका समाधान हमें करना होगा ···**(व्यवधान)** ।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य श्री घोष से अनुरोध करूंगा कि वह हस्तक्षेप न करें । **(व्यवधान)** ।

श्री प्रणव मुखर्जी : अत: मेरा कहना यह है कि मैंने यह सुनिश्चित कर दिया है और माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि भारतीय पटसन निगम हर सम्भव प्रयास करेगी । किन्तु जहां तक एकाधिकार खरीद का प्रश्न है, यह सम्भव नहीं है । हम इस बात का प्रयास करेंगे कि इसके मूल्य न गिरें । उत्पादक को कम से कम न्यूनतम मूल्य अवश्य मिलना चाहिए । इस सम्बन्ध में मैंने पश्चिम बंगाल सरकार से सहयोग का अनुरोध किया है । मैंने इस बारे में उनसे बातचीत की है । **(व्यवधान)** ।

श्री प्रणव मुखर्जी : मुझे कम से कम पटसन के बारे में बोल लेने दीजिए, बाद में आप व्यवधान डालते रहिए ·····मुझे पटसन के बारे में और भी कुछ कहना है । **(व्यवधान)** ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। वह मान गए हैं। शुक्र है कि वह मान गए हैं। **(व्यवधान)**।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह मान गए हैं। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं क्या कृपया आप हमें यह बतायेंगे कि यह सत्य है अथवा नहीं कि आपके एक पूर्वज, स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र ने एक स्पष्ट वक्तव्य दिया था कि समूचे पटसन व्यापार, कच्चे पटसन व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा ? उन्होंने पटना में इस सम्बन्ध में भाषण किया था। वह सरकारी उपक्रम समिति के रिकार्ड में है। क्या आपने उसका अध्ययन किया है ? अब आप उससे भाग क्यों रहे हैं ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं माननीय सदस्य का यह सूचना देने के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं वर्तमान स्थिति के बारे में तथा कार्यवाही के लिए उपलब्ध साधनों के बारे में बात कर रहा हूं।

मैंने एक बार पहले भी कहा कि जहां तक पटसन का सम्बन्ध है, हम बड़ी ही विचित्र स्थिति में हैं। पटसन मिल मालिकों ने बहुत ही लाभ कमाया है किन्तु उन्होंने उस लाभ को पुनः उद्योग में नहीं लगाया है। यह स्थिति बिलकुल अच्छी नहीं है। हमने सबसे बड़ी पटसन मिल का राष्ट्रीयकरण किया है, यह नेशनल जूट मिल है तथा कुछ अन्य पटसन मिलों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया है। यह मिलें या तो राज्य सरकार के अथवा भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकृत एजेन्सियों के प्रशासनिक नियन्त्रण में हैं। मैंने इस बात पर पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री से विचार-विमर्श किया है। उन्होंने मुझे यह लिखा है कि हमें पटसन मिलों के प्रबन्ध अधिग्रहण के बारे में एक व्यापक नीति का निर्धारण करना चाहिए। हम उनसे इस बात से सहमत हैं और इस सम्बन्ध में एक नीति निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं।

पटसन विकास के सम्बन्ध में मेरा यह विचार है कि अब वह समय आ गया है जबकि हमें एक व्यापक पटसन नीति बनानी चाहिए। कुछ देशों ने पटसन मिलें लगाई हैं। हमें यह देखना है कि क्या हम उन देशों को कच्चा माल उपलब्ध कर सकते हैं ? हमें विविधीकरण करना चाहिए। अन्यथा जब सिन्थेटिक मूल्य बढ़ जायेंगे तो हमें निर्यात के अच्छे बाजार मिल सकेंगे। इन वर्षों में हमने केवल अमेरीका तथा कुछ पश्चिम यूरोप के देशों के बाजारों में ही प्रयास किया है। किन्तु विविधीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से, अनुसन्धान और विकास के माध्यम से हम इन जिन्सों का और अधिक लाभकारी उद्देश्यों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रख कर मैं एक कार्यकारी दल बनाना चाहता हूं जो सरकार को सिफारिशें करेगा कि पटसन की समस्या को हम कैसे सुलझा सकते हैं। **(व्यवधान)**।

केरल के सभी माननीय सदस्यों ने विशेषकर तीन मदों, रबर, काजू और कोको के बारे में कहा है। किन्तु मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि उनका विरोध किस बात पर है। मैंने अनेक अवसरों पर केरल के मुख्य मन्त्री को तथा जो शिष्ट मंडल मुझे मिले, उनको यह स्पष्ट कर दिया था कि काजू निगम एक माध्यम स्वरूप एजेन्सी है और उन्हें कच्चे काजू का आयात

करना चाहिए। श्रीमती सुशीला गोपालन ने कहा है कि "आप राज्य निगम को काजू के आयात की अनुमति क्यों नहीं देते ? उसे काजू का आयात करने के लिये किसने रोका है ? उन्हें काजू का आयात करने का अधिकार है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : जब गैर-सरकारी लोग काजू का आयात कर रहे हैं तो राज्य निगम उनसे कैसे प्रतिस्पर्द्धा कर सकता है।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं गैर-सरकारी लोगों को काजू का आयात नहीं करने दूंगा। राज्य काजू निगम को यह कार्य करना चाहिए। यदि आप काजू का आयात कर सकें तो मैं उसका स्वागत करता हूं। हम इसी नीति को अपना रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो मात्र मेरी भर्त्सना करने से क्या लाभ है ? केवल 5000 टन काजू का आयात किया जाता है। उसका लाभ किसे जाता है ? इससे 50 प्रतिशत काजू की केरल में प्रोसेसिंग होती है। कम से कम थोड़े दिनों के लिए ही सही उन लोगों को काम मिलता है। इसमें गलत क्या है ? काजू निगम, जो 100,000 टन काजू आयात करती है, आज 8,000 टन से अधिक काजू आयात नहीं कर सकती क्योंकि उन देशों ने, जिन्होंने काजू का उत्पादन आरम्भ किया है प्रोसेसिंग एकक भी लगा लिए हैं।

इसलिए परिष्कृत किये जाने के लिए कच्चा काजू उपलब्ध नहीं है। इसलिए यदि काजू निगम काजू का आयात कर सके तो उसका स्वागत है। केरल को सभी आवश्यक प्रोत्साहन दिए जायेंगे। लोकसभा में जोरदार भाषणों से तनजानियाँ अथवा मोजाम्बिक से काजू नहीं प्राप्त हो जायेंगे। यदि माननीय सदस्य इस बारे में कोई सुझाव देते हैं कि किस प्रकार अधिक काजू का आयात किया जा सकता है, तो मैं उस पर विचार करने को तैयार हूं।

'कोका' के बारे में केन्द्रीय कृषि मंत्रालय तथा केरल के कृषि मंत्रालय में मतभेद है। मैंने उन से पूरे उत्पादन के आंकड़े मांगे हैं। केरल के कृषि मंत्रालय का कथन है कि कुल उत्पादन 3000 टन है। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय 1000 टन मानती है। उसके आधार पर हमें निर्णय लेना है कि क्या इसका आयात किया जाये अथवा नहीं। कोका आयात क्यों किया जाता है ? क्योंकि भारतीय कोका में अधिक सरलता होती है। इसलिए उसे साफ करने का कोई कारखाना नहीं है। कोई आगे बढ़कर यह पूछ सकता है : आप ऐसा कारखाना प्रारम्भ क्यों नहीं करते ? यही बात मैंने केरल के मंत्री के साथ की थी कि आप कोई ऐसा कारखाना स्थापित करें जिससे कि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हम स्वदेशी कोका की सरलता कम कर सकें ताकि उसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सके। कोका की कमी नहीं है। मैं उत्पादकों की कठिनाई समझता हूं। मुझे पता चला है कि 'कोका' पैदा करने वालों की कमी है। कडबरी जोकि कोका के सबसे बड़े उपभोक्ता है, बहुत समय से वहां पर हड़ताल चल रही है और इसलिए उन्होंने माल नहीं खरीदा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : वे कृत्रिक कोका का उपयोग कर रहे हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : इसके अलावा हमें सरलता की मात्रा घटानी है जितने भी कोका के

निर्यात की अनुमति दी जाती है उसे भारतीय कोका के साथ मिश्रित किया जाना था, ताकि उसकी सरलता की मात्रा कम हो सके और उसका उपयोग किया जा सके (व्यवधान)।

जहां तक रबड का सम्बन्ध है यह सही है कि कुछ रबड़ का आयात किया गया था परन्तु ऐसा डनलप अथवा किसी बहु-राष्ट्रीय कम्पनी के कहने पर नहीं किया गया। रक्षित भंडार के लिए कुछ रबड़ का आयात किया गया।

कुल उत्पादन कितना होता है तथा कुल खपत कितनी होती है। 1980-81 में रबड़ का अनुमानित उत्पादन 155,000 टन था तथा अनुमानित खपत 180,000 टन थी। इस कमी को आप कैसे पूरा कर रहे हैं। क्या आयात के अलावा कोई और उपाय है।

ये आंकड़े केरल सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये गए हैं। आपको कमी आयात द्वारा पूरी करनी पड़ेगी। और राजकीय व्यापार निगम क्या करता है? वे आयात करते हैं तथा उसका कुछ भाग ही आरक्षित भण्डार के रूप में रखते हैं। उसकी मात्रा कितनी है? 7500 टन जो कि राजकीय व्यापार निगम के पास रक्षित भंडार के रूप में पड़ी है। इस वर्ष हमने कोई माल आयात नहीं किया। पिछले वर्ष कुछ आयात की अनुमति दी गई थी परन्तु किसी एक वर्ष में पूरा आयात नहीं हो पाता अतः कुछ बकाया रह जाता है। इसलिए पिछले वर्ष के आयात का 1980-81 में करना पड़ा। जहां तक इस वर्ष का सम्बन्ध है, हमने स्थिति का पुनरीक्षण करने को कहा है जिसके बाद हम निर्णय ले पायेंगे। इसलिए जहां तक रबड़ का सम्बन्ध है इसके साथ न तो सौतेला बर्ताव किया गया है और न ही ऐसी कार्यवाही करने का यत्न किया गया है जो केरल की अर्थ-व्यवस्था के लिए कठिनाइयां पैदा कर दे।

यदि काजू को संसाधित करने के कारखाने अन्य राज्यों में स्थानान्तरित हो रहे हैं तो इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय को दोष नहीं दिया जा सकता। ऐसा आपके श्रम कानूनों के कारण अथवा आपके काजू संसाधित करने वाले कारखानों के बारे में लिए गए निर्णयों के कारण हुआ है जिसके कारण प्रेस, कारखाने अनुभव करते हैं कि काजू को केरल में संसाधित करना मंहगा पड़ने लगा। यदि वे लोग तमिलनाडु जाने लगे हैं तो आपको तमिलनाडु में अपने साथी के साथ मिलकर कोई समाधान खोजना चाहिए। ताकि उन कारखानों को बचाया जा सके। मैंने इस बारे में संबद्ध मंत्री को स्पष्ट कर दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह अच्छी बात है कि आपने कच्चे माल का मामला उठाया है जो कि बाहर से आयात किया जाता है। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र के कोंकन, केरल तथा अन्य क्षेत्रों में मांग है। परन्तु इन संसाधन करने वाली फैक्ट्रियों में कच्चे माल के वितरण में असमानता है। यह कार्य वाणिज्य मंत्रालय का है तथा क्या आप इस बात पर ध्यान देंगे कि इस बारे में क्षेत्रों में पूरी संतुलन बनाये रखा जाये तथा कुछ क्षेत्रों और प्रदेशों को पूरी तरह उपेक्षित न किया जाये।

श्री प्रणव मुखर्जी : यह संतुलन बनाये रखा जाता है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमने एक निजी पार्टी के माध्यम से 5000 टन आयातित किया। हमने इसका 50 प्रतिशत केरल में संसाधित किए जाने के लिए आवंटित कर दिया, क्योंकि यह संसाधन एककों में लगे व्यक्तियों की संख्या पर और विभिन्न राज्यों में परिष्करण एककों की संख्या पर निर्भर करता है और उसी के आधार पर वितरण किया जाता है।

विश्व व्यापार में भारत के हिस्से के बारे में डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सुझाव दिया है कि 1980 से शुरू होने वाले दशक में यह 2 प्रतिशत था। जो कि अब 0.5 प्रतिशत रह गया है तो डा० स्वामी, यदि माल पर 0.5 प्रतिशत रह गया है। उसके लिए मुझे उत्तरदायी न ठहरायें। 1974 से 1977 के बीच जब उन्होंने दायित्व संभाला था तब यह 0.6 से थोड़ा अधिक प्रतिशत था और अब उससे घटकर 0.5 प्रतिशत रह गया है। मैं इनमें सुधार करने के लिए प्रयास कर रहा हूं।

दूसरी बात जिसका माननीय सदस्यों ने विशेष रूप से श्री ज्योतिर्मय बसु ने उल्लेख किया। कि हम गैर-परम्परागत क्षेत्रों में अपना व्यापार क्यों नहीं बढ़ाते..... ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने अच्छी किस्म की वस्तुओं का उल्लेख किया था।

श्री प्रणव मुखर्जी : जहां तक इस वस्तु का प्रश्न है मैं पूर्णतः सहमत हूं। इस बात को मैं बाद में लूंगा। मैं पूरी तरह आपके साथ सहमत हूं। यदि आप आंकड़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पश्चिम यूरोप को निर्यात का हमारा भाग 1961-62 में 34·4 प्रतिशत से घटकर 1978-79 में 31·1 प्रतिशत रह गया। जहां तक अमरीका को हमारे निर्यात का प्रश्न है यह 22·1 प्रतिशत से घटकर 14·6 प्रतिशत रह गया है। दूसरी ओर पूर्वी यूरोप को हमारा निर्यात 9·4 प्रतिशत से बढ़कर 10·7 प्रतिशत हो गया और आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के मामले में यह 26 प्रतिशत से बढ़कर 37·4 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार 'एशियान' देशों आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और पड़ौसी देशों से हमारा निर्यात बढ़ा है। यह हमारा गैर-परम्परागत बाजार है। पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ तुलनात्मक दृष्टि से व्यापार घट रहा है। और वस्तुओं की किस्म में परिवर्तन आया है। श्री बसु ने अच्छी किस्म की वस्तुओं का उल्लेख किया है। यदि आप अच्छी किस्म की वस्तुओं पर ध्यान दें तो आप पायेंगे कि विकासशील देशों में भारत पहला देश है जिसने निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में अच्छी किस्म की वस्तुओं पर अधिक बल दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उस पर हम चर्चा कर सकते हैं और आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं इस मामले पर श्री बसु से गुप्त रूप से या खुले रूप से वाद विवाद कर सकता हूं। परन्तु यह कठोर सत्य है कि स्थिति संतोषजनक नहीं है आज भारत ने 2800 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हाथ में ली हैं। श्री बसु, क्या आप किसी ऐसे देश का नाम ले सकते हैं। जिसने आधुनिक प्राद्योगिकी वाली परियोजनाएं शुरू की हों।

एक माननीय सदस्य : चीन ।

श्री प्रणव मुखर्जी : चीन एक विकसित देश है । इसलिए चीन को अलग माना जाता है । मैं विकासशील देशों की चर्चा कर रहा था । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें पृथक माना जाता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ब्रुकबांड औरंगाबाद में 3 रुपए किलो भैंस का मांस खरीद कर उसे 60 रुपए किलो पर निर्यात कर रहे हैं । कृपया ध्यान दें वह कितना धन भारत लाते हैं ।

श्री प्रणव मुखर्जी : बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के प्रति आपके आवेश को मैं समझ सकता हूं और मैं यथासम्भव उनके प्रभाव को समाप्त करना चाहता हूं । परन्तु यह पृथक मामला है । मैं बिल्कुल अलग पहलू को ले रहा हूं । (व्यवधान) इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम बेहतर किस्म की वस्तुओं पर बल दे रहे हैं । एक क्षेत्र में कुछ समस्याएं भी हैं । चमड़े के मामले को ही लें । जहां तक चमड़े के निर्यात का सम्बन्ध है, बेहतर किस्म की वस्तुओं का प्रोत्साहन देने की दृष्टि से हम निर्मित वस्तुओं के उत्पादन पर नकद सहायता दे रहे हैं तथा अर्धनिर्मित वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगा रहे हैं । इसलिए इस बारे में हम निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं । आज हम केवल कच्चे माल का ही निर्यात नहीं कर रहे और न ही परम्परागत माल का निर्यात कर रहे हैं । आज हमारे निर्यात का बड़ा भाग निर्मित उत्पाद मशीनरी, उपकरण, मशीनी औजार है । इसलिए श्रीमान मुझे उम्मीद है कि हम सही दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे । मैं चालू वर्ष के लिए निर्धारित आंकड़े, अर्थात् 7100 करोड़ रुपये के लक्ष्य तथा 16 प्रतिशत की विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त किये जाने के लिए सभा का समर्थन चाहता हूं ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं ।

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर (खंडवा) : मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि अन-आर्थराइज्ड पावरलूप्स को टैक्स-मार्क देकर रैगूलर किया जाए । इस के बारे में मंत्री महोदय बताए ?

सभापति महोदय : आप उनके साथ चर्चा कर सकते हैं । अब हम दूसरे मंत्रालय की मांगें लेंगे ।

मैं अब वाणिज्य मंत्रालय के सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखता हूं यदि कोई सदस्य उन्हें पृथक रखे जाने का आग्रह न करें । मेरी समझ में ऐसा कोई नहीं चाहता है ।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : कि कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई वाणिज्य मंत्रालय संबंधी मांग संख्या 11 से 13 के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजीलेखा राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
वाणिज्य मंत्रालय		
11.	वाणिज्य मंत्रालय	93,10,000
12.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	272,88,01,000
13.	सूती वस्त्र, हथकरघा तथा हस्तशिल्प	76,21,29,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुदानों की माँगें (सामान्य) 1980-81 विदेश मंत्रालय

सभापति महोदय : सदन में अब विदेश मन्त्रालय से सम्बद्ध मांग संख्या-31 पर चर्चा और मतदान होगा जिसके लिए आठ घंटे का समय नियत किया गया है ।

मन्त्री महोदय मांगों पर एक वक्तव्य दे सकते हैं ।

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : सभापति महोदय, मुझे अत्यन्त ही छोटा वक्तव्य देने के लिए आपने कुछ मिनट का जो समय दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । इस अवस्था में मैं अधिक समय नहीं लूंगा अथवा लम्बा भाषण नहीं दूंगा । माननीय सदस्यों के विचारों का पूर्वानुमान लगाना उचित नहीं होगा, जो कि मुझे विश्वास है कि बड़े ही उपयोगी और प्रबोधक होंगे और जिनका उत्तर मैं वाद-विवाद के अन्त में देना चाहता हूं । फिर भी, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मैं सदन को विश्वास में लेना चाहता हूं और उसके बारे में कुछ शब्द बोलना चाहता हूं । जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वह निम्न प्रकार है ।

कम्पूचिया का हवाला देने के लिए मैं सदन के कुछ मिनट लेना चाहता हूं । कम्पूचिया के साथ भारत के सम्बन्ध कई सदियों पुराने हैं । अंगकोर वट के मन्दिर, दो देशों की संस्कृतियों के पारस्परिक प्रभाव का स्पष्ट प्रमाण है । वास्तव में हिन्द-चीन उप-महाद्वीप में कोई भी देश भारत के कम्पूचिया जितना निकट नहीं है । यह एक हार्दिक सम्बन्ध है । दुर्भाग्य से उस उच्च सुसंस्कृत देश के सरल हृदय जनों को, बिना अपनी किसी गलती के बड़े भारी कष्ट उठाने पड़े हैं । कम्पूचिया के लोगों के प्रति हमारा हृदय सहानुभूति से भर आया है और उनके कष्टों को दूर करने के लिए भारत जो कुछ कर सकता था, उसने किया और हम ऐसा करते भी रहेंगे ।

यह बात तो स्पष्ट ही है कि दक्षिण-पूर्व एशिया की स्थिति में तनाव को घटाने की आवश्यकता है तथा क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाना भी जरूरी है, जिससे कि क्षेत्र का प्रत्येक देश अपने समाजों, समुदायों और अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए अपना ध्यान केन्द्रित कर

सके । हमारे विचार से, जिससे हमारा विश्वास है कि क्षेत्र की बहुत सी सरकारें भी सहमत होंगी ये समस्याएं सम्बद्ध देशों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से आपसी बातचीत द्वारा सुलझाई जा सकती हैं तथा सभी प्रकार के उनके अवांछनीय परिणामों के साथ बाहरी बड़ी ताकतों के प्रभाव तथा होड़ से इस क्षेत्र को दूर रख कर ये समस्याएं हल की जा सकती हैं । यह एक ऐसी नीति है जिसकी वैद्यता का हमारे चारों ओर फैले क्षेत्रों में भी प्रदर्शन किया गया है ।

'आसियन' (एशिया के देशों) के साथ अपने सम्बन्धों की हम कदर करते हैं और हमारा विश्वास है कि हमें उनके साथ अपनी बातचीत को अधिक व्यापक रूप देना चाहिए । हम महसूस करते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में हमारे सभी पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों को विकसित करने से, हमारे अपने ही ढंग से, यहां व्याप्त समस्याओं का फिर से कोई हल ढूंढने में सहायता मिलेगी ।

कम्पूचिया की नई सरकार को मान्यता प्रदान करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है जिसमें इस दृष्टिकोण को भारत की राजनैतिक विचारधारा के भारी बहुमत का आर्शीवाद प्राप्त है । कम्पूचिया को उन सभी भयानक अग्नि परीक्षाओं से गुजरने के बाद, जो उसने झेली है, यदि अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करना है, आन्तरिक आधारभूत-ढांचे को फिर से खड़ा करना है और सार्वभौमिक, स्वन्तत्र, गुट-निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में अपने गौरव को फिर से स्थापित करना है तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से हर सम्भव सहायता की आवश्यकता है । इन उद्देश्यों से आगे, राष्ट्रपति हेंग-सामरिन की अध्यक्षता वाली फोंम-पेन्ह में बनी कम्पूचिया की जन-गणतन्त्रीय सरकार के साथ हम तुरन्त राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं ।

सभापति महोदय : वे माननीय सदस्य, अनुदान की मांगों पर जिनके कटौती प्रस्तावों को परिचालित किया गया था, यदि अपने कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो जिन कटौती प्रस्तावों को वे प्रस्तुत करना चाहते हैं, उनका क्रमांक निर्देशित करते हुए 15 मिनट के अन्दर-अन्दर पर्चियां पटल पर भेज दें । केवल इन्ही कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया हुआ समझा जायेगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सभापति महोदय, मैं अपना भाषण विदेश मन्त्री महोदय को उनकी इस घोषणा का हार्दिक स्वागत करते हुए प्रारम्भ करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने कम्पूचिया को मान्यता दे दी है । उन्होने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि यह देश में व्याप्त आम राजनीतिक राय है कि कम्पूचिया में राष्ट्रपति हेंग सामीरन की अध्यक्षता वाले शासन को मान्यता प्रदान कर देनी चाहिए थी । यद्यपि यह बहुत पहले दे देनी चाहिए थी, फिर भी उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में सदन में यह घोषणा कर दी है और मैं कहता हूं कि उन्होंने अपना आश्वासन पूरा कर दिया है । केवल पिछली बार ही उन्होंने कहा था, "इस पर तत्परता से विचार किया जा रहा है, या बड़ी ही तत्परता से विचार किया जा रहा है ।" इसलिए, मैं उन्हें सही निर्णय लेने के लिए बधाई देता हूं ।

आज, जबकि हम विदेश मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं, हम पाते हैं कि मानवता आज खतरे में है, संकट में है । बहुत से मानव-मूल्यों को चुनौती दी जा रही है । विश्व-शांति

खतरे में है, हथियारों की दौड़ गति पकड़ रही है और इससे तृतीय विश्व-युद्ध का मार्ग खुल रहा है। स्थिति पर विश्व जन-मानस भारी चिन्ता का अनुभव कर रहा है। हमारे देश के चहुंओर तनाव बढ़ रहे हैं, एशिया के विभिन्न भागों में तनाव पनप रहे हैं, तनावों से ही विश्व की स्थिति संकटग्रस्त बनती जा रही है और इसलिए हर कोई गहरी चिन्ता अनुभव करता है। भारतवर्ष एक शान्ति प्रिय देश होने के नाते और हमारे लोगों की शान्ति प्रियता की एक महान परम्परा के कारण वर्तमान स्थिति पर हमें गहरी चिन्ता है। मैं सोचता हूं कि यदि कोई आज स्थिति पर चारों ओर दृष्टिपात करे तो वह अनुभव करता है कि यह इतना गम्भीर रूप धारण करती जा रही है कि कभी-कभी वह यह अनुभव करने लगता है कि शायद पृथ्वी ग्रह किसी गम्भीर खतरे में न पड़ जाये, केवल एक खतरे में ही नहीं, केवल दस खतरों में ही नहीं अपितु सेकड़ों खतरों और इससे भी कहीं अधिक खतरों में पड़ने वाली है।

आज एशिया में क्या हो रहा है ? एशिया साम्राज्यवादियों के षड्यन्त्रों का अखाड़ा बनता जा रहा है। चाहे यह हिन्द महासागर हो, या फारस की खाड़ी हो, अथवा पश्चिमी-यूरोप या फिर चाहे यह दक्षिण-पूर्वी एशिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो या हिन्द-चीन, हर कहीं हम तनाव को बढ़ता हुआ ही पाते हैं, युद्ध की स्थिति पाते हैं और, इसलिए, हमारी सार्वभौमिकता, हमारी एकता और वे मूल्य जिन्हें हम एक राष्ट्र के रूप में हृदय में संजोए हुए हैं, भारी खतरे में जान पड़ते हैं। अतः हमारे लिए यह और भी गम्भीर चिन्ता का मामला है जबकि हम देखते हैं कि हमारी दोनों सीमाओं पर एक नवीन सैनिक ध्रुवीकरण उभर रहा है, एक ऐसा ध्रुवीकरण जहाँ अमरीका, चीन, और पाकिस्तान एक-दूसरे से हाथ मिला रहें हैं, एक-दूसरे को सहयोग दे रहे हैं और विश्व के विभिन्न भागों में हथियार भेज रहे हैं। इस पर हमें गहन चिन्ता है।

विदेश मन्त्रालय के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि हम पाकिस्तान से अपने सम्बन्धों को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु दूसरे ही दिन हमने देखा कि पाकिस्तान ने अपना रक्षा खर्च बढ़ा दिया है; जोकि कुल बजट का 48 प्रतिशत है और लगभग पाकिस्तान का आधा बजट युद्ध की तैयारी, हथियारों की खरीद पर खर्च होने जा रहा है। दुर्भाग्य से आज पाकिस्तान साम्राज्यवादी शक्तियों के लिए सैन्य-अड्डा बनने जा रहा है। हमारे अनेक बार विरोध-पत्र भेजने के बावजूद भी, अमरीका ने पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई बन्द नहीं की है। आज ही हमारे समाचार-पत्रों ने लिखा है कि दक्षिण-पूर्व एशिया को भेजे गये शस्त्रों का 28% पाकिस्तान को मिला है। पाकिस्तान को न केवल अमरीका से हथियार प्राप्त हो रहे है, अपितु जैसा कि हम जानते हैं, पश्चिमी-जर्मनी से, फ्रांस से, ब्रिट्रेन और चीन से भी प्राप्त हो रहे हैं। आज पाकिस्तान पर अनेक देशों की आंखें टिकी हुई हैं। यह तो हमारे लिए बड़ी ही चिन्ता की बात है। हम तो पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्ध सामान्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब शिमला समझौता हुआ था तो सारे ही देश में इसकी बड़ी सराहना की गई थी, उसका बड़ा ढिंढोरा पिटा गया था और हमारे मित्र देशों ने भी हमारे ईमानदारी भरे प्रयासों की सराहना की थी। परन्तु आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान उस नीति से उलट चल रहा है। पाकिस्तान के आज के सैनिक शासकों में शान्ति के प्रयासों का कोई महत्व ही नहीं है। आज पाकिस्तानी सैनिक शासक, अपनी

जनता की कीमत पर, गम्भीर स्थिति पैदा कर रहे हैं और इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिये।

भारत को पहले भी कई बार दोनों ओर से हानि उठानी पड़ी है, कष्ट झेलने पड़े हैं—पश्चिमी-दिशा और पूर्वी-दिशा दोनों से—और इसलिए, जब हम पाकिस्तान और चीन के साथ अपने सम्बन्धों को सामान्य बनाने की बात करते हैं; मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इन बातों को भी ध्यान में रखे। विदेश मन्त्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि हम हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं, चूंकि हम चीन के साथ अपने सम्बन्धों को और मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने बताया है कि 'पंचशील' के आधार पर भारत और चीन दोनों ने ही आपसी सम्बन्धों को सुधारने की इच्छा प्रकट की है। मैं तो केवल इस सरकार को यह चेतावनी दूंगा कि जहां तक चीन द्वारा इच्छा प्रकट करने की बात है, आपको न केवल विशेषरूप से सचेत रहना पड़ेगा, अपितु आपको समस्त विगत को और इस देश के साथ चीनियों द्वारा किए गये व्यवहार को भी ध्यान में रखना होगा।

जब 14 नवम्बर, 1962 में चीन ने हम पर आक्रमण किया था तो इस सदन ने विधिवत एक संकल्प पारित किया था—एक 'स्थायी संकल्प' लिया था। सारे सदन ने खड़े होकर यह संकल्प लिया था कि चीन ने हमारे देश के साथ धोखा किया है। स्वयं पीठ द्वारा प्रस्तुत किया गया संकल्प-सभा के अध्यक्ष द्वारा लाये गये संकल्प में कहा गया था, कि बड़े ही गहरे दु:ख से यह सदन यह नोट करता है कि भारत द्वारा चीन की जनवादी सरकार के प्रति एक-दूसरे की स्वतन्त्रता, बिना आक्रमण, बिना हस्तक्षेप और शांतिपूर्ण सहआस्तित्व के लिये सद्भावना और मित्रता के एकरूप प्रयासों के बावजूद, चीन ने इस सद्भावना और मित्रता तथा पंचशील के सिद्धातों के साथ विश्वासघात किया है, जिसे दोनों देशों ने स्वीकार किया था और अब आक्रमण कर दिया है तथा भारत पर अपनी शस्त्र सेनाओं द्वारा भारी धावा बोल दिया है।

मैं सारे संकल्प को नहीं पढ़ूंगा, परन्तु यह कहते हुए यह समाप्त होता है कि आशा और विश्वास के साथ, यह सदन भारतीय जनता के इस दृढ़ संकल्प को दोहराती है कि आक्रमणकारी को भारत की पवित्र भूमि से बाहर निकाला जाय, यह लड़ाई चाहे कितनी लम्बी और कठिन क्यों न हो।

अत: मैं कहना चाहूंगा कि पंचशील में चीन का विश्वास, पांच सिद्धांतों में चीन का विश्वास ईमानदारी के सिवाय कुछ और ही सिद्ध हो चुका है। उन्होंने हमारे देश के साथ विश्वास घात किया है। उन्होंने हमारी मित्रता को धोखा दिया है हमारे विश्वास को चोट पहुंचाई है। अत: चीन से बात करते समय सरकार को बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि मन्त्री महोदय को और सरकार को सरकारी रिपोर्ट पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिये। यह एक ऐसा मुख्य राजनीतिक प्रश्न है जिस पर पर कोई कदम उठाते समय, उसका उपयुक्त रूप से और राजनीतिक रूप से पुनर्मूल्यांकन और निर्धारण करना होगा। यदि चीनी लोग ईमानदार है तो मैं कहूंगा कि वे अपने कब्जे में की हुई हमारी भूमि को छोड़ दें। हमारे देश

के दोनों ही तरफ, पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर सहस्रों किलो-मीटर भूमि चीन के कब्जे में है। अत: यदि चीन भारत के साथ अपनी मित्रता को दृढ़ ईमानदारी से करना चाहता है तो मैं चाहूंगा और मैं मांग करता हूं कि चीनी उस कराकोरम रोड़ क्षेत्र से सेनाएं हटाए जो उन्होंने हमारी पश्चिमी सीमाओं पर जानबूझकर बनायी है और हम महसूस करते हैं कि इस सड़क का प्रयोग कभी भी सैनिक उद्देश्यों के लिये किया जा सकता है।

यदि वे अपनी मित्रता में निष्कपट हैं तब मैं इसकी मांग करूंगा। क्या सभा को मालूम नहीं है, क्या इस देश में हमें मालूम नहीं है कि चीनियों ने हमारी पूर्वी सीमा पर कुछ प्रशिक्षण शिविरों की स्थापना की हैं ? हमारे देश के कुछ भागों से कुछ विद्रोही अभी तक उन शिविरों में जाते हैं। और हमारी सूचना यह है कि चीनी भारतीय विद्रोहियों को अभी भी प्रशिक्षण दे रहे हैं जो इस देश में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में व्यस्त हैं। यदि वे निष्कपट हैं, तो उन्हें इन विद्रोहियों के प्रशिक्षण को अवश्य रोकना चाहिए, उन्हें उन शिविरों को अवश्य समाप्त कर देना चाहिए और उन्हें भारत सरकार को बताना चाहिए कि वे भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों में नहीं पड़ेंगे। यदि चीनी वास्तविक रूप से निष्कपट हैं तो उन्हें पाकिस्तान को शस्त्र देने पर रोक लगानी चाहिए। हमने सदैव कहा है कि अमरीका को पाकिस्तान को शस्त्र देने पर अवश्य रोक लगानी चाहिए। हमारा अनुभव है कि जब कभी पाकिस्तान ने शस्त्र हासिल किये हैं उन हथियारों का प्रयोग मुख्य रूप से भारत के विरुद्ध किया गया है। इसलिये, यदि चीनी भी उसी प्रकार की गतिविधियों में पड़ते हैं जैसे संयुक्त राज्य साम्राज्यवादी पड़े रहे है, तो भारत सरकार के लिये चीनियों से यह मांग करना न्यायोचित होगा कि उनको पाकिस्तान को हथियारों की मदद पर अवश्य रोक लगानी चाहिए।

मैं यह भी कहूंगा कि भारत सरकार को चीनी नेताओं के भाषणों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, चीन के कुछ प्रमुख नेताओं ने विश्व के कुछ भागों की यात्रा की है और राज्यों के अधिकांश प्रति क्रियावादी प्रमुखों से मिले; उन्होंने प्रतिक्रियावादी शासन का समर्थन किया, उन्होंने मुक्ति आन्दोलनों का विरोध किया है—आप इथोपिया, के प्रति उनकी नीति, अगोला के प्रति उनकी नीति दक्षिणी अफ्रीका में मुक्ति आन्दोलनों के प्रति उनकी नीति देख सकते हैं। वे किस बात के लिये है ? आज उनका संयुक्त राज्य अमरीका के साथ खुला सहयोग है। और इस सभा में प्रत्येक को यह मालूम है कि संयुक्त राज्य अमरीका आज विश्व के विभिन्न भागों में तनाव उत्पन्न करने के लिये जिम्मेवार है। मैं कहूंगा कि जब तक चीनी नेता उन व्यक्तियों को सहयोग नहीं देते जो शान्ति के लिये संघर्ष कर रहे हैं और यह स्पष्ट नहीं करते कि वे उन सिद्धान्तों में विश्वास रखेंगे जिनमें भारत का विश्वास है तब तक हमें चीन के जाल में नहीं फंसना चाहिए। एक बार हमें धोखा दिया जा चुका है और यह देश दूसरी बार धोखे दिये जाने को सहन नहीं करेगा। हमें मालूम है कि हमारे महान नेता पं० जवाहरलाल नेहरू जो चीन से मित्रता के लिये बड़े जोश के साथ बोला करते थे, चीन के साथ हमारे एतिहासिक संबंध के बारे में विश्व के लोगों को तथा उन मानव मूल्यों को जिनमें दोनों देशों के लोगों का विश्वास है, को याद दिलाया करते थे। चीन के शान्ति प्रेमी लोगों के बावजूद चीन के नेताओं ने मित्रता के साथ विश्वासघात किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार को इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि विश्व के समुदाय में भारत की आज एक बड़ी विचित्र स्थिति है सामरिक दृष्टि से हमारे देश का महत्वपूर्ण स्थान है, भौगोलिक दृष्टि से हमारी स्थिति ऐसी है कि हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमारे पास सम्पन्न विरासत है, हमारे पास संपन्न संस्कृति है। हमारे लोग शान्ति प्रिय लोग हैं। हमारे लोगों ने सदैव विश्व शान्ति आन्दोलन तथा एकता आन्दोलन का समर्थन किया है और उन्होंने अच्छी अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना उत्पन्न करने में मूल्यवान योगदान दिये हैं। इसलिये हमारे लोगों ने विश्व में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। हमने सार्थक भूमिका निभाई है। परन्तु यह कहते हुये मुझे खेद है कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत की वह सम्माननीय स्थिति समाप्त होती जा रही है जो भारत ने प्राप्त की थी जब पं० जवाहरलाल नेहरू इस देश के कार्यों के कर्णधार थे। उस समय पं० जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ी भूमिका निभायी। उन्होंने गुट निरपेक्षता के विश्व आन्दोलन को मजबूत करने के लिए बहुत बार पहल की थी। वे शीत युद्ध युग की कई चुनौतियों का सामना कर सके। सही मानों में वे उन्नतिशील एशिया तथा अफ्रीका के प्रतीक बन गये। वे सम्पूर्ण विश्व में नये स्वाधीनता आन्दोलन के प्रतीक बन गये। परन्तु आज हम कहां हैं ? मैं समझता हू कि आज भारत का रूप वैसा नहीं है जैसा पं० जवाहरलाल नेहरू के समय में था।

हम मुक्ति आन्दोलनों के लिए बहुत बार अपनी जबाबी सहानुभूति व्यक्त करते है। बहुत सी बार हम मध्यस्थ की भूमिका निभाते है। कभी-कभी आन्दोलन की रक्षा करना आवश्यक है कि आन्दोलन को समाप्त करवाने तथा उसमें व्यवधान डलवाने की बजाय किसी का एकीकृत करने वाले की भूमिका अदा करनी चाहिए। परन्तु मैं समझता हूं कि इसको समझौता करने वाले की स्थाई भूमिका बनना और मौलिक मुद्दों का समझौता करना उन उद्देश्यों के विपरीत है जिनमें हमारा देश विश्वास करता है। मैं समझता हूं कि भारत को उसी रूप को अवश्य बहाल करना चाहिए। भारत सरकार को उन कुछ मुद्दों पर पहल करनी चाहिए जिनसे हमें यह महसूस होता है कि ये विश्व शान्ति को खतरा पैदा कर रहे है या हमारे देश में आज समस्यायें उत्पन्न कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, मैं कहना चाहूंगा आज हिन्द महासागर में क्या हो रहा है ? क्या भाषण देने ही काफी है और कुछ ऐसे प्रस्तावों को करना कि हिन्द महासागर शान्ति क्षेत्र होना चाहिए ? मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है।

मुझे यह कहते हुये खेद है कि भारत सरकार भारतीय लोगों की पीड़ा को व्यक्त करने में असफल हुई है। भारत सरकार हमारी प्रभूसत्ता और स्वतन्त्रता के खतरों पर ध्यान देने में असफल हुई है। आज हिन्द महासागर में क्या हो रहा है ? आज संयुक्त राज्य अमरीका परमाणु आधार की पूर्ण योजनाओं के साथ कार्य कर रहा है और हिन्द महासागर क्षेत्र में अपने परमाणु आधार का विस्तार कर रहा है। वे आधुनिकतम प्रक्षेपणास्त्रों तथा परमाणु शस्त्रों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका बजट हिन्द महासागर में मजबूत परमाणु आधार स्थापित करने के लिये 10 गुणा बढा दिया गया है परन्तु भारत सरकार कुछ घोषणाएं करने के सिवाय और कुछ नहीं कर रही है।

कि साम्राज्य वादियों द्वारा यह एक बड़ा तरीका है और विश्व के इस भाग में तनावों के बड़े कारणों में से यह एक है।

10 वर्ष पूर्व राज्यों के प्रमुख, गुट निरपेक्ष देशों की सरकारों ने 1970 में लुसाका में हुई बैठक में एक निर्विरोध प्रस्ताव पारित किया था जिसमें राष्ट्र संघ के महासचिव से यह सिफारिश की गई थी कि हिन्द महासागर को शान्ति-क्षेत्र बनाया जाए। राष्ट्र संघ के महासचिव ने स्वयं यह प्रस्ताव पारित किया था एक दशक हो गया है जब उन्होंने यह प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव पर प्रस्ताव पारित किए जा रहे है परन्तु कुछ नहीं हो रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सही समय है कि भारत सरकार को पहल अवश्य करनी चाहिए और अमरीका वासियों को नोटिस देना चाहिए कि उन्हें हिन्द महासागर छोड़ देना चाहिए। उन्हें लोकमत तैयार करना चाहिए। यह एक मात्र सरकार का मामला नहीं है। भारतीय जनमत तैयार किया जाना चाहिए और भारतीय लोगों को विश्वास में लिया जाना चाहिए और यह बताया जाना चाहिए वहीं, जब तक अमरीका वाले डाईगो गरिसिया से नहीं चले जाते है और वे हिन्द महासागर को नहीं छोड़ते हैं तब तक भारत के लोग इसे एक बड़ा मुद्दा बनाते रहेंगे।" मैं यह पूछना चाहूंगा ; विदेश मन्त्री और भारत सरकार को ऐसा करने से कौन रोकता है जबकि हिन्द महासागर की स्थिति चारों ओर इतनी विस्फोटक है और एशिया के पड़ोसी देशों में सैनिक तैयारियां हो रही है और आक्रामक उपाय सोचे जा रहे हैं ?

श्रीमान् हमारी स्वतन्त्रता और प्रभुसत्ता व हमारे पड़ोसी राज्यों को भी खतरा है। भारत सरकार क्यों पहल नहीं करती हैं और हिलसींकी किस्म का सम्मेलन क्यों नहीं बुलाती है ? मैं चाहता हूं कि भारत सरकार को पहल करनी चाहिए और प्रस्ताव करना चाहिए और यह कहना चाहिए कि दिल्ली स्थान होगा और दिल्ली में उन्हें सभी शान्तप्रिय देशों तथा ताकतों का एक सम्मेलन बुलाना चाहिए और यह कहना चाहिए कि भारत के लोगों तथा विश्व के इस भाग के अन्य लोगों की सबसे बड़ी चिन्ता एशिया में शान्ति और सुरक्षा की है। इसलिए इस सम्बन्ध में भारत सरकार को अवश्य पहल करनी चाहिए।

श्रीमान् मैं यह कहना चाहूंगा....(**व्यवधान**)।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : क्या आप हिन्द महासागर क्षेत्र के लिए यह सुझाव दे रहे हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : हिन्द महासागर क्षेत्र समेत मैं उस स्थिति पर सम्मेलन का सुझाव दे रहा हूं। जो सम्पूर्ण एशिया में बढ़ रही है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : एक सम्मेलन होने जा रहा है। मैं समझता हूं कि उसका आपको पता है।

श्री चन्द्रजीत यादव : वह सम्मेलन केवल हिन्द महासागर क्षेत्र के बारे में है उसका मुझे पता है। 1981 में राष्ट्र संघ हिन्द महासागर पर एक सम्मेलन बुला रहा है। में

यह कह रहा हूं कि एशिया में शान्ति और सुरक्षा भारत सरकार की सबसे बड़ी चिन्ता होनी चाहिए। भारत सरकार को हिलसिंकी की किस्म का वैसा ही एक सम्मेलन बुलाने की पहल करनी चाहिए जैसा कि शान्ति और सुरक्षा के लिए यूरोप में किया गया है। जहां तक एशिया की रक्षा और शान्ति व सुरक्षा का सम्बन्ध है, सरकार को पहल करनी चाहिए और एक सम्मेलन बुलाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : मैं समझता हूं कि यह सामूहिक सुरक्षा नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव : आप को दोनों के अन्तर का पता है। वे बड़े विरोधी हैं क्योंकि वे परेशान हैं। कम्पूचिया की मान्यता ने उन्हें अवश्य परेशान किया होगा। मैं उसे जानता हूं। (व्यवधान)। क्योंकि आप एकाकी विश्व लोकमत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अब मैं अफगानिस्तान के प्रश्न पर आ रहा हूं, यह अकेला प्रश्न सम्पूर्ण विश्व के लोगों के दिमागों में अशान्ति पैदा कर रहा है। परन्तु मुझे कहना चाहिए कि भारत सरकार ने समाधान की तलाश करने में प्रयास करने के लिए एक बड़ी जिम्मेवार भूमिका निभायी है और भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से एक सैद्धांती रूख अपनाया है।

हम अपने आप में कृत संकल्प है कि किसी देश को आक्रमण करने का अधिकार नहीं है। हम अपने आप में कृत संकल्प है कि किसी भी देश को किसी भी स्थिति में उस समय तक अपनी सेना किसी अन्य देश में नहीं भेजनी चाहिए जब तक कि देश की आजादी और प्रभुसत्ता को खतरा न हो तथा वह देश अपने मित्र देश से सहायता लेने का निर्णय नहीं करता है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि अफगानिस्तान में लोगों ने वहां नयी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक क्रान्ति की है। उस देश के लोग अपनी क्रान्ति के लाभों को समाप्त नहीं करना चाहेंगे। परन्तु मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान में रूस की सेना की मौजूदगी ने यह स्थिति अवश्य उत्पन्न की है जो मेरी राय में रूस को भी पसन्द नहीं थी। मुझे खुशी है कि रूस ने बार-बार अपनी इस स्थिति की पुनरावृत्ति की है कि जैसे ही अफगानिस्तान की प्रभुसत्ता और स्वतन्त्रता का खतरा समाप्त हो जाता है और जैसे ही आक्रमण करने तथा अफगानिस्तान में आई क्रान्ति को समाप्त करने का साम्राज्यवादी उद्देश्य समाप्त हो जाता है; उन्हें अपनी सेनाओं को वापस हटाने में खुशी होगी।

उन्होंने सेना को आंशिक रूप से वापस बुलाकर सद्भावना का प्रदर्शन किया है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे देश में इसका स्वागत किया गया है और हम यहां इसका स्वागत करते हैं।

मैं समझता हूं कि कुछ दूसरे क्षेत्र हैं जिसके कारण देश के लोगों को भारी चिंता है। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका की वर्तमान स्थिति। दक्षिण अफ्रीका का जातीय अल्पसंख्यक शासन विश्व-मानवता के लिये एक बड़ी चुनौती है। दक्षिण अफ्रीका के समूचे लोगों की इच्छा के

विरुद्ध यह शासन जाति भेद की चालें चला रहा है, और सौभाग्य से, उस समय जब सारा अफ्रीका आज स्वतन्त्र है, और उपनिवेशिक स्थिति भी खत्म हो गई है, अभी भी दक्षिण अफ्रीका एक गुलाम देश है और वहां अल्पसंख्यक जातिवादी शासन है। भारत सरकार ने हमेशा पूर्ण समर्थन दिया है और मुझे आशा है कि सरकार उसके विरुद्ध जनमत तैयार करने में प्रभावकारी भूमिका निभायेगी ताकि जितनी जल्दी हो सके यह शासन खत्म हो।

महोदय, अरब देशों के साथ संबंधों में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाये हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं। मेरे विचार में भारत सरकार को लोगों का बड़ा समर्थन मिला और वह हमारे लिये बहुत संतोष की बात थी कि सरकार द्वारा पी०एल०ओ० (फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन) को मान्यता प्रदान की गई और हम महसूस करते हैं कि जब तक उन्हें आत्म निर्णय का अधिकार जो सम्पूर्ण संसार में एक भलीभांति मान्यता प्राप्त अधिकार है, नहीं मिल जाता है तब तक हमें फिलिस्तीन के लोगों के संघर्ष के साथ भारी सहानुभूति दिखानी चाहिये।

इस स्थिति में मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यहां बड़ा षडयंत्र हो रहा है। गुट निरपेक्ष आंदोलन को भंग करने के लिए कई कार्यवाही हो रही है। हमने हवाना में यही देखा। इससे पूर्व गुट निरपेक्ष आन्दोलन को भंग करने में शक्तियां लगी हुई थीं और मैं समझता हूं कि जब गुट निरपेक्ष आन्दोलन कमजोर हो जायगा या टूट जायगा तो वह विश्व के लिए एक दुःखद दिन होगा। और भारत सरकार को गुट-निरपेक्ष आंदोलन को सुदृढ़ बनाने में और अधिक प्रभावी भूमिका अदा करनी चाहिए तथा जो लोग स्वतन्त्रा-प्राप्ति के लिये संघर्ष कर रहे हैं, उनका समर्थन करना चाहिए।

यहां पर मैं दो बड़ी शक्तियां जिनके बारे में बहुधा कहा जाता है, एक शब्द कहूंगा। मैं समझता हूं कि निःसंदेह ये दुनियां में बड़ी शक्तियां हैं परन्तु सोवियत संघ को अमेरिका के साथ एक वर्ग में रखकर इन्हें दो प्रतिस्पर्धी बड़ी शक्तियां कहना बहुत गलत एवं भ्रामक धारणा है। मेरे विचार से और हम अपने अनुभव से भी यह जानते हैं कि सोवियत संघ हमारी आजादी से लेकर आज तक भारत का विश्वसनीय मित्र साबित हुआ है विगत तीन दशक से भी अधिक समय से यह हमारा अनुभव रहा है कि जब कभी भी भारत की आजादी या भारत की प्रभुसत्ता को किसी तरह का खतरा हुआ है तो सोवियत संघ ने एक अच्छे और विश्वसनीय मित्र के रूप में हमारा साथ दिया है, चाहे वह कश्मीर का प्रश्न हो या गोआ मुक्ति का या बंगलादेश का प्रश्न हो, चीन का हमारे देश पर आक्रमण हुआ हो और बहुत से विश्व शांति के मामले हों, या गुट निरपेक्ष आन्दोलन को मजबूत बनाना हो, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्षरत शक्तियों को सहायता प्रदान करने का प्रश्न हो या विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का प्रश्न हो, सोवियत संघ ने हमेशा सहायता की है।

महोदय, इसलिये, मेरे विचार से यह सही कहा गया है कि हम सोवियत संघ से अपनी मित्रता को बरकरार रखेंगे और मजबूत बनायेंगे। और मैं इस बात से खुश हूं कि विदेश मंत्रियों ने एक दूसरे देशों की यात्रा की है पहले से, सोवियत विदेश मंत्री ने यात्रा की। बाद में हमारे विदेश मंत्री ने वहां की यात्रा की। इससे हमारी मित्रता और भी मजबूत हुई है।

यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि अमेरिका के साथ हमारे सम्बन्ध सुधारने के बहुत अच्छे प्रयास के बावजूद भी हमें दुर्भाग्यवश हमें सफलता नहीं मिली है। ऐसा यह क्यों है ? यह केवल इसलिये है, क्योंकि अमेरिका अभी भी साम्राज्यवाद की नीति में विश्वास करते हैं। अमेरिका उपनिवेशिक एवं साम्राज्यवादी शक्तियों का बड़ा नेता है और आज वह अस्त्रों का बहुत बड़ा उत्पादक है। संयुक्त राज्य अस्त्रों का एकाधिकारी उत्पादक है और युद्ध में उसका स्वार्थनिहित है जबकि हम विश्व-शांति में रुचि रखते हैं। इसलिए हमारी विचारधाराएं एक दूसरे से टकराती हैं। हम विश्व की समस्या को दूसरे तरीके से देखते हैं जहां वे लोगों को आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से गुलाम बनाना चाहते हैं, वहां हम समूचे विश्व में आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों के समर्थक रहे हैं। अतः, मैं कहता हूं कि निःसंदेह हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए किंतु हमें यह समझना चाहिये कि सोवियत संघ और सयुक्त राज्य अमेरिका को एक ही वर्ग में नहीं रखे जा सकते। और अगर हम इन दोनों शक्तियों को एक ही वर्ग में रखेंगे तो यह हमारी भारी भूल होगी।

महोदय, कोई भी देश जब तक आर्थिक रूप से शक्तिशाली नहीं है तब तक वह अपनी विदेश नीति को स्वतन्त्र रूप से जारी नहीं रख सकता है। आज जो मुख्य बात है वह यह है कि हमारे अन्य देशों से सम्बन्ध मूल रूप से हमारी भौतिक और आर्थिक शक्ति पर निर्भर है। अगर हम आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, अगर हम दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे तो हम अपनी विदेश नीति को निर्भयतापूर्वक कायम नहीं रख सकेंगे। महोदय, आजादी के तीन दशक व उससे अधिक समय के बाद भी हम कहां हैं ? इस वर्ष हम 15 लाख टन इस्पात आयात कर रहे हैं। हम कोयला, सिमेंट, तेल और खाने के तेल का भी आयात कर रहे हैं। इस साल हम चीनी का भी आयात कर रहे हैं। अगर भारत की अर्थव्यवस्था की यही स्थिति है तो मुझे यह कहने में खेद है कि भारत सरकार देश को खतरनाक स्थिति में ले जा रही है। मुझे इसका कुछ संकेत मिला है कि हमारी आर्थिक नीति, पूंजीवादी देशों पर अधिक से अधिक निर्भर रहने की है। विश्व के अनुभव से यह पता चलता है कि जो देश पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों पर निर्भर रहे, उनकी आजादी खतरे में पड़ी है। इस देश को उस खतरे की स्थिति में नहीं ले जाना चाहिए। हम आज भी सैनिक सामान के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। यह बहुत गम्भीर और बहुत खतरनाक स्थिति है। आजादी के 33 वर्ष के बाद भी हमारी यही स्थिति है। हम अपने प्रमुख सैनिक सामान के लिए इन देशों पर निर्भर हैं। यह अच्छी स्थिति नहीं है। पूर्णतः आत्म-निर्भर बनने के लिए भारत को उचित रूप से विकास की नीति तैयार करनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह नारा बहुत पहले दिया था। परन्तु दुर्भाग्य से हम आत्मनिर्भर बनने के बजाय इन देशों पर और अधिक निर्भर होते जा रहे हैं और यह गम्भीर स्थिति है। अधिकांश लोग, 48% से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे ही रहे हैं। लाखों युवक इस देश में बेरोजगार हैं, देश के विभिन्न भाग में पिछड़े क्षेत्र हैं, जिनका विकास किया जाना है। सीमावर्ती राज्यों में हम जो देख रहे हैं वह हमारे लिए एक चेतावनी है, यह कोई छोटे-मोटे असन्तोष का प्रदर्शन नहीं है। यह हमारे लिए एक चेतावनी है कि सीमावर्ती राज्यों के लोग यह चाहते हैं कि उनकी आर्थिक समस्याओं का हल होना चाहिए। जब मैं त्रिपुरा गया तो उन्होंने कहा कि "हमारे यहां

केवल 12 मील ही रेलवे लाइन है। क्या आप चाहते हैं कि इससे हम सन्तुष्ट हो जाएं ? अगर हमें अगरतला से गोहाटी जाना है तो छोटी रेलवे लाइन में तीन दिन का समय लगता है।" हमारे युवक, हमारे विद्यार्थी हमसे कह रहे हैं कि "हम आपके रास्ते में आड़े नहीं आना चाहते हैं।" परन्तु ये आदिवासी लोग, युवक और विद्यार्थी कहते हैं कि "क्या आप केवल यही चाहते हैं कि हम पीयें, नाचें और पहाड़ों में रहें, क्या आप केवल इतना चाहते हैं कि हम सागभाजी, फल और घास पर ही जिन्दा रहें ?" यह उनका दृष्टिकोण है। वे आर्थिक व सामाजिक पिछड़ेपन के प्रति विद्रोह कर रहे हैं। यह हम सबके लिए एक बड़ा संकेत है।

आज सौभाग्य से भारत 77 देशों के एक समुदाय का सभापति है। यह हमारा बहुत बड़ा अवसर है। यह भी निर्णय किया गया है कि विकासशील व पिछड़े देशों को एक नए अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। मैं समझता हूं कि भारत सरकार और यह मंत्रालय इस बारे में पहल करे। मैं मन्त्री महोदय की कठिनाईयों को भी जानता हूं। मुझे मालूम है कि विगत 'अंकटाड' सम्मेलन के लिए उन्हें कितनी तकलीफें उठानी पड़ी थी। परन्तु इन कठिनाइयों के बावजूद हमें कुछ उपलब्धियां हुई हैं, हालांकि ये बहुत नगण्य है।

विकासशील देश अपने बीच कुल विश्व व्यापार का छः प्रतिशत व्यापार ही करते हैं। अगर हम तेल-व्यापार को छोड़ दें तो यह केवल 2·5 प्रतिशत ही बैठता है। यह बहुत दयनीय स्थिति है। अतः मैं समझता हूं कि भारत सरकार को इस अवसर का पूरा फायदा उठाना चाहिए। यह अवसर हमें मिला और सौभाग्य से भारत 77 देशों के समूह का सभापति है। अतः इन सभी देशों को मिलकर पहल करनी चाहिए। ये सारे देश मूलतः कच्चे माल निर्यात करने वाले देश हैं। उन्हें इसे अकेला नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से करना चाहिए। सामूहिक सौदेबाजी होनी चाहिए। उन्हें दूसरे देशों के साथ सामूहिक उत्तर दायित्व एवं सामूहिक सौदेबाजी के आधार पर व्यापार शुरू करना चाहिए। मेरे विचार से उन्हें उनके बीच व्यापार को बढ़ाना चाहिए। भारत को इन देशों का एक साथ लाने और उनमें समान भावना पैदा करने में बड़ी भूमिका निभानी होगी।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी भी देश के विदेशी मामलों का उस देश की आन्तरिक स्थिति से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। हमारे देश और हमारे लोगों के सामने आज कुछ उद्देश्य हैं। अगर हम इन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी स्थिति में हमें उद्घोषित आदर्शों से नहीं हटना चाहिए। महोदय, हम विश्व शांति के लिए काम जारी रखेंगे, हम अच्छी अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए कार्य करते रहेंगे। हम उन लोगों का, जो स्वतन्त्रता के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, समर्थन करते रहेंगे। हम एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए उन सिद्धान्तों का पालन करते रहेंगे और महोदय, अपने लोगों को एक शब्द के साथ·····।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : उन्हें कुछ शब्द श्री चरणसिंह की नीति के बारे में भी कहने चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : इसके बारे में आपको चिन्ता नहीं करनी चाहिए। मैं किन्हीं व्यक्तियों की ओर से नहीं बोल रहा हूं मैं पार्टी के लिए बोल रहा हूं। पार्टी व्यक्तियों के अलावा है, और मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि आप इसे समझें।

महोदय, मैं कुछ शब्द अपने लोगों के बारे में भी कहना चाहता हूं। महोदय, भारतीय लोग बड़े प्रतिभावन हैं। उन्होंने उन आन्दोलनों को शक्तिशाली समर्थन दिया है जो शांति और स्वतन्त्रता के लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के लोगों ने मुख्य रूप से वियतनाम पर आक्रमण होने के समय साथ दिया है और उनकी आजादी के लिए भी साथ देते रहेंगे। इन लोगों ने दक्षिण अफ्रीका में चल रहे जाति भेद वाली शासन और जाति भेद वाली नीति के विरोध का समर्थन किया है। हमारे देश के लोगों ने सदा ही लड़ाकू-प्रवृति वाले लोगों का विरोध किया है। इन लोगों ने बेहतर सद्भावना को बढ़ाने के लिए पूरा समर्थन दिया है और इसलिए भारत सरकार को गैर सरकारी आन्दोलन संगठन को जो नेक काम कर रहे हैं, मान्यता देनी चाहिए एवं ध्यान देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी विश्व शान्ति-आन्दोलन की ओर ध्यान दिया है। उन्होंने विश्व शान्ति सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने शिष्ट मंडल भेजे हैं, उन्होंने बहुत से अवसरों पर जब बैठक बुलाई जब मुख्य घटनाओं में भाग लेने के लिए हमें निमंत्रण दिया है। मेरे विचार से पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे नेता थे जो अफ्रीका एशियाई एकता आन्दोलन को प्रोत्साहित करते थे। वह उन व्यक्तियों में एक थे जो विश्व शान्ति के लिए कार्य कर रहे थे और इस देश के बहुत सी महान विभूतियों और कई संगठनों ने इन आदर्शों के लिए अपना महान योगदान दिया है। इसलिए मैं कहूंगा कि विदेश मन्त्री को यह ध्यान देना चाहिए कि सरकार के अलावा हमारे जो लोग शान्ति के लिए काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिले, ताकि वे इसके लिए सरकार को बड़ा अच्छा समर्थन दें। इन शब्दों के साथ विदेश मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय : एक घोषणा है। विदेश मन्त्रालय के अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में हुए कटौती प्रस्तावों जो सम्बन्धित सदस्यों से प्राप्त हुई हानियों के आधार पर प्रस्तुत किए गए समझे गये हैं, की एक सूची सदस्यों की जानकारी हेतु सूचना पटल पर लगायी गयी है।

यदि किसी सदस्य को इस सूची में कोई त्रुटि दिखाई देती है तो इसे वह कृपया अविलम्ब पटल पर अधिकारी के ध्यान में लाये।

कटौती प्रस्तावों का पाठ

श्री ई० के० इम्बीची बाबा (कालीकट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाये।"

भारत-चीन संबंधों को सुधारने संबंधी नीति तथा वर्तमान सीमा-विवादों को सौहर्दपूर्ण ढंग से हल करना। (2)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाये।"

हिन्दमहासागर को शांति क्षेत्र सुनिश्चित करने की आवश्यकता। (3)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए घटा दिए जायें।"

विदेशों में, विशेषकर लीबिया में भारतीय मजदूरों के हितों की ओर ध्यान रखने में भारतीय दूतावासों की असफलता। (45)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाये।"

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाये।"

दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के आधार पर अमरीकी सरकार द्वारा तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को परिष्कृत युरेनियम सप्लाई करने में लगातार अनिर्णय और हिच-किचाहट। (10)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं।"

विदेशों में भारतीय दूतावासों के भारी व्यय को कम करने में असफलता तथा मितव्ययता बरतने की आवश्यकता। (11)

(सांकेतिक)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए घटा दिये जाये।"

वर्तमान अफगानिस्तान सरकार के शांति प्रस्ताव पर भारत के विचार स्पष्ट करने की आवश्यकता। (19)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग की राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाये।"

भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई और दक्षिण अफ्रीका के मंत्री के बीच हुई गुप्त राजनयिक वार्ता के कारण धुमिल हुई भारत की छवि को सुधारने की आवश्यकता। (20)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाये।"

इजराइल के भूतपूर्व विदेश मंत्री मोसे दयान की गुप्त भारत-यात्रा और तत्कालीन सरकार के प्रतिनिधि के साथ हुई उनकी वार्ता के कारण धुमिल हुई भारत की छवि को सुधारने की आवश्यकता। (21)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाये।"

रोजगार की तलाश में विदेश जाने वाले लोगों की कठिनाइयों को दूर करने की आवश्यकता। (12)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाये।"

बिना कोई विलम्ब किए विदेशी भाषाओं के भाषान्तरकारों का संवर्ग बनाने की आवश्यकता। (13)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाये।"

विदेश नीति के आलोचनात्मक मूल्यांकन और एक वैकल्पिक नीति तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक स्थायी सलाहकार समिति बनाने की आवश्यकता। (14)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाये।"

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दक्षिण अफ्रीका के समान जातीयतावादी राष्ट्र माने जाने वाले इजराइल के यहूदी राष्ट्र के विरुद्ध पूर्ण और कारगर आर्थिक और राजनैतिक नाकेबन्दी का आह्वान करने में असफलता। (15)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए।"

बम्बई स्थित इजराइल के वाणिज्यिक दूतावास को बन्द करने के आदेश देने में असफलता। (16)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाये।"

अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप के संबंध में कमजोर और असंतोषजनक नीति। (17)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाये।"

संयुक्त राष्ट्र संघ में अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक हस्तक्षेप की निन्दा करने वाले संकल्प के पक्ष में मत देने तथा सभी सैनिक टुकड़ियों की तुरन्त वापसी की मांग करने में असफलता। (18)

श्री ख्वाजा मुबारक शाह : (नारामूला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाये।"

गुट निरपेक्षता तथा विदेशों में प्रचार के आवश्यक तत्वों को क्रियान्वयन न करना। (24)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाये।"

कम्पूचिया को मान्यता देने में असफलता। (25)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाये।"

अफगानिस्तान सरकार को भरपूर समर्थन देने में असफलता। (26)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाये।"

अफगानिस्तान सरकार को सभी प्रकार की सहायता देने की आवश्यकता। (27)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाये।"

साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध कड़ा मुकाबला करने की आवश्यकता। (28)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाये।"

विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में हिन्दी से सम्बन्धित कार्य को बढ़ाने की आवश्यकता। (29)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाये।"

अरब देशों के साम्राज्यवादी विरोधी आन्दोलन को समर्थन देने की आवश्यकता। (30)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाये।"

फिलीस्तीन आन्दोलन को समर्थन देने की आवश्यकता । (31)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाये ।"

इजरायली सरकार की साम्राज्यवादी नीति के विरोध में असफलता । (32)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाये ।"

डिएगोगार्शिया से अमरीकी सैनिक अड्डे को हटवाने में असफलता । (33)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाये ।"

अन्य देशों से साम्राज्यवादी हस्तक्षेप को समाप्त करने में असफलता । (34)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाये ।"

विभिन्न देशों में चल रहे साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष की सहायता करने की आवश्यकता । (35)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाये ।"

अफ्रीकी स्वतंत्रता संघर्ष को समर्थन देने की आवश्यकता । (36)

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये घटा दिए जायें ।"

विदेश स्थित हमारे विदेश कार्यालयों के प्रभावी रूप से कार्य न करना । (37)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए घटा दिए जायें ।"

विदेशों में हमारे देश की छवि को उभारने में असफलता । (38)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए घटा दिए जायें ।"

विदेशों में विशेषकर खाड़ी के देशों में, भारतीय मजदूरों के हितों की रक्षा करने में असफलता । (39)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए घटा दिए जायें ।"

एशियाई देशों में उचित नेतृत्व देने में असफलता । (40)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए घटा दिए जायें।"

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में प्रवाभी भूमिका अदा करने में असफलता। (41)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए घटा दिए जायें।"

विकासशील देशों में आर्थिक सहयोग के और अवसर ढूंढने में असफलता। (42)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये।"

कम्पूचिया की सरकार के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने में असफलता। (43)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को घटाकर 1 रुपए कर दिया जाये।"

हिन्दमहासागर से लगने वाले देशों तथा अन्य शांतिप्रिय देशों को दिएगो गार्शिया में सैनिक अड्डे को समाप्त करने और उसे मारिशस को वापिस करने के लिए प्रयत्न करने के लिए तैयार करने में असफलता। (44)

श्री टी० आर० शमन्ना : (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये।"

अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के बारे में स्पष्ट नीति अपनाने में असफलता। (55)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाये।"

अरब देशों के प्रति उचित नीति अपनाने की आवश्यकता। (56)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए घटा दिए जायें।"

भारतीय युवकों द्वारा नौकरियों के लिए मध्य पूर्व के देशों की ओर अंधाधुंध भागना। (57)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए घटा दिए जायें।"

भारत में हिप्पियों की बुराई को रोकने में असफलता। (58)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए घटा दिए जायें।"

1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात् भारत को देय दावों की राशि को पाकिस्तान तथा बंगला देश से लेने में असफलता। (59)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए घटा दिए जायें ।"

चीन की जेलों में लम्बे अर्से से पड़े बन्दियों को छुड़ाने के लिये कारगर उपाय करने में असफलता । (60)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए घटा दिये जायें ।"

प्रतिभा पलायन पर रोक लगाने में असफलता । (61)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये घटा दिए जायें ।"

उन छात्रों को दण्डित करने में असफलता जो सरकारी खर्चे पर विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करके स्वदेश वापस नहीं आते हैं । (62)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें ।"

उन छात्रों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने में असफलता जिन्होंने विदेशों में भारत के सम्मान को कम किया है । (63)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए घटा दिये जायें ।"

अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने वाले भारतीय युवकों को उचित प्रशिक्षण देने व अनुशासित करने में असफलता । (64)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए घटा दिए जायें ।"

विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को योग्यता के आधार पर भेजने में असफलता । (65)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए घटा दिए जायें ।"

भारत के हितों के विरुद्ध काम कर रहे विदेशी एजेन्टों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता । (66)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग की राशि में से 100 रुपए घटा दिए जायें ।"

भारत स्थित उन विदेशी कांसुलावासों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता जो वीजा के लिए कांसूलावासों में आने वाले भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं । (67)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए घटा दिए जायें ।"

असम तथा अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवादियों को विदेशी सहायता पहुंचने पर रोक लगाने में असफलता । (68)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए घटा दिये जायें।"

सीमा-क्षेत्रों में आक्रमण रोकने के लिए राजनयिक कार्यवाही करने में असफलता। (69)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए घटा दिए जायें।"

भारतीय संस्कृति, इसकी महानता तथा वैसी सूचना जिससे विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़े, के संबंध में उचित प्रचार करने में असफलता। (70)

श्री सत्यनारायण जटियां (उज्जैन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए घटा दिए जायें।"

पारपत्र जारी करने के कार्य को शीघ्र निपटाने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करने की आवश्यकता। (71)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग की राशि में से 100 रुपए चटा दिए जायें।"

विदेशों में भारतीय दूयावासों में हिन्दी को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता। (72)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत माँग की राशि में से 100 रुपए घटा दिए जायें।"

विदेशों में भारतीयों की इज्जत और आत्म सम्मान की रक्षा करने की आवश्यकता। (73)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत माँग की राशि में से 100 रुपए घटा दिए जायें।"

पड़ौसी देशों के साथ दोस्ती दृढ़ करने की आवश्यकता। (74)

म०पू० 6 बजकर 4 मिनट इसके पश्चात् लोक सभा, मंगलवार 8 जुलाई, 1980/17, आषाढ़, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक स्थगित हुई।

1980 लोक सभा सचिवालय को प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (छठाँ संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, दी इण्डियन प्रैस द्वारा मुद्रित,